

स्वस्ति !

डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव ने बहुत ही अधिक परिश्रम एवं अध्ययन के पश्चात् "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (एक झलक)" पुस्तक लिखी है जो प्रशंसनीय है। लगभग पचास वर्षों से मैंने लेखक को बहुत ही निकट से उनकी साहित्यिक अभिवृत्ति तथा विकास को देखा है और लेखक की साहित्यिक प्रगति पर मुझे बहुत सन्तोष है तथा आशा करता हूँ कि आगे भी कई मजिलें तय होंगी।

प्रत्येक राष्ट्र को अपने इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। विशेषकर उन राष्ट्रों को जो दामता के बन्धनों से मुक्त हुए हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से।



भारत में पुरातनकाल से क्रान्तिकारी महापुरुष अवतरित होते रहे हैं। क्रान्ति युग-युग में चटित होती रही है। जब समाज कुण्ड से ग्रस्त होता है और देश दिशाहीन होने लगता है तब क्रान्ति आविर्भूत होती है। क्रान्ति अहिंसक भी हो सकती है और हिंसक भी और यह देशकाल की परिस्थिति पर निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए, भारत में जहाँ महावीर और बुद्ध जैसे अहिंसक क्रान्तिकारी हुए हैं, वही महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जैसे योद्धा भी हुए हैं। इस समय भी आवश्यकता है सामाजिक दुराग्रहों से क्रान्ति द्वारा नवनिर्माण करने की।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के अध्ययनोपरान्त पाठकों के मन में उदात्त विचारों का देशहित के लिए आविर्भाव होगा।

डॉ. पूनमचन्द्र सीसोदिया

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

(एक खण्ड)

सन् 1748 से 1947 तक

लेखक

डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव

एम ओ.एल., एम.ए., पी-एच.डी.

वरिष्ठ हिन्दी प्राध्यापक, धर्मवन्त कॉलेज
याकुतपुरा, हैदराबाद-500 023 (आ. प्र.)

प्रकाशक

शीलम् प्रकाशन

5-8-104, महेशनगर, नामगल्ली स्टेशन मार्ग
हैदराबाद- 500 001 (आं. प्र.)

* प्रकाशक

शीलम् प्रकाशन

5-8-104, नामपल्ली स्टेशन मार्ग

हैदराबाद-500 001

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के
शिक्षाविभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान से प्रकाशित ।

* सर्वाधिकार लेखकाधीन

प्रथम संस्करण : विजयदशमी 29 सितम्बर 1990

* मूल्य : पुस्तकालय संस्करण रु. 100-00

विद्यार्थी संस्करण रु. 40-00

* मुद्रक

दक्षिण भारत प्रेस

खैरताबाद, हैदराबाद-500 004.

Bharateeya Swatantra Sangram

(Ek Jhalak)

(1748-1947)

By Dr Sheelam Venkateshwar Rao

M O L., M A , Ph-D.

Publishers

Sheelam Prakashan

5-8-104, Nampally Station Marg. Hyd-500 001.

29 September, 1990.

Price-100-00

समर्पण

इस पुस्तक के प्रेरणा-स्रोत महाराष्ट्र-केसरी शिवाजी स्वामी विरजानन्द महाराज, नाना साहिब, झाँसीरानी, सहायि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, अरविन्द, बाल-पाल-लाल, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, अमरशहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, भगवत्सिंह, चन्द्र गेखर आजाद, जिस्मिल, स्वतंत्रता की दुर्गा, 'करो या मरो' के प्रणेता बापूजी. पं. नेहरू, नेताजी, अल्लूर सीतारामराजू.

कॉल माक्स. फ्रेडरिक एंगेल्स, एनीबेसेट,

शोलभद्र याजी यशपाल, मन्मथनाथ गुप्त,
प्रकाशवतीपाल, कंठन डॉ. लक्ष्मी सहगल.

और

असह्य देशभवत क्रान्ति वीर शहीदो के चरणों में
सादर समर्पित.

स्वतंत्रता-संग्राम के प्रमुख सेनानी



- (1) मंगलपाण्डे, (2) रानी लक्ष्मीबाई, (3) कुँवरसिंह,
(4) तात्याटोपे, (5) नाना साहिब, (6) बेगम हजरत-
महल, (7) रावतुलाराम (8) बहादुरशाह जफर ।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (एक झलक)

आशोर्वचन	:	श्री शीलभद्र याजी
पुरोवाक्	:	श्री सन्मथनाथ गुप्त
शुभाशीष	:	श्री पं. वन्देमातरम् रामचन्द्र राव
प्रस्तावना	:	श्री विद्याधर गुरुजी
शुभाशंसा	:	प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी
नई दिशा	:	डा. श्यामसिंह शशि
अभिनंदन	:	श्री धोण्डीराव जाधव
अभिमत	:	श्री जी. राजवीर आर्य
दो शब्द	:	डॉ. एन. पी. कुट्टनपिल्ले
प्राक्कथन	:	लेखक



आशीर्वचन

श्री शीलमद्र याजी

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (एक झलक) नामक पुस्तक लिखकर डॉ. शीलम् वेकटेश्वर राव हैदराबाद ने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। सन् 1748 से 1947 तक जो दो सौ वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सशस्त्र तथा अहिंसात्मक तरीकों से आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी गयी, उनका सिर्फ दो सौ बीस पृष्ठों में सविस्तार वर्णन है।

डॉ. शीलम् वेकटेश्वर राव जी ने बहुत अच्छे ढंग से, जो सशस्त्र तथा अहिंसात्मक ढंग से दो सौ वर्षों तक आजादी की लड़ाइयाँ चलती रही, उन्हें एक-दूसरे का पूरक बताकर सभी स्वतंत्रता-सेनानियों के साथ बहुत न्याय किया है।

भारत में दो सौ वर्षों तक स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा, उनमें से दो तिहाई भाग सशस्त्र ढंग से लड़ी गई तथा एक तिहाई भाग कांग्रेस तथा गांधीजी के नेतृत्व में लड़ी गई।

कुछ पगले तरह के लोग यह कहकर उन शहीदों का अपमान करते हैं जिन्होंने सशस्त्र स्वतंत्रता-संग्राम में अपने को न्योछावर कर दिया कि आजादी की लड़ाई की विजय गांधीजी के नेतृत्व में बिना खून गिराये आ गई।

नेताजी ने जब यह ऐलान किया कि आजाद हिन्द फौज को लेकर भारत को आजाद करायेंगे तो उस समय पं. जवाहरलाल नेहरू तथा मोलाना अबुल कलाम आजाद ने यह बयान निकाला था कि वे सुभाषबाबू से लड़ेंगे,

परन्तु उसके ठीक उलटा हुआ कि जब लोगों को यह पता चला कि आज़ाद हिन्द फ़ौज में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सब मिलकर लड़े और औरतों की 'रानी झाँसी सेनावाहिनी' बनी जो अब तक दुनिया में औरतों की फ़ौज कहीं नहीं बनी। आज़ाद हिन्द फ़ौज (आई. एन. ए. मुकदमा) के बाद नई दिल्ली में 1946 में भारत के लीहपुरुष सरदार पटेल ने कहा था कि जिस काम को साठ वर्षों तक कांग्रेस नहीं कर सकी, नेताजी बोस ने आज़ाद हिन्द फ़ौज बना कर ऐसी आज़ादी की लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज़ भारत से बिदा हो गये।

भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अपील करता हूँ कि वे डॉ. शीलम् को इस पुस्तक "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम" को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर आज़ादी की लड़ाई के इतिहास की भावी संतति को बतारें। मैं डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव जी को कोटिशः धन्यवाद देकर आशीष दे रहा हूँ।

शीलम् दाजी

कार्यकारी अध्यक्ष

दिनांक 10-10-1990

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन

तथा भूतपूर्व सांसद

पुरोवाक्



श्री मन्मथनाथ गुप्त

यह बड़ी ख़ुशी की बात है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर डॉ. वीलम् वेंकटेश्वर राव ऐसे बीसियों विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है जिसका नतीजा यह हुआ कि आज सभी दृष्टिकोणों से लिखे हुए विद्वत्सापूर्ण ग्रंथ पाठकों के सामने आ रहे हैं। क्रान्तिकारियों ने इस संग्राम का प्रारम्भ किया और क्रान्तिकारियों ने ही इस संग्राम में पूर्णाहुति दी। यह कई लोग प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं कि अहिंसा के द्वारा भारत स्वतंत्र हुआ, पर यह आंशिक रूप से सत्य है। जैसा कि मैं ने बार-बार अपने ग्रंथों में लिखा है कि महात्मा गांधी ने भगीरथ थे, जो स्वतंत्रता-आन्दोलन को उच्चवर्ग के स्वर्ग से उतार कर जनता के मर्त्य में ले आए। इस सेवा की जिवनी भी प्रशंसा की जाए, वह थोड़ी है। महात्मा गांधी ने एक बार थोड़े ही दिनों के लिए ही सही, सारे भारतीयों को क्रान्तिकारी बना दिया। सन् 1921 में गांधीजी ने जिस आन्दोलन को पहली बार आरम्भ किया, वह एक अलौकिक प्रयोग था। मैं उस समय तेरह वर्ष का एक नगण्य छात्र था। पर गांधीजी की झोली में मेरे ऐसे सैकड़ों तुच्छ छात्रों के लिए भी स्थान था। उन्होंने यह नारा दिया कि अंग्रेजों के द्वारा चलाये हुए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब गुलामखाने हैं और उन्होंने कहा कि तुम छात्र उनसे निकल आओ। काशी में मेरे अतिरिक्त कमलापति त्रिपाठी, लालबहादुर शास्त्री, हरिहरनाथ शास्त्री, बजरगबली गुप्त, रवीन्द्र मोहन कौर, मणीन्द्रनाथ बनर्जी आदि बीसियों छात्र स्कूलों से

निकल आए। इन में से जोश में भाटा आने पर अधिकांश छात्र अपने विद्यालयों में लौट गए। पर कुछ लोग बने रहे। उन्हीं को लेकर अध्यापक कृपलानी ने बाद को प्रसिद्ध विद्वान वाडू भगवान दाम, सम्पूर्णानन्द, माचार्य नरेन्द्र देव आदि ने राष्ट्रीय विद्यालय और काशी विद्यापीठ की स्थापना की। प्रसिद्ध रईम वाडू शिव प्रसाद गुप्त ने दस लाख का दान दिया, जो उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी। इस प्रकार काशी विद्यापीठ चल पड़ा। इन विद्यालयों में और विषयों के अतिरिक्त चर्खा जानना और कर्घा चलाना पाठ्यक्रम के अन्तर्गत था।

ऐसे सारे भारत में कई विद्यापीठ और अन्य संस्थाएँ बनीं।

आज हमारे गाँव बहुत आगे इस अर्थ में बढ़े हुए हैं कि हर मिनट ट्राजिस्टर-क्रान्ति की बदौलत सारी दुनिया की खबरे गाँव में पहुँच जाती हैं। पर 1920 में जब हम सुल्तानपुर के गाँव में गए, वहाँ अधिकांश लोगों को इसका भी पता नहीं था कि भारत में मुगलों का राज्य चल रहा है या अंग्रेजों का राज्य। इस अन्धकार पूर्ण वातावरण में मेरे ऐसे छात्रों के लिए भी स्थान था। हम लोग गाँव में जाकर चर्खे और काग्रेस का प्रचार करते थे। यह बताते थे कि महात्मा गांधी के रूप में एक अवतार पैदा हुआ है, जो हमारी परतंत्रता की बेड़ियों को काट कर ही दम लेगा। हम लोग स्वयं कुछ नहीं जानते थे, पर जो कुछ जानते थे, वह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे, साथ ही लोगों में स्वतंत्रता के लिए जोश पैदा कर रहे थे।

गांधीजी के पहले लोकमान्य तिलक और उससे भी पहले राममोहन-राय, उनका ब्रह्मसमाज, प्रार्थना-समाज, आर्यसमाज और स्वामी दयानन्द ज़मीन तैयार कर चुके थे। चाफेकर बन्धु, खुदीराम, कन्हैयालाल दत्त, बीर सावरकर और उनकी मित्र मण्डली में से कई लोग जैसे मदनलाल घोषरा आदि उस ज़मीन को अपने रक्त से सींच चुके थे। बग-भग के कारण बंगाल में जो आन्दोलन चला, उसमें गांधीवादी आन्दोलन के कई हिस्से, जैसे स्वदेशी, बन्देमातरम् आदि भारत के सामने आ चुके थे। क्रान्तिकारियों ने और गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई सब की एकता पर बहुत जोर दिया था।

क्रान्तिकारी पूर्ण रूप से धर्म-निरपेक्ष थे। यों समझा जाता है, और अशफाक उल्लाह हुसैन (फांसी 1927) यह सोचते थे कि वही प्रथम मुस्लिम शहीद हैं, पर जैसा कि हमारे विद्वान् लेखक डॉ शीलम् वेंकटेश्वर राव जानते हैं कि 1857 को छोड़ भी दे, तो कई मुस्लिम स्वराज्य के लिए शहीद हो चुके थे। पर जैसा कि आज इतिहास बताता है कि क्रान्तिकारियों का और गांधीजी के धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी विचार पूर्णरूप से सफल नहीं हो सके। यह उस समय सामने आ गया जब भारत स्वतंत्र हुआ, पर दो टुकड़ों में बँट कर।

गांधीजी ने अहिंसा का नारा दिया वह भारत की स्थिति को देखते हुए बहुत सुन्दर एवं समयोपयोगी था, पर पहले ही 1921 के आन्दोलन में ही यह प्रकट हो गया कि जनता के लिए अहिंसा पूर्णरूप से पचाने योग्य विचार-धारा नहीं है। 1922 की 5 फरवरी को गोग्रपुर के चौरीचौरा गाँव में जब पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलायी, और तब तक गोलियाँ चलाई जब तक कि उनकी गोलियाँ खत्म नहीं हो गयी। भीड़ गोली चलने से स्तब्ध हो गई। पर जब भीड़ ने यह हृदयंगम कर लिया कि पुलिसवालों की गोलियाँ खत्म हो चुकी हैं तो वह धाने की ओर बढ़ी, जहाँ पुलिस वाले छिप गये थे और धाने में आग लगाकर बीस एक पुलिसवालों को जिन्दा जला दिया। क्रान्ति की यह पहली चिनगारी थी। क्रान्ति क्या है? क्रान्ति वह है, जो हर भारतीय ग्राम चौरीचौरा हो जाता। पर महात्माजी क्रान्ति नहीं चाहते थे। सत्याग्रह में क्रान्ति का कोई स्थान नहीं है। वह समझीते में समाप्त होता है, क्योंकि उसके पीछे सर्वोदय की विचारधारा छिपी हुई है।

विद्वान् लेखक ने सारे प्रश्नों पर रोशनी डाली है। पर सिर्फ दो-बातें कहकर मैं यह भूमिका समाप्त करूँगा।

पहली बात तो यह है कि 1789 में यह सम्भव था कि फ्रांस की साधारण जनता ने क्राँज को हरा दिया, पर अब फौजी विद्या और अस्त्र-शस्त्र इतने उन्नत हो गए हैं कि बीस हजार सेना सशस्त्र होकर 20 करोड़ लोगों को दबा सकती है। इसी कारण क्रान्तिकारियों ने सेना को आन्दोलन में मिलाने पर शुरू से जोर दिया। पिगडे ऐसे महावीर छावणी के अन्दर पकड़े गए। यह स्वप्न थोड़े में, इस प्रकार भारत में साकार हुआ कि नेताजी सुभाष की

आजाद हिन्द फौज लड़ाई में तो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सकी, पर जब उसके गिरफ्तार अफसरों—शाहनवाज़ खाँ, दिल्ली और कु. लक्ष्मी पर मुकदमा चला, तो इसका नैतिक असर इतना जबरदस्त हुआ कि रातों-रात अंग्रेजों की किंगडोम की भारतीय सेना भूवितवाहिनी बन गई।

दूसरी बात जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह यह है कि महात्मा गांधी ने देश के सामने धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा सामने रखी थी, वह बहुत अपूर्ण, एक देशीय और पूर्वापर सम्बन्ध नहीं थी कि वह असफल हो गई। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह लिया गया कि तोषण करते जाओ और सब काम ठीक हो जाएगा। पर यह बात ऐतिहासिक रूप से गलत थी, जैसा कि हम देख रहे हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि जितने भी धर्म हैं, उनके सारे जहीरे दात तोड़ दिये जाते। पर व्यावहारिक जगत में ऐसा न करके हम ढोंग भरी परस्पर प्रशंसा में लगे रहे। हमें मानवीय अधिकारों के बाधा पर धर्म की जड़ मूल से आलोचना करनी चाहिए थी। सब से मजे की बात यह है कि समाजवादी विचारधारा में धर्मों की आलोचना और उसका तिरस्कार बहुत ज़रूरी माना गया है, पर बोट खीने के डर से समाजवादी नामधारी दलों ने इस विचारधारा को छिपा दिया और गांधीजी के स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगे — “ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब को सम्मति दे भगवान्”। नतीजा यह रहा कि कई कारणों से हिन्दू और अधिक हिन्दू और मुसलमान और अधिक मुसलमान, सिख और अधिक सिख, यहाँ तक कि बिपथ चालित होकर पाकिस्तान के एजेंट बन गए। मैं इसके लिए सारा दोष वामपन्थियों को देता हूँ। उनका इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम देश-द्रोह यह था कि जब 1940 के बाद पाकिस्तान का नारा सामने आया तो उस समय कम्युनिस्टों ने गोल-मोल करके अपने सिद्धान्तों को गडबडा कर पाकिस्तान के नारे का समर्थन किया। जब पाकिस्तान बन गया, तो कई प्रमुख कम्युनिस्ट नेता जैसे सज्जाद ज़हीर आदि पाकिस्तान गए और उन्होंने चाहा कि वहाँ अपना सग्राम चलाएँ, पर पाकिस्तान के शासकों ने उन्हें इस बुरी तरह जेल आदि में डालकर दमन कर दिया कि वे वहाँ से दुम दबाकर भारत भाग आए। ऐसे लोगों ने ऐसा यह प्रचार नहीं किया कि पाकिस्तान एक कट्टर तथा कथित धार्मिक राष्ट्र है

जिसमें कोई भी प्रगतिवादी विचारधारा पनप नहीं सकती। नतीजा जो कुछ होना या वह हम देख रहे हैं। हम कोई ज्योतिषी नहीं हैं, न डाक्टर श्रीलम् क्रेकटेवर राव, कोई ज्योतिषी नहीं। पर घटनाएँ यह साफ दिखा रही हैं कि शक्ति व दृढ़ता और बडेगी, बयो कि हमारे पास कोई विचारधारा ऐसी नहीं है जिससे हम हिन्दू राष्ट्रवाद या पाकिस्तानी जगजू राष्ट्रवाद को परास्त कर सके। इसी लिए हमारी बहादुर सेना सब तरह से तैयार रहने पर भी और हमारे प्रशासक जोरो के साथ आतकवादियो से लडने पर भी सामने कोई विजय के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम लोग यह आशा करते हैं कि सही धर्म-निरपेक्षता, जिसका आधार धर्म-विरोध पर होगा, ससार मे खासकर भारत मे शान्ति, वास्तविक शान्ति स्थापित हो सकेगी।

हृद तो यह है कि न केवल भारत में बल्कि सारे संसार में समाजवादी भोग में लग गए हैं। वह इस हृद तक रोग बन गया कि आज भूतपूर्व समाजवादी देशो में समाजवाद का खुलकर विरोध हो रहा है। यह खुशी की बात है कि इस अन्धकार भरे वातावरण में ससार के सामने गोबचिव नाम से एक महाक्रान्तिकारी मौजूद है। पर यह आशका दिखाई देती है कि रूस आदि देशो के नवमूर्ख और अदूरदर्शी व्यक्ति किसी भी समय गोबचिव की हत्या कर सकते हैं।

मैंने जो कुछ लिखा उससे यह गलत भनक निकल सकती है कि जैसे दो वियतनामो का एकीकरण हुआ। दो जर्मनियो का एकीकरण अभी-अभी हुआ और दो कोरियाओ का एकीकरण भी इतिहास के एजेण्डा में है, उसी तरह भारत, पाकिस्तान और बंगला देश का एकीकरण होगा या होना चाहिए। मैं ब्योरे में नहीं जाऊँगा, पर स्पष्ट कर दूँ कि जब तक धर्म के जह्रीरे दाँत सम्पूर्ण रूप से तोड़ नहीं दिये जाते, तब तक इस एकीकरण का स्वप्न देखना गैर-मुनासिब है। वह इसलिए कि सच्चे मायनी में न पाकिस्तान और न बंगला देश (हम मुज्जोब के तीन वर्षों की छोड़ देते हैं) कभी स्वतंत्र नहीं हुआ। नाम के वास्ते अग्रेजो के जमाने के मेजर थीर कर्नल, जनरल और मार्शल की बाध छाल ओढ़कर डिप्टेटर के रूप में सामने रहे, और उन सब के

पीछे प्लग लगा रहा और उन्हीं प्लगों के जरिये से विश्व साम्राज्यवाद का उन पर शासन चलता रहा। पाकिस्तान जब भारत में जातकवादी भेजता है, तो वह इस्लाम का इतिपादक वाला मुन्हीटा जोड़कर नामने आता है, जिसमें भारत के मूर्ख मुसलमान उनका माय दे, पर जब वे विश्व साम्राज्यवाद का एजेण्ट बनकर अफगानिस्तान के सामने धम्म लेकर खड़ा होता तो वहाँ वह लोकतंत्र का मुन्हीटा ओड़कर अफगानों के सामने जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये अग्रेजों के मेजर-कर्मल असल में क्या है ?

यदि इसी तरह में वे भारत के साथ एक ही जाएँ तो भारत भी उनकी तरह एक छिपा हुआ गुलाम देश बन जाएगा। हम केवल भारत, बंगला देश और पाकिस्तान की एकता या एक राष्ट्रना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि सारा सप्तर एक और अविभाज्य राष्ट्र हो जाएँ, पर जब तक हम धर्म-विरोधी धर्म-निरपेक्षता को "मनसा-वाचा-कर्मणा" एक नहीं हो जाते, तब तक तीन देशों के एकीकरण के मायने हैं अपने हाथ-पैर बाँधकर विश्व साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक देना। इसलिए हमारा विचार यह है कि सही रूप से बामपक्ष का उदय हो, शोषण रहित समाज का रचना हो, पुरुष और स्त्री का समानाधिकार हो, जिनमें किसी तरह की पर्दा-प्रथा आदि बातों की गुजाइश न रहे, छुआ-छूत ही नहीं, सारे वर्णों का विलय हो जाए, हिन्दू और मुसलमान कोई न रहे या नाम के बास्ते रहे, बाकी सब भारतीय हो जाएँ, सभी भारत का पुनर्एकीकरण लाभप्रद हो सकेगा, अन्यथा नहीं।

हम यह आशा करते हैं कि डॉ. शीलम् वेकटेश्वर राव की पुस्तक 'भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' (एक झलक) इस दिशा में जनता का पथ-प्रदर्शन करेगी। मेरी शुभेच्छाओं के साथ—

मन्मथनाथ गुप्त

बयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी

मन्मथनाथ गुप्त

14/डी ईस्ट निजामुद्दीन

नई दिल्ली।

शुभाशीष



श्री पं. बन्धेमातरम् रामचन्द्र राव

भारत की आज़ादी का इतिहास, मेरी दृष्टि में, उसी दिन से प्रारम्भ होता है, जब पहले विदेशियों ने इस देश की सरजमीन पर अपना मनहूस कदम रखा, इस दुष्टदृष्टि से कि उसे पराधीन बनायें।

बारह शताब्दियों की इस लम्बी लड़ाई में भारतीय शहीदों का खून खूब बहा। इस खून से हमारी स्वाधीनता का इतिहास अत्यन्त उज्ज्वल और पवित्र हो चुका है।

गगनचुबी हिमालय की चोटियों से कन्याकुमारी तक व्याप्त जिस देश के पावन चरणों को तीनों समुद्र मिलकर श्रद्धा से घाते हैं, इसमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ कोई-न-कोई खूंखार लड़ाई आज़ादी के लिए नहीं लड़ी गई हो। इस देश की पवित्र भूमि उन वीरों के वीरोचित कारनामों की याद दिलाती है।

डॉ. शीलम् वेकटेश्वर राव ने बड़ी मुलम शैली में पावन गंगा की भान्ति बहती हुई धारा जैसी भाषा में उन वीरों की वीरोचित गाथाओं को नयी पीढ़ी के लिए चित्रित किया है। मैं इस पुस्तक के रचयिता को इस

स्तुत्य कार्य के लिए वधाई देता हूँ। और विश्वास करता हूँ कि नयी पीढ़ी इसे पढ़कर लाभ उठायेगी।

वन्देमातरम् रामचन्द्रराव

वरिष्ठ उप-प्रधान

मार्क्सवादी कार्य प्रतिनिधि सभा


नई दिल्ली।

वन्देमातरम् रामचन्द्रराव

14-3-178, गोशामहल

हैदराबाद-500 012.

प्रस्तावना



श्री विद्याधर गुरूजी

मुझे बचपन से ही अर्थात् विद्यार्थी-जीवनकाल से ही क्रान्तिकारियों के प्रति आकर्षण रहा। प्रथम बार अमरवाहीद सरदार भगतसिंह की फाँसी ने मेरे मन को झकझोर दिया। 23 मार्च 1931 के दिन उन्हें और उनके दो साथी शहीद सुखदेव, राजगुरू तीनों को फाँसी हुई। शायद इसके दो दिन बाद विद्यालय के सारे विद्यार्थियों ने फाँसी के विरोध स्वरूप स्कूल छोड़कर सरकार के विरुद्ध जुलूस निकाले। उस समय मेरी अवस्था शायद 14-15 वर्ष की थी। उसके पश्चात् 1938 में शोलापुर में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नेतृत्व में निजाम सरकार की दोगली-नीति तथा हिन्दू जनता पर उसके घातक आचरणों पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेशों को लेकर एक बृहत् सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में देश के तमाम क्रान्तिकारियों के दर्शन करने का और उनके सुविचारों को सुनने का सुअवसर मिला। जैसे वीर सादरकर, भाई परमानन्द, डॉ. मुंजे, महात्मा नारायण स्वामी, चांदकरण शारदा, खुशहालचन्द (महात्मा आनन्द स्वामी) आदि के जोशोले भाषण सुनकर हमने निश्चय कर लिया कि अपना सारा जीवन भारत की आजादी व देशसेवा में लगा दें। तब से अब तक वही धुन और वही पागलपन सर पर सवार है।

स्वतंत्रता-संग्राम के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात् देश की जो स्थिति बनी, उसमें पूर्व की भावनाओं में त्याग, बलिदान व देश प्रेम नौजवानों में भरपूर था। लेकिन आज़ादी के बाद जो नौजवान पीढ़ी आई, उनमें भोग-विलास, "खाओ-पीओ मौज उठाओ" की हालत देखकर मैं ही नहीं, आज़ादी के लिए लड़ने वाले समस्त सेनानियों के दिल अत्यन्त वेदना के साथ रो उठते हैं। किसी ने ठीक कहा है--

"घाव शहीदों की अगर हम नहीं करेंगे,
तो यह आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी।"

पूजा वीरों की अगर हम नहीं करेंगे, तो वीरता बाँझ हो जाएगी। सच है जो देश अपने वीरों, और उनकी बलिदानियों को भुला देता है, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। स्वयं मर जाता, भिट जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारी जनता अत्यन्त स्वार्थी, पदलोलुप, विषय-वासनाओं में लिप्त होकर कायर एवं नपुंसक हो चुकी है। इन्हे फिर से जगाने के लिए नयी स्फूर्ति और शक्ति पैदा करने के लिए वीरों, क्रान्तिकारियों के जीवन-चरित्र और देश का जुझारू इतिहास फिर से पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए कई लेखक-साहित्यकार ऐसा ही साहित्य लिखें, जिससे देश के नौजवानों में फिर से देश-प्रेम उमड़ पड़े और भारत माता की बलिवेदी पर हँसते-हँसते चन्द्रशेखर आज़ाद, भगत-सिंह, नेताजी सुभाषचन्द्र की तरह प्राण-भ्योछावर करने को तैयार हो जाएँ। जहाँ श्रद्धेय मन्मथनाथ गुप्त इस कार्य में व्यस्त हैं, वृद्धावस्था में भी कलम चला रहे हैं वहाँ अनेक युवा लेखक भी इनसे प्रेरणा ले रहे हैं।

डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव चाहें तो छोटे-मोटे उपन्यास लिखकर या मनोरंजक कहानियाँ लिखकर आर्थिक लाभ उठा सकते, पर उनके दिल ने गवारा नहीं किया। उन पर बाल्यकाल से जिस प्रकार के संस्कार हैं, जिस तरह के वातावरण में वे परवान चढ़े हैं, उनके प्रभाव ने उन्हें क्रान्तिकारियों के साहित्य को लिखने पर मजबूर किया। उनकी पूर्ण कृति महान् क्रान्तिकारी "महापाल के उपन्यासों में क्रान्ति के अनुसन्धान से सम्बन्धित है।"

डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव साधनों के अत्यन्त अभावों के भी आर्थिक कठिनाइयों से गुजरते हुए क्रान्तिकारी-साहित्य को लिखने के कठिन कार्य को अपने हाथ में लेना, उनके देश-प्रेम का द्योतक है। नवयुवकों के अन्दर चरित्र-निर्माण करने की ओर अधिक जोर है। सभी युवा लेखकों के लिए अनुकरणीय है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव के बचपन को अच्छी तरह जानता हूँ। उनमें वही लगन, वही मेहनत है और उससे साहित्यिक क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा व सम्मान वे पा रहे हैं, वह अत्यन्त इलाषनीय है। भगवान् इनकी कलम में और शक्ति दे ताकि इनकी कृतियों का एक-एक वाक्य पाठकों के लिए प्रेरणा-स्रोत बने।

“देश को तुमने सब कुछ दिया, देश तुम्हें क्या देगा ?
बस अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा ॥

मुझे ये दो शब्द लिखते हुए अत्यन्त आनन्द और गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ हैं।

जय हिन्द !

विद्याधर गुरूजी

एम. एल. सी.

दि. 15-10-1990.

अध्यक्ष, दक्षिण भारत स्वतंत्रता

सेनानी संगठन

हेड् आफिस, गुलबर्गा (कर्नाटक)

शुभांशसा



डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी

कई जन्म लेते हैं सिर्फ मर जाने के लिए ।

कई जन्म लेते हैं कुछ कर जाने के लिए ॥

जब मैं दस-ग्यारह वर्ष का था और पाँचवी-छठी कक्षा में पढ़ता था, उस समय हमारी कालोनी में एक समारोह हुआ जिसमें एक पंजाबी कवि ने "शहीदे आज़म भगतसिंह की घोड़ी" कविता का सस्वर वाचन किया। इस रचना में इतना दर्द था कि उसे सुनते हुए मेरी आँखों से आँसू छलक आए। मैं ने अपने आस-पास देखा तो वहाँ पर उपस्थित स्त्री-पुरुषों की भी आँखें भीगी हुई थीं और कई स्त्रियाँ तो सुबक रही थी। पूरे समारोह में जैसे सन्नाटा छा गया था। वास्तव में इस कविता में भगतसिंह को दूल्हा के रूप में और मृत्यु को दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया था। पंजाब में दूल्हा बारात में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर जाता है, लेकिन यहाँ "घोड़ी" की उपमा "फाँसी" से की गई थी। यह कविता भगतसिंह और उसकी मंगेतर के बीच हुए संवाद के रूप में लिखी गई थी। इस कविता का मेरे बालक मन पर गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि इसमें भगतसिंह के मृत्यु की गले लगाने की चाह का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से हुआ था। मैं ने भारत की स्वतंत्रता पर मर-मिटने वाले वीरो और शहीदों के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद 'बिस्मिल', अशाफ़ाक उल्लाह,

सुभाषचंद्र बोस, वीर सावरकर आदि अनेक वीरो एव शहीदों के सघर्षमय और कष्टमय जीवन को पढ़कर रोगटे खड़े हो जाते हैं ।

वास्तव में भारत का इतिहास अनेक बलिदानियों और कुर्बानियों से भरा है । प्राचीनकाल से ही भारत के वीरो ने देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया और अपने प्राणों की आहुति दी । इसी शृंखला में डॉ. शीलम् बेकटेश्वर राव ने सन् 1748 से 1947 तक दो सौ वर्षों का इतिहास "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम . एक झलक" के नाम से लिखा है । इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र नहीं होता बल्कि उसमें तत्कालीन युग की चेतना भी समायी होती है । पूर्वाग्रह या सकीर्ण दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता से लिखा गया इतिहास कभी भी सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाता । डॉ. शीलम् ने बड़े परिश्रम से प्रमाणों की खोज करके एक जागरूक और सचेत लेखक के रूप में यह इतिहास लिखा है । यह काल अंग्रेजी शासन का है जिसने व्यापारी के रूप में भारत में घुसपैठ किया और अपनी कुचाली से भारत पर अपना अधिकार जमा लिया । यह ऐसा युग था जिसमें समूचा देश-पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक-स्वतंत्रता-संग्राम में कूद पड़ा था । बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री-पुरुष, छोटा-बड़ा सभी अपने प्राणों की परवाह न कर इन फिरगियों से भारत माता की आज़ाद कराने के लिए कटिबद्ध था । अहिंसा से या हिंसा से देश की परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना उनका लक्ष्य था । लेकिन यह भी सत्य है कि महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा के माध्यम से संचालित स्वतंत्रता-संग्राम भी अपना विशेष महत्त्व लिये हुए है जिसमें स्वतंत्रता-सेनानियों को ब्रिटिश सरकार का कौपभाजन बनना पड़ा और विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने पड़े । वास्तव में इन सब के महान् योगदान से भारत स्वतंत्र हुआ ।

दो सौ वर्ष के इस इतिहास को डॉ. शीलम् ने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है लेकिन सभी घटनाओं और उनसे सबद्ध महापुरुषों का वर्णन अवश्य मिलता है । डॉ. शीलम् बधाई के पात्र हैं । डॉ. शीलम् का यह प्रयास तभी सफल होगा जब देश के इतिहासकार इस पुस्तक से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता-

संग्राम के लिए एक प्रामाणिक एवं वृहत् इतिहास की रचना करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी इन वीरों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके और भारत के उत्थान, अखंडता एवं विकास में अधिकाधिक योगदान दे सके ।

डॉ. शीलम् को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

उच्च शिक्षा और शोध संस्थान,
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा,
खैरताबाद, हैदराबाद-500 004

नई दिशा



(डॉ). श्यामसिंह शशि

इतिहास लिखे नहीं लिखवाये जाते हैं और इसीलिए घटनाचक्र के वर्णन में कहीं अतिरजत रहता है या कभी पूर्वग्रहों का समावेश। फलतः आज भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है— विशेषरूप से स्वतंत्रता-संग्राम की प्रस्तुति की। 'भारतीय स्वतंत्रता संग्राम : एक झलक' नामक पुस्तक इस दिशा में निःसन्देह एक भगीरथ प्रयत्न है। विद्वान् लेखक डॉ. शीलम् देकटेश्वर राव ने स्वतंत्रता-संग्राम के भूले-बिसरे शहीदों पर न केवल गहन अनुसंधान किया है बल्कि इतिहास लेखकों के लिए एक नई सीख भी दी है। एक नया चिन्तन दिया है और एक नवीन दिशा को उजागर किया है।

पुस्तक के सात अध्यायों में पिरोयी घटनाओं के धागे इतिहास का ताना-बाना बुनते हैं जिनमें अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध तथा विद्रोह के तथ्यात्मक विवरण गुम्फित हैं। पुस्तक में सन् 1857 का स्वाधीनता-संग्राम प्रामाणिक रूप लिये है तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा इस संग्राम में उल्लेखनीय योगदान पर एक पृथक अध्याय दिया गया है। गाँधी-युग से सुभाष-युग तक के इतिहास की ज्ञानवर्द्धक सामग्री रोचक ढंग से दी गई है।

पुस्तक पढ़ते समय एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित होता है और वह यह कि इस पुस्तक से आदिवासी वीरों की शौर्य गाथाएं भी वर्णित हैं। वैसे इस विषय पर इतिहास अभी तक सीत रहा है। आज अनेक अनछुए-अलिखित पृष्ठ शोध की बाट जोह रहे हैं। यह कृति ऐसी अनेक नई दिशाओं तथा संभावनाओं को जन्म देती है।

(डॉ). श्यामसिंह शशि

निदेशक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण संत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली-110 002.

*अनुसंधान

बी-4/245

सफदरजंग एनक्लेव

नई दिल्ली-110 029.

अभिलेखन



बोपेन्द्रराव जाधव

भारत के गौरव मण्डित विप्लवात्मक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विद्वान् लेखक डा. शीलम् वेकटेश्वर राव ने अपनी पुस्तक "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम : एक झलक" में जिन नये आयामों का उन्मेष किया है, वह न केवल श्रमसाध्य है अपितु स्रोतपूर्ण भी है। उनका यह प्रयास सराहनीय है और इसके लिए वे बघाई के पात्र भी हैं।

जिन देशभक्त क्रान्तिकारियों ने भारतमाता की दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सुख-सुविधाओं की परवाह किये बिना अपने अमूल्य जीवन को न्योछावर कर दिया, वे वास्तव में वन्दनीय हैं। उन क्रान्तिकारियों ने मृत्यु के मोड़ पर खड़े होकर भी मस्तमोला बनकर देशवासियों को स्वराज्य मंत्र फूँकते हुए कहा था— "लुप्त रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं।" उनका यह बलिदान देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना।

वास्तव में उन अमर शहीदों ने भारत जैसे लुप्तहाल और हरे-भरे उच्चान को फिरगियो द्वारा उजाड़कर बीरान बना दिया गया था, अपने रक्त की धारा से सींचकर उसमें फिर से एक ऐसा नव बहार ले आया है जो विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। अनेक बेनाम स्वतंत्रता-सेनानियों ने उन विदेशी लुटेरे जो ऊपर से सुसम्भ-से लगते थे, उनके स्वप्नों को चकनाचूर कर दिया और साम्राज्यवादी शोषण से उत्पीड़ित देश की जनता में स्वाभिमान एवं स्वराज्य की चेतना जागृत कर दी थी।

पर बिडम्बना और दुःख की बात तो यह है कि कुछ नेताओं ने उन अमर शहीदों के बारे में ध्रम फैलाकर जनता के सामने उनकी एक गलत तस्वीर पेश की और उनके कार्यों की निन्दा की। सदा उनकी उपेक्षा की गई और

उन्हें अपमानित भी किया गया। उन बहादुर क्रान्तिकारियों में कायरता पैदा करने और उन्हें पंगु और नपुंसक बनाने की चेष्टा भी की गई, किन्तु उन आजादी के परवानों ने इन बातों की कभी भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें बस अपने उद्देश्यों के प्रति कुर्बानियों से मतलब था :—

‘जैरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या न जले।’

प्रसन्नता की बात है कि प्रस्तुत पुस्तक में डा शीलम् ने उन अमर शहीदों के वीर कारनामों को बहुत अच्छे ढंग से और पूरी निष्ठा के साथ उजागर किया है। साथ ही अब तक इतिहास में उपेक्षित उन आदिवासियों, गिरिजनो, वनवासियों, साधु-सन्तों, बहाबों, कूका सम्प्रदायों आदि जिन्होंने “स्वतंत्रता संग्राम-यज्ञ” में अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन सब की प्रकाश में लाकर स्तुत्य कार्य किया गया है।

पुस्तक में अनेक प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि अंग्रेज पक्के लुटेरे, मक्कार, बर्बर और क्रूर हत्यारे थे। भारत में उन्होंने निरीह जनता एवं देश भक्तों के खून से जिस प्रकार निर्धमतापूर्वक होली खेली थी, उसका उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त भारत में सशस्त्र क्रान्ति क्यों हुई? उन सभी कारणों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करके लेखक ने पुस्तक में चार चाद लगा दिये हैं।

स्वतंत्रता-संग्राम में प्रवासी भारतीयों ने भी प्राणप्रण से आगे बढ़कर ब्रिटिश राज्य की नींव हिला दी और उससे बढ़कर नेताजी सुभाष बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय आजाद हिन्द फौज द्वारा जो बाकायदा युद्ध छेड़ा था, वे अत्यन्त रोमांचक अध्याय है। ऐसा लगता है सन् 1748 में क्रान्ति की जो चिनगारी सुलगी थी, वह धीरे-धीरे फैलती हुई सन् 1945 में विश्व व्यापी भयानक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। फलतः देश आजाद हो गया।

वीर क्रान्तिकारियों ने स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वराज्य, समाजवाद की रक्षा हेतु जिस बहादुरी से अपनी शहादत दी थी, वह सब कुछ भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं तो और क्या है? उनकी शहादत कदापि बेकार नहीं गयी है।

डॉ. शीलम ने स्वतंत्रता संग्राम की बिखरी हुई घटनाओं, इतिहास के अन्धकार में विलीन शहादतों, भूली-बिसरी स्मृतियों, हिंसा एवं अहिंसा के परस्पर विरोधी सूत्रों का ताना-बाना बुनकर क्रमबद्ध स्वतंत्रता संग्राम की दो सौ वर्षों की एक ऐतिहासिक पुस्तक अपने निष्पक्ष निष्कर्षों द्वारा जिस रोमांचक और रोचक शैली में और औपन्यासिकता के साथ प्रस्तुत किया है कि एक बार पुस्तक पढ़ने के लिए हाथ में ली जाए तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। यही पुस्तक की बड़ी उपलब्धि है। अन्त में इस पुस्तक लेखन के लिए मैं हृदय से डॉ. शीलम का अभिनन्दन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हिन्दी जगत में इस पुस्तक का हार्दिक स्वागत होगा।

धोण्डीराव जाधव

दिनांक 15-10-1990
निवास : 'सरस्वती सदन'
विकाराबाद-501 101.

स्वतंत्रता सेनानी व परीक्षा मंत्री
हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद।

अभिमत



जी राजवीर आर्य

डॉ. शोलम् वेकटेश्वर राव की नवीनतम् पुस्तक "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम . एक झलक" (1748-1947) स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक बहुमूल्य प्रामाणिक दस्तावेज है। विद्वान् लेखक ने बड़े परिश्रम के साथ, अनेक महत्वपूर्ण तथ्य जो अन्धकार में दबे पड़े थे, खोज बीन कर उन्हें उजागर किया है और दो सौ वर्षों के स्वतंत्रता-संग्राम को क्रमबद्ध रूप प्रदान कर यह सिद्ध किया है कि शुरू से देशभक्तों का सकल्प एव लक्ष्य एक था। उसी मार्ग पर चलकर क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या सिख सभी लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी।

पुनर्जागरण-काल में राजाराम मोहनराय, केशवचन्द्र सेन, महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द आदि महापुरुषों ने राष्ट्रीय चेतना के जो बीज बोये थे, उन्हें देशभक्त वीर क्रान्तिकारियों ने अपने रक्त से सींचकर अकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलान्वित किया था। क्रान्तिकारियों की भावनाओं एवं उनके साहित्यिक कार्यों के वर्णन को इस पुस्तक में पढ़ कर रोगटे खड़े हो जाते हैं।

इस दृष्टिकोण से भी यह पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हो जाती है कि आज की नयी पीढ़ी स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास से अनभिज्ञ है, विशेषकर देशभक्तों के त्याग एवं बलिदानों से, ऐसी स्थिति में उस रक्त-रजित इतिहास से साक्षात्कार कराने में यह पुस्तक सक्षम है। अतएव स्वैच्छिक सस्थाओं से मैं अनुरोध करूँगा कि नयी पीढ़ी में राष्ट्रीय चरित्र के विकास हेतु

वे अपनी सस्था की उच्च परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में इस पुस्तक को स्थान प्रदान करें।

आजादी से पूर्व निजाम राज्य में निरकुश शासन के विरुद्ध उन दिनों जो आर्य सत्याग्रह एवं स्वतंत्रता-संग्राम चल रहा था, स्वयं लेखक अपने बाल्य-काल में पुराने शहर हैदराबाद के आर्य वीरदल के सक्रिय सदस्य के रूप में उस आन्दोलन से जुड़कर उन्होंने भूमिगत कार्यों में भाग लिया था। अतएव उन्हीं संस्कारों और देश भक्त क्रान्तिकारियों के प्रति श्रद्धा-स्वरूप प्रस्तुत पुस्तक उनके चरणों में समर्पित की गयी है। मैं डॉ. शीलम् को इस सद्प्रयास के लिए बधाई देता हूँ। स्वयं लेखक हमारे पूर्व हैदराबाद राज्य आर्य स्वतंत्रता-सेनानी सघ के मंत्री भी हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, वे स्वतंत्रता संग्राम सम्बन्धी महत्वपूर्ण साहित्यलेखन क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएँ और भगवान् उनकी लेखनी में और शक्ति प्रदान करें। वास्तव में डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव की सर्जनात्मक प्रतिभा एवं उनकी इस नवीन पुस्तक पर संघ को गर्व है। इस पुस्तक को मैं सघ की एक उपलब्धि मानता हूँ।

जी. राजवीर आर्य

दिनांक 17 अक्तूबर 1990

अध्यक्ष

पूर्व हैदराबाद राज्य आर्य स्वतंत्रता

निवास : 11-22-51 नरेन्द्रनगर,

सेनानी संघ, (आ.प्र.)

वरगल-506 002.

तथा

साहित्यमन्त्री, हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद



दो शब्द

डॉ. एन. पी. कुट्टन पिल्लै

डा. शीलम् वेकटेश्वर राव की पुस्तक 'भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम : एक झलक' भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व दो शताब्दियों तक स्वाधीनता-संग्राम के अमर शहीदों के संघर्षरत जीवन, स्वतंत्रता की ललक और स्वतंत्रता की अमर उमोति जगाने के प्रयासों का अत्यन्त प्रामाणिक दस्तावेज है। लेखक ने अनेक प्रयासों द्वारा यह दिखाया है कि संपूर्ण भारत इस सशस्त्र क्रान्ति से जुड़ा था और देश-प्रेमियों ने स्वतंत्रता-यज्ञ में हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता का अलख जगाया था। पर आज तक स्वतंत्रता-यज्ञ का समय इतिहास प्रस्तुत नहीं हुआ, तब तक के इतिहासों में अनेक वीरवती कर्मठ मौन साधक उपेक्षित रह गये, विशेषकर दक्षिण भारत में इस दिशा में जो कार्य हुए थे और जिन शहीदों ने आत्मोत्सर्ग किया था, उनका नाम तक स्मरण नहीं किया गया। इन अमर सेनानियों की उपेक्षा कर के जो इतिहास रचे गये वे अधूरे और पक्षपात पूर्ण रहे। भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम का समय इतिहास-लेखन कष्टसाध्य कार्य है और महाँ निष्ठावान, उत्साही, अध्ययनशील एवं पूर्वाग्रह रहित विचारक तथा चिन्तक साहित्यकार ही न्याय कर सकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि डॉ. वेकटेश्वर राव ने अपने विषय के साथ पूरा न्याय किया है। उन्होंने अंधकार में पड़े रहे अनेक देश-प्रेमी शहीदों को प्रकाश

में साकर उन पवित्रात्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। केरल के वीर दलवा वेलुत्तम्पी, तमिल प्रदेश के निर्माक साहसी कट्टबम्मन, आंध्र की वन्ध जातियो को सगठित कर ब्रिटिश शासन सत्ता को बिकंपित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी अल्लूर सीतारामराजु और कर्नाटक की बीरांगना रानी चेलम्मना ने जननी जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जो आत्माहुति दी है, वह किसी भी दृष्टि से कम महत्त्व की नहीं है। भारत के इतर भागों के स्वतंत्रता-सेनानियों के समकक्ष इन्हे स्थान देकर डा. वेकटेश्वर राव ने अपनी व्यापक दृष्टि तथा निष्पक्ष विषय-प्रतिपादन का परिचय दिया है, जो अवश्य ही स्तुत्य है।

सात अध्यायों में विभक्त इस ग्रंथ में स्वतंत्रता-संग्राम की पृष्ठभूमि-ब्रिटिश शासन के अत्याचारों, दमन-नीति पाशाविक कुकृत्यों का पर्दाफाश करने के साथ-साथ गीता के इस देश के निष्काम कर्मयोगियों के अदम्य साहस तथा जननी जन्मभूमि के लिए सर्वोत्तम समर्पण की भावना का ऐसा मार्मिक चित्र उतारा गया है कि लेखक को अपने इस प्रयास में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। लेखक के निष्कर्ष तथ्यात्मक एवं प्रामाणिक हैं और विषय-प्रतिपादन उसकी पर्यवेक्षण दृष्टि, नीर-क्षीर-विवेचन की क्षमता, व्यापक अध्ययन एवं सामग्री-संकलन में निष्ठा का आभास मिल जाता है। वास्तव में ग्रंथ के लेखक डॉ. वेकटेश्वर राव ने एक अभाव की पूर्ति भी की है और मुझे विश्वास है कि उनका यह इतिहास नयी पीढ़ी में देश-प्रेम की उमंग भरने में सहायक सिद्ध होगा।

पूरी आशा है कि उत्तर-दक्षिण के सहृदय पाठक इस श्रमसाध्य कृति का स्वागत करेंगे।

डॉ. एन. पी. कुट्टन पिल्लै

सचिव,

20-10-1990.

190, स्टेट बैंक आफ इण्डिया कालोनी

गांधीनगर, हैदराबाद-500 380.

दक्षिणांचलीय साहित्य समिति,

हैदराबाद।

दो ज़ब्तशुदा गीत

स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान हमारे स्वतंत्रता-सेनानियों ने जनता को जोश दिलाने के लिए कई गीत लिखे और उनका प्रचार किया । ब्रिटिश सरकार ने इन गीतों को ज़ब्त कर दिया । उन गीतों में यहाँ केवल दो गीत दिए जा रहे हैं :

वतन के वास्ते

वतन के वास्ते बस जान घुला देंगे हम,
गले को शान से फांसी पे झुला देंगे हम ।
भीष्म-सन्तान हैं, कुत्तों की मरेगे क्या मौत ?
जिस्म को शौक से बाणो पे सुला देंगे हम ।
रंज झेलेंगे मुसीबत भी सहेंगे लेकिन,
गले से तौक गुलामी का खुला देगे हम ।
खात्मा जुल्मो का कर देंगे, यह बीड़ा है लिया,
न्याय और सत्य के बस फूल खिला देगे हम ।
नौकरो ! और सता लो कि बस अरमा न रहे,
चीकड़ी सारी रोज़ भुला देंगे हम ।
तुम तो इन्सान हो इन्सान की हस्ती क्या है ?
इन्द्र भगवान का आसन भी हिला देंगे हम ।

ठा० शान सिंह वर्मा

सन् 1922

आह्वान

कस ली है कमर अब तो, कुछ करके दिखायेंगे,
आजाद ही हो लेगे, या सर ही कटा देंगे ।
हटने के नही पीछे, डर कर कभी जुल्मों से,
तुम हाथ उठाओगे, हम पैर बढा देंगे ।
बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का,
चरखे से ज़मीं को हम, ता चखं गुजा देंगे ।
परवा नही कुछ दम की, ग़म की नहीं, मातम की,
है जान हथेली पर, एक दम में गवां देगे ।
उफ़ तक भी जुवां से हम हरगिज न निकालेंगे,
तलवार उठाओ तुम, हम सर को झुका देगे ।
सीखा है नया हमने लडने का यह तरीका,
चलवाओ गन मशीनें हम सीना अडा देंगे ।
दिलवाओ हमें फासी, ऐलान से कहते हैं,
खू से ही हम शहीदों के, फौज बना देगे ।
मुसाफ़िर ओ अंडमान के, तूने बनाये, ज़ालिम,
आजाद ही होने पर, हम उनको बुला लेगे ।

अशफ़ाकउल्ला खां

सन् 1980

प्राक्कथन



भारतीय सशस्त्र स्वाधीनता-संग्राम अत्यन्त रोमाचक, विस्मयकारक एवं गौरवकारक है। दो शताब्दियों का यह संग्राम न केवल, भारतीय इति-हास की, अपितु विश्व इतिहास की अपूर्व एवं अविस्मरणीय एक घटना है। देश-प्रेमियों ने जिस बहादुरी और अदम्य साहस के साथ अंग्रेजों के साथ सघर्ष किया और जिस अपूर्व त्याग एवं बलिदान का परिचय दिया, वह अनूपम एवं अन्यत्र दुर्लभ है। इस संग्राम की सब से बड़ी उपलब्धि यही है कि उस समय इस संग्राम को यूरोप और एशिया की तमाम स्वाधीनता प्रेमी जनता की सहानु-भूति प्राप्त रही और उसने भारत में राष्ट्रवाद की जन्म दिया। आज देश की नयी पीढ़ी यदि किन्हीं घटनाओं में रसमग्न, उत्साहित, रोमांचित एवं विस्मित होती है, तो वे हैं भारतीय सशस्त्र संग्राम की घटनाएँ। निस्सन्देह यह संग्राम समस्त भारतीयों के लिए देश-भक्ति का प्रेरणा-स्रोत और गर्व-मूलक है।

राष्ट्रवादियों का भारतीय कर्मवाद में अटूट विश्वास था। "गीता" और 'बन्देमातरम्' गीत उनके लिए प्रेरणा-स्रोत रहे। क्रान्तिकारी तो बस आजादी के दीवाने थे, उन्हें केवल अपने प्राणों का बलिदान देने से मतलब था.—

“दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन-उल्फत
मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वतन भाया करेगी ॥”

भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव

क्रान्तिकारी मिट सकता था परन्तु झुक नहीं सकता था। वे देश-भाक्त धन्य हैं, जिन्होंने अपने बलिदान के रक्त से देश के उपवन को अपनी शहादत के लाल गुलाबों से सुशोभित एवं सुवासित, गौरवान्वित किया है।

सशस्त्र स्वाधीनता-संग्राम अत्यन्त ध्यापक और सुदीर्घ रहा। स्वाधीनता संग्राम सम्बन्धी अनेक साहसिक घटनाएँ और वीर स्वाधीनता सेनानियों के नाम और कार्य अभी भी अन्धकार में हैं। समय बीतने के साथ-साथ उन पर से अन्धकार की परतें भी हटती जाएंगी और स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में और चार चाँद लग जायेंगे।

स्वतंत्रता-संग्राम के संदर्भ में हम 19 वीं सदी के पुनर्जागरण-युग को विस्मृत नहीं कर सकते। इस युग ने स्वतंत्रता-संग्राम के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। राष्ट्रीय चेतना को इस युग ने अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलान्वित बनाया था। राजाराममोहनराय, स्वामी विरजानन्दजी महाराज, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि मनीषियों ने धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक पुनरुद्धार द्वारा भारत के अतीत के गौरव को फिर से प्राप्त करने का बीड़ा उठाया था। फलस्वरूप ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन व थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं के आविर्भाव से नवजागरण पैदा हुआ और राष्ट्रीय भावना की आधार भावभूमि तैयार हुई।

स्वतंत्रता-संग्राम में आर्यसमाज की विशेष उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस धरती पर आर्यसमाज का अवतरण क्रान्ति के गर्भ से हुआ। आन्दोलन, संघर्ष एवं क्रान्ति आर्यसमाज की जन्मजात प्रवृत्तियाँ रही हैं तो निःस्वार्थ राष्ट्र-सेवा, त्याग और बलिदान उसके दिव्य गुण। आर्यसमाज के संस्थापक एवं प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानन्दजी सरस्वती सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्रान्ति के अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और देश को "स्वशासन" एवं "वेदों की ओर लौटो" का नारा दिया। यह उल्लेखनीय है कि सन् 1857 के स्वतंत्रता-संग्राम में महर्षि दयानन्दजी के गुरु स्वामी विरजानन्दजी महाराज की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

स्वामी विरजानन्द जी महाराज युगद्रष्टा एवं युग-स्रष्टा भी थे। वे बहु-भाषा कोविद थे। सन् 1857 के स्वतंत्रता-संग्राम से पूर्व उन्होंने महत्त्वपूर्ण वैचारिक भूमिका निभायी थी जिसके विषय में प्रायः इतिहासकार अनभिज्ञ हैं। सन् 1856 में मथुरा में आयोजित क्रान्तिकारियों की एक गुप्त सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता-सेनानियों का आह्वान किया था—

“मैं इस वाशिंगटन हिन्द से इलतना करता हूँ कि जितना वह अपने मजहब से मुहब्बत करते हैं, उतना ही इस मुल्क के हर इन्मान का फर्ज है कि वह वतनपरस्त बने और मुल्क के हर दार्शिनिक को भाई-भाई जैसी मुहब्बत करे। जब तुम्हारे दिलो के अन्दर वतनपरस्ती आ जायेगी तो इस मुल्क की गुलामी यहाँ से खुद-ब-खुद जुदा हो जायेगी। हिन्द के रश्नेवाके सब आराम मे हिन्दी भाई हैं और बहादुरशाह हमारा शहशाह है।” यह गुप्त-नमा एक ऐतिहासिक सभा थी जिसमे नाना माहिव पेशवा, मौलवी अर्जामुल्ला खान, रगुबाबू, शहशाह बहादुर शाह का शाहजादा आदि अनेक चोटी के स्वतंत्रता-सेनानी उपस्थित थे। वास्तव मे यह प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास का एक अविस्मरणीय स्वर्णिम अध्याय है।

उसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास मे निजामराज्य मे आर्य सत्याग्रह का आन्दोलन एक अविस्मरणीय स्वर्णिम अध्याय है जिसमे न केवल हैदराबाद राज्य के आर्य बन्धुओं ने, अपितु सारे देश के आर्य बन्धुओं ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के नेतृत्व मे भाग लिया था। सन् 1938-39 मे आर्यसमाज ने यदि निरकुश और धर्मान्ध निजाम शासक के सत्याग्रह के माध्यम से प्रतिरोध न किया होता तो सन् 1948 मे हैदराबाद राज्य की मुक्ति न हुई होती और न भारत सघ मे उम्का विलयनीकरण ही हुआ होता ! निजामराज्य मे स्वतंत्रता-आन्दोलन स्वयं एक स्वतंत्र व विस्तृत रोमांचक विषय है जिसका अलग से एक पुस्तक के रूप में क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास लिखने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत पुस्तक “भारतीय सशस्त्र स्वाधीनता-संग्राम एक झलक” में उन आदिवासियों, गिरिजनी, वनवासियों के द्वारा सशस्त्र, क्रान्ति के नये अध्यायों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जो इतिहास में आज तक उपेक्षित रहें हैं। अनेक अज्ञात विषयों की उजागर करने का भी प्रयास किया गया है। उसी प्रकार सशस्त्र, स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास का व्यवस्थित ढंग से पहली बार काल-विभाजन करने का भी प्रयास किया गया है। यह भी दावा नहीं किया जा सकता है कि इस पुस्तक मे क्रान्ति का समग्र इतिहास आ गया ही। इन प्रयासों मे कहीं तक सफलता मिल सकी है, इसका निर्णय विज्ञ-पाठक ही करेंगे।

आजादी का महत्व क्या है और आजादी की प्राप्ति करने के लिए भारतीयों को कितना मूल्य चुकाना पड़ा— इसे जानने के लिए नयी पीढ़ी को "सशस्त्र स्वाधीनता के इतिहास" का अध्ययन करना, अत्यन्त उपादेय एवं अपरिहार्य है। आज इस विषय की शिक्षा पाठ्यक्रम में एक विषय बनाने की भी आवश्यकता है।

इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए मानव ससाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग से अनुदान मिला है। एतदर्थ मैं इस मंत्रालय का हृदय से आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त पूर्वहैदराबाद राज्य आर्य स्वतंत्रता सेनानी संघ आन्ध्र प्रदेश का भी आभारी हूँ जिसके प्रोत्साहन एवं अनुदान प्राप्त हुए हैं।

उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान, हैदराबाद के डॉ. कृष्णकुमार गीस्वामी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग के निर्देशन में पुस्तक-प्रकाशन का कार्य सम्पन्न हुआ है। उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

इस पुस्तक के लेखन में जिन स्वतंत्रता-सेनानियों की प्रेरणा एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली है, उनमें श्रेष्ठ विद्याधर गुरुजी, अध्यक्ष, दक्षिण भारत स्वतंत्रता सेनानी संघ एवं आदरणीय श्री घोण्डीराव जाधव स्वतंत्रता सेनानी एवं परीक्षामंत्री हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त सावं-देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं स्वतंत्रता-सेनानी श्रेष्ठ पं. वन्देमातरम् रामचन्द्ररावजी, पूर्व हैदराबाद राज्य आर्य स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष श्री राजवीर जी आर्य, दक्षिणांचलीय साहित्य समिति हैदराबाद के सचिव डॉ. एच.पी. कुट्टनपिल्लै तथा बन्धुवर ईश्वरलाल ऊंटवाल का प्रोत्साहन एवं सहयोग मिला है। इन सभी महानुभावों के प्रति मैं अपने हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

जिन सहृदय मित्रों एवं जिन विद्वान् लेखकों की पुस्तकी एवं लेखी से सहायता मिली है, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ।

डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव

हैदराबाद (आ प्र.)

विजयदशमी, 29-9-1990

विषय-सूची

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन (एक झलक)

(1748 से 1847 तक)

अध्याय-1 . विषय-प्रवेश : काल-विभाजन :

(1748 से 1947 तक)

पृष्ठ 1-27

विषय-प्रवेश, एक नूतन इतिहास का शुभारम्भ, जातीय विप्लव : ज्वालामुखी, अंग्रेज सैनिकों द्वारा निर्मम अत्याचार, ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत का शासन प्रबन्ध, राष्ट्रीय उद्योगों की तबाही, भारतीय किसानों की तबाही, भारतवासियों की सम्पत्ति को हड़पना, उपसंहार काल-विभाजन ।

अध्याय-2 : अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध व विद्रोह :

(1748 से 1848 तक)

पृष्ठ 28-70

मुगलबादशाहों की अदूरदर्शिता, काल-कोठरी, अंग्रेज राज्य की स्थापना, महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता का उदय, आन्ध्र में राष्ट्रीयता का उदय, कर्नाटक में राष्ट्रीयता का उदय, केरल में राष्ट्रीयता का उदय, मद्रास में राष्ट्रीयता का उदय, पंजाब में राष्ट्रीयता का उदय, बिहार में राष्ट्रीयता का उदय, आसाम में राष्ट्रीयता का उदय, उड़ीसा में राष्ट्रीयता का उदय, गुजरात में राष्ट्रीयता का उदय, बंगाल में राष्ट्रीयता का उदय, अंग्रेजों के विरुद्ध छूटपुट प्रतिरोध एवं विद्रोह . 1748-1848, निष्कर्ष ।

अध्याय-3 : सन् 1857 का स्वाधीनता-संग्राम :

(1849 से 1909 तक)

पृष्ठ 71-118

सशस्त्र क्रान्ति के कारण, राष्ट्रीयता का स्रोत धार्मिक प्रवचन, सेना में असन्तोष, वनवासी बीरो द्वारा सशस्त्र क्रान्ति, राजा-महाराजाओं का स्वाधीनता-संग्राम, नाना साहिब, रावतुलाराम, कुँवरसिंह बाबू, वीरागना लक्ष्मीबाई, बहादुरशाह अफर, सन् सत्तावन : सशस्त्र क्रान्ति की विशेषताएँ, स्वतंत्रता-संग्राम की विफलता के कारण, क्रान्ति का प्रभाव, बहाबी क्रान्ति एवं कूका विद्रोह, क्रान्ति की छुटपुट घटनाएँ ।

अध्याय-4 : प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वाधीनता-संग्राम :

(1909 से 1920 तक)

पृष्ठ 119-146

गुदरपार्टी की स्थापना, क्रान्ति का अग्रदूत . गुदर अखबार, गुदर के लिए स्वदेश प्रस्थान, मिगापुर में विजय, बर्लिन में क्रान्तिकारियों का केन्द्र, काबुल में कार्यकारी सरकार की स्थापना, अरब में क्रान्ति की योजना, विदेशों में जिन्होंने आज़ादी का झण्डा जगाया था, गुदरपार्टी के नेता डॉ. लाला हरदयाल, कर्तारसिंह सराभा, श्यामजी कृष्णवर्मा, मदनलाल घीगरा, बीर सावरकर, गुदर-आन्दोलन की विफलता के मुख्य कारण, गुदर आन्दोलन की विशेषताएँ, होमरूल आन्दोलन, क्रान्तिकारियों के प्रेरणा स्रोत : तिलक, हृदय विदारक नर-संहार : जलियाँवाला बाग ।

अध्याय-5 : त्रिकोणात्मक स्वाधीनता-संग्राम :

(1920 से 1939 तक)

पृष्ठ 147-186

त्रिवेणी संगम, उदारवादीदल, गांधीयुग, नेहरूयुग, नेहरू-रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोचमैज सम्मेलन, स्वराज्यदल की स्थापना, स्वराज्यदल की सफलता, क्रान्तिकारियों का उग्रवादी आन्दोलन, उग्रवाद का स्वरूप, उग्रवादी-आन्दोलन, आन्ध्र में अल्लूर सीतारामराजु का विद्रोह, काफ़ीरी-काण्ड, क्रान्तिकारियों का दर्शन, राष्ट्रीय अपमान का बदला, सशस्त्र

क्रान्ति का स्वर्णिम अध्याय, प्रमुख क्रान्तिकारियों की शहादत, बाइसराय की ट्रेन की नीचे बम-विस्फोट, चिटगांव में विद्रोह, पलावर्स दरबार, कीर्ति पार्टी का विद्रोह, किशोर जानीजैर्लिसह का माहसिक कदम, निष्कर्ष ।

अध्याय-6 : आजाद हिन्द फौज का स्वाधीनता-संग्राम :

(1940 से 1947 तक)

पृष्ठ 187-212

सुभाष-युग, कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में सुभाषचन्द्र बोस, सत्रिनय जवजा आन्दोलन : व्यक्तिगत सत्याग्रह, सुभाषचन्द्र बोस, सन् '42 की जन-क्रान्ति, विदेशों में आजाद हिन्द फौज की स्थापना, रानी झांसी रेजीमेन्ट की स्थापना, आजाद हिन्द सरकार की घोषणा, नेताजी के रेडियो-प्रसारणों का प्रभाव, गांधीजी का जेल में उपवास, आजाद हिन्द सेना के अधिकारियों पर मुकदमे, सन् 1945-46 का नौसैनिक-विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति, निष्कर्ष ।

अध्याय-7 : सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम की उपलब्धि :

उपसंहार :

पृष्ठ 213-220

सशस्त्र क्रान्ति का स्वरूप, क्रान्तिवादी आजादी-क्षमा के परवाने : सरफरोशी की तमन्ना, किस दल की उपलब्धि ?, सशस्त्र-क्रान्ति की उपलब्धि ।



प्रथम अध्याय

भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम (एक झलक)

(सन् 1748 से 1847 तक)

विषय क्रम

1. विषय-प्रवेश
2. एक नूतन इतिहास का शुभारम्भ
3. जातीय विप्लव : ज्वालामुखी
4. अंग्रेज सैनिकों द्वारा निर्मम अत्याचार
5. ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी : भारत का शासन-प्रबन्ध
6. राष्ट्रीय उद्योगों की तबाही
7. भारतीय किसानों की तबाही
8. भारतवासियों की सम्पत्ति को हड़पना
9. उपसंहार : काल-विभाजन

विषय प्रवेश

सशस्त्र राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को आरम्भ करते समय यह प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि स्वाधीनता के लिए भारत में जो राष्ट्रीय आन्दोलन हुआ उसका आरम्भ कब से माना जाए ? सन् 1857 में जो क्रान्ति हुई और उससे पूर्व भी राजाओं, सामन्तों, सरदारों तथा नवाबों के जो युद्ध हुए, क्या वे सब राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं थे ? सन् 1857 के विप्लव को कुछ इतिहासकार "मात्र सैनिक विद्रोह" मानते हैं और कुछ ने इसे सामन्त-सरदारों के युद्धों को "सत्ता के लिए वैयक्तिक सीमित लड़ाइयाँ" कहा है। उन सारे उपल-पुषल, क्रान्तियों, विप्लवों इत्यादि घटनाओं पर आज की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो उन विशिष्ट काल के साथ न्याय नहीं हो सकेगा।

इस प्रश्न के समाधान के सम्बन्ध में एक और प्रश्न उठ खड़ा होता है कि हमारे देश में "राष्ट्रीय चेतना" का प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ ? आधुनिक काल में अंग्रेजों के विरुद्ध जिस प्रकार की "राष्ट्रीय चेतना" का उद्भव हुआ, उस प्रकार की चेतना अटूटराहवी शती से पहले हमारे देश में नहीं के बराबर थी और न उस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी। "राष्ट्रीय चेतना" तो एक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप में 19 वीं शताब्दी में विकसित हुई, परन्तु उसकी जड़ें 18 वीं शताब्दी में ही जम गई थी। इससे पूर्व भी हमारे देश पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए, परन्तु उस समय न किसी प्रकार की "राष्ट्रीय भावना" जनता में उदित हुई थी और न उस प्रकार की परिस्थितियाँ ही निर्मित हुई थी। यह भावना तो आधुनिक युग की देन है और विशेषकर अंग्रेजों के द्वारा सत्ता हीनयाने के बाद से ही उस तरह की चेतना का उदय हुआ।

सन् 1756 से 1857 तक के कम्पनी के साम्राज्यवादी शोषण के इतिहास में ब्रिटिश विद्वानों द्वारा धीरे-धीरे सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का जो

थोडा बहुत प्रयास हुआ था, वह छोटा प्रयास होते हुए भी निस्सन्देह अत्यन्त महत्वपूर्ण था। जैसा कि सरदार के. एम. पनिक्कर का कथन है, “बक, विलियम जोन्स तथा मेकाले सांस्कृतिक चेतना के वे ब्रिटिश प्रतीक हैं, जिनसे प्रेरित होकर राजाराममोहन राय, दादाभाई नौरोजी, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा दयानन्द सरस्वती ऐसे भारतीय नवरत्नों के योग से सांस्कृतिक पुनर्जागरण सम्भव हो सका, राष्ट्रीय आत्म-सम्मान जागा और आधुनिक भारतीयता ने जन्म लिया।”¹

23 जून 1757 में अंग्रेजी ने प्लासी युद्ध में विजयी होकर अपने साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक उससे एक सौ साल बाद 23 जून 1857 को नाना साहब के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कानपुर में उस अपमान का बदला लेकर अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कर दिया। नाना साहब का राज्याभिषेक “शास्त्रीय रीति से” ब्रह्मावर्त में सम्पन्न हुआ। इस सम्बन्ध में प. नेहरू ने लिखा है : “यह सिर्फ फौजी बलवा ही नहीं था, बल्कि इन प्रदेशों में अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक सार्वजनिक विद्रोह था। यह विद्रोह बढ़कर घुणित विदेशी शत्रु के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता के युद्ध में परिणत हो गया।”²

सन् 1756 से 1947 तक इन दो सौ वर्षों के अंतराल में देश में जो समान धारणा हमें देखने को मिलती है, वह है : अंग्रेज, भारतीयों के हित-विन्तिक नहीं हैं, सारे दुःखों के उत्पीड़क अंग्रेज हैं। इसलिए अंग्रेजों को भारत से मार भगाओ। जनता ने अनुभव किया कि ‘स्वधर्म’ की रक्षा के लिए ‘स्वराज्य’ प्राप्त करना अनिवार्य है। यह चेतना तब अंकुरित हुई जब 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में पड़्यंत्रों के द्वारा वगाल के नवाब को पराजित करके अधर्म की नींव पर अंग्रेज-साम्राज्य की स्थापना हुई। इस राष्ट्रीय चेतना ने धीरे-धीरे विप्लव की ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया और यह विप्लव सन् 1942 की “भारत छोड़ो” और “करो या मरो” सशस्त्र जन-क्रान्ति के रूप में विस्फोट हुआ।

1. हिन्दी विश्व कोष - खण्ड 2 · पृ. 43

2. पं. जवाहरलाल नेहरू : विश्व इतिहास की झलक · पृ. 589.

अंग्रेजों का दानवी रूप तब प्रकट हुआ, जब 1770 में बंगाल, बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौकरो ने अन्न के व्यापार पर एकाधिकार करके जनता के कष्टों को और बढ़ा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जयचन्द्र विद्यालंकार के अनुसार तीन करोड़ आबादी में से एक करोड़ जनता उस दुर्भिक्ष में खत्म हो गई थी। यह इतिहास की सबसे अधिक भयानक और दर्दनाक घटना थी जिसमें भारतीय जन-मानस की आस्थाओं एवं आकांक्षाओं की जड़ों को हिला दिया था।



वीरसावरकर

कार्लमार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक एंगेल्स उन दिनों बड़ी सतर्कता तथा सद्भावना के साथ उपनिवेश भारत की स्थितियों एवं यहाँ की जनता के संघर्षों का गहराई के साथ अध्ययन कर रहे थे। सन् 1857 के विप्लव के सम्बन्ध में उनका स्पष्ट अभिमत था—“सन् 1857 में ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध भारत में राष्ट्रीय विद्रोह उठ खड़ा हुआ। यह भारतीयों का स्वाधीनता-संग्राम था।”¹

सुप्रसिद्ध विचारक व आलोचक डॉ. नाम-वरसिंह का अभिमत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि आज सरकार और कुछ बुद्धिजीवी हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास को गलत स्वरूप देने में लगे हैं। बुद्धिजीवी अपने विचारों को जागे कर कुछ भी कहे, वास्तविकता यह है कि जनमत से झुककर सभी यह मानने को मजबूर हैं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई सन् 1857 में शुरू हुई थी। वीर सावरकर ने 1905 में ही इस बात को लिखा था कि 1857 का विद्रोह मात्र “सिपाही विद्रोह” नहीं था,



कार्लमार्क्स

1. कार्लमार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स : उपनिवेशवाद के बारे में : पृ. 10

बल्कि स्वाधीनता संग्राम था। इससे यह सिद्ध तो जाता है कि सन् 1857 का विप्लव भारत का स्वाधीनता संग्राम था।

-:0.-

एक नूतन इतिहास का शुभारम्भ

यह कहा जाता है कि भारतीय समाज का अपना कोई इतिहास नहीं है। अगर कोई इतिहास है तो वह केवल राजा-महाराजाओं के युद्धों और विदेशी आक्रमणों और उनके द्वारा राज्य स्थापित करने का है, लेकिन जिसे जातीय गतिशील व्यक्तित्व कहा जाता है, उस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं है। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने अपने एक लेख में, जी दिनांक 8 अगस्त 1853 में न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून के अंक में प्रकाशित हुआ था, लिखते हैं— "भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम कोई जाना हुआ इतिहास नहीं जिसे हम उसका इतिहास कहे, जिसने एक के बाद एक उस अपरिवर्तनशील और गतिहीन समाज पर जिसमें मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी, अपने साम्राज्य खड़े किये।" वास्तव में "मुगल महान् की सर्वोच्च सत्ता की मुगल सूबेदारों ने तोड़ा, सूबेदारों को ताकत को मराठों ने तोड़ा, मराठों की ताकत को अफगानी ने, और जिस समय सब एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उस समय अंग्रेज घुस आए और सब पर अधिकार कायम करने में सफल हो गए। देश न केवल, हिन्दुओं और मुसलमानी में, बल्कि कबीलों और जातियों में भी बँटा हुआ था। ऐसे देश और ऐसे समाज का किसी दूसरे विजेता का शिकार हो जाना क्या अवश्यम्भावी नहीं था?"¹ फलतः भारत गुलाम बनने से नहीं बच सका। यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने भारत को भारतीय फौज द्वारा गुलाम बना लिया था जिसका खर्च स्वयं भारत देता था।

1. कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स : उपनिवेशवाद के बारे में : पृ. 108-109.

इधर सन् 1748 से 1947 तक के कालखण्ड में भारतीय समाज की जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, वह उसकी अतीत की तस्वीर से बिल्कुल भिन्न है। साम्राज्यवादी शिकजे से विमुक्ति के लिए एक विजित समाज पहली बार संघर्ष के लिए उठ खड़ा हो जाता है। इस सशस्त्र क्रान्ति की योजना राजाओं, सामन्तों, सरदारों, नवादों, सैनिकों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें देश की साधारण जनता, किसान और मजदूरों ने अपना सक्रिय सहयोग दिया था और अपनी अन्तिम सासों तक लड़कर अपने प्राणों की बलिदानों दी थी। इस क्रान्ति ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन, जिसका एक मात्र उद्देश्य देश को लूटना था, की जड़ों को तो उखाड़ फेंक दिया था लेकिन उसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया। इससे एक ऐसे जुझारू समाज की तस्वीर उभरती है, जो अपनी लीक से हटकर नये इतिहास की रचना करती है। इस सशस्त्र क्रान्ति की तुलना यदि किसी से की जा सकती है, तो वह है—ज्वालामुखी के विस्फोटों से। इन विस्फोटों और भूकम्पों द्वारा साम्राज्यवादी पर्वतराज की नींव पूरी तरह हिल गयी थी।

प्रश्न यह नहीं कि इस सशस्त्र क्रान्ति की उपलब्धि क्या थी? महत्त्व की बात तो यह है कि एक गुलाम जाति ने अपने स्वाभिमान और स्वराज्य के लिए किस अदम्य साहस और वीरता के साथ लड़ी थी और उसी मार्ग पर चलकर उसने अपनी बाहादत दी थी। अतएव इस क्रान्ति को मात्र "सैनिक विद्रोह" कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती जिसके दूरगामी परिणाम सामने आये थे। सच तो यह है कि अंग्रेज जब से गद्दी पर बैठे थे, तभी से जनता में विद्रोह की चिन्तनारियाँ सुलग रही थी। यही कारण था कि सन् 1756 से 1856 के काल—खण्ड में देश भर में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध 40^० भी अधिक बार विद्रोह की आग भड़की थी।

1857 से पहले बंगाल में विद्रोह फूटा था जो "सन्ध्यासी विद्रोह" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद दक्षिण भारत के विजयनगरम् में सन् 1794 में विद्रोह हुआ। मद्रास राज्य, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर राज्य और विशाखपट्टणम में असन्तोष के कारण अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए। त्रावनकोर के दीवान बेलुत्तम्पी ने 1805 में एक विद्रोह में स्वयं भाग लिया था। उत्तर

भारत में भी इस कालखण्ड में कई विद्रोह हुए किन्तु ये विद्रोह संगठित प्रयास से नहीं हुए थे। विद्रोह राष्ट्रीय शृंखला से नहीं जुड़े थे, इसीलिए शीघ्र ही दबा दिये गए।

सन् 1857 की स्वाधीनता की लड़ाई इतिहास की एक अद्भुत घटना थी जिसने सत्तार की आँखें खोल दी थी। उस समय समूचे भारत में विद्रोह की आग भड़क उठी थी। राजा, महाराजा, नवाब, जमींदार, इमानदार, सैनिक, काश्तकार, दस्तकार, आदिवासी, हिन्दू, मुस्लिम आदि सभी लोग इस महासमर में कूद पड़े थे।

सन् 1857 की सशस्त्र क्रान्ति के सम्बन्ध में कुछ सहज प्रश्न उठ खड़े होते हैं कि यह क्रान्ति क्या मात्र सैनिकों का विद्रोह था या राष्ट्रीय विद्रोह? या फिर राजा-महाराजाओं की लड़ाई थी? इस सम्बन्ध में इतिहासकारों के मुख्य रूप से दो तरह के विचार पाये जाते हैं। पहले वर्ग में पाश्चात्य इतिहासकार आते हैं। उनका अभिमत है कि वह संघर्ष "सैनिक विद्रोह" मात्र था, परन्तु दूसरे वर्ग के इतिहासकारों ने उस संघर्ष में घटित घटनाओं की व्यापकता और तत्जनित व्यापक परिणामों के आधार पर उस संघर्ष को प्रथम राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम घोषित किया है। इस तथ्य में अधिक सच्चाई है कि इस प्रथम सशस्त्र क्रान्ति से न जाने कितने दार्शनिक, विचारक, वीर पैदा हुए, ऐसे सैकड़ों लौह पुरुष पैदा हुए, जो मिट गए, पर टस से मस नहीं हुए। बल्कि उग्रतर होते गए, और धन्त तक अन्याय के विरुद्ध भयंकर रूप से संग्राम करते रहे और स्वराज्य की मशाल को लेकर आगे बढ़ते रहे।

दामोदर विनायक सावरकर पहले नेता थे जिन्होंने 1857 की असफल क्रान्ति को, जो अंग्रेजों की दृष्टि में सिपाहियों का विद्रोह था, 'क्रान्ति' का नाम दिया और यह कहा कि जो क्रान्ति 1857 में प्रारम्भ हुई थी, उसकी पूर्णाहुति 15 अगस्त 1947 को हुई। इस प्रकार सन् 1857 से एक नूतन इतिहास का शुभारम्भ होता है।

जातीय विप्लव : ज्वालामुखी

समाजशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार विश्व की समस्त प्रघटनाएँ “कार्य-कारण” की शृंखला में बधी हुई हैं। विश्व के समस्त उद्विकासों के मूल में “कारण और प्रभाव” का सिद्धान्त सतत कार्यरत है। इस दृष्टि से जब हम अट्टारहवीं एवं उन्नीसवीं सदी की कालावधि में घटित विप्लवों, लडाइयों, बलबों, आन्दोलनों आदि घटनाओं के कारणों की खोज करते हैं, तो हमें विदित होता है कि उनकी पृष्ठभूमि में जो कारण थे, वे बहुत व्यापक एवं गहरे थे। एक जाति को समूल नष्ट कर देने की साजिश थी। यह समझना भूल होगी कि विप्लव के पीछे जो कारण थे वे सामन्तों की सत्ता के लिए लडाईं और खर्बीवाले कारतूस सम्बन्धी घटनाएँ थीं। वास्तव में ये कारण तो निम्न मात्र थे। यह स्पष्ट है कि अंग्रेज बाहर से चाहे जितने सुशिक्षित, सुसम्पन्न एवं सुसंस्कृत रहे हों, परन्तु भीतर से तो वे उतने ही बर्बर, लुटेरे और क्रूर रहे हैं। इस तथ्य का उद्घाटन कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार किया “हमारी आँखों के सामने पूँजीवादी सभ्यता का वह घोर पाखण्ड और स्वभावगत बर्बरता निरा-वारण होकर आ गई, जो अपने देश में भद्रता की चादर ओढ़े रहती है और उपनिवेशों में नंगी धूमती है।”¹ अंग्रेजों की नीतियाँ इतनी खतरनाक थीं कि भारतीय समाज को पूरी तरह से तोड़ा, किसानों को भूमिहीन किया, कारी-गरों को पंगु बना दिया, देशी राज्यों को छोड़ा, और देश को समस्त सम्पदा को लूटा। “इंग्लैण्ड ने तो भारतीय समाज का, सारा या सारा ढाँचा क्षत-विक्षत कर दिया। ब्रिटिश शासन के नीचे भारत अपनी सभी प्राचीन परम्परा, संस्कृति और अपने समूचे इतिहास से कट गया।” प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों किया गया? इसे समझने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-प्रबन्ध को अच्छी तरह समझना आवश्यक है। आगे हम इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। पहले तो उन कारणों का जायजा लेगे जिन्होंने जातीय विप्लव को ज्वालामुखी बना दिया था।

अंग्रेज सैनिकों द्वारा निर्मम अत्याचार

भारतीय सशस्त्र राष्ट्रीय आन्दोलन में जो हिंसा बढ़की थी, प्रायः इतिहासकार उसकी निन्दा करते हैं। उनके मतानुसार विद्रोही सैनिकों ने भयानक, वीभत्स और घोर अत्याचार किये हैं। पं. नेहरू के शब्दों में “कुछ विद्रोहियों ने अंग्रेजों को बेरहमी से कत्ल करके भी अपने काम पर धम्बा लगा लिया था। इस पाशविक बर्ताव ने ही सम्भवतः हिन्दुस्तान के अंग्रेजों को कमर कसने के लिए जोश दिलाया। उन्होंने उसी पाशविक ढंग से, बल्कि उससे सैकड़ों-हजारों गुना ज्यादा बदला ले लिया था।अगर माना साहब का बर्ताव बहुशयाना और धोखेबाजी का था, तो कितने ही अंग्रेज अफसर भी बहुशयाना में उससे सैकड़ों गुना कहीं आगे बढ़ गये थे।”¹

सारांश यह है कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों पर अकथनीय अत्याचार किये और अंग्रेजों ने उन अत्याचारों का सैकड़ों-हजारों गुना ज्यादा भारतीयों से बदला लिया। इन दोनों कथनों में सच्चाई नहीं है, बल्कि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। इस प्रकार के अत्याचार तो प्रायः विप्लवकारी युद्धों में, राष्ट्रों और जातियों की ओर सबसे अधिक घमं के नाम पर की जानेवाली लड़ाइयों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अत्याचार होना तो सहज बात है। परन्तु इन सब बातों के लिए स्वयं अंग्रेज सैनिक अफसर और उनका शासन-विधान ही जिम्मेदार ठहरता है। कार्लमार्क्स अंग्रेजों की शासन-प्रणाली का विश्लेषण करते हुए दिनांक 16 सितम्बर 1857 के न्यूयार्क दैनिक ट्रिबून समाचार-पत्र में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखते हैं—“अंग्रेजों के शासन की विशेषता इस बात से ही समझी जा सकती है कि धारीरिक यंत्रणा पहुँचाना अंग्रेजों की वित्तीय-नीति का अभिन्न अंग रहा है। मानव-इतिहास में प्रतिशोध नाम की भी कोई चीज होती है, और ऐतिहासिक प्रतिशोध का यह नियम है कि उसके साधन को अत्याचार-पीड़ित नहीं, बल्कि स्वयं अत्याचार

करनेवाला बनाता है।" कार्लमार्क्स का यह अभिमत है कि "भारतीय सिपाहियों का व्यवहार चाहे जितना भी निन्दनीय रहा हो, वह भारत में अंग्रेजों के अपने व्यवहार का ही प्रतिरूप था।"¹

चीन की लड़ाई में ब्रिटिश सैनिक-अफसरों ने जो वहमियाना अत्याचार किये थे, उसके उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलते। उन दिनों अंग्रेज फीजियो द्वारा केवल अत्याचार करने का लूफ़ उठाने के लिए चीनियों पर घोर जुल्म किये गए। औरतो की अममत लूटी गई, जिन्दा बच्चों के शरीर में सगोन मोंके गये, गाँव के गाँव मून डाले गये और यह सब केवल मनोरंजन के लिए किया गया था। "इस पर भी यह समझना कि अंग्रेज तो त्याग की मूर्ति थे और सभी जुल्म केवल भारतीय सिपाहियों ने किये थे, बिल्कुल गलत होगा।"²

सन् 1857 को सैनिक-क्रान्ति से पहले अंग्रेज सैनिक अफसरों के निर्मम अत्याचारों की पृष्ठभूमि में उसी मनोरंजन की प्रवृत्ति देखने की मिलती है। इस सम्बन्ध में अंग्रेजों के सैनिक अफसरों द्वारा उन दिनों इंग्लैण्ड को सिखे गये पत्रों और रिपोर्टों से कुछ उदाहरण, कार्लमार्क्स के उसी लेख से उद्धरित किये जाते हैं जो दिनांक 16 सितम्बर 1857 को "न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून" समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था, इससे उनकी बर्बर प्रवृत्ति का परिचय मिलता है।

इलाहावाद से सिविल सर्विस का एक अफसर लिखता है : "जिन्दगी और मौत का फैसला करना हमारे हाथ में है, और सच मानिये, हम किसी का लिहाज नहीं करते।" उसी स्थान से एक दूसरा अफसर लिखता है : "कोई दिन खाली नहीं जाता, जब हम दस-पन्द्रह आदमियों (असैनिक व्यक्तियों) को सूली पर नहीं चढ़ा देते।" एक अन्य अफसर रस लेकर

1. कार्लमार्क्स . उपनिवेशवाद के बारे में : पृ. 194-195 व फेडरिक एंगेल्स :

2. वही

लिखता है "होल्म्स उन्हें दर्जनों के हिसाब से फाँसी पर लटका रहा है। आदमी हो तो ऐसा हो।" एक तीतरा अफसर लिखता है "हम थोड़ो पर बैठे-बैठे कोर्ट-मार्शल करते हैं, जहाँ कहीं भी कोई काला आदमी नजर आ जाए, उसे या तो सूली पर चढ़ा देते हैं या गोली का निशाना बना देते हैं।" बहुत से भारतीयों को बिना मुकदमा चलाये फाँसी की सजा दी गयी, इसकी चर्चा करते हुए एक और अफसर लिखता है : "फिर मजा आने लगा।"

एक अन्य अफसर लिखता है कि एक दिन रात को पेशावर में बारूद फटने का घमाका हुआ। कहीं पर शादी हो रही थी, और राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार छोटे-छोटे पटाखे छोड़े जा रहे थे। लेकिन घमाका सुनकर खतरे का भ्रम पैदा हो गया और दूसरे दिन पटाखे छोड़नेवालों के हाथ-पाँव बाँधकर कोढ़ो से उनकी ऐसी मरम्मत की गयी कि ये उम्र भर याद रखेंगे। बनारस के एक अन्य अफसर के पत्र में जो उन्हीं दिनों "द लन्दन टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था, लिखा है : "देशी लोगों के साथ यूरोपीय सैनिक भयंकर, राक्षसी का-सा मुलूक कर रहे हैं।"

इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेज सैनिकों की निर्दयता एवं बर्बरता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। परन्तु लन्दन के पत्रों में ये अत्याचार भारतीय सैनिकों के अत्याचार कह कर छपा करते थे और उन्हें बड़ा-बड़ा कर अतिरंजित रूप में छपा जाता था ताकि बदला लेने के लिए अंग्रेजों को उकसाया जा सके। इन पत्रों में अंग्रेज सैनिकों के बर्बरता-याना अत्याचारों पर पर्दा डालकर भारतीय सैनिकों को कलंकित किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में कार्लमार्क्स ने अपने एक लेख में जो 16 सितम्बर 1857 को "न्यूयार्क ट्रेडिंग" समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, लिखा है : "भारतीयों द्वारा किये गये जुल्मों को, यद्यपि वे स्वयं बड़े भयानक हैं, जानबूझकर और खूब मिच-मसाला लगाकर बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली और मेरठ में किये गये जुल्मों के बारे में उस विस्तृत विवरण को लीजिए जो पहले "द टाइम्स" में और बाद में लन्दन के सभी अखबारों और पत्रिकाओं में छपे थे। यह विवरण कहाँ से आया था? यह विवरण एक डरपोक पादरी ने बेंगलूर (मैसूर) से भेजा था। यह स्थान

घटना स्थल से एक हजार मील से ज्यादा दूर है। दिल्ली में होनेवाली वास्तविक घटनाओं का उल्लेख पढ़ने से यही सिद्ध होता है कि अंग्रेज पादरी की कल्पना एक हिन्दू विद्रोही की उन्मत्त कल्पना से भी ज्यादा दूर की उड़ान भरती है : "भारतीय सिपाहियों द्वारा नाक और स्तनों आदि का काटा जाना आदि घटनाएँ।"¹

एक तरफ सैनिकों द्वारा निर्मम अत्याचार हो रहे थे और दूसरी ओर करो की उगाही में पुलिसवालों के द्वारा भी शारीरिक यन्त्रणा दी जा रही थी। करो की उगाही पुलिस करती थी। एक ही आदमी पुलिस अफसर भी होता और कराधिकारी भी, इस लिए अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच गये थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारतीयों पर किये जानेवाले अत्याचारों की जाँच के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन् 1855 में अनेक जाँच कमीशन नियुक्त किये थे।

मद्रास में कम्पनी के अफसरों और पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों की जाँच करनेवाली समिति की रिपोर्ट है "समिति को इस बात पर विश्वास है कि करो की उगाहने के लिए सामान्यतः शारीरिक यन्त्रणाएँ पहुँचायी जाती हैं।" इस जाँच कमीशन का मन्तव्य था "जितने लोगों को करो का भुगतान न करने पर हर साल शारीरिक दण्ड दिया जाता है, उतनी ही संख्या में फौजदारी के अपराधियों की दण्ड दिया जाता है।"²

समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में एक भारतीय ईसाई ने बताया : "जब भी कभी कोई यूरोपीय या देशी रेजीमेण्ट गाँव के रास्ते गुजरती है, तो खाने-पीने का सामान आदि जुटाने के लिए किसानों पर दबाव डाला जाता है और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। अगर कोई किसान कीमत माँग बैठे तो उसे दुरी तरह यन्त्रणाएँ दी जाती हैं।"³

1. कालंमाक्स व प्रेडरिक एगेलम : उपनिवेशवाद के बारे में : 200-205.
2. वही " " "
3. वही - " " 202-208.

भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड डलहौजी (1848-1856) ने सितम्बर 1855 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों के नाम अपने पत्र में लिखा : "किसी न किसी रूप में प्रत्येक ब्रिटिश प्रान्त में छोटे अधिकारियों द्वारा भारतीयों को शारीरिक यन्त्रणा दी जाती है, इस बात को मैं निश्चित तौर पर मुह्त से जानता हूँ।"¹

उन कार्रवाइयों के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन का एक भाग बदनाम हुआ और बहुसंख्यक ब्रिटिश प्रजा के प्रति अन्याय किया गया है, उन्हें स्वेच्छाचारी ढंग से जेल में ठूसी गया है तथा निर्दयपूर्वक यन्त्रणाएँ दी गयी हैं।"²

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कार्ल मार्क्स ने भारतीय सैनिकों द्वारा की गयी सशस्त्र क्रान्ति की उचित बताया और भारतीय सैनिकों को दोष मुक्त ठहराते हुए अपना मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया है :

"जिस प्रजा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, यदि वह अपने विजेताओं को निकाल बाहर करने का प्रयत्न करे तो इसमें क्या बुराई है ? और यदि अंग्रेज लोग इतनी निर्दयता से ऐसे-ऐसे काम कर सकते थे तो विद्रोह और लड़ाई की उत्तेजना में बलवाई भारतीयों द्वारा अपराधों और अत्याचारों के किये जाने पर हमें हेरान नहीं होना चाहिए।"

इस विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीयों की शारीरिक यन्त्रणाएँ देना अंग्रेजों की शासन-प्रणाली की वित्तीय-नीति थी। इसी नीति के आधार पर उन्होंने भारत की सारी सम्पदा की लूटा, भारतीयों पर अनेक निर्मम अत्याचार किये, असंख्य लोगों की हत्या कर दी और भारतीय समाज के ढाँचे को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। वस्तुतः अंग्रेज शासक सम्पन्न समाज की चादर ओढ़े लूटार भेड़िये थे। उन्होंने देश की सम्पदा की किस प्रकार लूटा और राष्ट्रीय उद्योग-धन्धी की किस प्रकार नष्ट कर दिया

1. कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स . उपनिवेशवाद के बारे में . 202-208

2. वही

"

"

"

था, इनके सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे। पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उससे भारतीय शासन प्रबन्ध पर विचार करना आवश्यक होगा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ शासन करने नहीं, लूट-मार करने आये थे।

-0.-

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी : भारत का शासन प्रबन्ध

18 वीं शताब्दी और 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत का शासन प्रबन्ध ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा होता था। प्रथम विप्लव (सन् 1857) के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया की विशेष राज्याज्ञा द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ताड दी गई और उसके कार्यकलाप ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिये गये। इस प्रकार एक सौ वर्ष तक भारत पर कम्पनी का काला राज्य रहा।

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना सन् 1600 में हुई थी। उसके एजेंटों ने भारत में कुछ व्यापार केन्द्र स्थापित किये। 17 वीं शताब्दी के अन्त में कम्पनी ने भारतीय प्रदेशों को हथियाना शुरू कर दिया। 18 वीं शताब्दी और 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कम्पनी ने कर्नाटक, बंगाल, सिन्ध, पंजाब और भारत के अन्य प्रदेशों में खूनी लडाइयाँ लड़ीं जिसके परिणाम स्वरूप 19 वीं शताब्दी के मध्य में लगभग समूचे भारत पर कम्पनी का अधि-कार हो गया। छोखा-छड़ो, घमकियो, खूनरेजो और सीधी लूटपाट द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी वाले भारत के समृद्ध खजानों पर अपने हाथ साफ करने लगे। और उन्हें लाद-लादकर इंग्लैण्ड भंजने लगे और इस तरह उन्होंने बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठा कर ली। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार तथा भारत पर

शासन करने तथा भारत की जनता से कर वसूल करने का अधिकार दे रखा था। कम्पनी ने ब्रिटिश सरकार से सन् 1767 में एक समझौता किया, जिसके अनुसार उसने राजकोष में चार लाख पौण्ड हर साल जमा करना मंजूर किया था।

त्रिमूर्तियों का शासन प्रबन्ध

भारत का शासन प्रबन्ध त्रिमूर्तियों के हाथों में था। जिस प्रकार भारतीय धर्म की देहरी पर पवित्र त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु व महेश) स्थापित है, उसी प्रकार भारत के शासन संचालन की देहरी पर वैसे ही, किन्तु अपवित्र त्रिमूर्ति स्थापित थी। भारत का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर-जनरल था, जिस पर इंग्लैण्ड में स्थित संचालन-संस्था (Home Government) शासन करती थी। यह संचालन संस्था कौन थी? क्या वह भारत मंत्री था, जिसे बोर्ड आफ कण्ट्रोल के प्रधान का सीधा-सा छापनाम दिया गया था, या फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के चौबीस डायरेक्टर?

वास्तव में भारतीय शासन का प्रबन्ध तीन शक्तियों बोर्ड आफ कण्ट्रोल, कोर्ट आफ डायरेक्टर और तीन हजार बृद्ध-दण-स्त्री-पुरुष, भारतीय शेरों के मालिक, के हाथों में था। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की आड़ में बोर्ड आफ कण्ट्रोल का प्रधान भारत को विनाशकारी युद्धों में थसीटता था, और बोर्ड आफ कण्ट्रोल की आड़ में कोर्ट आफ डायरेक्टर्स भारतीय प्रशासन को भ्रष्ट करता था, परन्तु इन दोनों शक्तियों से भी अधिक शक्तिशाली भारतीय शेरों के मालिक थे, जिन्हें भारत में बस इतनी सी रुचि थी कि उन्हें भारतीय राजस्व में से नियमित रूप से लाभांश मिलता रहे, और चौबीस डायरेक्टरों का चुनाव करते रहे। इन डायरेक्टरों की एक मात्र विशिष्टता यह थी कि उनके पास दो-दो हजार पौण्ड के शेर रहते थे।

कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की न तो कोई राजनीति थी, न कोई सिद्धान्त और न ही कोई पद्धति। वह तो केवल संरक्षण वितरण का व्यापार करता था। भारत का वास्तविक कोर्ट आफ डायरेक्टर्स और भारत के शासन संचालन की

वास्तविक ब्रिटिश सस्था तो स्थायी और अनुत्तरदायी नौकरशाह थे, जो लेडन-हाल स्ट्रीट में रहते थे। इस तरह एक बहुत बड़े साम्राज्य पर एक निगम राज्य करता था, जिसके सदस्य कुलीन लोग नहीं, बल्कि बूढ़े और हठो क्लर्क थे।

परिणामतः लेडन हॉल-स्ट्रीट और कैनेन रो में स्थित क्लर्कों के इन सस्थानों पर सितम्बर 1857 के अक्टू के अनुसार भारतीय जनता को प्रतिवर्ष एक लाख साठ हजार पौण्ड की तुच्छ-सी रकम अदा करनी पड़ती थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शेयर-होल्डरों को नादे दम प्रतिशत के हिसाब से 6 लाख 30 हजार पौण्ड लाभांश के रूप में दिया जाता था। इनके अतिरिक्त 24 डायरेक्टरों, असेनिक अधिकारियों में से गवर्नर जनरल, मन्तव्यकार, न्यायाधीश, राजदूत, सेक्रेटरी, कर्नल आदि की नस्था आठ सौ, धर्ममेवा में नियुक्त तीन बिशप और लगभग एक सौ माठ पादरी, चिकित्सा-सेवा में नियुक्त आठ सौ डॉक्टर, लगभग 8000 यूरोपीय सैनिक अफसर लगभग दस हजार ब्रिटिश नागरिक जो भारत में लाभदायक नौकरियों पर लगे हुए थे। इन सब के अतिरिक्त लगभग बीस हजार अफसरों को ऊँचे-ऊँचे वेतन भारत से दिये जाते थे। उन दिनों केवल भारत के गवर्नर जनरल का शुद्ध वार्षिक वेतन एक लाख 25 हजार डालर था, परन्तु अतिरिक्त भत्तों को मिलाने से यह रकम अकसर इससे भी बड़ी रकम बन जाती थी। अनुमान है कि डार्ड लाख डालर केवल गवर्नर जनरल को प्रति वर्ष दिया जाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति का वेतन मासिक 10 हजार रुपये मात्र है (आजकल 20 हजार रुपये हो गया है) जब कि दो सौ साल पहले उसी पद पर कार्यरत गवर्नर जनरल को 20 हजार डालर मासिक वेतन दिया जाता था, जो आज के हिसाब से नई गुणा अधिक था। इन वेतनों के अतिरिक्त एशियाई लडाइयों का सारा खर्च भी भारतीय जनता पर पड़ गया था।

विहम्बना यह थी कि अभिजात-शामन वर्ग भारत को युद्धों में घसीटता था, ताकि उन्हें अपने कनिष्ठ पुत्रों के लिए काम मिल जाए, थैली शाही का गूट भारत को मानों नोलास कर देता था, और अधीन पद की नौकरशाही

उसके प्रशासन को पंगु कर देती थी और उसके भ्रष्टाचार को कायम रखती थी ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत से कितना धन लूटकर इंग्लैण्ड भेजा करती थी, वह सन् 1851-52 के आँकड़ों को देखने से ज्ञात होता है । बंगाल, मद्रास और बम्बई से प्राप्त कुल राजस्व से दो प्रतिशत धन भी कम्पनी द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में व्यय नहीं किया जाता था : “सन् 1851-52 में एक करोड़ 98 लाख पौण्ड में से केवल एक लाख 66 हजार 300 पौण्ड, सड़कों, नहरों, पुलों तथा सार्वजनिक आवश्यकता के अन्य कार्यों पर खर्च किये गए ।”

इस प्रकार ब्रैलीशाहो ने भारत को अपनी जागीर बना लिया था । भारत में अंग्रेजों के राज का इतिहास केवल लूट-खसोट एवं नाश की ही कहानी थी । इस प्रकार दोहन की नीति के कारण भारत दिन-प्रति-दिन कंगाल बनता गया । फलतः अतन्तोष एवं विद्रोह का फूट पड़ना अवश्यम्भावी था ।

-0-

राष्ट्रीय उद्योगों की तबाही

भारत पर अंग्रेज साम्राज्य स्थापित हो जाने के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सर्वप्रथम भारतीय कारीगरों को, फिर काश्तकारों को और उसके बाद देशी राजाओं को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया । अंग्रेजों की भयानक नीतियों के कारण ही भारत का विश्वविख्यात सूती उद्योग तबाह और बरबाद हो गया । भारत निर्यात करनेवाले देश से आयात करनेवाला देश बन

गया। लाखों भारतीय कारीगर तबाह ही गए। रोजी-रोटी की तलाश में कारीगर नगरो से ग्रार्थों की ओर उन्मुख हो गए। इतिहास की एक ऐसी त्रासक घटना थी जिसमें राष्ट्रीय उद्योग नष्ट हो गए और देश दरिद्र बन गया। यह स्पष्ट बात थी कि अंग्रेज यहाँ शासन करने नहीं, लूट-खसोट करने और अपने देश के उद्योगों को बढ़ाने और वहाँ के माल को यहाँ खपाने आये थे। लूट-पाट और शोषण उनके शासन की प्रमुख प्रवृत्ति थी।

अंग्रेजों के आने से पहले भारत समृद्धिशाली था। यहाँ की जनता खुश-हाल थी। ग्राम समृद्ध थे। समाज में शान्ति एवं स्थिरता थी। उन दिनों भारत एक लघु उद्योग-प्रधान तथा कृषि-प्रधान देश था। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री श्री रमेश चन्द्र दत्त ने इस सम्बन्ध में लिखा है— बटारहवीं सदी में हिन्दुस्तान एक बड़ा भारी उद्योग-प्रधान और साथ ही कृषि-प्रधान देश था, और हिन्दुस्तानी करघों पर बना हुआ माल एशिया और यूरोप के बाजारों में भेजा जाता था। “बुनाई लोगों का राष्ट्रीय धन्धा था और कताई लाखों स्त्रियों का श्रम या पेशा था।”¹

क्लाइव राबर्ट, बंगाल-गवर्नर ने (1757-60 और 1765-67) जो अंग्रेज साम्राज्य निर्माता के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, परन्तु एक अत्यन्त क्रूर ब्रिटिश उपनिवेशवादी था, सन् 1757 के समय के बंगाल के शहर भुशिदाबाद की, समृद्धि का वर्णन इस प्रकार किया है— “यह नगर लन्दन के समान विस्तृत घना बसा हुआ और धनी है। फर्क इतना ही है कि यहाँ के लोग लन्दनवालों से ज्यादा ऐश्वर्य के स्वामी हैं।”² करघा और चरखा भारतीय सामाजिक ढाँचे की धुरी थे, जिनसे निरन्तर असंख्य बुनकर तथा सूत कातने वाले पैदा होते रहते थे। पुरातन काल से यूरोप हिन्दुस्तानी बुनकरों के तैयार किये हुए बेहतरीन कपड़े मंगवाता रहा और बदले में अपनी मूल्यवान् धातुएँ भेजता रहा, जो सुनार के पास पहुँचती रही। सुनार भारतीय समाज का

1. पं. जवाहरलाल नेहरू : विश्व इतिहास की झलक : पृ. संख्या 593

2. " " " " 594

नितान्त आवश्यक अंग था, जो रंक से लेकर राजाओं तक का केन्द्रबिन्दु था। देवताओं की मूर्तियाँ निर्मित करने में अपना कला-प्रतिभा को प्रदर्शित करता था।

अंग्रेज विजेताओं ने आकर हिन्दुस्तान के करघे को तोड़ा और चरखे को तबाह किया। इंग्लैण्ड ने पहले हिन्दुस्तान के बने सूती कपड़ों को यूरोप के बाजार से बाहर निकाला। फिर हिन्दुस्तान में अपना सूत कपड़ों से पाट दिया। सन् 1813 से पहले भारत मुख्यतः निर्यात करनेवाला देश था, परन्तु बाद में वह आयात करनेवाला देश बन गया। हिन्दुस्तान से विदेशों को माल ले जाने और बदले में मोना और चाँदी लाने का जो प्रवाह चल रहा था, उसका रुक उलटा हो गया। अब विदेशी माल हिन्दुस्तान में आने लगा और यहाँ का सोना-चाँदी बाहर जाने लगा। इस सम्बन्ध में पं. जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है : "आम तौर पर किसी भी देश को सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उस देश के उद्योगों की रक्षा करें, और उन्हें तरजोह दें। मगर, हिफाजत और तरजोह देना तो दूर रहा, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ब्रिटिश उद्योगों के रास्ते में आने वाले हरेक हिन्दुस्तानी उद्योग को कसकर ठोकर लगाई। हिन्दुस्तान में जहाज बनाने का काम चौपट हो गया, घातु के कारीगर-सुहार आदि-अपना कारोबार न बला सके और काँच और कागज बनाने का घन्घा भी धीरे-धीरे चल बसा।"¹

इंग्लैण्ड के उद्योगवादी बनने से पहले ही एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक एडम स्मिथ ने जो राजनैतिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, हिन्दुस्तान पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के हानिकारक परिणामों की ओर अपना प्रसिद्ध पुस्तक "वेल्थ आफ नेशन्स" जो कि सन् 1776 में प्रकाशित हुई थी, में संकेत किया था :- "चाहे किसी भी देश के लिए हो, ऐसी सरकार, जो सिर्फ व्यापारियों को कम्पनी से ही बनी हो, सब से खराब सरकार है। शासक होने की हैसियत में तो उसके हित बिल्कुल वही होने चाहिए जो उसके हित उस देश के बिल्कुल खिलाफ होंगे।"²

1. जवाहरलाल नेहरू : विश्व इतिहास की क्षलक : पृ. सं. 593

2. "

"

"

इस घातक नीति का नतीजा यह हुआ कि बेचारे गरीब बेघरबार, बेरोजगार और भूखों मरते कारीगरो को गाँवो मे जाकर खेती की शरण लेनी पडी। परन्तु खेती भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार न थी। बहुत अधिक संख्या में लोग भूख से तड़प-तड़पकर मर गये। सन् 1834 में हिन्दुस्तान के अंग्रेज गवर्नर जनरल ने यह रिपोर्ट की थी -“ध्यापार के इतिहास में ऐसी तबाही का शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिले। सूती कपड़ा बुननेवाले जुलाहो को हड्डियो से हिन्दुस्तान के मैदानो पर सफेदी छा रही है- वे हड्डियो से भरे पड़े हैं।”

यह कितना हृदय विदारक दृश्य है। इस सम्बन्ध मे कार्ल मार्क्स का यह मन्तव्य है— “घेलीशाही ने भारत को अपनी जागीर बना लिया था, अल्पतंत्र ने अपनी फौज द्वारा उसे जीत लिया था और कारखानाशाही ने उसे अपनी सूती माल से पाट दिया था, और इन तीनों के हित बहुत समय तक साथ-साथ चलते रहे।”²

-0-

भारतीय किसानों की तबाही

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हिन्दुस्तान पर शासन करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ रुपया कमाना और अपने हिस्सेदारों मे मुनाफा बाँटना था। इसलिए आये दिन राजस्व के नये-नये स्रोत ढूँढे जाते थे। उसके फौलादी पंजो से हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी नहीं बच सका था।

-
1. कार्लमार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स : उपनिवेशवाद के बारे मे : पृ. स. 67, 597.
 2. कार्लमार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स : उपनिवेशवाद के बारे मे : पृ. 67

यह आश्चर्य की बात थी कि हिन्दुस्तान पर बांडर से समय-समय पर अनेक आक्रमण हुए। अनेक, लडाइयाँ हुई, अनेक परिवर्तन भी हुए, परन्तु यहाँ के गाँव उन प्रभावों से बिल्कुल ही अछूते रहे। गाँवों ने अति प्राचीनकाल से अपना अस्तित्व बनाये रखा था। वहाँ के जीवन में स्थिरता थी और सुख-शान्ति थी। किमान पूरी तरह खुशहाल थे। गाँव की सामाजिक स्थिति स्थिर थी। सन् 1830 में हिन्दुस्तान के अंग्रेज गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ ने ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में लिखा था।

“ग्राम-पंचायतें छोटे-छोटे प्रजातंत्र हैं, अपनी ज़रूरत की करीब-करीब हरेक चीज़ उनमें मौजूद है, और बाहरी सम्बन्धों से हर तरह स्वतंत्र है। ऐसा मालूम होता है कि जहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं ठहर पाती, उनकी हस्ती कायम रहती है। ग्राम-पंचायतों का यह सब, जिसमें हरेक पंचायत खुद एक अलग छोटी-सी रियासत के समान है, उनके सुख-शान्ति से रहने और बहुत हद तक उनको आजादी और खुद मुस्तारी का उपयोग कराने में भारी सहायक होता है।”

परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भयंकर नीतियों के कारण खुशहाल गाँव भी उजड़ गए। अंग्रेज विजेताओं ने भारत में कृषि की उपेक्षा की और उसे भारी नुकसान पहुँचाया। कम्पनी हर तरह के तानाशाही साधनों द्वारा लोगों से उनकी आखिरी कौड़ी तक वसूल कर लेती थी और उनकी श्रम शक्ति को अन्तिम बूढ़ तक चूस लेती थी।

पं. नेहरूजी के अनुसार जमींदार प्रथा एक खराब प्रथा थी जो अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में पैदा की थी। उनसे पहले इसकी कोई हस्ती, कोई वजूद न था। यह प्रथा समाज रूपी गाड़ी का पाँचवाँ पहिया था, जो कि गैर ज़रूरी, बल्कि एक टकावट और जमीन पर एक बेकार बोझ भी था। इस प्रथा के कारण जमीन की पैदावार तीन भागों में बंट जाती थी। एक भाग जमींदार को मिलता था, जो कि जमीन का मालिक होता था, वह काश्तकार

के पल्ले पड़ता था। इस तरह किसान के श्रम का बुरी तरह शोषण होता था। जमींदार के लालची पंजे से बेचारे किसान की रक्षा का कोई साधन न था।

बाद में अंग्रेजों ने करो की वसूली के लिए एक नये तरीके को जन्म दिया। लगान की वसूली के लिए एजेंट के रूप में क्लेक्टर नियुक्त किये गए। किसानों से वसूल की गई रकम में से एजेंट अपने मेहनताने के रूप में दसवाँ हिस्सा रख ले सकता था। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय के बाद जमीन कालगान दुगुना कर दिया गया। यदि कोई समय पर लगान अदा न करता तो तुरन्त उसे खेत से बेदखल कर दिया जाता था। किसान पर बेरहमी के साथ अत्याचार किये जाते और उसे सारोरिक यातनाएँ दी जाती थी। "इस तरह किसान के सम्पर्क में आने वाले हरेक शब्द में उसे लूटा, लगान वसूल करनेवाला, जमींदार, बनिया, प्लाण्टर और उसका कारिन्दा और सबसे बड़ा बनिया खुद अंग्रेज सरकार—चाहे ईष्ट इण्डिया कम्पनी की मार्फत, चाहे सीधा—सब के सब उसे चूसते गये। इस सारे शोषण की जड़ में थी अंग्रेजों की वह नीति जो वे हिन्दुस्तान में मानवृत्तकर चला रहे थे।"¹

अंग्रेजों के शासन काल में हिन्दुस्तान में पाँच बार भयंकर अकाल पड़े जैसे सन् 1769-70 में बंगाल और बिहार में सन् 1861 में उत्तर भारत में सन् 1876 में उत्तर मध्य दक्षिणी हिन्दुस्तान में सन् 1990 में उत्तरी और मध्य हिन्दुस्तान में। कहा जाता है कि इन भयंकर अकालों में हिन्दुस्तान की एक चौथाई आबादी काल-कवलित हो गई। परन्तु इन अकालों के समयों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बड़ी निरदयता के साथ किसानों से लगान की पाई-पाई वसूल करके छोड़ी। इस सम्बन्ध में प. नेहरू जी ने लिखा. "ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरो की असाधारण युस्तेदी का जिफ़ स्यास तौर पर किया जाना चाहिए। चाहे लाखों-करोड़ों की तादाद में मर्द-औरत और बच्चे मौत के घाट उतरते रहे वे ती मृदों की लाशों तक से रुपया खींचने की जुर्रत रखते थे, ताकि इंग्लैण्ड के मालदारी को भारी से भारी मुनाफे बाँटे जा सकें।"²

1. जवाहर लाल नेहरू : विश्व इतिहास की शलक : 608

2. " " " 606

इन सब का नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान के सारे गांव तबाह और बरबाद हो गए। बड़े-बड़े मालगुजार तक भिखारी बन गये। बेचारे किसानों की क्या बिसात? इस लूट-खसोटे के दौर में, वे भूखे-नगे बेघर-मुर्दे से हो गए। अंग्रेजी के जालिमाना अत्याचारों ने उन पर ऐसा आतंक जमा दिया था कि किसानों के हृदय और आत्मा जो कुछ उनके थी सब कुछ नष्ट कर दिया था। इस सम्बन्ध में बहादुर अंग्रेज महिला फ्लोरेस नाइटिंगल ने सन् 1878 में लिखा—“हमारे पूर्वी साम्राज्य का किसान, पूर्व में, नहीं-नहीं, शायद सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक नजारा है। दुनियां के सबसे ज्यादा राजाऊ मुल्क में और बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ पर अकाल नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी, लोगों को चकनाचूर कर देनेवाली और लगातार आधे पेट भूखों रहकर मरने की हालत पैदा कर दी।”¹

इस तरह के भयानक अत्याचारों, निर्दयतापूर्ण उत्प्रेक्षितों, किसानों और कारोगरों की हृदय विदारक तबाही को देखने के बाद भी किस जाति का खून खील नहीं उठेगा? प्रतिशोध के शोले नहीं भड़क उठेंगे? विप्लव का ज्वालामुखी क्यों न फूट पड़ेगा? ये सब कुछ अवश्यभावी था। कार्लमार्क्स का यह निष्कर्ष था कि इंग्लैंड के निकृष्टतम स्वार्थों ने हिन्दुस्तान में सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया था :

• “यह सत्य है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक क्रान्ति का कारण बनने में इंग्लैंड के निकृष्टतम स्वार्थों से प्रेरित हुआ था और जिस ढंग से उसने उन स्वार्थों की सिद्धि की थी, वह मूर्खतापूर्ण था।”²

-
1. जवाहर लाल नेहरू : विश्व इतिहास की झलक : 610
 2. कार्लमार्क्स : फ्रेडरिक एंगेल्स . उपनिवेशवाद के बारे में : पृ. सं. 51

भारतवासियों की सम्पत्ति को हड़पना

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जिन नीतियों ने हिन्दुस्तानी कारीगरों और किसानों को तबाह कर दिया था, उन्हीं नीतियों ने कालान्तर से भारतवासियों की सम्पत्ति जमींदारों की भू-सम्पत्ति, कुलीनों की पेशाने और देशी राजाओं-महाराजाओं की रियासतों जबरदस्ती छीन ली थी। यद्यपि जमींदारी प्रथा को भारत में अंग्रेजों ने ही जन्म दिया था, कुलीनों को पेशाने और देशी राजाओं-महाराजाओं को संरक्षण देने का अंग्रेजों ने समझौता किया था, परन्तु अंग्रेज सरकार ने निजी स्वार्थों के बशीभूत इन सब को उलट दिया। नये राजस्व के स्रोतों की खोज में पुरानी व्यवस्था तोड़ दी गई और नये कानून बनाये गये। भारत में जमीनों और इनामों पर फिर से अधिकार किया गया। गोद लेने के कानून को खत्म करने का तो किसी को स्वप्न में भी ख्याल नहीं आया था। लेकिन यहाँ यह सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने ऐसी मनकारी क्यों की ?

सन् 1848 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वित्तीय कठिनायाँ इस सीमा तक जा पहुँची थी कि उसके लिए किसी न किसी तरह अपने राजस्व को बढ़ाना अनिवार्य ही गया था। दिन-पर-दिन कम्पनी पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा था। तब तक अपनी विजयों को कार्यान्वित करने तथा अपने संस्थाओं का निर्माण करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश राज्य से 5 करोड़ पौण्ड से अधिक ऋण उठा चुकी थी। राजस्व को बढ़ाना जरूरी हो गया था। परिणामतः कौन्सिल अर्थात् गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी के अधीन काम करने वाली परिषद की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी, जिसमें लगभग स्पष्ट रूप से इस सिद्धान्त का उल्लेख किया गया था, कि देशी राजाओं महाराजाओं से रियासतें छीन कर और इस तरह ब्रिटिश क्षेत्र को विस्तृत करके ही अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार जब सतारा नरेश बाबा साहिब की मृत्यु हुई तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसके दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी और राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। उसके

बाद जब कभी—भी कोई राजा नि सन्तान मर जाता तो उसके राज्य पर अधिकार कर लिया जाता ।

कम्पनी की इस शासन संचालन को नयी प्रणाली द्वारा भारत में सम्पत्ति की पुरानो व्यवस्था तोड़ दी गयी जिससे हर हिन्दू जो भू-सम्पत्ति रखता था, बुरी तरह से प्रभावित हो गया । जब्ती के इस नये तरीके से राजस्व का एक नया स्रोत मिल गया । उस समय के दस्तावेजों के आधार पर यह कहा जाता है कि इस प्रकार मालिकों से जब्त की गई भू-सम्पत्ति छै सालाना आय—सन् 1848 से 54 के वर्षों में केवल तीन नगरो—अहाता बगाल, अहाता बम्बई और पंजाब से ग्यारह लाख पौण्ड से भी अधिक हुई थी ।

ब्रिटिश सरकार भारतवासियों की सम्पत्ति हथियाने का यह एक ढंग अपना कर भी सन्तुष्ट नहीं हुई, उसने कुलीनो की पेशने भी बन्द कर दी जिन्हे वह संघियों की शर्तों के अनुसार देने पर बाध्य थी ।

कजर्वेटिव पार्टी के नेता श्री डिजरेली, जो बाद में सन् 1868 तथा 1874 से 1880 तक ब्रिटेन का प्रधान मंत्री बना, उसका लन्दन के “मुर्दों के घर” में 28 जुलाई 1857 में दिया गया तीन घण्टो का सारगर्भित भाषण 14 अगस्त 1857 के न्यूयार्क डेली ट्रिबून के समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था, उसमें भारतवासियों की भू-सम्पत्ति जब्ती सम्बन्धो शासन-प्रणाली की घोर निन्दा की गयी थी—“जब्ती का यह नया तरीका बहुत विस्तृत, आश्चर्यजनक तथा लज्जाजनक पैमाने पर अमल में लाया जा रहा है ।”¹

1. कार्लमार्क्स · फ्रेडरिक एंगेल्स : उपनिवेशवाद के बारे में : पृ. 178

उपसंहार : काल विभाजन

इससे पूर्व जो तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं, उनके और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भी यह बात सिद्ध ही जाती है कि अंग्रेजों की साम्राज्य-स्थापना के बाद से हिन्दुस्तान में असन्तोष, आक्रोश और विद्रोह के घोले भीतर ही भीतर ज्वालामुखी का रूप धारण करते जा रहे थे। अफसोस तो इस बात का है कि भारत को अंग्रेजी ने अपनी बहादुरी से नहीं, बल्कि छल-कपट और जालसाजी की शर्मन्ताक हरकतों के द्वारा जीता था और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी। परन्तु बहुत शीघ्र ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मूर्खतापूर्ण बर्बरताओं और निकृष्टतम स्वार्थों-लालचों ने भारत में राष्ट्रीय सशस्त्र क्रान्ति की उर्वरा भूमि तैयार कर दी। यह बात दूसरी है कि उन दिनों कीई केन्द्रीय संगठन नहीं था, फिर भी हैदरअली और ताना फडनवीस आदि दूरदर्शी नेताओं ने बहुत पहले ही अंग्रेजों की बदनीयती और हिन्दुस्तान की तबाही को अच्छी तरह से समझ लिया था। उन्होंने केन्द्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया था, परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी।

सन् 1748 से 1947 तक इन दो सौ वर्षों में यह समान प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि देश की साधारण जनता से लेकर राजा-महाराजाओं तक यह अनुभव कर रहे थे कि ब्रिटिश जुए को उतार फेंकने में ही देश का परित्राण और कल्याण है। अतएव सशस्त्र राष्ट्रीय सग्राम के इतिहास में 1857 से पूर्व देशी राजाओं-महाराजाओं द्वारा अंग्रेजी से लड़ी गई लड़ाइयों को जोड़ लेने पर दो शताब्दियों का इतिहास बनता है।

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शीलमद्रयाजी सांसद ने भी सशस्त्र स्वाधीनता सग्राम के इतिहास को दो सौ वर्षों का स्वीकार किया है। हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक आन्दोलनों के आधार पर उन्होंने दो शताब्दियों के इतिहास का काट-विभाजन किया है।

इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष पं. शीलभद्रयाजी का अभिमत है— “भारत की आजादी की लड़ाई का आरम्भ 1757 में प्लासी की लड़ाई से हुआ। यही वह समय था जब भारत सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गणराज्य घोषित हुआ। हम स्वतंत्रता-संग्राम की अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से पाँच चरणों में बाँट सकते हैं। पहला चरण 1748 से 1848 तक जिस कालखण्ड में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़क उठे थे। महाराष्ट्र और पंजाब में सत्रहवीं शताब्दी में जो ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ की भावना जागृति हुई थी, वह अठारहवीं शताब्दी में ‘राष्ट्रीय चेतना’ के रूप में विकसित हुई और सारे देश में व्याप्त हो गयी। इस कालखण्ड में अनेक राष्ट्रीय वीर पुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने सशस्त्र संग्राम का नेतृत्व किया।

दूसरे चरण में सन् 1849 से 1909 तक का काल आता है जिसमें विद्वत् प्रसिद्ध सन् '57 का राष्ट्रीय संग्राम हुआ— जिसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जड़ें उखाड़ फेंक दी थी। यहाँ से राष्ट्रीय संग्राम ने एक नया मोड़ लिया।

तीसरे चरण में गदर पार्टी का संग्राम आता है जिसका समय था सन् 1909 से 1920 तक। इस कालखण्ड में भारतीय राष्ट्रीय चेतना न केवल भारत में अपितु विदेशों में व्याप्त ही गई थी। विदेशों में गदर पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी ने विदेशों में स्थित भारतीयों का संगठन किया और भारतीय राष्ट्रीय चेतना जागृत की और तन-मन-धन से स्वतंत्रता-संग्राम की तीव्र किया। यह अध्याय अनेक दृष्टियों से स्वतंत्रता-संग्राम का महत्वपूर्ण अध्याय है।

सन् 1920 से 1939 का कालखण्ड स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का स्वर्णयुग रहा है। इस काल खण्ड में स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप धारण कर त्रिभुजात्मक हो गया था। कांग्रेस दल द्वारा उदारवादी आन्दोलन, स्वराज्यदल द्वारा काम-रोको-आन्दोलन और क्रान्तिकारी दल द्वारा उग्रवादी आन्दोलन चला। फलस्वरूप सारा देश जाग उठा। आज़ादी का स्वर बलवन्त हुआ।

स्वतंत्रता-संग्राम के अन्तिम चरण 1940 से 1947 में आजाद हिन्द फौज का स्वाधीनता संग्राम आता है। इस कालखण्ड में नेताजी के नेतृत्व में जापान, सिंगापुर आदि विदेशों में आजाद हिन्द फौज की स्थापना हुई। यह उल्लेखनीय है कि सिंगापुर में भारतीय आजाद हिन्द सरकार की स्थापना हुई थी जिसके राष्ट्रपति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बने। इस काल खण्ड में विगत विद्रोह, अवरोध, लडाइयों आदि ने विधिवत् युद्ध का रूप ले लिया था। आजाद हिन्द फौज ने बर्मा के जंगलों के मार्ग से अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ। मणिपुर और नागालैंड पर आजाद हिन्द फौज का अधिकार हो गया था। अस्तु,

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दो शताब्दियों के स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास का निम्न प्रकार काल विभाजन किया जा सकता है :

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध-विद्रोह | . 1748 से 1848 तक 100 वर्ष |
| (2) सन् '57 का राष्ट्रीय संग्राम | . 1849 से 1909 तक 60 वर्ष |
| (3) गृधर पार्टियों का संग्राम | . 1909 से 1920 तक 12 वर्ष |
| (4) त्रिकोणात्मक स्वाधीनता संग्राम | : 1920 से 1939 तक 20 वर्ष |
| (5) आजाद हिन्द फौज का स्वाधीनता संग्राम | : 1940 से 1947 तक 8 वर्ष |

योग 200 वर्ष

इन दो शताब्दियों के कालखण्ड में देश और विदेशों में जो घटनाएँ और प्रघटनाएँ घटित हो रही थी, उनका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वाधीनता संग्राम पर भी पड़ रहा था। तदनुसार सशस्त्र राष्ट्रीय क्रान्ति की पद्धति और कार्यक्रम भी बदलते जा रहे थे। किन्तु स्वाधीनता-संग्राम की मूल

प्रवृत्ति सशस्त्र क्रान्ति और मुख्य लक्ष्य आजादी प्राप्त करना था। इस सम्बन्ध में भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन करते हुए 12 जून 1989 को कहा— स्वतंत्रता-संग्राम में गांधीवादियों और क्रान्तिकारियों के योगदान को अलग-अलग करके आंकना उचित नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी सहित सभी क्रान्तिकारी थे। आजादी की लड़ाई में क्रान्तिकारी और गांधीवादी एक-दूसरे के पूरक रहे और उनमें कहीं टकराव नहीं था।



द्वितीय अध्याय

अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध व विद्रोह

(1748 से 1848 तक)

विषय क्रम .

1. मुगल बादशाहों की अदूरदर्शिता
2. काल—कोठरी
3. अंग्रेज राज्य की स्थापना
4. महाराष्ट्र में राष्ट्रियता का उदय
5. आन्ध्र में राष्ट्रियता का उदय
6. कर्नाटक में राष्ट्रियता का उदय
7. केरल में राष्ट्रियता का उदय
8. मद्रास में राष्ट्रियता का उदय
9. पंजाब में राष्ट्रियता का उदय
10. बिहार में राष्ट्रियता का उदय
11. आसाम में राष्ट्रियता का उदय
12. उड़ीसा में राष्ट्रियता का उदय
13. गुजरात में राष्ट्रियता का उदय
14. बंगाल में राष्ट्रियता का उदय
15. अंग्रेजों के विरुद्ध छुटपुट प्रतिरोध एवं विद्रोह : 1748-1848
16. निष्कर्ष

मुगल बादशाहों की अदूरदर्शिता

सन् 1748 से 1848 के कालखण्ड में इंग्लिस्तान की दो तरह की तस्वीरे हमारे सामने आती हैं, एक सत्ता पाने के पहले की और दूसरी सत्ता पाने के बाद की। पहली तस्वीर में अंग्रेजों का जो चरित्र उभरता है, वह कोई उदार मानवतावादी नहीं, अपितु अत्यन्त बर्बर, जालसाजी, विश्वासघाती, मक्कारी, जासूसी, लोभी चरित्र है। दूसरी तस्वीर में उनकी लूटमारो, शोषणी एवं अत्याचारी के द्वारा अधिकाधिक सत्ता हाथियाने सम्बन्धी चरित्र उभरकर सामने आता है। एक ही चरित्र के ये दो पहलू थे। प्रसिद्ध इतिहासकार ने इस सम्बन्ध में कहा "ब्रिटिश हिन्दुस्तान के आरम्भ के इतिहास का ध्यान आता है, जो कि शायद दुनिया भर में राजनीतिक छल की सब से बड़ी मिसाल है।"

अठारहवीं शताब्दी में जहाँ इंग्लिस्तान बर्बर तथा प्रतिक्रियावादी था, वहाँ भारत की सभ्यता कहीं ऊँची थी। इस सम्बन्ध में प. नेहरू का अभिमत है— "इस मामले में और बहुत सी दूसरी बातों में जिनका मानवता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा से संबंध है, हिन्दुस्तान कहीं आगे था और उसकी सभ्यता कहीं ऊँची थी। "इंग्लिस्तान से बहसियाना, जान्ता फौजदारी वाले बर्बर रूप ने उसके दूसरे रूप, उदार, बहादुर, सुसंस्कृत, आजादी समर्थक वाले रूप को खत्म कर दिया था। फलतः हिन्दुस्तान में बर्बरता का नया नाच हुआ। इन दो इंग्लिस्तान में से कौनसा इंग्लिस्तान हिन्दुस्तान में आया? शेक्सपियर और मिल्टनवाला, उदार बातों और लेखों और वीरता के कारनामीवाला, राजनीतिक क्रान्ति और आजादी के हक में लड़ाई करनेवाला विज्ञान और कला कौशल में उन्नति वाला इंग्लिस्तान यहाँ आया था या फिर बहसियाना, जान्ता फौजदारीवाला, बर्बर व्यवहार करने वाला, और सामन्तीवादी और

प्रतिक्रियावादी इन्डिस्नान आया ? क्यों कि दो इन्डिस्नान रहे हैं, जिस तरह कि हर देश में जातीय चरित्र के दो पङ्क्त होने हैं ।”

अंग्रेजों के आने के पहले हिन्दुस्तान एक धनी और समृद्ध देश था । यह बात उल्लेखनीय है कि उन समय का दक्षिण भारत की आबादी, धन-वैभव, व्यापार, कला-कौशल, दम्नकारी, खुशहाली, शासन प्रबन्ध, विद्या-वन, सभ्यता और सभ्यता में किसी बात में भी किसी तरह की बराबरी नहीं कर सकता था । अंग्रेज इतिहास लेखक एम सी हिल लिखता है— “अठ्ठा-रहवीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समय के फ्रांस अथवा जर्मनी के किसानों की हालत में वही बढकर थी ।” हिन्दुस्तान की समृद्धि और खुशहाली के सम्बन्ध में साम्राज्य-निर्माता के नाम से प्रसिद्ध क्लाइव ने सन् 1757 की प्लामी की लड़ाई के बाद बंगाल की राजधानी मुशिदाबाद को “लन्दन के इतना विस्तृत, आबाद और सम्पन्न शहर बताया था ।”

वास्तव में बंगाल एक सम्पन्न एवं खुशहाल राज्य था । हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन का पहला पूरा अनुभव बंगाल को हुआ । उस राज्य का आरम्भ खुल्लमखुल्ला लूट-मार से हुआ और उस में अधिक में अधिक जमीन का लगान केवल जीवित किसान से ही नहीं, बल्कि उनके मरने पर भी वसूल किया जाता था । अंग्रेजों के मन में धन का प्रबल लालच बढना गया । प्लामी के युद्ध के बाद बंगाल का लूट का मारा धन लन्दन पहुँचने लगा । इतिहासकारों का अभिमत है कि हिन्दुस्तानी दौलत ने ही इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया । इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति सन् 1770 में शुरू हुई, जब कि अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना भारत में सन् 1757 में हुई थी । जब से दुनिया शुरू हुई है, किसी भी पूँजी से कभी भी इतना लाभ नहीं हुआ जितना कि हिन्दुस्तान की लूट से, क्योंकि करीब-करीब पचास बरस तक ग्रेट ब्रिटेन का कोई भी मुकाबिला करने वाला नहीं था ।

उन दिनों हिन्दुस्तान के उद्योग-धन्धे अपनी उन्नति के शिखर पर थे । यहाँ की कारीगिरी और दस्तकारी जगत प्रसिद्ध थी । हिन्दुस्तानी माल की

अच्छाइयों से आकर्षित होकर ही अंग्रेज भारत आए थे, क्योंकि इस माल की यूरोप में बड़ी खपत थी। ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी का आरम्भ के दिनों में मुख्य धन्य ही हिन्दुस्तानी माल का यूरोप में रोजगार करना था, और यह तिजारत कम्पनी के लिए लाभदायी सिद्ध हुई और कम्पनी के हिस्सेदारों को लम्बे नफ़े मिलते रहे।

सन् 1600 ई. में इंग्लैण्ड की महारानी "एलिजेबेथ" ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की थी। यह कम्पनी कुछ अंग्रेज सौदागरो की एक मण्डली थी, जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए पहले से ही उत्सुक थी। सन् 1608 में पहला अंग्रेजी जहाज भारत पहुँचा। सूरत उस समय भारत वर्ष के व्यापार की एक प्रसिद्ध और खास जगह थी। जहाज का कप्तान मिस्टर हाकिन्स सब से पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के मार्ग से आकर भारत की भूमि पर पैर रखा। 6 फरवरी 1913 को सम्राट जहाँगीर ने सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए एक कोठी बनाने की आज्ञा दे दी और यह भी आज्ञा दी कि मुग़ल दरबार में उनका एक दूत रहा करे।

अंग्रेज किस प्रकार हिन्दुस्तान में अपने पैर धीरे-धीरे जमाते गए, और किस प्रकार उन्होंने सत्ता हथियायी, इस सम्बन्ध में यह कहावत् पूरी तरह चीरतायं होती है : "मुग़लों ने अंग्रेजों को सत्तनत बरूख दी।" भारत में अंग्रेजों के राज्य स्थापना के पीछे मुग़ल बादशाहों की अदूरदृष्टिता थी।

सन् 1640 में शाहजहाँ की एक लडकी किसी तरह जल गई। उसका इलाज करने वालों में एक अंग्रेज डॉक्टर भी था। शाहजहाँ की अच्छी हो गई। जब इलाज करने वालों को इनाम देने का समय आया, तब अंग्रेज डॉक्टर की प्रार्थना पर शाहजहाँ ने बंगाल भर के अन्दर अंग्रेजों के माल पर चुगी माफ़ कर दी और उन्हें उस प्रान्त में अपनी कोठियाँ हुगली में बनाने तथा उनके जहाजों को हुगली नदी तक आने की अनुमति दे दी।

इस के बाद औरगञ्ज का समय आया। बम्बई का टापू जहाँ पर केवल एक छोटी पुर्तगाली बस्ती थी, सन् 1661 में इंग्लैण्ड के बादशाह को पुर्तगालियों से दहेज में मिला और सन् 1688 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसे अपने बादशाह

से खरीद लिया। सन् 1654 के करीब शिवाजी का बल बढ़ने लगा। सूरत के अंग्रेज कोठीवालों ने औरंगजेब की शिवाजी के विरुद्ध मदद देने तथा मुगल साम्राज्य की ओर से सूरत की रक्षा करने का वादा किया। औरंगजेब इस पर प्रसन्न होकर अंग्रेजों को अपना व्यापार बढ़ाने की अनेक तरह की नई सुविधाएँ प्रदान कर दीं।

भारत में अन्तिम यूरोपियन जाति जो इस सिलसिले में यहाँ आई, फ्रान्सीसी थी। अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ही तरह फ्रान्सीसियों ने भी ठीक उसी उद्देश्य से भारत में व्यापार करने की इच्छा से सन् 1664 में एक कम्पनी कायम की।

फ्रान्सीसियों की नीति आरम्भ ही से यह थी कि वे अपने सद्व्यवहार द्वारा भारतीय नरेशों को प्रसन्न करके अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते थे। फ्रान्सीसियों के इन व्यवहारों से अंग्रेजों के दिल में फ्रान्सीसियों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होना स्वाभाविक था। फलस्वरूप दोनों कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा बराबर जारी रही। ये दोनों कम्पनियाँ इस देश में अपनी-अपनी क्लोज़ रखती थीं और जहाँ कहीं किसी दो भारतीय नरेशों में लड़ाई होती थी, तो एक एक का और दूसरी दूसरे का पक्ष लेकर लड़ाई में शामिल हो जाती थी। इनका उद्देश्य भारतीय नरेशों की सहायता का सहारा लेकर अपने यूरोपियन शत्रु को समाप्त करना होता था।

-0-

काल-कोठरी

उन दिनों हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने की जिन सूबेदारों ने कोशिश की थी, उनमें बंगाल का नवाब अलीवर्दी ख़ाँ और उमी का नाती सिराजुद्दौला था। नवाब अलीवर्दी ख़ाँ बंगाल, बिहार और

उड़ीसा तीनो प्रान्तो का सूबेदार था और बडा दूरदर्शी था । सब से पहले इस बात को वह बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि व्यापार के बहाने अंग्रेजो द्वारा भारत मे अंग्रेजी राज्य कायम करने की अन्दर-अन्दर योजनाएँ बनाई जा रही हैं । अंग्रेजो की इन भीतरी चालो और इरादी को वह खूब जानता था, पर वह लाचार था । एक ओर दिल्ली शासको का सरक्षण अंग्रेजो को प्राप्त था और दूसरी ओर मराठो के सैनिको के प्रबल आक्रमणो से वह बेहद परेशान था । इन सब कारणों के बावजूद अलीवर्दी खाँ ने यह ठान लिया था कि अंग्रेजो की रण-शक्ति को नाश किये बिना बंगाल राज्य का कल्याण कदापि नही होगा । इसीलिए वह अपने नाती युवराज सिराजुद्दौला को समय-समय पर सावधान किया करता था ।

अलीवर्दी खाँ एक लोकप्रिय शासक था । हिन्दू-मुसलमान सभी का वह प्रीति-पात्र था । वह सरल स्वभाव, शान्त, उत्साहशील, न्यायपरायण और धर्मात्मा नवाब था । वह हिन्दुओ पर विशेष श्रद्धा रखता था । बंगाल की प्रजा उसके शासन में सुखी थी और किसान खुशहाल थे । अलीवर्दी खाँ की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना । वह अपने बाल्यकाल से साहसी और बहादुर था । अपने नाना अलीवर्दी खाँ के साथ वह कई लडाइयो में भाग ले चुका था । उसकी असाधारण वीरता, निडरता एवं ज्ञान को देखकर ही अलीवर्दी खाँ ने 24 वर्ष के नवयुवक को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का युवराज-पद प्रदान किया था । दिन-प्रति-दिन अंग्रेजो को बढ़ती हुई घृष्टता और अनुशासन-हीनता को देखकर सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ते पर आक्रमण किया और "अंग्रेजी दरबार-कोठी" के तमाम अंग्रेजो को कैद कर लिया । यह वही काल-कोठरी है जिसे अंग्रेज इतिहास-लेखकों ने सिराजुद्दौला को कलंकित करने के लिए ही काल-कोठरी की कल्पित कहानी गढ़ी थी । सभी अंग्रेज व्यापारी सन् 1756 मे भारत के सब से अधिक उपजाऊ और समृद्ध प्रान्त बंगाल से निकाल बाहर किये गए । सिराजुद्दौला ने कलकत्ते का नाम बदलकर "अलीनगर" रखा था ।

उन दिनों सत्ता के लिए जो होड़ मची हुई थी, उसका विश्लेषण करते हुए पं. नेहरू जी ने लिखा— "अठ्ठारहवीं सदी में, हिन्दुस्तान में, अधि-

कार के चार दावेदार थे . दो इनमें से हिन्दुस्तानी थे और दो विदेशी । हिन्दुस्तानी थे मराठे और दक्खिन में हैदरअली और उमका पुत्र टीपू सुलतान और विदेशी थे अंग्रेज और फ्रांसीसी । सदी के पहले आधे हिस्से में ऐसा जान पड़ता था कि इनमें से मराठे मारे हिन्दुस्तान पर शासन स्थापित कर लेंगे और मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी बन जायेंगे । मन् 1737 में ही उनकी सेनाएँ दिल्ली के फाटको तक पहुँच गई थीं और कोई शकन इनकी वनशाली न रह गई थी कि उनका मामना कर मके ।”

-0-

अंग्रेज राज्य की स्थापना

नवाब सिराजुद्दौला को कलकत्ता विजय का बदला क्लाइव ने एक वर्ष के बाद छल-कपट के साथ लिया । बगाल में, क्लाइव ने, जाल-माजो, छल-कपट और विद्रोह को बढ़ावा देकर सिराजुद्दौला से नाम मात्र की लड़ाई सड़कर 23 जून 1757 की प्लामी का युद्ध जीत लिया । इसके साथ ही अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव पड़ी । इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता मशम का अन्त कुछ समय के लिए हो गया । यह इतिहास की अजीब बात है कि अमरीका के संयुक्तराष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रायः वही समय था जो कि हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता खोने का ।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सिराजुद्दौला की पराजय के पीछे उसी के मरदारों का विश्वासघात था । उसकी मारी सेना विश्वासघाती से छलनी-छलनी हो चुकी थी । ऐन मौके पर जबकि विजय श्री सिराजुद्दौला के पंरो तले खेलती हुई-सी दिखाई देती थी, उमके विश्वस्त सरदार मीरजाफ़र,

रायदुर्लभ और यारलफ्त अपनी 45,000 सेना के साथ मुडकर अग्नेजों की सेना में जा मिले। इस सम्बन्ध में कर्नल भालेसन ने लिखा है—

“जबतक मीरमदन जिन्दा रहा, तबतक वह अपनी केवल 1200 सेना से तीनों विश्वासघातकों के प्रयत्नों को निष्फल करता रहा। उसके जीते-जी अग्नेजी सेना के लिए अपने पैर जमा सकना सर्वथा असम्भव था। किन्तु मीर-मदन की मृत्यु से सिराजुद्दौला लाचार हो गया। उसका दिल टूट गया।”

अग्नेज इतिहास-लेखकों द्वारा सिराजुद्दौला का चरित्र कलकित किया गया, किन्तु उसकी सच्चाई, उसकी योग्यता और उसकी ईमानदारी में किसी तरह का भी सन्देह नहीं हो सकता। उसमें यदि कुछ दोष भी था, तो सिर्फ यह था, विदेशियों की तिकड़मी चालों को न समझ सकना, उन पर विश्वास और दया करना और बराबर उनके साथ अमन से रहने की आशा करना।

युद्ध में उसका एकमात्र वफादार-सेनापति मीर मदन वीरगति को प्राप्त हुआ ती वह अकेला पड़ गया था। लिहाजा उसे हाथी पर सवार होकर मुर्शिदाबाद भाग पडा। पर वहाँ भी कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था, तो वह 28 जून की रात फकीर के बेश में मुर्शिदाबाद की छोडकर भगवान् गोला नाम के शहर की ओर निकल गया। बाद में उसे राजमहल में गिरफ्तार करके मुर्शिदाबाद लाया गया। जहाँ उसका सीते हुए, भुहम्मद बेग ने कत्ल कर दिया।

विदेशी इतिहासकारों में केवल कर्नल भालेसन ही एक ऐसा है जिसने सिराजुद्दौला के साथ इन्साफ करने की कोशिश की है। वह लिखता है : “सिराजुद्दौला में और चाहे कोई भी दोष क्यों न रहे हों, उसने अपने मालिक के साथ न विश्वासघात किया और न अपने देश को बेचा। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि शराफत के पैमाने पर सिराजुद्दौला का नाम क्लाइव के नाम की अपेक्षा बहुत उँचा नजर आता है। इस शोकान्त नाटक के प्रधान पात्रों में अकेला एक सिराजुद्दौला ही ऐसा था जिसने किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की।”

20 अक्तूबर 1760 को मीर कासिम को बंगाल की सूबेदारी सौंप दी गयी। मीर कासिम की योग्यता, बल, प्रजा की हित-चिन्ता, दूरदृष्टिता, धीरता और कुशल प्रशासन की प्रशंसा सभी इतिहास-लेखकों ने मुबत कण्ठ से की है। किन्तु वारेन हे स्टिम्स के अनुसार मीर कासिम को इस पद के लिए इसलिए चुना गया था, क्योंकि वह कायर था और उसमें युद्ध की प्रवृत्ति नहीं देखी गई थी। किन्तु उसने यह अनुमान एकदम गलत साबित कर दिखाया।



नवाब मीर कासिम

अंग्रेज सौदागरो की जिन मनमानी और गैर कानूनी माँगों से भारतीय सौदागरो और जमींदारों की गहरी क्षति हुई थी, उसके सामने घुटने टेकने से उसने साफ़ इन्कार कर दिया। कम्पनी के अनुचित हस्तक्षेप से बचने के लिए वह अपनी राजधानी को मुशिदाबाद से मुगेर ले गया था। लडाई का उसका इरादा तो न था किन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसे इतना दबाया कि वह लड़ने पर मजबूर हो गया। इस युद्ध में उसे दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम और लखनऊ के नवाब शुजा उद्दौला का भी साथ मिला, परन्तु उनकी सम्मिलित सेना भी कम्पनी की नये ढंग से प्रशिक्षित सेना के सामने टिक नहीं सकी। फिर उसकी सेना के एक अंग्रेज सिपाही के विश्वासघात ने रही-सही कसर पूरी कर दी। 1764 में बक्सर के युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर मीर कासिम की 1777 में अपनी मृत्यु तक दर-ब-दर हो भटकना पड़ा। किन्तु नवाब की पराजय से सवर्ष का अन्त नहीं हुआ। उपद्रव और विद्रोह बराबर होते रहे।

इस दुःखान्त के सम्बन्ध में भारतीय इतिहासकार श्री गिरधर शुक्ल का यह निष्कर्ष है "एक ओर भारतीय शासकों की भावुकता व अदूरदृष्टिता दूसरी ओर भारतीय जनता में राजनैतिक बाध तथा उससे उत्पन्न होने वाले देश प्रेम और राष्ट्रीयता के भावों की कमी और तीसरी ओर उच्च श्रेणी के भारतवासियों के चरित्र की लज्जा-जनक स्वार्थपरायणता और बिश्वास

घातकता इन तीनों ने मिलकर केवल सिराजूदौला का ही अन्त नहीं कर दिया, वरन् सिराजूदौला की लाश के साथ-साथ भारत की आजादी को भी सदियों के लिए दफन कर दिया ।”

इस प्रकार अंग्रेजों ने छल-कपट और षडयंत्रों के द्वारा बगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। उन दिनों अंग्रेजों का प्रतिरोध करने वाली शक्तिशाली जाति यदि कोई थी तो वह मराठा-जाति थी। दिन-प्रति-दिन मराठा-जाति अपना सैनिक प्रभाव बढ़ाती जा रही थी। सारे देश में अपना साम्राज्य स्थापना के लिए वह अग्रसर होती जा रही थी। सारे देश में उसकी सैनिक घाक जम गई थी। इस जाति ने अपने पराक्रमों से इतिहास को एक नया मोड़ दिया। मुगलों के अस्त के बाद और अंग्रेजों के राज्य-शासन के उदय से पूर्व के कालखण्ड में देश में मराठों का शासन था। सन् 1737 में ही मराठों की सेनाएँ दिल्ली के फाटकी तक पहुँच गई थी और कोई शक्ति उतनी बलशाली न रह गई थी कि उनका सामना कर सके। सन् 1758 में युद्ध जीतकर मराठों ने पंजाब में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इतिहासकारों का अभिमत है मुगल साम्राज्य का नाश अंग्रेजों के हाथों नहीं हुआ, वरन् मराठों की वजह से हुआ। सच्चाई तो यह है कि मराठों को कुचलने के लिए मुगलों और अंग्रेजों का संयुक्त मोर्चा बन गया था। इसके बावजूद मराठों का हौसला बुलन्द था। अपने राज्य का विस्तार वे बराबर करते जा रहे थे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ीं और विजय प्राप्त की।

महाराष्ट्र में : राष्ट्रीयता का उदय

मराठा-जाति में गजब की सगठन शक्ति, धार्मिक एवं राष्ट्रीय चेतना थी। प्रति-रक्षा की भावना ने उनमें राष्ट्रीय चेतना को जगाया। औरंगजेब की कट्टारता, असहिष्णुता और बर्बर अत्याचारों ने मराठा जाति में एक वीर पुरुष शिवाजी की जन्म दिया था। "मराठों का गौरव और मुगल साम्राज्य की धरती देने-वाला अंगर कोई था तो वह मराठों का नायक शिवाजी। मुगल हाकिम



महाराष्ट्र-केसरी शिवाजी

ती शिवाजी से इतने डर गये थे कि अपनी रक्षा के लिए उन्हें धन देने लगे। यही इतिहास प्रसिद्ध 'चीथ' यानी लगान का चीथा अर्थ, जिसे मरोठे जहाँ जोते, वही बसूल करते थे। इस तरह मराठों की ताकत ती बढ़ती गई और दिल्ली का साम्राज्य कमजोर होता गया। सन् 1674 ई. में शिवाजी ने बड़ी छूमधाम के साथ अपनी राज्याभिषेक-उत्सव मनाया और मृत्यु तक वे एक के बाद एक राज्य जीतते गए।

मराठा-जाति में जागृति, धार्मिक भावना, एकता और राष्ट्रीय चेतना को पैदा करने में महाराष्ट्र के सन्त कवियों - रामदास और तुकाराम की कविताओं और भजनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। समर्थ रामदास स्वामी ने जनता को "स्वराज्य ही स्वधर्म है" इस मन्त्र का प्रबोध देते हुए कहा था : "स्वधर्म के लिए अपने प्राणों को अर्पित करी और अपने प्राणों को न्योछावर करते समय अपने धर्म के शत्रुओं के प्राणों की बलि ले लो। इस प्रकार संघर्ष करते हुए अपने राज्य को पुनः स्वाधीन कर लो।" इस प्रकार के प्रबोधों से जनता में धार्मिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। उन्हीं दिनों



समर्थ रामदास

विजालियो पर विजय प्राप्त करने के लिए एक वीर-साहसी नेतृत्व शिवाजी के रूप में उदय हुआ था। आज भी महाराष्ट्र में इस वीर पुरुष शिवाजी की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ होती है। नेहरू जी लिखते हैं— “शिवाजी उभरती हुई हिन्दू जातीयता का प्रतीक था और पुराने साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करना था, वह साहसी था और उसमें नेतृत्व के बड़े गुण थे। उसने मराठों को एक सुदृढ़ और सम्मिलित सैनिक दल का रूप दिया, उन्हें एक राष्ट्रीय पृष्ठभूमि दी, और ऐसी शक्ति बना दिया, जिसने कि मुगल सुल्तनत को बिगाड़कर छोड़ा। वह सन् 1680 में मरा, लेकिन मराठों की शक्ति बन गई थी।”

स्वामी विवेकानन्द ने अपने ‘शिवचरित्र’ में लिखा है— “अखण्ड भारत का स्वप्न महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी ने देखा था।”

इस बीच सन् 1761 में अफगानिस्तान के शासक अहमदशाह दुर्रानी के आक्रमण ने मराठों के साम्राज्य स्थापित करने के स्वप्न को नष्ट कर दिया। इस पराजय के बाद क्रमशः उन्होंने अपने को संभाला। अन्दरूनी शक्ति के रूप में मराठे उभरकर आए। मराठों का साम्राज्य कई स्वतंत्र राज्यों में बँट गया। पूना के पेशवा के संरक्षण में इनका एक गृह अबश्य स्थापित रहा। बड़े राज्यों के सरदारों में ग्यालियर के सिन्धिया, इन्दौर के होलकर और बड़ोदा के गायकवाड थे।

ज्यों-ज्यों अठारहवीं सदी समाप्त होने आई, यह स्पष्ट हो गया कि लड़ाई केवल दो शक्तियों में अर्थात् मराठों और अंग्रेजों में और सभी राज्य और प्रदेश इन दोनों को मातहत या उनसे जुड़े हुए थे। यह दुर्भाग्य की बात थी कि मराठा सरदारों में, आपस में बैर चल रहा था और अंग्रेजों ने इनसे

अलग-अलग लड़कर इन्हें हराया। औरंगजेब के समय मराठों में जो संगठन एवं एकता की शक्ति थी, उसे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के द्वारा नष्ट किया। उनकी कूटनीति का मूलमंत्र—“फूट डालो और हकूमत करो” था। फिर भी मराठों ने कुछ मार्कों की लड़ाईयाँ जीती थी, विशेषकर 1804 में आगरे के पास इन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया। कई बार ऐसा होता था कि हारे हुए अंग्रेजों को इंग्लैण्ड से सेना, धन, हमियारों की मदद मिल जाती थी और वे उठ खड़े हो जाते थे। ऐसी मदद दूसरों को नसीब नहीं थी, क्योंकि समुद्र के मार्गों पर अंग्रेजों का अधिकार था।

प. नेहरू लिखते हैं—“फिर भी मराठों ने बहुत से योग्य व्यक्ति पैदा किये जो राजनीतिज्ञ भी थे और योद्धा भी, और इनमें नाना फड़नवीस, पेशवा बाजीराव (प्रथम), खालिसर के महादजी सिन्धिया और इन्दौर के मशवन्तराव होलकर की गिनती होनी चाहिए, और हमें उस अद्भुत नारी की भी न भूलना चाहिए अर्थात् इन्दौर की रानी अहिल्याबाई को। उनके सैनिक अच्छे थे, अपनी जगह पर डटे रहनेवाले और वीरता से मृत्यु का सामना करनेवाले।”

पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों की भारत से खदेड़कर मराठा साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय किया था। उसकी मृत्यु के बाद नाना फड़नवीस ने उस योजना को पूरा करने में अपने को समर्पित कर दिया। मराठों ने अंग्रेजों से कई टक्करें लीं और उन्हें कई बार हरा दिया। 1794 में खालिसर के महादजी सिन्धिया और 1800 में पेशवा मंत्री नाना फड़नवीस इन दोनों राजनीतिज्ञों की मृत्यु के बाद, मराठों की ताकत टुकड़े-टुकड़े हो गई। इतिहासकारों की मान्यता है “नाना फड़नवीस के साथ मराठा राज्य का सब सयानापन बिदा हो गया।” इतिहासकार अहिल्याबाई की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं—“अहिल्याबाई एक लोकप्रिया शासिका रही। वह सन् 1765 से 1795 तक यानी तीस वर्ष तक इन्दौर की शासिका थी। जिस समय वह गद्दी पर बैठी, वह तीस वर्ष की नौजवान विधवा थी, अपने राज्य के शासन में उसे भारी कामयाबी मिली। आज भी वह मध्य भारत में एक सन्त या साध्वी की तरह माने और पूजी जाती है।”

नाना फडनवीस

बाळाजी जनार्दन भानु उर्फ नाना फडनवीस का जन्म सतारा में हुआ था। ये चतुर राजनीतिज्ञ तथा देशभक्त थे। उनमें व्यावहारिक ज्ञान तथा वास्तविकता की गजब की चेतना थी। उनमें तीन गुण थे :- स्वाभिमान, स्वामिमान तथा स्वदेशाभिमान। उनके जीवन की यही कसौटी थी। उनके सामने मुख्य रूप से तीन समस्याएँ थी :- पेशवा पद को स्थिर रखना, मराठा संघ को बनाये रखना तथा अंग्रेजों से मराठा राज्य की रक्षा करना। कुशल राजनीतिज्ञ नाना फडनवीस पर मराठा-संघ की नीति संचालन का भार सन् 1774 से आया।

मराठा-संघ के घटक-सिधिया, होल्कर, गायक्वाड तथा भोसलें-इनमें परस्पर द्वेष और कटुता थी। फलतः अनेक षड्यंत्र, विप्लव, विश्वासघात आदि घृणित कार्य होते थे। अतः नाना फडनवीस को बड़ी दूरदर्शिता एवं कूटनीतिज्ञता के साथ संघ का संचालन करना पड़ा। राज्य के भीतर मुख्यवस्या लाने का भार भी उन पर आ पड़ा। सभी सरदार पेशवा को अपना नेता मानते थे। परन्तु पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) के बाद पेशवा का नियंत्रण अत्यन्त शिथिल हो गया था। पेशवा के उन्नाधिकार के सम्बन्ध में मतभेद और आपसी षड्यंत्र भी चल रहे थे।

राज्य की ऐसी विलक्षण परिस्थितियों में अपने स्वामिमान की रक्षा करते हुए नाना ने पेशवा की, तथा मराठा राज्य की रक्षा की तथा मराठा संघ को विच्छिन्न होने से बचाया। नाना ने अंग्रेजों के साथ कई बार युद्ध किया और उन्हें पराजित कर पूरा राज्य जीत लिया। नाना की सब से बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को रोका और संघ को विच्छिन्न होने से बचाया। परन्तु नाना की मृत्यु के बाद ही मराठा-संघ का अन्त हुआ। लार्ड वेल्जली का कथन नाना के सम्बन्ध में स्मरणीय है- "नाना फडनवीस केवल एक योग्य मंत्री ही नहीं था, किन्तु वह ईशानदार तथा उच्च आदर्श से उत्प्रेरित था। उसने अपना सारा जीवन राज्य के कल्याण के लिए तथा अपने अधिकारियों की कल्याण-कामना के लिए उत्सर्ग किया।

“भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना के बाद महाराष्ट्र में जो विद्रोह हुए, उनमें उल्लेखनीय है।

शमोसी विद्रोह

1822 में सतारा और आस-पास के क्षेत्रों (6) में ब्रिटिश शासन प्रणाली के विरुद्ध चित्तूरसिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, जो शमोसी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है।

कोल्हापुर विद्रोह . (1844)

सितम्बर 1844 में कोल्हापुर के गडकरियों, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त मंत्री राजी कृष्ण पण्डित के विरोध में विद्रोह कर दिया। 4 अक्टूबर 1844 को स्थानीय लड़ाकू पटुको और सिवड़ी भी विद्रोह में शामिल हो गये। राजी कृष्ण पण्डित और अंग्रेजों के मित्र अफसर बंदे बना लिये गये। अंग्रेजों द्वारा निकाले गये कुछ पुराने मंत्रियों को प्रशासन भार सभालने को वापस बुलाया गया। विद्रोही अंग्रेजों के अधीन निकट के इलाके में छापे मारने लगे। अंग्रेजों ने सैन्य बल का अत्यधिक प्रयोग किया और 1844 के अन्त तक विद्रोहियों से मुख्य किले छीन लिये।



आन्ध्र में राष्ट्रीय चेतना का उदय

सत्ता पाने के प्रतिद्वन्द्वी फ्रान्सीसियों और दूसरे शासकों की पराजित कर अंग्रेजों ने जिस राज्य को प्राप्त किया था, उसे स्थिर रखने के लिए उन्हें थोड़ा समय लगा। तेलुगु राज्य के छोटे मोटे राजा, जमींदार, बंटाईदार आदि अधिकारियों ने तुरन्त उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मुगल साम्राज्य-काल से ही इन लोगों को समय-समय पर अपने से ऊँचे अधिकारियों के विरुद्ध-विद्रोह करने की आदत थी। इनमें से अनेकों के अधिकार में कई दुर्गों के साथ-साथ सेना, हथियार, नौकर-चाकर आदि थे। वे लोग साधारण भूस्वामी थे। राज्य, ऐश्वर्य, भोग-विलासों की भोगने के साथ-साथ राजसी ठाठ-बाट से अपने मण्डलों में कानून की व्यवस्था और शान्ति की स्थापना करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न अराजकता की स्थिति के कारण 1748 के बाद इनकी शक्ति में और वृद्धि हो गई थी। कुछ लोग अंग्रेज साम्राज्य की आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में वे अपनी शक्ति को आजमाना चाहते थे। उन्होंने विद्रोह के मार्ग को अपनाया और उत्साह के साथ अपने विद्रोह को प्रदर्शित किया। अंग्रेजों की शासन-व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में फ्रान्सीसी और महाराष्ट्र के शासक प्रयत्नशील थे। विद्रोहियों को सफल होने की पूर्ण आशा थी। इसी-लिए 1768 के बाद उत्तर सरकारी क्षेत्र में और 1800 के बाद रायलसीमा के क्षेत्र में कुछ वर्षों तक अंग्रेजों के लिए अनेक उनक्षर्णों और परेशानियाँ उत्पन्न हुईं। उसी समय देश पर शासन करने की दक्षता अंग्रेजों में बहुत कम थी। वे मूलतः व्यापारी थे और व्यापार के द्वारा अधिक लाभ पाने के लिए ही हमारे देश में आये थे। वे सब कम्पनी के नौकर थे। इसलिए उन्होंने अपनी कुशलता और निपुणता व्यापार में ही दिखाई थी। वे सफल व्यापारी तो अवश्य थे, परन्तु शासन करने की प्रतिभा और क्षमता उनमें नहीं थी। अनेक कारणों से 1768 से 1838 तक सरकारी क्षेत्र में और 1800 से 1804 तक रायलसीमा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे। परन्तु अन्ततः इन सब को कुचल कर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया।

1768 तक गंजाम मण्डल में लगभग बीस जमींदार थे। उनके अधीन चौत्तीस दुर्ग थे। लगभग 35,000 सेना थी। उन सब में मात्र तीन चार जमींदारों को छोड़कर सभी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। उनमें मुख्य रूप से परलौकिकिडि, गुंसुरु, मोहिरि, प्रतापगिरि के जमींदारों ने अनेक बार विद्रोह किये। उनमें कुछ के पास पर्वत प्रदेश के मध्य मन्नेम प्रान्त में दुर्ग थे। इसलिए बहुत समय तक उन प्रान्तों में जाने के लिए अंग्रेजों की सेना भयभीत थी। शेष प्रदेशों में अंग्रेजों सेना से पराजित होकर जमींदार मन्नेम के दुर्गों में पहुँचकर षड्यंत्र करने लगे। 1800 तक मद्रास के शासक मंसूर के मुल्तानों से युद्ध करते रहे। इस कारण सरकारी क्षेत्र के विद्रोह कुचलने के लिए आवश्यक सेना वहाँ नहीं भेज सके।

गंजाम मण्डल में जितने विद्रोह हुए थे, उतने विशालपट्टणम में नहीं हुए। पर कुछ वर्षों के बाद वह प्रदेश भी उन सफटों से बच नहीं सका। ये संकट बहुत करके विजयनगर के राजाओं के प्राबल्य के कारण पैदा हुए थे। 1759-68 के मध्य उत्पन्न अराजकता को स्थिति में इन्होंने विशालपट्टणम के अनेक जमींदारों और गंजाम के कुछ जमींदारों को हराकर उनकी जमीनों को स्वतंत्र कर दिया। वे निरकुशता के साथ उन सभी प्रान्तों पर शासन करने लगे। पराजित जमींदारों को बन्दी बनाकर विशालपट्टणम के कारागृह में रखा गया। विजयनगर के राजाओं के आधिपत्य को ठुकरा कर शासन करना अंग्रेजों के लिए असम्भव हो गया था। इसलिए अंग्रेज उनसे सन्धि करना चाहते थे। परन्तु विजयनगर के राजा के भाई और राज्य के दीवान सोठारामराजु ने राजा को सन्धि करने से रोक दिया। बाद में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर सारे बलवों को कुचल दिया। 19 वीं शताब्दी के आरम्भ होने तक तेलुगु देश के अधिकांश प्रदेश अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन में आ गए थे।

राजा विजयनगरम् द्वारा विद्रोह

सन् 1794 में विजयनगरम् के राजा ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र लड़ाई शुरू की थी। इस संघर्ष में विजयनगरम् के राजा मारे गए थे।



कर्नाटक में राष्ट्रीयता का उदय

उन दिनों दक्षिण में अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हैदरअली और उसका बेटा टीपू सुल्तान थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार बुरी तरह हराया और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शक्ति को प्रायः समाप्त कर दिया। लेकिन ये लोग दक्खिन तक ही सीमित रहें और सारे हिन्दुस्तान में जो कुछ होता था, उस पर उनका कोई सीधा असर न होता। इन्होंने जबर्दस्त समुद्री-बेड़ा तैयार किया था।



हैदरअली

हैदरअली मैसूर का एक योग्य एवं बहादुर शासक था। वह हिन्दुस्तान के इतिहास का एक अद्भुत प्रधान पुरुष था। उसका एक तरह का राष्ट्रीय आदर्श था और उसमें एक कल्पनाशील नेता के गुण थे। उसमें परिश्रम करने की अद्भुत शक्ति थी। विजयनगर साम्राज्य के अलग-अलग राज्यों को जोड़कर हैदरअली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। वह बड़ा आत्मसयमी था और दूरदर्शी भी। सर्वप्रथम उसने यह अनुभव किया था, समुद्र-शक्ति का क्या महत्व है और अंग्रेजों को निकाल-बाहर करने में समुद्र-शक्ति कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उसने अपना समुद्र बेड़ा तैयार करना

शुरू कर दिया और माल द्वीप टापू पर अधिकार कर लिया और उसे जहाज बनाने और समुद्री कार्यवाहियों का जबर्दस्त अड्डा बनाया। दूसरी ओर हैदरअली का यह प्रयास रहा कि सगठित सैनिक-शक्ति तैयार की जाए। उसने मिल-जुलकर अंग्रेजों का देश से निकाल बाहर करने के उद्देश्य से मराठों, निजाम और अवध आदि के शासकों के पास संदेश भेजे। एक जबर्दस्त सगठन तैयार करने का पूरा प्रयास किया, किन्तु वह सफल न हो सका। वह निराशा नहीं हुआ, बड़ा बहादुर था। कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर हैदरअली मद्रास

की ओर गया, उधर टीपू और कर्नल वेल्सी पुम्भवाक में युद्ध हुआ। अंग्रेजों की पराजय हुई। यह पराजय अंग्रेजों के लिए अशुभ साबित हुई। विजयी हैदर आगे बढ़ता गया और उसने अन्नाट के किले और नगर पर भी कब्जा कर लिया। पर 6 दिसम्बर 1782 की रात अन्नाट के किले में हैदरअली की मृत्यु हो गई। हैदरअली के मरने के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने जहाजी बेड़े की सुदृढ़ करने के काम को आगे बढ़ाया और इस निम्नलिखित में नेपोलियन इत्यादि शासकों से सहयोग प्राप्त करने की उमते कोशिश की। टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह ही बहादुर था। विद्वान, पराक्रम और रण-कौशल उसे अपने पिता हैदरअली से विरासत में मिले थे। उसकी माँ उसकी बहादुरी की प्रेरणा-स्रोत थी। वह एक बहादुर महिला थी।

शेरे-मैसूर टीपू सुल्तान



शेरे-मैसूर टीपू सुल्तान

अंग्रेजों से मैसूर की हमारी लड़ाई में सन् 1783 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की बागडोर संभाली थी। विरासत में मिली लड़ाई को टीपू ने 1784 में अपनी जीत के साथ ही खत्म किया। पाँच साल बाद टीपू सुल्तान से अंग्रेज फिर टकराये। इस बार अंग्रेजों ने मराठा व हैदराबाद के निजाम की मदद से टीपू को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। टीपू की मजबूरन आधे राज्य और ज़रमाने की बड़ी राशि के साथ अपने दीनों को अंग्रेजों के पास बन्धक रखना पड़ा।

एक महान् देश-भक्त व स्वतंत्रता-प्रेमी अपनी इस हार से निरमिला गया। टीपू ने अफगानिस्तान, फ्रांस से भी मदद माँगी, पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। इधर लार्ड वेलेस्ली ने गवर्नर बनने के बाद सब में पहला फैसला टीपू सुल्तान की कुचल देने का ही किया। उन्होंने टीपू से अधीनता-संधि

स्वीकार करने को कहा, फिर टीपू ने इनकार की वजह बताकर मैसूर पर चढ़ाई कर दी। 17 अप्रैल 1799 में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टणम् को अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। 4 मई को किले पर हमला हुआ, जिसके फाटक के बाहर टीपू लड़ते-कड़ते शहीद हो गये। उनके बेटों ने तुरन्त आत्मसमर्पण कर दिया, मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस तरह एक सच्चा देशभक्त अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का सपना अपने मन में ही लिये चला गया। टीपू ही एक मात्र भारतीय शासक था, जिसने किसी भी भारतीय राजा, हिन्दू वा मुसलमान के खिलाफ अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। अगर छोटे-मैसूर का सपना पूरा नहीं हो सका, तो उसके कारण उनके बस के बाहर थे।


टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टणम थी, जो आज खण्डहर के रूप में है। टीपू को अपने पिता हैदरअली की गलतियों का फल भुगतना पड़ा—सेना के बड़े मवों पर फ्रांसीसियों की नियुक्ति का नतीजा टीपू को उठाना पड़ा।

टीपू सुल्तान के सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार उसे साम्प्रदायिक सिद्ध करते हैं, कि वह साम्प्रदायिक था, किन्तु महात्मा-गांधी ने अपने अंग्रेजी अखबार 'यंग इण्डिया' में 23 जनवरी 1930 को टीपू सुल्तान के बारे में लिखा— "टीपू सुल्तान अंग्रेज इतिहासकारों की निगाह में तो साम्प्रदायिक मुसलमान था, जिसने हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। लेकिन यह सब झूठ है। असलियत या सच्चाई तो यह है कि उसके सम्बन्ध हिन्दुओं से बहुत ही दोस्ताना थे।" दूसरे विद्वान श्री के. आर. मलकानी का अभिमत है— "टीपू सुल्तान श्रीरंगा की मूर्ति के सामने हर सुबह सिर नवाता था। उसने सी मन्दिरों की देखभाल की। मराठा सेना द्वारा बरबाद किये गए शृंगेरी के क्षारदापीठ की उसने पुनः प्रतिष्ठा करवाई। ऐसे व्यक्ति को हिन्दू विरोधी कहना तथ्यों से मजाक करना ही माना जाएगा।"

यारांज यह है कि टीपू सुल्तान को अपने समय के हिन्दू और मुसलमान शासकों से लड़ना पड़ा, परन्तु उनका सब से बड़ा दुश्मन अंग्रेज था। वह सारा जीवन अंग्रेजों से जूझता रहा। उसने किसी भी हिन्दू या मुसलमान शत्रु-शालक को हटाने के लिए अंग्रेजों की मदद नहीं ली, जबकि उसके विरुद्ध

मराठों और निजाम हैदराबाद ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया। जिस अंग्रेजी फौज के साथ उसकी आखिरी लड़ाई हुई थी और जिसमें वह वीरगति को प्राप्त हुआ था, उसमें मराठा (हिन्दू) और निजाम (मुसलमान) सेनाएँ अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी।

कित्तूर की रानी चेलम्ममा और रायन्ना :



चेलम्ममा कित्तूर की रानी

जब अंग्रेजों ने कर्नाटक में कित्तूर की छोटी-सी रियासत हड़पने की कोशिश की तो वहाँ की लोकप्रिय रानी चेलम्ममा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिये और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। किन्तु दिसम्बर 1824 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 21 फरवरी 1829 को जेल में ही उसकी मृत्यु हो गयी।

मगर रानी की मृत्यु के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। कित्तूर की सांगली का एक गरीब चौकीदार रायन्ना भी 1824 में रानी के साथ गिरफ्तार हुआ था, वह जल्दी ही छूट गया और रानी का अधूरा संघर्ष उसने जारी रखा। वह बड़ा स्वामिभक्त, बहादुर, जीवट और साहसी था। अपनी रानी चेलम्ममा के संघर्ष के साथ रायन्ना प्रतिबद्ध था। उसने गुरिल्ला-लड़ाई छेड़



रायप्ता

दी। उसने अंग्रेजों के खेमे, उनके दस्तावेज यहाँ तक कि उनके किले में भी छापे मारकर नष्ट कर डाले। उसे जनता का भरपूर-नह्योग प्राप्त था। जनवरी 1830 में उसने सवगाओ नगर पर छापा मारकर सारे सरकारी दस्तावेज नष्ट कर दिये। धारवाड से बम्बई तक की सारी डाक-प्रणाली उसने तहस-नहस कर डाली। अप्रैल 1830 में रायप्ता को पकड़ कर फाँसी पर लटका दिया गया।

केरल में राष्ट्रीयता का उदय

वेलुथाम्पी की शहादत :

स्वाधीनता संग्राम में जहाँ उत्तर भारत की सक्रिय भूमिका रही, वही दक्षिण भारत की भूमिका भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। विशेषकर केरल-राज्य में 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में स्वाधीनता संग्राम हुआ था। इस संग्राम में स्वदेश के लिए धीरगति प्राप्त करनेवाले वेलुथाम्पी भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, परन्तु स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में इस अमर सेनानी का नाम उपेक्षित रहा है।



वेल्लुथाम्पी

केरल में एक बड़ी रियासत थी त्रावण-कोर। सन् 1798 में महाराजा वलराम वर्मा सोल्ह वर्ष की अवस्था में सिंहासनारूढ़ हुए। महाराज की उम्र कम होने के कारण रियासत की वास्तविक बागडोर—ब्रिटिश रेजिडेंट मेकाले के हाथ में थी। इस रियासत का दीवान जयंजन शंकरन् बड़ा ही धूर्त और भ्रष्ट था। अंग्रेज रेजिडेंट में उसकी मिली भगत थी। दोनों के अत्याचारों में जनता बुरी तरह त्रस्त थी। ऐसे समय में एक नेता उभरा—वेल्लुथाम्पी।

दिन-ब-दिन दीवान जयंजन के अत्याचार जनता पर बढ़ते गए और जनता का शोषण बढ़ता गया। उत्पीड़ित जनता ने वेल्लुथाम्पी के नेतृत्व में बगावत का झण्डा उठाया। वेल्लुथाम्पी ने जनता को संगठित कर संघर्ष किया। उस संघर्ष में दीवान जयंजन को अपदस्थ होना पड़ा। महाराज वलराम वर्मा ने जयंजन को हटाकर जनता के नेता वेल्लुथाम्पी को अपना नया दीवान बनाया। वेल्लुथाम्पी ने दीवान के रूप में जनता के दुखों को दूर किया और रियासत की चोरबाजारी, भ्रष्टाचार और अनियंत्रित कारोबार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जयंजन, भ्रष्ट व्यापारी ताराकन सहित सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिये गए। ताराकन का सारा खजाना जब्त कर लिया गया। ताराकन भाग-बूगला होकर रेजिडेंट मेकाले के पास पहुँचा। मेकाले ने ताराकन की जब्त कर ली गयी सारी सम्पत्ति को तत्काल लौटाने का हुक्म जारी किया, जिसे वेल्लुथाम्पी ने ठुकरा दिया। इससे क्रुद्ध होकर मेकाले ने थाम्पी को पद-च्युत करने का महाराजा को आदेश दिया।

वेल्लुथाम्पी ने फैसला कर लिया था कि गोरे रेजिडेंट मेकाले को मन-मानी नहीं चलने देगा। उसने राजा को सलाह दी कि राजस्व की रकम मेकाले को न दी जाए। राजा ने इस सलाह को मान लिया।

राजस्व न देने का एक ही मतलब था—कम्पनी सरकार को युद्ध के लिए आमंत्रण देना था। वेलुथाम्पी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी।

त्रावणकोर के पडोसी राज्य कोचीन में भी अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण बन गया था। कोचीन के राजा ने भी थाम्पी का साथ देने का फैसला किया। दोनों रियासतों ने मिलकर युद्ध करना निश्चय किया।

18 दिसम्बर, 1808 को वेलुथाम्पी की सेना ने रेजिडेंट मेकाले पर ज्वानक घावा बोल दिया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अन्त में, रेजिडेंट का पतन हुआ। वहाँ यूनियन जैक उतार कर त्रावणकोर—कोचीन का झण्डा फहरा दिया गया। रेजिडेंट मेकाले को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। परन्तु यह लाजादी बहुत समय तक बनी न रह सकी। मेकाले आधुनिक शास्त्री से सज्जित गोरो की बड़ी फौज लेकर वापस आया। थाम्पी ने जनता का उत्साह बढ़ाया। गाँव—गाँव धूमकर जनता को सुसंगठित किया। जनता एक जुट होकर व कमर कसकर थाम्पी के पीछे खड़ी हो गई। घमासान युद्ध हुआ, परन्तु इस बार थाम्पी की सेना अंग्रेजों के सामने टिक न सकी। अब राजा की जान बचाने का प्रश्न था।

वेलु थाम्पी ने राजा को किसी तरह यह पत्र लिखने के लिए राजी कर लिया—“इस बग़ावत से मेरा या मेरी प्रजा का कोई सम्बन्ध नहीं है।” थाम्पी की सलाह पर रियासत को सर्वनाश से बचाने के लिए राजा सन्धि के लिए तैयार हो गया। युद्ध समाप्त हो गया।

परन्तु मेकाले को इससे सन्तोष नहीं हुआ। उसके मन में बदले की आग भड़क रही थी। वेलुथाम्पी को वह गिरफ्तार करना चाहता था। परन्तु थाम्पी और उसका भाई पप्पनाभन् फरार हो गए थे। वे जंगलों में दर—दर भटक रहे थे। वे एक दिन मंदिर में छिपे हुए थे। एक भेदिये ने यह बात मेकाले की बता दी। मेकाले ने गोरी सेना से मंदिर को घेर लिया। वेलुथाम्पी को जब यह विश्वास हो गया कि गोरी सेना के हाथ पड़ने से वह बच नहीं

सकता, तो उसने पद्मनाभन से कहा कि वह अपने खजर को उसकी छाती में भोक दे। पद्मनाभन् को हिचकिचाते देखकर वेलुयाम्पो ने स्वयं खजर अपनी छाती में भोक ली। वह वहीं म- गया। मेराले के हाथ लगा वेलुयाम्पो का खून से लथपथ निष्प्राण शरीर। इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम की बेदी पर सर्वप्रथम वेलुयाम्पो ने अपना बलिदान दिया।

मद्रास में राष्ट्रीयता का उदय

उन्ही दिनों में मद्रास में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। स्वाधीनता संग्राम में वीर पाण्ड्य कट्टोबोम्भन का विशिष्ट स्थान है। अट्टारहवीं शती के अन्तिम दिनों में बेनरमैन मद्रास प्रान्त का अंग्रेज गवर्नर था। मद्रास प्रान्त के अन्तर्गत पांचालकुरिच्चो नामक राज्य था। इस राज्य का राजा वीर पाण्ड्य कट्टोबोम्भन था। वह बड़ा ही वीर, देशप्रेमी और स्वतन्त्रता सेनानी था। उसने मरते समय तक अंग्रेजों आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। इस कारण उसने अंग्रेज सरकार को लगान देने से इकार किया और अंग्रेज सेना का सामना भी किया। उसने कई अंग्रेज सैनिकों को युद्ध में मार डाला। अन्त में वह छल से गिरफ्तार कर लिया गया।

14 अक्टूबर 1799 को कट्टोबोम्भन को गवर्नर बेनरमैन के सामने प्रस्तुत किया गया। गवर्नर ने उससे अपने अपराध स्वीकार करने का आग्रह

किया। उसे क्षमा कर देने की लालच दी, परन्तु वीर कट्टवोम्मन ने गवर्नर के सामने अपनी असाधारण बौरता, साहस और निर्भयता का परिचय दिया और सिंह-गर्जना की कि वह अंग्रेज-लुटेरो के सामने सिर झुकाने वाला नहीं है। उसने अपने आपको निर्दोष सिद्ध किया। उसने अंग्रेज अधिकारी के सामने सिर झुकाने की अपेक्षा मृत्यु को वरण करना अधिक उचित समझा। उसने भविष्यवाणी की कि भारत में एक नहीं, असह्य कट्टवोम्मन पैदा होंगे जो एक दिन अंग्रेज-लुटेरो को भारत से भगा देंगे।

गवर्नर ने क्रुद्ध होकर कट्टवोम्मन को फाँसी का दण्ड दिया। उसके दूसरे ही दिन 15 अक्टूबर 1799 को उसे फाँसी दी गई। अन्तिम समय भी वीर पाण्ड्य की यही इच्छा थी कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए उसका बार-बार जन्म हो।

पंजाब में राष्ट्रीयता का उदय

शेरसिंह की वीरता :

अठ्ठागहवी सदी की शुरुवात में जब कि सारी दुनिया में लडाइयाँ, अशान्ति, निर्दयता और पाशाविकता छापी हुई थी, पंजाब में महाराजा रण-जोत सिंह ने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था और उसने अपनी सूक्ष्म से एक बलशाली सेना खड़ी कर ली थी। वह एक अद्भुत मनुष्य, हृदय का बहादुर और मानवतावादी था। लडाइयो के द्वारा खून खराब

करना उसे पसन्द नहीं था। उसके मन्वन्ध में एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है— "एक अकेले आदमी ने इनका बड़ा राज्य, इनके कम पापों के साथ, कभी न स्थापित किया था।" महाराजा रणजीतसिंह मन् 1827 के करीब तमाम पंजाब और कश्मीर का मालिक बन गया था। मन् 1839 में उसकी मृत्यु ही गई और उसकी मृत्यु के पौरुष बाद सिख गियामतें कमजोर हो गईं और धीरे-धीरे टूटने लगी थी। "मुसीबत में आदमी ऊँचा उठता है और सफलता मिल जाने के बाद गिर जाता है"— इस पुरानी कहावत को सिख जाति चरितार्थ करती है। जैसे ही सिखों को राजनैतिक सफलता मिल गई, वैसे ही उनकी सफलता की अमली वृत्तिवाद कमजोर पड़ गई थी।

महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका दूसरा बेटा शेर सिंह सेहताब कौर का सुपुत्र था, वह बड़ा बहादुर, बुद्धिमान और हर तरह से योग्य था। उसने सीमा की लड़ाई में भाग लिया था और कुछ वर्ष तक रावगढ़ी पर भी बैठा था। उसके समय अंग्रेजों के साथ उसकी छुटपुट अनबन होती रही और अंग्रेजों सरकार के साथ उसके संबंध दिन-ब-दिन बिगड़ते गए। परिणाम स्वरूप 7 अक्टूबर 1848 को लार्ड डलहौजी ने कंपनी सरकार को पत्र लिखकर कि पूरा पंजाब विद्रोह की दिशा में बढ़ रहा है, सारा पंजाब का विजय करना ही होगा और 19 नवम्बर 1848 को सेनापति गफ ने रावी नदी को पार किया। 22 नवम्बर 1848 को चिनाब नदी के पार रामनगर में शेर सिंह पर आक्रमण किया गया। परन्तु सिख जाति एक वीर जाति, देश प्रेमी और देश की परम्परा के प्रति उसकी स्वाभिमान इतिहास प्रसिद्ध है। सिखों ने खदान खोदकर चिलियानवाला में अपनी सेना इकट्ठा कर रखी थी। 13 जनवरी 1849 को गोरी सेना ने युद्ध किया, पर उसे यहाँ मंजू की खानी पड़ी थी।

इस पराजय के बाद सेनापति गफ ने फिर अपनी विशाल सेना लाकर मुल्तान के किले को घेर लिया और तोपें दागनी शुरू की। शेरसिंह और उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ जमर युद्ध किया। इस युद्ध में दोनों तरफ से सेना ने तोपों की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इसे "Battle of guns" कहते हैं। घमासान युद्ध के बाद 13 मार्च 1849 को शेरसिंह और उसके अन्य सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह अजीब विडम्बना है कि सिखों की

वीर जाति जो रण क्षेत्र में मरना ही जानती थी, अपनी आनवान पर डटकर शान से "युद्ध में तो बस मृत्यु ही विजय है" को अपना धर्म मानती थी, वही जाति छलपूर्वक पराजित हो गई थी। आपसी फूट, भारत के राष्ट्रीय जीवन का सब से बड़ा अभिशाप रहा है। इतिहास हम बात का साक्षी है। शेरसिंह भी आपसी फूट का शिकार हो गया।

वीर शेरसिंह जो प्राण रहते, वीर भोग्य वसुन्धरा की अपने रक्त की अन्तिम बूंद देकर भी, रक्षा करना ही जानता है—वह अपने मन की छटपटा-हट असौम्य वेदना को प्रकट करता है— कविवर जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियाँ इस संदर्भ में दृष्टव्य हैं :

वीरभूमि पंचनद की वीरता से रिकत नहीं ।
भारत के वीर तो ऐसे लड़े थे कि :-

“यवनो के हाथों से स्वतन्त्रता को छीनकर
खेलता था यौवन विलासी मत्त-पंचनद
प्रणय विहीन एक वासना की छाया से
फिर भी लड़े थे हम निज प्राण पण से ॥”¹

शस्त्र-समर्पण करते समय शेरसिंह की आत्मा शत-शत खण्डों में बँट जाती है। वीर व्यक्ति का सब से बड़ा गौरव है बलिदान। जिसे बलिदान का सौभाग्य नहीं मिल सकता, तो वह अपनी नियति पर अट्टाहास क्यों न करें ?

“भिक्षा नहीं माँगता हूँ
आज इन प्राणों की ॥”²

(प्रसाद · “शेरसिंह का आत्मसमर्पण”

बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय

बुद्धो भगत :- (1827)

बिहार में सिहभूम के "हो" लोगों ने 1827 में भी विद्रोह किया था, पर तब उन्हें दबा दिया गया था। किन्तु जब 1831 में छोटा-नागपुर के मुडाओ ने विद्रोह किया तो "हो" भी उनके साथ शामिल हो गये। इस इलाके के लगभग एक हजार गैर आदिवासी बाशिंदों को विद्रोहियों ने मार डाला। मार्च 1932 में ही सेना की सहायता से यह विद्रोह शान्त हो पाया। "हो" नेना बुद्धो भगत ने आत्म-समर्पण से इन्कार कर दिया और अपने परिवार के साथ लड़ते हुए ही प्राण न्योछावर कर दिये। यह क्षेत्र 1837 तक अशान्त रहा।

कोल-विद्रोह : (1831)

रांची, सिहभूम, हजारीबाग, पालमू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में कोल लोगो द्वारा 1831 में विद्रोह हुआ था। सिहभूम में कोल-विद्रोह काबू में लाया ही था कि निकटस्थ मानभूम के भूमिजो ने 1832 में गंगानारायण के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया। गंगानारायण दीवान, माधवसिंह की (जिन की हत्या हुई थी) वारभूम रियासत पाना चाहता था। औद्योगिक केन्द्र बड़ा बाजार लूटने के बाद विद्रोहियों ने मुन्सिफ की कचहरी, पुलिस थाना और नमक-दारोगा की कचहरी जैसे सरकारी दफ्तरो को आग लगा दी। उन्होंने फौज पर भी आक्रमण किया। जून 1932 में फौजो को बाकुरा खदेड़ने में सफल हो गये।

खोंद विद्रोह : (1846)

बिहार और उड़ीसा की सीमा पर बसे खोंद आदिवासी शिशू-हत्या और मानव-बलि के अपने रिवाजों को रोकने की अंग्रेजों की कोशिश से भय-

भीत थे। 1840 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और कैप्टन मैफरसन को पकड़ने में सफल हो गये और उसे 170 मरिहटा (मानव-बलि के लिए आदिवासियों द्वारा चुने गये लोग) छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसी वर्ष अप्रैल तक यह विद्रोह दबा दिया गया।

किन्तु चकरा विसाई के नेतृत्व में खोद फिर एक जुट हुए और उन्होंने अगले तीन वर्ष तक अंग्रेजों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। अंग्रेजों को तब यही उचित लगा कि निर्वासित खोद सरदार को वापस 1848 में अपनी जगह बुला ले। 1855 में चकरा विसाई ने फिर विद्रोह छेड़ा- इस बार मानव-बलि के अधिकार के लिए नहीं (यह प्रथा वे छोड़ चुके थे), बल्कि पारम्परिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अन्ततः यह विद्रोह भी कुचल दिया गया।

सन्थाल परगना-विद्रोह : (1855-65)

बिहार और पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले सन्थाल 1855-65 में विद्रोह में उठ खड़े हुए। विद्रोह का कारण था गैर-आदिवासी लोगों द्वारा उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण, खासकर "साहिब लोग" द्वारा उनकी स्त्रियों की बेइज्जती। शुरू में यह आन्दोलन ब्रिटिश-विरोधी नहीं था, बल्कि गैर-आदिवासी भारतीयों, बंगाल और उत्तर भारत के उन "सभ्य लोगों" के विरुद्ध था जो भारी संख्या में सन्थाल क्षेत्र में आये और सन्थालों के बे-रोकटोक आर्थिक और धार्मिक शोषण में लग गये। आन्दोलन, अंग्रेज विरोधी तब बना जब सन्थालों ने देखा कि शासन उनकी मदद करने के बजाय उनके शोषकों की सहायता करने में अधिक रुचि ले रहा था। सिन्धु और कनु नाम के दो भाइयों के नेतृत्व में 10,000 सन्थाल, जून 1865 को मिले और खुद की सरकार की स्थापना का अपना निश्चय व्यक्त किया। एक ही महीने में आन्दोलनकारियों की संख्या बहुत बढ़ गयी और आन्दोलन फैल गया। भागलपुर और राजमहल के बीच विद्रोहियों ने डाक-सेवा समाप्त कर दी। सन्थालों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की (जो अभी भी वहाँ अंग्रेज सरकार के स्थान पर शासन कर रही थी) समाप्ति की घोषणा कर दी और

अपनी मुवह की गुरुआत की। मुदयन कुल्हाडियों और जहरीले तोरों से लैस सन्धालों ने बड़ी सख्या में हर बाहरी यूरोपियन बगले पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज प्लाटरो रेलवे कर्मचारियों, भारतीय पुल्किन अरुमरो, व्यापारियों, किसानों और उनके बोवी-बच्चों को कत्ल कर दिया।

आसाम में राष्ट्रीयता का उदय

खासी-विद्रोह : (1828)

तीरोतसिह जिस राज्य के शासक थे, वह उन दिनों कोहिमा फट्सफड़ा के नाम से जाना जाता था, अब वह नोगखलाओ का राज्य कहलाता है जो आसाम राज्य में स्थित है। खासी पहाड़ों का कायम रूप और दूमरी ओर सिलहट अंग्रेजों के हाथ में थे, वे चाहते थे कि आसाम और सिलहट के बीच रास्ता निकाला जाये जिससे वे बर्मा फौज भेजने के काम लाये। ब्रिटिश प्रतिनिधि डेविड स्कॉट ने तीरोतसिह को अपने को नोगखलाओं में रहने देने को राजी कर लिया। इस तरह काफी बड़ी सेना और लवाजमा सड़क बनाने के बहाने भीतर घुस आया। खासी इससे आतंकग्रस्त हो गये। जब अफवाह फैली कि अंग्रेज टैक्स लगाना चाहते हैं तो उनका संदेह और बढ़ा। 1829 में तीरोतसिह ने नोगखलाओ पर हमला कर दिया। दूसरे सरदार भी उनमें मिल गये और लम्बा छापामार युद्ध छिड़ गया।

गारो, खामरी और सिगपो लोगों की सहायता से खासी लोगों ने उत्तरी पूर्वी सीमा पर चढ़ाई की। अपने वीर राजा के अधीन आदिवासी इतनी बहादुरी से लड़े कि शत्रुओं तक को उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। अंग्रेजों ने तीरोतसिह को अपनी ओर मिलाना चाहा, किन्तु अपने इलाके की बिना शर्त

वापसी के बगैर उन्होने ब्रिटिश सरकार से बातचीत करना स्वीकार नहीं किया। पर अन्ततः उन्हें आत्म-समर्पण करना पडा और वे ढाका भेज दिये गए।

अमर खासी स्वतंत्रता सेनानी नोंगखलाओ-राज्य के शासक तिरोतसिंह ने सन् 1930 मे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध ऐसे समय लड़े थे, जब भारत स्वतंत्रता-संग्राम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। तिरोतसिंह ने अपने राज्य की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं परम्पराओं की रक्षा हेतु अंग्रेजों से संघर्ष किया था। यह नोंगखला-युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध चार वर्षों तक चला था। राज्य का प्रत्येक गाँव युद्ध-क्षेत्र बन गया था। इस युद्ध मे दो सैनिक अधिकारी-कैप्टन बोलियन तथा कैप्टन बेडिंग फोल्ड और साठ अंग्रेज सैनिक और अनेक भारतीय सैनिक मारे गए। अन्त मे तिरोतसिंह अपने ही साधियों के विश्वासघात से मारे गए। 'शान्ति-वालों' के लिए उन्हें बुलाया गया और घोखे से गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि अन्य राजाओं के साथ हुआ था। परन्तु 'तिरोतसिंह' का नाम भावी पीढ़ियों को एक ऐसे बहादुर व्यक्तित्व के रूप मे सदा स्मरणीय रहेगा, जो सिद्धान्तों पर अडिग रहा और जिसने उन्हीं सिद्धान्तों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।

1830 मे ब्रह्मपुत्र घाटी के सिलहट व आसपास के खासी, जयन्ती और गारो लोगों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। सन् 1828 मे असम के 'अहोम' लोगों द्वारा भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी, जो 'अहोम-विद्रोह' के नाम से प्रसिद्ध है।

उड़ीसा में राष्ट्रीयता का उदय

उड़ीसा के जंगम जिले में विद्रोह के कारण मॉर्गल लॉ लागू करना पडा था। जहाँ गुरदर का जमींदार धनजय भाँजा 1835 में विद्रोही हो गया था। जिले के अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था— "सरकार (अंग्रेज) की सत्ता इस जिले में वही तक स्वीकारो जाती है, जहाँ तक सेना तैनात है। वरना पडोसी जमींदार, पहाड़ी मुखिया तैनात है, सरदार और कहीं तो हमारे नरकारो अफसर भी गुममूर परिवार के पतन और सरकार की सत्ता की स्थापना के विरुद्ध हैं। विद्रोह को दबाने के लिए दो कर्नल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, तीन मेजर और 11 कप्तान एक वर्ष से अधिक समय यानो जनवरी 1836 से फरवरी 1937 तक सैनिक कार्रवाई करते रहे। उसी वक्त पालोकिमेड़ी के जमींदार ने भी विद्रोह कर दिया। पर 1835 में उसका दमन कर दिया गया। कर्नल के नरमिहम्मा-रेड्डी ने 1846 में अपनी पिछली पेशान देने से सरकार के इन्कार कर देने पर विद्रोह किया, मगर 1847 में वह पकडा गया और फासी पर चडा दिया गया।

गुजरात में राष्ट्रीय चेतना का उदय

कच्छ-विद्रोह :-

कच्छ के राजा राव भारमल को फुसला कर अंग्रेजो ने 1816 में उनसे एक सन्धि पर हस्ताक्षर करवा लिये थे, किन्तु उन्हें अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार नहीं हुआ। पर उनकी अंग्रेज-विरोधी कार्रवाइयाँ, अंग्रेजों ने विफल कर दी। 1819 में उन्होंने उसे गद्दी से उतार कर उसके नन्हें बेटे को शासक नियुक्त करा दिया। प्रशासन का काम अंग्रेजो को देखरेख में झरेजा सरदारो के सुपुर्द हुआ। 1825 में करीब 2000 भिक्षियो और सिन्धियो के साथ झरेजा सरदारो

ने कच्छ के अंग्रेज रेजिडेंट से राव भारमल को गद्दी पर वापस बैठाने का आग्रह किया, पर अंग्रेजों ने उन पर कावू पा लिया। 1831 में कच्छ में फिर अशांति हुई जिसके कारण अंग्रेजों ने 1832 में जनता के उन पारम्परिक अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया जो अंग्रेज नवीनीकरण के कारण नष्ट हो रहे थे। सन् 1831 में कच्छ और काठियावाड़ में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष हुआ था।

कोली-विद्रोह :

गुजरात का कोली-विद्रोह प्रसिद्ध है। गुजरात का कोली-विद्रोह 19 वीं सदी में 1820 से लेकर 1850 तक तीन दशक चला। भीलों के पड़ोसी कोली लोगों ने 1829, 1839 और 1844-48 में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ विद्रोह किया था। 1825 में कोलियों को कुचल दिया गया। 1828 में वे पुनः विद्रोह कर उठे, पर फिर उसे दबा दिया गया। 1829 में उन्होंने फिर तीन ब्राह्मणों के नेतृत्व में पेशवा को पुनर्स्थापना की माँग करते हुए विद्रोह किया, उन्होंने पेशवा के नाम पर प्रशासन भी चलाया। 1849 में कोली पहाड़ी प्रदेश के अपने मुख्य केन्द्र से पुणे के उत्तर-पश्चिमी भाग की ओर बढ़े। उन्होंने नासिक और अहमदनगर जिले पर आक्रमण किया और 1845 में सतारा जा पहुँचे। 1846 में अंग्रेज सेना ने इस विद्रोह को कुचल बाला किन्तु 1850 में इसके नेताओं की बिरफ्तारी पर ही यह आन्दोलन पूरी तरह समाप्त हुआ।

सूरत में सन् 1844 में तजक पर 'कर' बढ़ाने के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक रूप से जन-आन्दोलन हुआ था।

बंगाल में राष्ट्रीयता का उदय

बैराकपुर-विद्रोह :

भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह 1764 में हुआ था। जब पटना में मीरकासिम के विरुद्ध लड़ते हुए मनरो की सेना की एक पूरी बटालियन नवाब की सेना में मिल गयी थी। इन सैनिकों पर, गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाया गया और 24 सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया।

अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आरम्भिक घटनाओं में से एक थी। 1824 में अंग्रेज फौज में बंगाल के बैराकपुर स्थित 47 वीं नेटिव इन्फैंट्री के भारतीय सैनिकों का खुला विरोध था इन सैनिकों ने अपने शस्त्र डालने से माफ इन्कार कर दिया था। अंग्रेज सिपाहियों ने उन पर निर्दयतापूर्वक गोलीयाँ दागी। अनेक सिपाही तो वहीं मर गये, बाकी का कोर्टमार्शल हुआ और अनेक को मौत की सजा सुनायी गयी। भारतीय अफसरों ने विद्रोह में भाग भी नहीं लिया था, पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सेना से इस रेजिमेन्ट का नामो-निशान ही मिटा दिया गया। इस घटना का कितना गहरा असर पड़ा था, यह इसी बात से जाहिर है कि इसके 32 वर्ष बाद भी अन्य रेजिमेन्टों के 2,33,000 सिपाहियों को यह घटना सिर्फ याद थी, वल्कि 1857 में अंग्रेजों का विरोध करनेवालों के लिए यह प्रेरणा-स्रोत भी थी।

एक वर्ष बाद अक्टूबर 1825 में भी इसी तरह की अवज्ञा की घटना असम की अंग्रेज सेना में हुई जब ग्रेनेडियर कम्पनी ने खराब मौसम के कारण मार्च करने से इन्कार कर दिया। जब विद्रोहियों के नेता गिरफ्तार किये गये तो अन्य सैनिक भी उनके साथ गिरफ्तार होना चाहते थे।

पागलपंथी-विद्रोह :

कमशाह द्वारा स्थापित पागलपंथी-सम्प्रदाय के लोगो ने उत्तर बंगाल में 1825 में विद्रोह कर दिया। 1840 तक यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बना रहा।



सन्यासी-विद्रोह :-

1770 के अकाल, अंग्रेजों के कठोर व शोषक कानूनों के खिलाफ सन्यासियों का विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश शासकों की परेशानी का बहुत बड़ा कारण सन्यासी विद्रोह था। प्रारम्भिक विद्रोहों में महत्वपूर्ण सन्यासी विद्रोह से जुड़े ज्यादातर आन्दोलनकारी गिरि-सम्प्रदाय के थे। यह सम्प्रदाय अद्वैत-वाद के प्रतिपादक शंकराचार्य के दस सम्प्रदायों में से एक था।

सैनिक तौर-तरीकों से काम करनेवाले इन विद्रोही सन्यासियों ने अकबर के काल में भी अधिक संगठित होकर लड़ाकू दल बना लिया था और 18 वीं सदी में सेनाओं में भी गिरि-सम्प्रदाय के सन्यासी और सशस्त्र नागाओं ने अपने कौशल

का परिचय दिया था। अपनी उसी परम्परा को कायम रखने हुए यह विद्रोह उभरा और अपनी ताकत और हिम्मत दिखा गया।

अतीत से देखें तो अवध के नवाब की सेना में अहमदशाह अल्दाली की ओर से भराठो के विरुद्ध सशस्त्र गौनाइयो की एक टुकड़ी लड़ी थी और बक्सर की लड़ाई में हिम्मत गिरि की अगुवाई में 5000 सिपाही बंगाल में अंग्रेजों की खदेड़ने के लिए मीरकासिम की तरफ से लड़े थे। मिन्यिया और हुस्कर सरदारों की सेनाओं में भी सन्यासियों का वर्चस्व था। सन्यासियों के विद्रोह की एक लम्बी परम्परा रही।

सन्यासी विद्रोह तब भड़का जब बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत कायम हो गयो थी और उसकी नीतियों ने जमींदारों, किसानों और कारीगरों को उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया था। राजस्व की बसूली में सख्ती बरती जाने लगी थी। अत्याचार और अन्धाय बढ़ते जा रहे थे। एक तरफ असन्तोष था और दूसरी तरफ 1770 के अकाल से उपजी अराजकता ने विद्रोह को जन्म दिया और सन्यासियों और फकीरों के झुण्डों ने भूले किसानों को साथ लेकर दक्षिण बंगाल में खड़ी फसल पर हल्ला बोल दिया। आगजनी-लूटपाट की और कमल की चौपट कर दिया।

उसके बाद विद्रोह की आग की लपटें तेज होकर चारों ओर फैलती गयी। ब्रिटिश सरकार ने सन्यासियों पर नियंत्रण करने हेतु जीकठोर नियम बनाये थे जिनमें धर्म स्थानों से आनेवाली यात्रियों पर पाबन्दी भी सम्मिलित है, इससे विद्रोह और भड़क उठा। फलतः 1763 में सन्यासियों ने कारखानों पर हमला किया और वे समर्थित होकर ब्रिटिश फौजों से जूझ गये। छापामार रणनीति अपनाई गयी। सन्यासी धन इकट्ठा करते, शस्त्र बटोरते, फिर हमला करते और जब सिपाहियों की टुकड़ियाँ उनकी पीछा करतीं तो वे भाग चुके होते। इस तरह जगह-जगह उन्होंने ब्रिटिश-सेनाओं को पराजित किया। परन्तु काफी कठिनाइयों के बाद सशस्त्र अंग्रेज सैनिकों की मदद से वारेन हेस्टिंग्स को विद्रोह को दबाने में सफलता मिली थी।

अंग्रेजों के विरुद्ध छुटपुट प्रतिरोध व विद्रोह : 1748-1848 तक

प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पूर्व देश में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक महत्वपूर्ण बगावत और सैनिक विद्रोह हुए थे। 1764 में बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ। अंग्रेज अधिकारियों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए 30 सैनिकों को तोपों से उड़ा दिया। 1803-1804 में उड़ीसा में जमींदारों ने विद्रोह संगठित किया था, खोड में, असम में, खासी पहाड़ियों में हर कहीं फैलते ब्रिटिश पंजों पर धार हुए थे। खैफनाक साथे से लड़ने की यह कथा, हमारे इतिहास का बहुत कुछ अचर्चित, किन्तु स्वर्णिम अक्ष है, जो इस धारणा को खण्डित करता है कि हमने दासता के स्वागत में अपने द्वार खोल रखे थे। 1806 में वेल्लोर में सिपाहियों ने बगावत की, मगर हिंसा बल पर उन्हें कुचल दिया गया। 1828 में बँरकपुर में 47 वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से इन्कार कर दिया। उस रेजिमेंट को भंग कर, निहृदय सिपाहियों पर गोलियाँ चलायी गयीं और सिपाहियों के नेताओं को फाँसी दे दी गयी। 1836 में संघालों ने इतनी बड़ी बगावत की थी कि अंग्रेजों के पाँव उखड़ने लगे थे। 1855 में राजमहल के संघालों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। 1844 में सात बटालियनों ने वेतन और भत्ते के सवाल पर विद्रोह कर दिया। अफगान युद्ध के दौरान भी सिपाही बगावत कर गये। इसे दबाने के लिए दो सूबेदारों (एक हिन्दू और दूसरे मुसलमान) को गोली मार दी गयी।

इन छुटपुट विद्रोहों के साथ-साथ 1748-1848 के बीच के एक ही वर्षों में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें कुछ मुख्य हैं :-

चौर हो विद्रोह :-

1768 धारभूम, कालिपाल, धोल्का और बहाभूम के राजाओं ने 1768 में एक जुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था।

भील-विद्रोह -

1818-1846 के पश्चिमी घाट क्षेत्र के भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1817-1819 ने अंग्रेजों के खिलाफ भीलों ने मशस्त्र लड़ाई छेड़ी थी। शुरू में इस भील-विद्रोह के पीछे पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके सेनापति त्रिवंजी डागलिया का हाथ समझा जाता रहा। किन्तु 30 वर्ष के लम्बे अरसे तक भीलों के विद्रोह जारी रहने से यह दिखता है कि इस आन्दोलन को जड़ें गहरी थी। यह इस बात में भी स्पष्ट होता है कि गाँवों के मुखिया भी भीलों के समर्थक थे। 1825 में बगलाना में, 1831 में धार में और 1846 में मालवा में भील-विद्रोह हुए।

नाइकदास-आन्दोलन :-

यह आन्दोलन यद्यपि हमारे आलोच्य काल खण्ड में नहीं आता है, परन्तु वन्यजनजाति आन्दोलन होने से इसे भी यहाँ जोड़ लिया गया है। महाराष्ट्र की वन्यजनजाति ने अक्टूबर 1858 में विद्रोह किया। हालांकि अंग्रेज उन्हें हटा नहीं पाये, उनके नेता रूपानाइक ने मार्च 1859 में अंग्रेजों का सन्धि-प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1868 में रूपानाइक का साथ विवेकगाँव के एक नाइकदास जोरिया से हो गया, जो अपने को परमेश्वर बताता था। वे अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे जिसका धार्मिक नेता जोरिया हो और नेता रूपानाइक, उन्होंने बरिया राज्य में रायगढ़ पर हमला किया-ताकि वहाँ का राजस्व वसूल कर सकें। अन्त में वे और रूपानाइक का बेटा मल्लिया गिरफ्तार कर लिये गये, उन पर मुकदमा चला और फाँसी दे दी गयी।

निकर्ष

1748 से 1848 तक के इन सौ वर्षों के अन्तराल में अंग्रेज शासकों के विरुद्ध जो प्रतिरोध एवं विद्रोह हुए थे, वे प्रायः जन-जातियों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों, साधुओं, फकीरों आदि के द्वारा हुए थे, जिन्हें हम जन-आन्दोलन कह सकते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वालों ने अपना तन-मन-धन दाँव पर लगा दिया था। उनमें स्वातन्त्र्य प्रेम का प्राबल्य था किन्तु स्वतंत्रता-संग्राम में स्वातन्त्र्य प्रेम ही काफ़ी नहीं हो सकता, उसके लिए एकता और संगठन की आवश्यकता रहती है। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देश की समस्त जनता की न जोड़ पाने से ये विद्रोह चन्द लोगों के हद तक सीमित रह गए। इन विद्रोहों की यह शक्ति बड़ी कमी थी। दूसरी कमी थी ब्रिटिश विरोधी तमाम शक्तियों का एकजुट न हो पाना। अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाया और छल-बल, कपट-धूम से एक के विरुद्ध दूसरे की लड़ाते हुए अपने साम्राज्य को फलाया।

जैसे-जैसे अंग्रेजी-सत्ता की ताकत बढ़ती गई, वह ज्यादा से ज्यादा अत्याचारी और खूबवार होती गई। वह किसी न किसी बहाने लड़ाई छेड़ने लगी। ऐसी बहुसंख्यी लड़ाइयाँ हुईं और बहुत खून खराबा हुआ। अत्याचारी और लूट-मार का ज्वरदस्त दौर चला। इन सब से अंग्रेजों की बर्बरता और पाशविकता ही सिद्ध होती है।

इतिहासकार हमें बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की सज़ा के तौर पर कितनी बेरहमी से इन इलाकों में अंग्रेजी राज का दमनचक्र चला। यहाँ की अर्ध-श्वदस्या को चीपट करने के लिए दस्तकार उजाड़े गये। दुनकरों की उंगलियाँ काट दी गयीं। अब तक दूर यूरोप तक तैयार माल भेजनेवालों को, विलायत से आये तैयार माल के खरीदारों में बढल दिया गया। अंग्रेजी सरकार "प्रगतिशील" कार्यों में एक बड़ा कार्य उनका प्रतिरोध करनेवाले क्षेत्रों और वर्गों को नेस्तानाबूद नहीं, तो कम-से-कम निःस्तेज कर देना भी था।

अंग्रेज विजेताओं की आरम्भ में यह कूटनीति रही है कि जीते हुए प्रदेशों में एक ऐसे नये आदमी को नवाब या शासक बना दिया जाए जो शून्य मात्र हो, सारा शासन—प्रबंध हिन्दुस्तानी कर्मचारियों के हाथों में रहे, अमली मालिक अंग्रेज रहे, पर हिन्दुस्तानी ही मानगुजारी वसूल करे, बाहर के हमलों और भीतर के विद्रोहों से रक्षा करे, युद्ध करे और सधियाँ करें, किन्तु अंग्रेजों को बादशाहत जन-साधारण की आँखों से छिपी रहे।

निष्कर्षतः सन् 1748 से 1848 तक इन तीस वर्षों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काले कारनामों में ये अंग्रेज रजिस्ट्रारों का देशी दरबारों में रहकर फूट डलवाना, रिश्वतें देना, गुप्त साजिशें करना, हत्याएँ कराना और जालसाजियाँ करना, देशी नरेशों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ "सन्धि और मित्रता" के जाल में फँसाकर, बिना अपना मान और सर्वस्व दिये, बाहर निकलने नहीं देना, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की निर्धारित नीति के अनुसार भारत के हजारों साल के उन्नत व्यापार और उद्योग-धन्धों का नाश कर डालना और इनके फलस्वरूप भारत को सी और सदासाल के भीतर, सत्तार के सब से अधिक प्रबल, उन्नत और सम्पन्न देशों की श्रेणी से निकालकर सब से अधिक निर्बल, अवनत और दरिद्र देशों की श्रेणी तक पहुँचा देना इत्यादि।

अंग्रेजों के इन काले कारनामों और अत्याचारों के विरुद्ध देशी नरेशों ने अपनी तलवार उठायी और लड़ते-लड़ते मारे गए और अंग्रेज अन्ततः विजयी ही गए। परन्तु यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि पराजय किसकी हुई है, महत्त्व इस बात का भी नहीं है कि विजय किसकी हुई, परन्तु महत्त्व तो इस बात का है कि अन्यायी और अत्याचारों का किस बहादुरी के साथ देशी राजाओं एवं जन-जातियों, आदिवासियों, साधु-फकीरों आदि ने सामना किया और लड़ते हुए वीरगति पाई।

यह बात सही है कि देशी नरशों ने अपने शत्रु को पहचानने में भूल की। वे संगठित होकर शत्रु से नहीं लड़ सके, लेकिन उनका बहाया हुआ खून बेकार नहीं गया, वरन् आगे चलकर रंग ही लाया। जबालामुखी पर्वत भीतर-भीतर धधक उठा और उसका विस्फोट सन् 1857 में हुआ जिसने अंग्रेज साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह हिला दिया था। फलतः ब्रिटिश शासन, ईस्ट इण्डिया कम्पनी से छिनकर सीधे ब्रिटेन की सहारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अगले मध्याह्न में इस सन् 1857 के स्वाधीनता-संग्राम पर सविस्तार विचार करेंगे।



तृतीय अध्याय :

सन् 1857 का स्वाधीनता संग्राम

(सन् 1840 से 1909 तक)

विषय क्रम :

1. सशस्त्र क्रान्ति के कारण
2. राष्ट्रीयता का स्रोत धार्मिक प्रवचन
3. सेना में असन्तोष
4. सशस्त्र क्रान्ति की व्यापकता
5. वनवासी वीरों द्वारा सशस्त्र क्रान्ति
6. राजा-महाराजाओं का स्वाधीनता-संग्राम :
 - क. ताना साहिब
 - ख. राव तुलाराम
 - ग. कुँवरसिंह बाबू
 - घ. वीरगंगा लक्ष्मीबाई
 - ङ बहादुर शाह जफर
7. सन् सत्तावन : मशस्त्र क्रान्ति की विशेषताएँ
8. स्वतन्त्रता-संग्राम की विफलता के कारण
9. क्रान्ति का प्रभाव
10. बहावी क्रान्ति एवं कूका-विद्रोह
11. क्रान्ति की छुटपुट घटनाएँ

सशस्त्र क्रांति के कारण

इससे पहले के अध्याय में यह स्पष्ट संकेत दिया गया था कि शासक अंग्रेजों की दो तरह की तस्वीरें—एक सत्ता पाने में पहले की और दूसरी सत्ता पाने के बाद को देखने को मिलती है। जहाँ तक अंग्रेजों की पहली तस्वीर का प्रश्न है, उसका उल्लेख, सविस्तार इससे पूर्व के अध्याय में हो चुका है। उनकी दूसरी तस्वीर पर विचार करने से पूर्व सर्वप्रथम विद्रोह के स्वरूप पर विचार करना उचित होगा।

सन् 1857 के संग्राम के सम्बन्ध में कुछ सहज प्रश्न उठते हैं कि क्या यह केवल सैनिकों का विद्रोह था? या राजा-महाराजाओं का विद्रोह? या फिर राष्ट्रीय विद्रोह? इस सम्बन्ध में पहले अध्याय में सरसरी तौर पर चर्चा हुई थी, किन्तु यहाँ पर सविस्तार विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। उन सारे मतों को हम सुविधा की दृष्टि में मुख्य रूप से दो वर्गों में बाँटते हैं। पहला वर्ग अंग्रेज इतिहासकारों का है जिनका अभिमत है—“विद्रोह सेना में उत्पन्न हुआ और इसका कारण कारतुसों वाला मामला था।” परन्तु दूसरे वर्ग में भारतीय इतिहासकार आते हैं, उनका स्पष्ट अभिमत है—“वह भारतीयों का स्वतंत्रता का पहला संग्राम था।” इस वर्ग के लेखकों में लाला लाजपत राय, बीर-सावरकर, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, डॉ. पट्टाभि सोतारामय्या, प. नेहरू, डॉ. के. एम. पणिकर, डॉ. ईश्वरी प्रसाद, आर. सी. सन्नूमदार इत्यादि आते हैं।

बीर-सावरकर अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा-पत्र के आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि भारतीयों ने अपने देश और धर्म की रक्षा हेतु जो लड़ाई लड़ी, वह पड़ोसी साम्राज्य लड़ाई थी। उस घोषणा-पत्र के द्वारा बहादुर शाह ने देश की जनता का आह्वान किया था : “भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों उठो ! भाइयों उठो ! परमात्मा के सभी

वरदानों में स्वराज्य ही उसका दिया हुआ सर्वोत्तम वरदान है। जिस शतान ने उसे हम से छल से लूट लिया है, देखें, वह कब तक उसे सम्भाल सकता है।”¹

श्री आर. सी. मजूमदार का मत है - “जब कि यह सब है कि 1857 की क्रान्ति मुख्यतः सैनिकों का विद्रोह था, इस मत का समर्थन करने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि कुछ क्षेत्रों में विद्रोह व्यापक रूप से फैला और इसने जन-क्रान्ति का रूप धारण कर लिया।”² सुप्रसिद्ध सभालोचक डॉ. रामविलास शर्मा के मतानुसार “नन् सत्तावन का संघर्ष एक महान जन-क्रान्ति था। वह जन-क्रान्ति इस लिए था कि उसमें जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। अनेक प्रदेशों में किसानों ने अंग्रेजी सरकार को लगान देना बन्द कर दिया था।”³

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सन् 1857 की स्वाधीनता की लड़ाई इतिहास की अद्भुत घटना थी जिसने संसार की आँखें खोल दी। भारत भर में विद्रोह की आग भडक उठी थी। राजा-महाराजा, नवाब, जमींदार, इनामदार, भारतीय सैनिक काश्तकार, दस्तकार, मजदूर, जादिवासी, हिन्दू-मुस्लिम इत्यादि सभी इस महासमर में कूद पड़े थे। इसी लिए तत्कालीन ब्रिटिश राजपुरुष तथा कजर्वेंटिव पार्टी के एक राजनेता डिजरेली, जो सन् 1852 में इंग्लैण्ड के वित्तमन्त्री भी रहे हैं, के भाषण के अंश की यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जो न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून समाचार-पत्र के अंक 5091 में 14 अगस्त 1857 को ‘एंग्लो भारतीय साम्राज्य के पतन’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। डिजरेली ने तत्कालीन तथ्यों का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था : “वर्तमान भारतीय अव्यवस्था सैनिक बगावत न होकर राष्ट्रीय विद्रोह है और सिपाही केवल उसे सक्रिय रूप देनेवाले माध्यम हैं।”⁴

1. वीर सावरकर : 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम : 1 से 13
2. S. C. BOSE : THE INDIAN STRUGGLE : पृ. सं. 30
3. डा. रामविलास शर्मा : सन् सत्तावन का विद्रोह : - पृ. सं. 394
4. कार्लमार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स : उपनिवेशवाद से बारे में : पृ. 181

अपने मापण के अन्त में डिजरेली अपनी मरनाफ को यह परामर्श देते हैं "वह आक्रमणकारी कार्रवाइयों के बजाय भारत की आन्तरिक स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान दे।"

1857 में इतने व्यापक रूप में विद्रोह क्यों हुआ ? इसके पीछे देना कि कुछ अंग्रेज इतिहासकारों का मन है कि "मुस्लिम धामको का कोई पड़्यत्र था ? या फिर गाय-सूअर की चर्बीवाले कारनूनों का काण्ड था ?" अस्तु, किमो भी घटना-प्रघटना के मूल में कोई-न-कोई कारण अवश्य होता है। प्रकृति का नारा कारोबार कार्य-कारण की गृहला के सिद्धान्त द्वारा परिचालित होता है। उसी प्रकार 1857 में व्यापक रूप में घटित इतनी बड़ी घटना के पीछे निश्चित ही कुछ कारण अवश्य थे। उन पर विचार करने पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती है।

उपर्युक्त जिन कारणों का उल्लेख हुआ है, वे आंशिक सत्यमात्र हो सकते हैं, पूर्ण सत्य नहीं। इन काल खण्ड में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आधार पहले DIVIDECT IMPERA का प्राचीन सिद्धान्त था, परन्तु बाद में ब्रिटिश सरकार एक नये सिद्धान्त-राष्ट्रीयता का नाश करने पर आचरण करने लगी। लार्ड डलहौजी, जो सन् 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था, ने लूट-पाट की औपनिवेशिक नीति का अनुसरण किया और उसने व्यपगत सिद्धान्त DOCTRINE OF LAPSE या हड़प-नीति को कठोरतापूर्वक लागू किया। इसका मुख्य कारण था सन् 1848 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वित्तीय कठिनाइयाँ इस सीमा तक जा पहुँची थी, कि उनके लिए किसी-न-किसी तरह अपने राजस्व को बढ़ाना अनिवार्य हो गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी के अधीन काम करनेवाली कौंसिल (परिषद) की एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि देशी राजा-महाराजाओं से रियासते छीनकर और इस तरह ब्रिटिश क्षेत्र को विस्तृत करके ही अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने गोद लेने के सिद्धान्त को जो भारतीय समाज की आधारशिला था, रद्द कर दिया। इस

सम्बन्ध में डिज़रेली का स्पष्ट मत था - "भारत में गोद लेने के कानून का मिद्वान्त केवल राजाओं-महाराजाओं और राज्यों का ही विशेषाधिकार नहीं है, हिन्दुस्तान में वह सिद्धान्त ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो भू-सम्पत्ति का मालिक है और धर्म से हिन्दू है।" तदनुसार, अप्रैल 1848 में सतारा-नरेश आपासाहिब निस्सन्तान मरे तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसके उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी और राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। जब कि सन् 1825 में इसी कम्पनी ने कोटा महाराजा के द्वारा गोद लिये पुत्र को स्वीकृति देते हुए इस प्रकार की घोषणा की थी -

"शास्त्रानुसार उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र का हिन्दुओं का अधिकार है, तदनुसार कोटा महाराजा को भी है।" इसी प्रकार सन् 1837 में ओरछा महाराजा द्वारा वारिस के रूप में स्वीकृत दत्तक पुत्र का ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अनुमोदन किया था, परन्तु गवर्नर जेम्स लार्ड डलहौजी की राज्य हृष्य-नीति के कारण सन् 1848 से 1854 के वर्षों में एक दर्जन से अधिक स्वतंत्र राजाओं के राज्य सतारा, जैसपुर, सम्भलकर, बघाट, ऊदपुर, झासी, नागपुर इत्यादि ब्रिटिश साम्राज्य में जबरदस्ती मिला लिये गए। इनमें नागपुर ऐसा राज्य था जिसका क्षेत्रफल 76,832 वर्गमील और आबादी साढ़े छय्यांतीस लाख थी, और राज्य में अपार धन-भण्डार और अपरिमित वार्षिक आय को डलहौजी ने अपने हस्तगत कर लिया था।

सन् 1854 में बरार को हथिया लिया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल 80 हजार वर्ग मील था और आबादी लगभग 50 लाख थी और राज्य में बेहद दौलत थी। अन्त में, सन् 1856 में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया गया। लार्ड डलहौजी के इस विश्वासघाती आक्रमण द्वारा राज्य पर कब्जा करने से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार की मुठभेड़, न केवल हिन्दुओं से ही, बल्कि मुसलमानों से भी हुई। आक्रमण से पहले अंग्रेज सरकार ने कानपुर में भारी सेना इकट्ठी कर ली। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह बताया गया था कि नेपाल पर नजर रखने के लिए फौज इकट्ठी की गई है। किन्तु उस

सेना ने सहसा आक्रमण करके लखनऊ पर कब्जा कर लिया और बादशाह वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया। उससे आग्रह किया कि वह अपना देश अंग्रेजों के हवाले कर दे, लेकिन उसने नहीं माना। तब उसे कलकत्ते ले जा गया और राज्य को ईस्टइण्डिया कम्पनी के राज्य क्षेत्र में मिला दिया गया।

इस प्रकार भारतीय स्वतंत्र राज्यों का हड़प लेने की नीति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी और लार्ड डलहौजी के शासन-काल में शासन-संचालन की नयी प्रणाली द्वारा भारत में सम्पत्तियों को पुरानी व्यवस्था को तोड़ा गया। हिन्दुओं के धर्म में हस्तक्षेप मनमानी ढंग से किया जाने लगा था जिसका प्रतिशोध अवश्यभावी था। ये सब वही कारण थे जो भीतर ही भीतर घटकते हुए ज्वालामुखी का रूप धारण करते जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त लार्ड डलहौजी ने मुगल सम्राट को उपाधि को खत्म करने का निश्चय किया। बहादुरशाह के सबसे बड़े पुत्र मिर्जा जवाबख्त को युवराज स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया और मुगल सम्राट से पुस्तनी निवास स्थान लालकिले को खाली करके कुतुब में रहने का आग्रह किया गया। इसी प्रकार पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ भी अन्याय किया गया। ये शासक अपने ही देश में अपमानित होकर नहीं रह सकते थे और फलतः अंग्रेजों के घोर शत्रु हो गये।

राज्यों के अतिरिक्त जामीन्दारों और इनामदारों की भूमि भी जबर-दस्ती जब्त कर ली गई। मदिरो तथा मस्जिदों की बड़ी-बड़ी ज़मीनें, जो एक जमाने पहले दान में मिली हुई थी और लगान से मुक्त थी, उन्हें भी जब्त कर लिया गया। इससे अंग्रेजों को राजस्व का एक नया स्रोत मिल गया। देश के सब से बड़े तीर्थस्थल तिरुपति की समस्त आमदनी भी हड़प ली जाती थी।

धर्म में हस्तक्षेप :

भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों में अंग्रेजों के द्वारा व्यापक रूप से हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने एक ओर सुधार कार्य किया जिनमें सती-प्रथा को बन्द कर दिया गया और विधवा विवाह की आज्ञा दे दी गई,

लेकिन दूसरी ओर ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि ईसाई धर्म ग्रहण के बाद भी उस व्यक्ति की अपनी पैतृक सम्पत्ति में भाग बना रहेगा। बड़े पैमाने पर भारतीयों को ईसाई धर्म में मिला लेने का अभियान चलाया गया। पुरानी भारतीय शिक्षा-पद्धति समाप्त कर दी गई।

भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उस सम्बन्ध में मद्रास परिषद के सदस्य मि. मैलकम ल्यूइन लिखते हैं—“हमने उन्हें भारतीयों को जाति-भ्रष्ट कर दिया है; हमने उनको विवाह की सस्थाओं को बदल दिया है। उनके धर्म के पवित्रग्रन्थों, रिवाजों को हमने अवहेलना की है, उनके मंदिरों की बायदादी को हमने जल कर लिया है और अपने सरकारी लेखों में हमने उन्हें काफिर कहकर कलंकित किया है।”¹

इस प्रकार सामाजिक रीति-रिवाजों एवं धार्मिक हस्तक्षेपों, अंग्रेज शासकों के दुर्व्यवहारों के कारणों से जनता में स्वाभाविक रूप से विद्रोह की भावना भड़क उठी थी।

भारतीयों के असन्तुष्टि को भड़काने में आर्थिक कारणों ने भी बड़ा काम किया था। इंग्लैण्ड को भारतीय कच्चे माल को और अपने कारखानों में निर्मित माल को खपाने के लिए भारतीय मण्डियों की आवश्यकता थी। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंग्लैण्ड ने भारतीय उद्योग-धन्धों को नष्ट कर दिया था। भारत से रूई और कच्चा माल इंग्लैण्ड जाने लगा और इस कच्चे माल से बनी हुई चीजें विपणन के लिए भारत भेजी जाती रहीं। परिणामतः भारत का धन निरन्तर इंग्लैण्ड जाने लगा और दिन-प्रति-दिन भारत निर्धन होता गया।

1. MR MALCOLM LEWIN, CENSES OF THE INDIAN REVOLT.

राष्ट्रीयता का स्रोत धार्मिक प्रवचन

औरगजेब के युग में उसकी कट्टरता और अमर्त्यता के कारण प्रति-रक्षा की भावना ने जिम राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया था। उसी चेतना ने 1857 की सशस्त्र क्रान्ति को पोषित एवं पल्लवित किया। महानाष्ट्र के मन्त्र कवियों, समर्थ रामदास और तुकानाम की कविताओं, भजनों एवं प्रवचनों ने जन-साधारण में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया और 1857 की क्रान्ति की ज्वालाओं में धी का कार्य किया। “स्वधर्म की रक्षा के लिए उठो और स्वराज्य हासिल करो” 250 वर्ष पहले महानाष्ट्र केसरी शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास स्वामी ने जनसाधारण को प्रबोध किया था।

“स्वधर्म के लिए अपने प्राणों को अर्पित करो। अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अपने धर्म के शत्रुओं के प्राणों की बलि ले लो। इस प्रकार सघर्ष करते हुए अपने राज्य को पुनः स्वाधीन कर लो।”

इस प्रकार 1857 की सशस्त्र क्रान्ति के प्रसार में राष्ट्रीय एकता ने जो प्रभावशाली भूमिका निभाई, उसका श्रेय धार्मिक नेताओं को जाता है, नये कि इन नेताओं ने अंग्रेजी शासन के प्रति सफ़रत पैदा करने और विद्रोह की आग भड़काने के लिए दिन-रात एक कर दिया था। उन्होंने जगह-जगह जाकर धार्मिक प्रवचनों के बहाने अंग्रेजों के जुल्मों को जनता के सामने रखा। जनता को देश-प्रेम, त्याग और वलिदान का पाठ पढाया। अतीत की शौर्य गाथाएँ सुनाकर उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इसका जबरदस्त प्रभाव धार्मिक आस्थावाली जनता पर पडा। अगर इन धार्मिक नेताओं ने देश-धर्म को निभाने का यह झलक न जगाया होता, तो 1857 की क्रान्ति इतना व्यापक रूप धारण न कर पाती! उस समय का नारा था “स्वराज्य ही स्वधर्म है।”

उसी जमाने में देश प्रेम सम्बन्धी गीतों ने साधारण जनता में देश-प्रेम को जगाया था। 1857 के ओजस्वी गीतों ने जनता के खून में आजादी का गर्म जोश भर दिया था। कानपुर के विद्रोह में नाना साहब के साथी शायर

अजीमुल्ला खाँ के झण्डागीत ने जनता में हलचल मचा दी थी। वन्देमातरम-गीत ने तो नव युवकों को बलिदान की प्रेरणा दी थी। इस प्रकार के गीत उस समय शहीदों की टोलियाँ गाया करती थी। रणक्षेत्र में बहादुरों का हीसला बढ़ाने के लिए प्रवास-गीत गाये जाते थे। 1857 के संग्राम में जिस तरह जनता ने अपनी बहादुरी दिखाई, उसे देखकर लगता है, उस समय राष्ट्रीय एकता पूरे देश के लिए एक धर्म बन गयी थी। चारों तरफ राष्ट्रीय एकता की आवाज बुलन्द थी। 1857 की राष्ट्रीय एकता का इतिहास स्वयं अपना एक अद्भुत नमूना है जिसे शहीदों ने अपने रक्त से लिखा था।

सेना में असन्तोष

भारतीय सेना में असन्तोष के कारण अनेक थे। उस समय 20 करोड़ आबादी में दो लाख भारतीय सैनिक थे, जिनके अफसर अंग्रेज थे। इनकी सख्या चालीस हजार थी। इस प्रकार कम्पनी की सेना में भारतीयों की सख्या अंग्रेजों से एक लाख साठ हजार अधिक थी, परन्तु उनके साथ भेद-भाव किया जाता। भारतीयों को बहुत कम भत्ता मिलता था और ऊपर से उनके साथ अंग्रेजों का दुर्ध्ववहार होता था। 1857 से पहले के एक सौ वर्षों में जो स्थानीय विद्रोह हुए थे, उनमें किसानों, कारीगरों, आदिवासियों और राजाओं के साथ भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया था। भारतीय सैनिक आमतौर पर गरीब किसानों और कारीगरों के बेटे होते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निरंकुश राज में बढ़ते हुए शोषण, करों का बोझ, जमीनों की बलात् जब्ती, अकालों आदि के कारणों से भारतीय सैनिकों में असन्तोष बढ़ता गया। बंगाल की सेना में अवध के लोगों की मर्या बढ़न अधिक थी। जब अकारण अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तो सैनिकों के मन में रोष उत्पन्न हो गया था। दूसरी ओर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को ईसाई-धर्म में दीक्षित करने के ओरदार प्रयत्न किये जा रहे थे। हिन्दू-मुसलमानों को धर्म-घ्रष्ट

करने के लिए उन्हें गाय और सूवर की चर्बी से निर्मित नये कारतून दिये जाने लगे। कारतूसों का कागज, गायों और सूकरो की चर्बी से बिकनाया जाना था, और कारतूसों को इस्तेमाल करते समय सैनिकों को उन्हें अनिवार्यतः दान्तों से काटना पड़ता था जिससे उनका धर्मभ्रष्ट होता था। इस बात को 1857 की क्रान्ति के सब से अधिक प्रामाणिक इतिहासकार सनजॉन ने भी स्वीकार किया है - " इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस मामले के बनाने में गाय और सूवर की चर्बी का उपयोग किया गया था।"

सशस्त्र क्रान्ति की व्यापकता

सशस्त्र प्रथम क्रान्ति 22 जनवरी 1857 को कलकत्ता से शुरू हुई थी। भारतीय सैनिकों ने चर्बीवाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध कलकत्ते से थोड़ी दूरी पर स्थित बारकपुर छावनियों में आग लगा दी।

25 फरवरी को 19 वीं देशी रेजीमेण्ट के सिपाहियों ने बेहरामपुर में कारतूसों पर आपत्ति की और बगावत कर दी। 31 मार्च के दिन उस रेजीमेण्ट को तोड़ दिया गया।



अमर साहीद मंगलपाण्डे


इस सशस्त्र क्रान्ति में सर्वप्रथम देश भक्त मंगलपाण्डे ने अपनी शहादत दी थी। मंगलपाण्डे के बलिदान से सारे देश में हल-चल मच गई थी। 29 मार्च 1857 को सर्वाधिक रोमांचित करनेवाली घटना थी, जो स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अभूतपूर्व थी। बारकपुर (बंगाल) स्थित सिपाहियों की 34 वीं रेजीमेण्ट जब कवायद के मैदान में खड़ी थी, तब एक सैनिक मंगलपाण्डे, रॉबि

मे निकलकर आगे बढ़ आया, पाण्डे के हाथ में भरी हुई बन्दूक थी। उसने अपने साथियों को बग़ावत करने के लिए ललकारा. "भाइयो! आगे बढ़ो और अपनी स्वतंत्रता के शत्रुओं पर हम टुट पड़े।" तुरन्त साजेंट मेजर हगसन ने मंगलपाण्डे को गिरफ्तार कर लेने की सैनिकों को आज्ञा दी, परन्तु किसी ने भी उस आज्ञा का पालन नहीं किया। मंगल पाण्डे ने क्षण भर में हगसन को गोली मार दी। तुरन्त इसके बाद लेफ्टिनेंट भग कर घटना स्थल पर पहुँच गया। हाथा-पाई हुई, उसे भी पाण्डे ने गोली मार दी। सैकड़ों सैनिक चुपचाप खड़े देखते रहे और कुछ सिपाही अपने अंग्रेज अफसरों को बन्दूकों के कुन्दों से पीटते रहे। तभी कर्नल ह्वीलर वहाँ पहुँचा और पाण्डे को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी, उन सैनिकों ने भुक्त-कठ में साफ़ इन्कार कर दिया। बाद में मंगलपाण्डे ने शत्रुओं के हाथों में मरने की अपेक्षा अपने आप मर जाना पसन्द किया और गोली मार ली, परन्तु वे मरे नहीं। बाद में सैनिक न्यायालय में उनके विरुद्ध केस चलाया गया, परन्तु पाण्डे उनके सम्मुख झुके नहीं। परिणामतः उन्हें फाँसी दे दी गई। इस प्रकार पाण्डे अपनी शहादत देकर अमर हो गए। बाद में उस रेजीमेंट को भी तोड़ दिया गया।

अप्रैल महीने में इलाहाबाद, आगरा और अम्बाला में बंगाल सेना की अनेक छावनियों को आग की नजर किया गया, मेरठ में हलके हथियारोंवाले घुड़सवारों की तीसरी रेजीमेंट में बलवा हुआ, मद्रास और बम्बई की सेनाओं में भी इसी प्रकार के विद्रोह के विस्फोट देखने में आए। मई के शुरू में अवध की राजधानी लखनऊ में विद्रोह होते-होते रुक गया।

मेरठ की हलके हथियारों वाले घुड़सवारों की तीसरी रेजीमेंट के 85 सिपाहियों को अलग-अलग मीयाद के लिए कैद को सजा देकर 9 मई को उन्हें जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन 10 मई शाम को घुड़सवारों की तीसरी रेजीमेंट के जवान 11 वी तथा 20 वी देशी रेजीमेंटों के साथ कवायद के मैदान में जमा हुए, उन अफसरों को मार डाला, जिन्होंने उन्हें शान्त करने की कोशिश की थी, छावनियों में आग लगा दी और जहाँ-कहीं भी कोई अंग्रेज हाथ लगा, उसे भीत के घाट उतार दिया। अपने साथियों को जिन्होंने कारतूस

लेने से इन्कार करने पर जेल में डाला गया था, जेल तोड़कर मुक्त कर दिया गया।



कालपी के मैदान में लड़ते हुए तात्या टोपे

विद्रोही दस्तों का एक बड़ा जुलूस निकला। हाथों पर बँडे हुए एक स्वामी सामने चल रहे थे, जो सैनिकों के मध्य प्रचार कर रहे थे। स्वामीजी के कुछ शिष्य घोड़ी पर स्वतंत्रता-संग्राम के प्रतीक 'रोटी' और 'कमल' को लिये चल रहे थे।

बेगम हज़रत महल :

10 मई 1857, स्वतंत्रता-क्रान्ति के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन था। स्वतंत्रता की जो आग मेरठ नगर में भड़की थी, बहुत शीघ्रता से उसने दावानल का रूप धारण कर लिया। एक ओर जहाँ मेरठ में महिलाओं ने सिपाहियों और देशवासियों में क्रान्ति की चिनगारी फूँकी, वहीं दूसरी ओर लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने क्रान्तिकारियों का नेतृत्व किया। सन् 1856 में जब अवध की सत्ता अंग्रेज़ी के हाथों से चली गई तो नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ छोड़कर कलकत्ता में जा बसे, परन्तु उनकी बेगम हज़रत महल



बेगम हजरत महल

ने लखनऊ में रहना पसन्द किया। 30 मई, 1857 को लखनऊ में क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ तो बेगम ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और राज्य का, बड़ी चतुराई और कुशल राजनीतिज्ञ की भाँति, नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुर सिपाहियों को बीरता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। बेगम हजरत महल के सम्बन्ध में 'रसल' का अभिमत था— "उसने सारे अवध में एक आग भड़का दी।"



तात्याटोपे

विद्रोही दस्ते मेरठ से सीधे दिल्ली जा पहुँचे। वहाँ उनके साथ दिल्ली की छावनी के देशी सैनिक मिल गए, जिनमें पैदल सेना की 38 वी, 54 वी और 74 वी रेजीमेन्ट और देशी तोपखाने की एक कम्पनी शामिल थी। ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया गया। जितने अंग्रेज हाथ लगें, उनके सिर कलम किये गए और दिल्ली के मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी बहादुर शाह

जफर द्वितीय को 11 मई 1857 को भारत का सम्राट घोषित किया गया।

इसके बाद सारे उत्तरी भारत में विद्रोह की आग भड़क उठी। कानपुर और लखनऊ में उसने बड़ा विकराल रूप धारण किया। नाना साहिब ने कानपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर अपने को पेशवा घोषित कर दिया। बुन्देलखण्ड में झाँसी की महारानी लक्ष्मी बाई ने और मध्य भारत में



बाबू कुंवर सिंह

तात्याटोप ने विद्रोहियों का नेतृत्व सम्भाला। विहार में जगदीशपुर के कुबरसिंह ने विद्रोह का संचालन किया। पञ्जाब, राजपुताना तथा औरंगाबाद और हैदराबाद को छोड़कर दक्षिण भारत में विद्रोह का प्रसार नहीं हो सका।

लार्ड कैनिंग ने विद्रोह के दमन के लिए सबसे पहले अंग्रेजी सेनाएँ दिल्ली को ओर भेजीं। छः सप्ताह की भीषण लड़ाई के बाद दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 20 सितम्बर 1857 को बादशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। बादशाह को गिरफ्तार करके उसकी पत्नी के साथ रंगून भेज दिया गया। होडसन ने तीन शाहजादों को हत्या कर दी और उनकी लाशें कोतवाली के सामने फेंक दी। इस निर्मम कृत्य की अनेक अंग्रेज लेखकों ने भी निन्दा की है।




बहादुर शाह ज़फर

उत्तर प्रदेश में विद्रोहियों के दमन के लिए कर्नल नील को भेजा गया। उसने बनारस और इलाहाबाद पर अधिकार करने के बाद हैदलारु के साथ कानपुर पर हमला किया। दिसम्बर 1857 में कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।

अंग्रेजों ने क्रान्तिकारियों के साथ जो राक्षसी व्यवहार किये थे, उनके सम्बन्ध में पं. नेहरू लिखते हैं— “बड़ी बेरहमी के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग गोलों से उड़ा दिये गए और हजारों की तादाद में लोम सड़क के किनारे

पर दरख्तो पर फाँसी लटकाकर मार दिय गए । कहा जाता है कि नील नामक एक अंग्रेज जनरल इलाहाबाद से कानपुर तक रास्ते के तमाम आदमियों को फाँसी का झूला बना दिया था । हरे भरे और खुशहाल गाँवों को लूट-मारकर उजाड़ दिया गया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया ।”



वीराग्रणा रानी लक्ष्मी बाई

मार्च 1858 में झाँसी में अंग्रेज सेनापति हयूरोज और महारानी लक्ष्मी बाई के बीच घमासान लड़ाई हुई । महारानी ने दक्षी वीरता और साहस दिखाया । तात्याटोपे भी वहाँ रानी की सहायता के लिए पहुँच गए । दुर्भाग्य से वे पराजित हो गए । इसके बावजूद लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उठकर अंग्रेजों का मुकाबला किया । 12 दिनों तक घमासान लड़ाई हुई,

परन्तु अन्त में अंग्रेजों की विजय हुई। महारानी लक्ष्मीबाई और तात्याटोपे की अंग्रेजों सेना से फिर कालपी और ग्वालियर में लड़ाई हुई। लक्ष्मीबाई ने लड़ते-लड़ते ही ग्वालियर में 17 जून 1858 की वीरगति प्राप्त की; कुछ दिनों के बाद मानसिंह के विश्वासघात के कारण तात्याटोपे गिरफ्तार कर लिये गये और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें प्राणदण्ड दिया गया।

बाद में पंजाब के फिरीज़पुर नगर में 57 वीं और 45 वीं देशी रेजीमेण्टों ने भी बगावत कर दी थी।

नानासाहिब की प्रेरणा से 12 जून को औरंगाबाद रेजीमेण्ट ने विद्रोह किया और 18 जुलाई को हैदराबाद में मौलवी अलाउद्दीन और तुर्रैबाज खाँ के नेतृत्व में 500 रोहिलों की घुड़सवार सेना ने विद्रोह किया और रेजीडेण्टों पर घावा बोल दिया। इस लड़ाई में तुर्रैबाज खाँ मारा गया और अलाउद्दीन को गिरफ्तार करके अण्डमान भेज दिया गया, जहाँ 1886 में उसकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार सभी देशी फौजों ने खुल्लमखुल्ला विद्रोह कर दिया था। दिल्ली, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, अवध, रूहेसखण्ड, पटना आदि प्रदेशों में काफी समय तक विद्रोही सैनिक-शासन की व्यवस्था रही और कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। परन्तु सिक्ख राजाओं ने क्रान्तिकारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और राजपुताने के अधिकतर शासक तटस्थ रहे। ग्वालियर के दिनकरराव और हैदराबाद के सालारजंग ने क्रान्ति की कुचलने में ब्रिटिश सरकार की पूरी-पूरी सहायता दी। विद्रोहियों को दबाने में अंग्रेजों को गुरखों से भी पूरी सहायता मिली। परिणामतः क्रान्तिकारियों की पराजय हुई। कहा जाता है कि इस संग्राम में लगभग 30 हजार भारतीय सैनिक और एक लाख नागरिक मारे गए। इस संग्राम के प्रमुख सेनानी थे— बहादुरशाह ज़फर द्वितीय (दिल्ली), नाना साहिब (कानपुर), रानी लक्ष्मीबाई (शंसी), कुंवरसिंह (बिहार), सूबेदार खानवहादुर खान (रोहिल खण्ड), राबतुलाराम

(रेवाड़ी) तथा तात्याटोपे (ग्वालियर) इत्यादि । बहादुरशाह जफर को बर्मा निर्वासित कर दिया गया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हुई शहीद हो गईं ।



स्वतंत्रता-संग्राम के प्रमुख सेनानी

- (1) मंगलपाण्डे, (2) रानी लक्ष्मीबाई, (3) कुँवरसिंह,
 (4) तात्याटोपे, (5) नाना साहिब, (6) बगम हजरत महल, (7) रावतुलाराम
 (8) बहादुरशाह जफर ।

तात्याटोपे को अप्रैल 1859 को फाँसी दे दी गई। नाना साहिब नेपाल की ओर चले गए।

वनवासी वीरों द्वारा सशस्त्र क्रान्ति

1857 की सशस्त्र क्रान्ति में वनवासी वीरों ने भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, परन्तु भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में वनवासी क्षेत्रों के क्रान्तिकारियों और स्वातंत्र्य योद्धाओं को विस्मृत कर दिया गया है।

1857 के स्वाधीनता संग्राम से लेकर 1947 तक गिरिवनों के असह्य क्रान्तिकारियों ने स्वाधीनता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करनेवाले वनवासी वीरों में ही अपूर्व शौर्य, महान देशभक्ति और अद्भुत संगठन कुशलता विद्यमान थी।

वनवासी क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के समय से ही शुरू हो गया था। सशस्त्र क्रान्ति की आग सर्वप्रथम वनवासी क्षेत्रों में भड़की थी। 1857 के विद्रोह के समय तो संघर्ष बहुत तेज हो चुका था। 1832 में मानभुम (अब पुरलिया) भूमिज-संघर्ष एक ऐसा ही आन्दोलन था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। यह आन्दोलन "गंगानारायण काहगामी" के नाम से जाना जाता है। आन्दोलन के नेता गंगानारायण थे, जो बहुत ही साहसी, जूझारू और कुशल संगठक थे। अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र में दमन-चक्र चलाया। गाँव के गाँव जला दिये गए। हजारों एकड़ जमीन पर तैयार फसलों में आग लगा दी गई। गंगानारायण के समर्थकों को चुन-चुनकर खतम कर दिया गया। हजारों मरानों और झोंपड़ियों को नष्ट कर दिया गया। भयकर दमन और अत्याचारों के बावजूद यह आन्दोलन

फरवरी 1833 तक चलता रहा। वनवासियों की एकता, साहस और देश भक्ति को देखकर अंग्रेज दंग रह गए। अंग्रेजों से एक मुठभेड़ में गंगानारायण शहीद हो गए। उसके बाद आन्दोलन को दबा दिया गया।

वनवासियों का भगवान बीरसा :

छोटा नागपुर के वन-क्षेत्रों में सशस्त्र क्रान्ति आन्दोलन में क्रान्ति-नेता बीरसा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वनवासियों में क्रान्ति की चेतना जगायी थी। बीरसा ने अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया था। बीरसा क्रान्तिकारी ही नहीं, अपने अदम्य साहस व शौर्य तथा महान् गुणों के कारण वनवासियों द्वारा भगवान के रूप में पूजे जाते हैं।

1830 में महाराष्ट्र के पूना, नासिक तथा ठाणा आदि जिलों के वनवासी क्षेत्रों में क्रान्ति की ज्वाला भड़की थी। इस संघर्ष का नेतृत्व भाऊखेडर चिमनजी, दरबारे तथा जाधव ने किया था। महादेव कोली जाति के इन संगठित वनवासी बीरों ने कम्पनी सरकार के छत्रके छुड़ा दिये थे। किन्तु कुछ गद्दारों के कारण अनेक क्रान्तिकारी गिरफ्तार कर लिये गए और उन्हें नासिक में गोली से उड़ा दिया गया। केवल राधोजी बघ निकले परन्तु फरार राधोजी अन्त में साधु वेव में ठाणा जिले में पकड़े गए। 2 मई 1848 को दूसरे क्रान्तिकारी रामचन्द्र गणेश गोरे और महादेव के साथ राधोजी को फाँसी दे दी गई।

गुजरात में क्रान्ति की आग भड़की थी। रेखाकांठा तथा पचमहल के बीहड़ जंगलों में नायकदास नामक जाति में उत्पन्न जोरिया भगत एक ऐसा क्रान्तिकारी था, जिसने अंग्रेजों की नींद हुराम कर दी थी। भगत ने अंग्रेजी सत्ता को कड़ी चुनौती दी थी। जोरिया भगत, उसके साथी रूपा नायकदास और कलिलिया ने वनवासियों में क्रान्ति की चेतना जगायी थी। बहादुरी से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और अन्त में पकड़े गए। किन्तु झुके नहीं

और फाँसी के फंदे पर चढ़ गए। आज भी वनवासी क्षेत्रों में उन अमर वीरो की वीरता की कहानियाँ आदर और गर्व के साथ सुनायी जाती हैं।

मध्य प्रदेश के निमाड के क्रान्तिकारी तातिया मामा का नाम आज भी लोक-गीतों में और लोक-कथाओं के द्वारा आदर और गर्व के साथ स्मरण किया जाता है। उस समय के होलकर राज्य में तातिया जामा जनसाधारण के श्रद्धा के पात्र थे। तातिया के नाम से पुलिस भी कांप उठती थी। लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज सरकार तातिया को दवा नहीं सकी। सरकार ने "तातिया दमन पुलिस" नाम से एक विशेष पुलिसदस्ता का भी गठन किया, तो भी तातिया उस पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। वे अंग्रेजों से गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे थे। किन्तु तातिया के बहनोई गणपति ने छल से उन्हें पकड़वा दिया। बाद में तातिया को फाँसी पर लटका दिया गया परन्तु वनवासी जनता तातिया को अपना मसीहा समझकर उसकी पूजा करती है। उसके मरने के बाद उस क्षेत्र में क्रान्ति और भड़क उठी। शहीद तातिया, जीवित तातिया टोपे से भी अधिक जनसाधारण का प्रेरणा-स्रोत बन गया। जनता ने महु पाताल पानी स्टेशन पर तातिया के प्रति बनबासियों की श्रद्धा का प्रतीक स्मारक बनाया और हजारों वनवासी आज भी नित्य अपने श्रद्धा-सुमन चढ़ाने वहाँ आते हैं।

राजा-महाराजाओं का स्वाधीनता-संग्राम

1857 के स्वाधीनता-संग्राम में राजाओं और महाराजाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सशस्त्र-क्रान्ति की रूप कल्पना और विद्रोह सम्बन्धी योजना-कार्यक्रमों में जिन मेधावी वीरों ने अपना योगदान दिया था, उनमें प्रमुख थे : पेशवा नाना साहिब (धुषूपन्त)। नाना साहिब सशस्त्र क्रान्ति के सूत्रधार थे। त्याग एवं स्वातंत्र्य, उनकी दूरदर्शिता एवं वीरता और सगठन-क्षमता एवं नेतृत्व

योग्यता इत्यादि बिलक्षण गुणों के कारण भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

क. नाना साहिब : (1824-1860)

नाना साहिब का जन्म सन् 1824 में वेणुग्राम निवासी माधव नारायण राव के घर में हुआ था। इनके पिता पेशवा वाजी-राव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने बालक नानाराव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और शिक्षा-दीक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध किया। बाल्यकाल में ही नाना राव को हाथी-घोड़े की सवारी, तलवार व बन्दूक चलाने की विधि सिखाई गई और कई



नाना साहिब

भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी कराया गया। 28 जनवरी 1851 को पेशवा का स्वर्णवास हो गया। दिवगत पेशवा के उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। कम्पनी ने नाना राव को पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इन्कार कर दिया। परन्तु नाना राव ने सारी सम्पत्ति को अपने हाथ में लेकर पेशवा के शस्त्रागार पर भी अधिकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में नाना राव ने पेशवा की सभी उपाधियों को धारण कर लिया। अपने न्यायोचित अधिकारों को पाने के लिए अन्त में उन्होंने अपने वरिष्ठ सलाहकार अजीमुल्ला खाँ को अपना वकील नियुक्त कर लंदन में महारानी विक्टोरिया के पास भेजा। परन्तु कोई लाभ नहीं हो सका।

अंग्रेजों की मक्कारी नीति से नाना राव घुघुपत निराश होकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने 1857 की सशस्त्र क्रान्ति की योजना बनाई। रहस्यात्मक ढंग से उन्होंने कालपी, दिल्ली, लखनऊ, बिहार आदि राज्यों की यात्रा की और क्रान्ति के लिए सगठन बनाये। जब मेरठ से क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ तो नाना साहिब ने बड़ी वीरता और दक्षता के साथ क्रान्तिकारियों की सेनाओं का नेतृत्व किया। अंग्रेजों से साठ लाख रुपये और युद्ध सामग्री प्राप्त

को । कानपुर के अंग्रेजों को एक गढ़ में कैद कर दिया गया और वहाँ भारतीय स्वज फहराया गया ।

सारे क्रान्तिकारी दस्ते दिल्ली प्रस्थान के लिए कानपुर में एकत्र हुए । नाना साहिब ने उनका नेतृत्व किया । कल्याणपुर से ही नाना साहिब ने अपने सैनिकों को कई दस्तों में बाँटा । जब सब अंग्रेज सतीचौरा घाट से नावों पर जा रहे थे, क्रान्तिकारियों ने उन पर आक्रमण किया और अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया ।

1 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहिब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और पेशवा की उपाधि भी धारण की । नाना साहिब ने अंग्रेज सेनाओं से फतेहपुर, आग, कानपुर, बिठूर आदि स्थानों में भयकर युद्ध किया । कभी जीत और कभी हार होती रही, परन्तु नाना साहिब में अदम्य साहस की कभी भी कमी नहीं हुई । उन्होंने क्रान्तिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया । 1858 के जनवरी मास में जब अंग्रेजों ने कानपुर बलखाने पर अपना कब्जा कर लिया तो रुहेलखण्ड पहुँचकर उन्होंने खान बहादुर खाँ को अपना सहयोग दिया । अंग्रेजों का यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक नाना साहिब पकड़े नहीं जाते, तब तक विप्लव को दबाया नहीं जा सकता । अन्त में नाना साहिब नेपाल को तराई में चले गए । तराई में रहकर उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह अनेक कष्ट झेले, परन्तु उन्होंने फिरंगियों के आगे आत्म-समर्पण नहीं किया । तराई से वे कहीं गए, यह किसी को पता नहीं । अंग्रेज सरकार ने नाना साहिब को पकड़वाने के लिए बड़े-बड़े इनाम घोषित किये, सारे प्रयत्न निष्फल हुए । डॉ. रामनिवास शर्मा के अनुसार 1859 में अमरसिंह की सेना का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए तराई गये । नेपाल नरेश जंगबहादुर की सेना ने दिसम्बर 59 में पकड़ लिया । 5 फरवरी 1860 को जेल में नाना साहिब की मृत्यु हो गयी । निश्चित ही नाना साहिब की देशभक्ति, त्याग, बलिदान, वीरता, स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा ।

ख. महान् क्रान्तिकारी राव तुलाराम (1825-1868)

1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणी की आहुति देनेवाले भारतीय वीरो में महान् क्रान्तिकारी राव तुलाराम भी एक थे जिन्हें इतिहासकारों ने अब तक उनके अनूयोज्य स्थान नहीं दिया।

राव तुलाराम का जन्म 9 दिसम्बर 1825 को रेवाड़ी में हुआ था। राव पूर्णसिंह के पुत्र थे। 14 वर्ष की बाल्यावस्था में ही पितृ-प्रेम से वंचित हो गए थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा मातारानी ज्ञान कौर की देखरेख में हुई। माता ज्ञान कौर बहुत ही धैर्यवान एवं सहनशील महिला थी। राव तुलाराम के चरित्र-निर्माण में उनकी माता की गहरी छाप थी।

गद्दी पर बैठते ही अपनी रियासत को सुसंगठित और सन्तुलित करने के पश्चात् राव ने अपनी छोटी परन्तु दक्ष सेना का निर्माण किया और उसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का अद्वितीय प्रशिक्षण दिया। इस सेना में पैदल और घुड़सवार दोनों ही शामिल थे। स्वतन्त्रता-संग्राम के बिगुल के बजते ही बहादुर शाह जफर के आग्रह पर राव ने रेवाड़ी छोड़ कर कलान तथा शाह जहाँपुर तहसीलों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

बीरवर राव ने 17 मई 1857 को रेवाड़ी तहसील पर अपना अधिकार जमा लिया और बहादुरशाह जफर के फरमान के अनुसार अपने आपको शासक घोषित कर दिया। 20 सितम्बर को अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। जब अंग्रेज सेना पटौदी व खेड़ी की ओर बढ़ी तो राव तुलाराम ने उनका डटकर मुकाबला किया। भयभीत होकर अंग्रेजों ने संधि का प्रस्ताव किया परन्तु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।

कर्नल गेराड के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने पुनः आक्रमण किया। नसीबपुर के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव की सेना ने कर्नल गेराड को मौत के घाट उतार दिया और बहुत से अंग्रेज सैनिकों को हताहत किया। अंग्रेज सेना में भयदङ्ग मच गयी। परन्तु दुर्भाग्यवश राव के सेनापति राव कृष्णगोपाल

युद्ध में शहीद हो गए। नसीबपुर का यह युद्ध 1857 की क्रान्ति का बहुत ही महत्त्वपूर्ण युद्ध था। यहाँ से अंग्रेज सेना पराजित होकर राजस्थान की ओर भाग गई। राव तुलाराम ने उनका पीछा किया।

अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए राव तुलाराम अनेक राजाओं से मिले। विद्रोह के मुख्य सेनानी नानासाहिब और तात्या टोपे से भी उन्होंने भेंट की। उनसे परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त किया। विदेशों से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए राव तुलाराम ईरान, कन्धार, अफगानिस्तान, काबुल आदि देशों में जाकर सैन्य संगठन किया। परन्तु बीमारी के कारण वे 23 सितम्बर 1863 को 38 वर्ष की आयु में अमर सेनानी सदैव के लिए इन धरती से बिदा हो गए।

ग. वीर सेनानी कुँवरसिंह बाबू (1782-1858)

कुँवरसिंह 1857 के भारतीय स्वातंत्र्य सघाम के एक क्रान्तिकारी वीर सेनानी थे। आपका जन्म बिहार प्रदेश के जगदीशपुर नामक ग्राम में हुआ। जन्मतिथि के सम्बन्ध में मतभेद है, परन्तु राज्य-परिवार के हिसाब से 1782 में जन्म होना सिद्ध होता है। बचपन में अस्त्र-शास्त्र घुड़सवारी, निशानेबाजी, शिकार इत्यादि की शिक्षा दी गई थी। हिन्दी और संस्कृत के अतिरिक्त फारसी भी वे जानते थे।



वीर सेनानी कुँवरसिंह बाबू

पिता बाबू साहबजादा मिह की मृत्यु के बाद कुँवरसिंह 1830 में जगदीशपुर राज्य की गद्दी पर बैठे। उनकी जमींदारी का विस्तार, बिहार प्रदेश के आरा जिले के जगदीशपुर, परोफरगना, नोतार, आरा, बारह गाँवा आदि अनेक भौजों और परगनों तक था जिसकी वार्षिक आय लगभग साठे नौ

साक्ष रूपसे थी। राजदरबार में "कविराम" प्रधान कवि थे तथा जगदीशपुर की कचहरी न्याय के लिए प्रसिद्ध थी।

अंग्रेज शासकी का साथ न देने के कारण कुंवरसिंह बाबू को बागी घोषित कर विद्रोहियों का नेता करार दिया गया। गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, परन्तु स्वातंत्र्य सभर के अन्य सेनानियी के द्वारा "रोटी" और "कमल" के माध्यम से संग्राम का निमंत्रण मिला, वे स्वातंत्र्य-संग्राम में कूद पड़े। जगदीशपुर छोड़कर सेना का सगठन करते हुए वे आगे बढ़े। दानापुर छावनी के बागी सिपाही उनकी सेना में आ मिले। 27 जुलाई 1857 की कुंवरसिंह की सेना ने आरा शहर में आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कारागार के कैदी मुक्त कर दिये गए। कुंवरसिंह की पदाति सेना में राजपूत, पठान, किसान कुम्हार, मुराब, बढई, लौहार, बागी सिपाही, अवकाश प्राप्त सिपाही इत्यादि हर वर्ग के लोग थे।

30 जुलाई 1857 की कप्तान अन्वर की सेना से हुई मुठभेड में कुंवरसिंह की दूसरी विजय हुई। परन्तु 12 अगस्त को दिलावर ग्राम में अंग्रेजो से हुई मुठभेड में क्रान्तिकारी पराजित हुए। आरा और जगदीशपुर पर अंग्रेजो का कब्जा हो गया।

परन्तु कुंवरसिंह ने हार न मानी, वे आगे बढ़े। सरकारी सैन्य की 40 वीं पल्ल उनकी सेना में आ मिली। रोवा पर आक्रमण करने के बाद कुंवरसिंह ने कानपुर में तात्या टोपे, नाना साहिब और रानी लक्ष्मीबाई से मिलकर क्रान्ति की योजनाएँ बनाईं। कालपी की लड़ाई में उनके पीछे बीरभजनसिंह खेत रहे। कुंवरसिंह छ. महीने तक अनेक स्थानों पर घूम-घूमकर क्रान्ति की ज्वाला को फैलाया।

कुंवरसिंह ने अंग्रेजो के साथ अनेक मुठभेडों में विजय प्राप्त की। 17 मार्च 1858 को अतरीलिया नामक ग्राम पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 27 मार्च को कर्नल डेमस की ससैन्य पराजित किया, 6 अप्रैल की लाडं मार्क को हरा दिया और उसी प्रकार जनरल वेलचिन, हैमिल्टन डॉस को 17 अप्रैल को मेजर डगलस की पराजित किया। अंग्रेजी फौजो का मुकाबला

करते हुए कुँवरसिंह जगदीशपुर की ओर बढ़े। 22 अप्रैल 1858 को उन्होंने जनरल ली.ग्रॉड की सेना को पराजित कर अपनी राजधानी जगदीशपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। अन्तिम विजय के ठीक तीसरे दिन 25 अप्रैल 1858 की लड़ाई में हाथ कट जाने के कारण वीर सेनानी कुँवरसिंह की मृत्यु हो गई। कुँवरसिंह महान योद्धा के साथ-साथ लोकप्रिय शासक भी थे। उन्होंने अपनी प्रजा की बहुमूल्य सेवा की।

घ. वीरांगना लक्ष्मीबाई

1857 में जिन वीरों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और समरभूमि में अपने अद्भुत साहस एवं बहादुरी से शत्रु के दात खट्टे किये थे, उनमें महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इस स्वाधीनता संग्राम के महानतम नेता नाना साहेब और लक्ष्मीबाई दोनों उस क्रान्ति-वृक्ष के एक शाखा के ही फल थे। वास्तव में स्वाधीनता संग्राम-गगन की लक्ष्मीबाई एक उज्ज्वल नक्षत्र थी, जो देश प्रेमियों के लिए प्रेरणा-स्रोत बनीं। मं. जवाहरलाल लिखते हैं -



वीरांगना लक्ष्मीबाई

“विद्रोह और इसके दमन के बीच काले पर्दे पर एक उज्ज्वल नाम चमक रहा है। यह नाम है एक बीस वर्ष की बाल विधवा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो मर्दों का-सा बाना पहनकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रजा का नेतृत्व करने के लिए मैदान में निकल आई। उसके जोश, उनकी काबलियत और उनके निडर साहस की बहुवचनी कहानियाँ कही जाती हैं। यहाँ तक कि जिन अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया था उसने भी उसे बागी नेताओं में सब से योग्य और सबसे बहादुर कहा है। वह लड़ती हुई युद्ध में काम आई।”

1. मं. जवाहरलाल नेहरू : विश्व इतिहास की झलक, भाग : 1 : पृ. 591

इस जीनामना का जन्म वाराणसी में सन् 1835 में हुआ। पिता का नाम मोरोपन्त ताम्ब्रे और माता का नाम भागीरथी वाई था। बचपन का नाम मनुबाई मा मणि कर्णिका था। लोगों ने लाड से उस बालिका को "छबोली" नाम रखा। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल से ही बहादुर थी। नाना साहब के साथ घुड़सवारी से लेकर तलवार चलाने तक सभी मामलों में होड़ लेने लगी। युद्ध-कला में वह निपुण हो गयी थी। मह विचित्र संयोग की बात थी कि 1857 के विद्रोही तीनों नेता नाना साहब, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे उन दिनों ब्रह्मवर्त में एक साथ रह रहे थे।

मात माल की उम्र में मनुबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव बाबा साहब से हुआ। मनुबाई लक्ष्मीबाई बनी और वह महारानी पद की भी अधिकारिणी बन गई। महाराजा सन् 1853 तक जीवित रहे, पर वे निस्सन्तान रहे, तो मरने से पहले, उन्होंने कप्तान मार्टिन, कमाण्डर झांसी ब्रिटिश शासन तथा अपने दरवार के सामने शम्भूदर राव की दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया था। परन्तु उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश शासन ने गंगाधरराव के दत्तक पुत्र की राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। झांसी को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। जब सरकार का निर्णय महारानी के सम्मुख रखा गया तो लक्ष्मीबाई ने यह सिंह-गर्जना की "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।"

महारानी के भाग्य में शान्ति बदी नहीं थी। इस लिए पहले तो सदाशिव नामक एक व्यक्ति खडा हो गया। उसने झांसी से 30 मील दूर करेरा का किला जीतकर अपने को झांसी का नरेश घोषित कर दिया। महारानी ने युद्ध करके उसे हराया और अपने किले में कैद कर लिया।

इसके बाद ओरछा राज्य के दीवान नत्थे खाँ ने झांसी पर चढाई कर दी। महारानी ने बड़ी बहादुरी के साथ उसे भी युद्ध में हरा दिया। कहा जाता है कि उसके साथ साठ हजार सेना थी।

1857 में जब देश में जगह-जगह विद्रोह छिड़ गया, तब झांसी की सेना ने विद्रोह कर दिया। वहाँ एक एक अंग्रेज को चुन-चुनकर मार डाला गया।

महारानी ने अब राज्य की दागडोर अपने हाथ में ले ली । तदुपरान्त झाँसी पर सर ह्यूरोज नामक कुशल सेनापति ने प्रबल सेना के साथ आक्रमण किया । महारानी ने बड़े साहस और कुशलता के साथ मोंचाबन्दो की । आठ दिन तक मयकर युद्ध हुआ ।

लक्ष्मीबाई की सेना ने झाँसी की हर इंच भूमि के लिए लड़ाई की । 31 मार्च झाँसी को मदद के लिए 1857 के विद्रोह का नेता तात्याटोपे अपने बीस हजार सैनिक लेकर वहा पहुँचा और झाँसी के समीप दोनों सेनाओं के बीच जम कर मुठभेड़ हुई, परन्तु अन्त में अंग्रेजों की विजय हो गयी । अंग्रेजों ने अब पूरी शक्ति के साथ झाँसी पर आक्रमण किया । लक्ष्मीबाई ग्यारह दिन तक (22 मार्च से 3 अप्रैल तक) बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती रही । जब विजय की कोई आशा नहीं रही, तो उन्होंने आठ वर्ष के दामोदर राव को अपनी पीठ से बाधा और वे एक हजार सैनिकों के साथ अंग्रेजों सेना को चोरती हुई आगे निकल गयी । बिना कुछ खाये-पिये, निरन्तर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वे कालपी पहुँची । कई बार अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हुई । 17 जून को ग्वालियार ब्रिगेडियर स्मिथ के साथ मुठभेड़ में वे शहीद ही गईं । ग्वालियर में उसी स्थान पर उनकी समाधि बनी हुई है ।

ड. बहादुरशाह ज़फ़र (1775-1862)

सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली के लाल किले में लालबाई की कोख से उस समय हुआ, जब मुग़लिया हुकूमत का चिराग टिमटिमा रहा था । नादिरशाह और अहमद शाह अब्दाली के क्रूर आक्रमणों और लूट-खसोटों ने दिल्ली को बिल्कुल खोखला बना दिया था । ऐसे नाजुक समय में 30 सितम्बर 1837 को बहादुरशाह ज़फ़र अपने पिता



बहादुर शाह ज़फ़र

अकबर शाह सानी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे। शुरू से ही उन्हें अपार मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहादुर शाह ज़फ़र दिल्ली के अन्तिम सम्राट थे। किन्तु वे नाम मात्र के ही शासक थे। वास्तविक राज्याधिकार अंग्रेजों के हाथ में था।

ज़फ़र का बचपन बड़े ही लाड़-प्यार में बीता। शिक्षा-दीक्षा भी बड़े उच्च स्तर पर दी गयी। साथ ही वे सारी शिक्षाएँ भी उन्हें दी गयी जो उस समय की परम्परा के अनुसार एक सैनिक को दी जाती थी। ज़फ़र मुगल खानदान में सबसे उच्चकोटि के व्यक्ति माने जाते थे। उनका चरित्र बड़ा उज्ज्वल रहा। साथ ही वे सूफी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे फारसी के अच्छे विद्वान् थे और उर्दू में प्रभावोत्पादक कविता भी करते थे। जफ़र एक ओर वहाँ मुगलिया खानदान के आखिरी चिराग़ रहे, वही दूसरी ओर वे एक महान् राष्ट्रीय कवि भी थे। उन्होंने सूफीयाना ढंग पर जो रचनाएँ लिखी, वे उर्दू-साहित्य में एक अनमोल रत्न साबित हुईं। ज़फ़र द्वारा रचित कई 'दीवान' उपसम्बद्ध हैं। कविता की ओर अधिक झुकाव होने के कारण राजकार्यों की ओर मधेष्ट ध्यान नहीं दे पाते थे।

ज़फ़र को अंग्रेजों से शुरू से ही घोर नफ़रत थी। वे अंग्रेजों की मन-हूस सूरत कभी देखना पसन्द नहीं करते थे। 11 मई 1857 को देश में विद्रोह की आग़ भड़क उठी। देश भक्त मचल उठे। सारे देश के लोगों ने बहादुर शाह ज़फ़र को असली सम्राट मान लिया और उनके नेतृत्व में देश को आज़ाद कराने का संकल्प ले लिया। बहादुर शाह ज़फ़र ने देशवासियों का आह्वान किया— "हिन्दोस्तान के लोगो उठो और फिरंगियों को मुल्क से निकाल बाहर करो। आजादी हमारी सब से कीमती वरकत है, इसकी हिफ़ाज़त करना हमारा सब से बड़ा फर्ज़ है।" फलतः विद्रोही दस्ते मेरठ से सीधे दिल्ली जा पहुँचे। वहाँ उनके साथ दिल्ली की छावनी के देशी सैनिक मिल गए। ब्रिटिश अफ़सरी और सेना पर आक्रमण किया गया। जितने अंग्रेज हाथ लगे, उनके सिर कलम किये गए। इस लड़ाई में विजय मिली। लाख किले पर हुरा और सुनहरा झण्डा फहराया गया और बहादुर शाह ज़फ़र को 11 मई 1857 को भारत का सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली विजय की यह स्थिति करीब

साढ़े चार मास तक बनी रह्यो, लेकिन कुछ देगदोहियों के कारण अंग्रेजों ने बाहर से अधिक सेना मँगवा कर बिद्रोह को कुचल दिया। फिर भी छः सप्ताह तक लड़ाई चलती रही। मेजर हडसन ने देश भक्तों पर जो जुर्म डाले कि मानवता रो पड़ी। 20 सितम्बर 1857 को बादशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। ज़फ़र को गिरफ्तार कर उन पर बगावत का सूठा मुकदमा चलाया गया। बड़े बादशाह जिसका कुसूर बस इतना था कि जिम किसी कीमत पर और जिस तरह भी हो सके अंग्रेजों को इस मुर्क से बाहर निकाल दिया जाए। बादशाह की गिरफ्तारी के बाद मेजर हडसन ने जब बादशाह के नामने उनके बेटों व पोतों के सर काट कर पेश किये तो बड़े बादशाह ने कहा—“हडसन ! अभी मेरी कुछ और भीलादें बाकी हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि उनके सर कट जाने के बाद भी तुम मुझे मेरे रास्ते से नहीं डिगा सकते।” अजीबान कारावास की सजा देकर बहादुर शाह ज़फ़र की उनकी पत्नी बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया, जहाँ उन पर बड़े जुर्म डाले गए। अंग्रेजों ने उन्हें तड़पा-तड़पाकर 7 नवम्बर 1862 को मार डाला। मरते समय भी ज़फ़र को अपने वतन से बेहद प्यार था, उनके दिल में अजीब-सी कसक बाकी रह गयी :-

कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए ।

दो गज़ ज़मीन भी न मिली कबे यार में ॥

सन् सत्तावन : सशस्त्र क्रान्ति की विशेषताएँ

1857 की सशस्त्र क्रान्ति ठीक उस समय शुरू हुई जब अहाता बंगाल से लगभग सभी यूरोपीय सैनिक फारस की लड़ाई में भेज दिये गए थे। इससे पहले भी कई बार विद्रोह उठ खड़े हुए थे, परन्तु इस बार जो व्यापक रूप में विद्रोह हुआ, उसकी अपनी कुछ विशेषताएँ थी।

1. पहली बार भारतीय सैनिकों की रजिमेण्टो ने अपने यूरोपीय अफसरों को मौन के घाट उतार दिया था।

2. यह पहला अवसर था, जब मुसलमान और हिन्दू एक दूसरे के प्रति अपने वैमनस्य को झुलाकर उभय स्वामियों के विरुद्ध अपनी कमर कस ली थी।

3. यहाँ विचित्र बात यह थी कि पहली बार हिन्दुओं ने बलवे शुरू किये। अन्त में दिल्ली के सिंहासन पर एक मुसलमान बादशाह को बिठाया गया।

4. यह पहला ही अवसर था कि विद्रोह कुछ स्थानों तक सीमित न रहकर पूरे देश में व्याप्त हो गया था।

5. पहली बार ही एंग्लो भारतीय सेना में विद्रोह बिल्कुल उस समय हुआ है, जब महान् एशियाई राष्ट्रों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध घृणा-भाव व्यापक स्तर पर प्रदर्शित हो रहा था, यद्यपि बंगाल की सेना में होनेवाले विद्रोह का फारस और चीन को लड़ाइयों से गहरा सम्बन्ध था।

6. विद्रोह की योजना देश-व्यापी बनायी गई थी। योजना की विशेषता यह थी कि यह कार्यक्रम इतने संगठित एवं गोपनीय ढंग से संचालित

किया गया था कि विद्रोह से पहले अंग्रेज शासकों को कानोंकान खबर नहीं हुई ।

देशी राजाओं और सेना के भीतर 'रोटी' और 'कमल' जो क्रमशः "आजादी" और "विद्रोह" के प्रतीक थे, पट्टा कर गूप्त रूप से विद्रोह का सन्देश दिया गया था । सारे देश में विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निर्दिष्ट की गई थी ।

7. जबर्दस्त कठिनाइयों के बावजूद भारतीय सेना और जनता अंग्रेजों के साथ खूब लड़ी और बहादुरी के साथ लड़ी थी । यह संग्राम इतिहास की एक अपूर्व एवं अविस्मरणीय घटना थी ।

8. विद्रोही सैनिकों ने राजनैतिक प्रचारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । गाँवों में जाकर सैनिकों ने अंग्रेज शासकों के प्रति घृणा पैदा की और उनमें राष्ट्रीय प्रेम जगाया था ।

9. सन् सत्तावन का संघर्ष एक महान जन-क्रान्ति था । इस क्रान्ति में जनता के सभी वर्गों के लोगो ने भाग लिया । उसका नेतृत्व सेना के हाथ में था । सैनिक और किसान उसके मूलाधार थे । सिपाहियों, किसानों और कुछ सामन्तों का संयुक्त मोर्चा था । उनका मूल उद्देश्य राजनीतिक था—अंग्रेजों को निकाल कर देश में अपनी सत्ता कायम करना । इस राज्य क्रान्ति को यूरोप और एशिया की तमाम स्वाधीनता प्रेमी जनता की सहानुभूति प्राप्त थी । भारतीयों में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ ।

10 सन् सत्तावन के विद्रोह को निर्दयता के साथ कुचल देने के बाद देशी जनता पर जिस प्रकार के भयकर जुल्म ढाये गये और जगह-जगह जो लूटमार की गई थी, वह सब नादिर शाह की भी मात करनेवाली थी, इसके बावजूद क्रान्तिकारियों का हौसला पस्त नहीं हुआ, अपितु "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है"—की उत्सर्ग भावना से आगे भी सशस्त्र क्रान्ति के मशाल को तेज करते रहे । सर्वत्र क्रान्ति के शोले भड़कते रहे ।

11. विद्रोह के उद्देश्य

सन् 1857 के विद्रोह के सम्बन्ध में डॉ रामविलास शर्मा का अभिमत है—
“देश को आजाद करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना— इन दो उद्देश्यों के साथ सिपाहियों का एक तीसरा उद्देश्य भी था— सामन्ती निरंकुशता खत्म करके लोकतांत्रिक आधार पर शासन का पुनर्गठन करना।”¹

हिन्दुस्तान के सिपाही जिन उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, उनकी सफलताओं के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता अत्यन्त आवश्यक थी। राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता और नयी लोक मता— इन तीन में एक भी उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना वरितार्थ न होता था।

अंग्रेजों को सब से बड़ी असफलता यह मिली कि वे बकरीद त्यौहार के अवसर पर शहर में हिन्दू-मुस्लिम दगा न करा सके। उनके जासूसों ने हिन्दुओं के खिलाफ जेहाद का नारा लगाया, गोकुशी के सवाल को लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गयी। अंग्रेजों ने बाहर कुमक तैयार रखी, ताकि जेहादी बनकर भीतर के दगाइयों को मदद पहुँचाई जाये। लेकिन सिपाहियों के देश-प्रेम के आगे उनकी एक न चली।

शहर में डुग्गी पीटी गई— “खतक खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुकम फौज के बड़े सरदार का, जो कोई इस मौसम बकरीद में या उसके आगे या पीछे गाय या बंस का बछड़ा या बछड़ी या भैंस या भैंसा खला या छिपाकर अपने घर में जिवह और कुरवानी करेगा, वह आदमी हुजूर जहाँपनाह का दुरमन समझा जायगा और उसको मौत की सजा होगी।”²

12. राष्ट्रीय अपमान का बदला

भारतीय सैनिक प्लासी की लड़ाई को भूले न थे। ती साल बाद युद्ध भूमि में शत्रु का रक्त बहाकर वे राष्ट्रीय अपमान का बदला ले रहे थे। उच्च

1. डॉ. रामविलास शर्मा : धर्मयुग-10, 17 मई 1970 का अंक : विशेष लेख

2. असहृ अन्वास रिजवी : स्वतंत्र दिल्ली

उद्देश्य में प्रेरित होने के कारण सिपाहियों के मन में गोरी नम्र या अंग्रेज जाति के प्रति कीर्ति विद्वेष नहीं था। उन्होंने बहुत जगह अंग्रेज अफसरों को बचाने, उन्हें सकुशल भगा देने का प्रयत्न किया। मरठ में 9 मई की शाम को ड्यूगफ के सिपाहियों ने उन्हें सूचित किया कि बल 10 मई इनवार को विद्रोह निश्चित रूप से होगा, वे भाग जायें। गफ ने ऊपर वाले अफसरों को सूचित किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमरे दिन सिपाही गफ को घोड़े पर बिठाकर, घोड़े की लगाम पकड़ कर उसे जबरदस्ती लाइन बाहर कर आवे। कैप्टन क्रेगी और लेफ्टिनेट मैकेजी के परिवारों की रक्षा सिपाहियों ने की। "मजमूच में यह कह सकता हूँ कि हमारे आदमियों ने एक भी अफसर की जान नहीं ली।" सचार्ड यह थी कि 23 जून 1857 को प्लामी के युद्ध की भी दी मान-गिरह के दिन अंग्रेज चिन्तित थे कि इस दिन हिन्दू-सुसलमान मिलकर उन पर टूट पड़ेंगे और हम विश्वास से हमला करेंगे कि भारत के एक हीरो में हमारे छोर तक देशी-शासन स्थापित हो जाएगा।

स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के कारण

1. क्रान्ति के लिए 31 मई 1857 तिथि मुनिश्चित थी, एक साथ सभी स्थानों पर अंग्रेजी पर आक्रमण करना था, परन्तु भागवत क्रान्ति समय से पहले ही अक्रोश एव उत्साह के कारण कुछ स्थानों पर शुरू हो गयी। एक साथ देनाश्यापी न हो सकी। अंग्रेज सचेत हो गए और विद्रोह को कुचलने में सफल हो सके।

2 अंग्रेजों की सेना अनेक स्थानों पर पराजित हो गई और दिल्ली पर क्रान्तिकारियों का अधिकार ही गया। बहादुर शाह जफर को सम्राट

घोषित कर दिया गया। कई महीनों तक उनका शासन चलता रहा, परन्तु समुद्री मार्गों पर अंग्रेजों का अधिकार होने से बाहर से अपार सेना और युद्ध सामग्री मंगवा ली गई थी और फिर हारे हुए राज्यों एवं नगरों को जीत लिया गया। अंग्रेजों की तुलना में क्रान्तिकारियों के पास आर्थिक और सैनिक साधन बहुत सीमित थे। इसके अतिरिक्त तार-डाक और रेलों की शाही व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी, जो उनके लिए बड़ा वरदान मिष्ट हुआ।

3. दुर्भाग्य से काश्मीर, नेपाल, जीद, पटियाला, नाभा, जयपुर, हैदराबाद, ग्वालियर के राजाओं ने क्रान्तिकारियों का साथ न देकर, अंग्रेजों को हर सम्भव सहायता की।

ब) गोरखों और सिखों ने इस विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। यह एक खास बात है कि इस विद्रोह में अंग्रेजी पढ़े-लिखे हिन्दू और मुसलमान बहुत कम शामिल हुए।

घा) अनेक देशी रियासतों और जागीरदारों ने 1857 में झुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आरम्भिक दौर में अंग्रेज लमभग हताश हो चुके थे, लेकिन देशी रियासतों की मदद से ही उन्हें नया जीवन मिला।

पटियाला, जीद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने तो विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों को अपनी फौज, अस्त्र-शस्त्र और खाद्यान्न भी उपलब्ध कराये।

इ) तत्कालीन यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के प्रधान मंत्री दिनकर राव रजवाड़े और राजा जयाजीराव सिन्धिया तथा हैदराबाद के सादारजंग की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।

ग्वालियर पर 18 दिनों तक लक्ष्मीबाई आदि क्रान्तिकारियों का कब्जा रहा। 19 वें दिन अंग्रेज फौज कामयाब हो पाई। अंग्रेजों ने पुनः सिन्धिया को तोहफे में ग्वालियर राज सौंप दिया।

4. क्रान्तिकारियों में नाना साहिव, रानी लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे को छोड़कर क्रान्ति के अन्य नेताओं को युद्ध-संचालन का कोई विशेष अनुभव नहीं था, जब कि अंग्रेजी सेना की कमान बहुत ही अनुभवी एवं कुशल सेनापतियों के हाथ में थी। क्रान्तिकारियों को अपना कोई सर्वोच्च कमाण्डर भी नहीं मिला था।

5. क्रान्तिकारी सेना में अनुशासन और संगठन की कमी थी। बहादुरशाह की गिरफ्तारी के बाद यह कमजोरी उभर कर प्रकट हुई।

6. क्रान्तिकारी सेना तलवारों से लड़ रही थी, जब कि अंग्रेजी सेना तोप आदि आधुनिक शस्त्रों से लड़ रही थी। क्रान्तिकारियों के पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्र नहीं थे।

7. कम्पनी की सेना क्रान्तिकारी सेना से बहुत अधिक थी। विद्रोह के समय बाहर से समूची भाग से हजारों की सेना और युद्ध-सामग्री मगवाई गई थी। क्रान्तिकारियों को बाहर के देशों से इस प्रकार का प्रोत्साहन एवं सहायता भी नहीं मिली थी। विद्रोह विशुद्ध रूप से देशी था। क्रान्तिकारी सेना अपने बल पर अंग्रेजों से लड़ी थी। उनमें स्वराज्य की भावना, आक्रोश, साहस, उत्साह, बहादुरी हिलोरे ले रही थी।

क्रान्ति का प्रभाव

1. 1857 की क्रान्ति बहुत निर्दयता के साथ कुचल दी गई, परन्तु इस क्रान्ति से ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गईं। भारतीयों तथा अंग्रेज शासकों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं विश्वासों को जबर्दस्त धक्का लगा। गुरुमुख निहाल सिंह ने इस सम्बन्ध में कहा—“इस क्रान्ति के प्रभाव अंग्रेज और भारतीय मस्तिष्क पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सौ वर्षों का शासन

समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश सम्राट और पार्लियामेंट का शासन आरम्भ हो गया। सन् 1858 में ब्रिटिश संसद ने "मत्ता हस्तान्तरण और भारत के श्रेष्ठतर शासन हेतु कानून पास किया। इसके आधार पर भारत का शासन कम्पनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया।

2. भारतीय सेना पुनर्गठित की गई। विभाजन करके शासन करने की नीति अपनायी गई। भारतीय सेना का संगठन धार्मिक तथा प्रान्तीय आधार पर किया गया, ताकि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई समुक्त मोर्चा न बन सके। हर तरह से भारतीय सेना को निर्बल बना दिया गया। तोपखाना ब्रिटिश सैनिकों के अधीन रखा गया।

3. भारतीय मानसिकता को बदलने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया गया। इसी उद्देश्य से 1858 में भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किये गए।

4. जिस असन्तोष ने 1857 की क्रान्ति को जन्म दिया था, वह पुनः भारतीयों में पैदा न हो सका। इसके लिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन में भारतीयों से सहयोग लेने की नीति को अपनाया गया। परिषदों का निर्माण किया गया। भारत में वैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और भारतीयों को धीरे-धीरे देश के शासन में भाग लेने का अधिकार दिया जाने लगा।

5. पहली नवम्बर 1858 को सम्राज्ञी विक्टोरिया ने घोषणा की कि राजाओं के अधिकार तथा सम्मान की रक्षा की जायेगी और ब्रिटिश शासन द्वारा अपने क्षेत्र के विस्तार का कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा। इस प्रकार देशी नरेशों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति अपनायी गई।

6. भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति की घोषणा की गई। लार्ड डलहौजी के सामाजिक सुधार सम्बन्धी नीति को रद्द कर दिया गया। परम्परागत व्यवस्था को बनाये रखने की नीति अपना ली गई।

7. आज ससार की क्रान्तिकारो शक्तियाँ ती वर्यं पहन्ने से बहुत अधिक समर्थ और सगठित हैं और साम्राज्यवाद की शक्तियाँ विगृह्यसता और पतन की ओर जा रही है। विश्व मानवता की पूर्ण स्वाधीनता का दिन दूर नहीं है। इस परिस्थिति को उत्पन्न करने मे 1857 के अमर शहीदों ने महत्त्वपूर्ण योग दिया था।

इस प्रकार ब्रिटिश शासन द्वारा अनेक सुधारात्मक कार्यक्रमो की घोषणा की गई, परन्तु इनसे शासन के प्रति भारतीयों ने अमन्तोष और राष्ट्रीयता की वह भावना समाप्त नहीं हो सकी, जिसने क्रान्ति को जन्म दिया था। असफल क्रान्ति ने दूसरा रूप धारण किया। भारतीय धर्म और सस्कृति का पुनर्जागरण आरम्भ हुआ। जातीय सगठन से भारतीयों मे राष्ट्रीयता की भावना तीव्रतर हुई। फलतः 1885 मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे भी हिंसात्मक कार्यक्रम चलते रहे।

वहाबी क्रान्ति एवं कूका विद्रोह

सन् 1857 की सशस्त्र क्रान्ति के बाद मुसलमानों के एक धार्मिक सम्प्रदाय ने जिसे वहाबी सम्प्रदाय भी कहते हैं, और नामधारी सिखी के धार्मिक सम्प्रदाय ने जिसे कूका-सम्प्रदाय भी कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की मशाल जलाये रखी। इस सम्बन्ध मे एक अंग्रेज इतिहासकार हण्टर का कथन है कि अंग्रेजों का इतना बड़ा विरोध 1857 के विद्रोह के बाद कभी न हुआ था। ये दोनों सम्प्रदाय अंग्रेजों राज से अग्रसन्न थे, और इन्होंने अंग्रेजों से असहयोग किया था। शुरू मे दोनों सम्प्रदाय धार्मिक रहे, परन्तु इन्होंने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। दोनों का उद्देश्य एक था—अंग्रेजी शासन की जड़ों को उखाड़ फेंकना, किन्तु दोनों अलग-अलग ढंग से लड़े। 1857 मे विद्रोह के बाद वहाबी आन्दोलन बीस वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता से मुठभेड़ लेता रहा। पटना वहाबी

गुप्त गतिविधियों का केन्द्र था, जब कि पंजाब कूका-सम्प्रदाय का केन्द्र था। दोनों ने असहयोग आन्दोलन चलाया और विदेशी साधनों का बहिष्कार किया।

बहाबी आन्दोलन क्या है? उन्नीसवीं शताब्दी के मुस्लिम इतिहास और राजनीति में दो नेताओं का प्रमुख स्थान है— सय्यद अहमद और सर सय्यद अहमद खाँ। सय्यद अहमद बहाबी-आन्दोलन के नेता थे। परन्तु दूसरे नेता सर सय्यद खाँ अंग्रेजों के समर्थक थे। बहाबी नेता-रायबरेली के रहनेवाले थे। सय्यद अहमद इस्लाम के एक बड़े पीर माने जाते थे। मुसलमान उन्हें पूजने लगे। उनके अन्ध भक्त हो गए थे। पंजाब के विरुद्ध जिहाद के लिए सय्यद अहमद की यात्रा के समय कन्धार एवं अफगानिस्तान में एक लाख सेना तैयार ही गयी थी।

सन् 1862 में अंग्रेजों और बहबियों के बीच भयानक युद्ध हुआ। बालाकोट में हुए युद्ध में सय्यद अहमद और शाह मोहम्मद मारे गए। विद्रोही पीछे धकेल दिये गए किन्तु बहाबी आन्दोलन 1877 तक बराबर ब्रिटिश सत्ता से मुठभेड़ लेता रहा। विद्रोह सब मुसलमानों का कर्तव्य है-इस कथन को बहुत सुन्दर और सार्वजनिक ढंग से इस्लामी कानून का रूप दे दिया था।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से बहाबी क्रान्तिकारियों पर देशद्रोह और महारानी के विरुद्ध युद्ध करने सम्बन्धी मुकद्दमे चलाये गए। और उनको आजीवन कारागार की कठोर सजा दी गई। कुछ को काला पानी भेजा गया। सरकारी तंत्र विद्रोह के विरुद्ध प्रचारक करता रहा और मकका के मुफ्ती भी सरकारी इशारे पर इनकी निन्दा करने लगे। सन् 1850 से 1863 के बीच 20 ऐसे अभियान हुए जिन में 60,000 सेना मारी गयी थी।

कूका-सम्प्रदाय के संस्थापक गुरु रामसिंह कूका थे जिनका जन्म लुधियाने के भंजो नामक स्थान पर हुआ था। रामसिंह एक धार्मिक नेता और राजीतिक नेता थे। पंजाब की जनता श्रद्धा-भक्त के साथ रामसिंह की पूजा करती थी। महारष्ट्र के सन्त रामदास की प्रेरणा और मार्ग दर्शन से इस सम्प्रदाय को घेरे-

धीरे राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर मोड़ दिया और सक्ष्य बनाया फिरगियों के विश्द विद्रोह कर उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए, ताकि देश आजाद हो सके। असहयोग आन्दोलन चलाया और रेल-डाक-तार इत्यादि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया। समानान्तर व्यवस्था चलाने का प्रयाम किया।

1. पाँच वर्षों तक गुप्त रूप से अंग्रेजों से युद्ध की तैयारी की गई। अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे किये गए। कूका-सेना गठित की गई। गुरु रामसिंह ने सारे पंजाब को 22 हिस्सों में बाँटा और प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपना एक अधिकारी नियुक्त किया। विद्रोह के लिए एक दिन निश्चित किये जाने वाला था, परन्तु इस बीच :-

2. 13 जनवरी 1872 को एक सौ कूकाओं ने मालेर कोटला राज्य पर आक्रमण कर दिया। कूकाओं की टुकड़ी पराजित हुई और विद्रोह शान्त हो गया किन्तु मालेर कोटला काण्ड यही खत्म नहीं हुआ। पंजाब भर के नामधारी-सम्प्रदाय को आतंकित करने का सरकारी दमन कार्यक्रम चलाया गया। पंजाब भर के नामधारी नेता एक रात में एकाएक पकड़ लिये गए और कुछ रंगून और कुछ अण्डमान भेज दिये गए। गुरु रामसिंह को गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया। वही इस महान् वीर को मृत्यु हो गई।

3 यह उल्लेखनीय है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में क्रान्तिकारियों की जिस बर्बरता और निर्ममता के साथ हत्या की गई थी, उसी अमानुषिकता के साथ गनी विकटोरिया के सभ्य शासन में कूका-विद्रोहियों की हत्या की गई थी। 49 कूका विद्रोहियों को तोप से बाँधकर कोबन ने उड़वा दिया। 50 वीं कूका पहरे से छूटकर भागा और उसने कोबन की दाढ़ी पकड़कर उस पर हमला करने की कोशिश की, पर मौजूद देशी अफसरों ने उसे वहीं तलवार से फौरन काट डाला। 16 कैदियों को फाँसी पर लटका दिया गया।

सन् 1857 के विद्रोह में सिल आमतौर पर अंग्रेजों के साथ थे। जैसा कि सर गोकुलचन्द नारंग ने लिखा है : "दिल्ली में मारे गये नवें गुरु

का नाम लेकर और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का उस मौत का बदला लेने की अपीलें निकाल कर सिखों को उकसाने की चाल चली गई।”¹

सिखों का अंग्रेज भक्त-वर्ग अपने भाइयों का कल्ले आम होते और वह भी अंग्रेजों के हाथों होते देखकर अचम्भे में पड़ गया। सिखों के शान्तिमय जीवन में एक लहर आयी—सिर्फ एक लहर।

प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री मन्मथनाथ गुप्त रामसिंह के सम्बन्ध में लिखते हैं “इसमें सन्देह नहीं कि रामसिंह धार्मिक रूप से चेलों को संगठित करके अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। यह भी सही है कि उनके विचार बिल्कुल परिपक्व नहीं थे और न वह जानते थे कि हमें स्वतंत्र होकर क्या करना है। पर इस सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रयास किये, वह कभी भुलाए नहीं जा सकते और उनकी कहानी हमेशा हमें अनुप्रेरणा देती रहेगी।”²

क्रान्ति की छुटपुट घटनाएँ

बहाबी क्रान्ति तथा कूका-विद्रोह की पराजय के बाद भी आजादी की लड़ाई की आग बूझी नहीं। क्रान्तिकारियों का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता। शासन पर सशस्त्र अधिकार करना था। 1871-72 में मेवासिंह और हीरासिंह तथा 64 अन्य क्रान्तिकारियों के नेतृत्व में पंजाब में विद्रोह फूटा। उन क्रान्तिकारियों को तोपों के गोलों से उड़ा दिया गया था।

वासुदेव बलवन्त फडके

1878-79 में वासुदेव बलवन्त फडके ने क्रान्तिकारी आन्दोलन की शुरुआत कर भारत को गणराज्य घोषित किया। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों के

-
- | | |
|---|----------------|
| 1. सर गोकुलचन्द नारग | : पृष्ठ सं. 35 |
| 2. मन्मथनाथ गुप्त : दे अमर क्रान्तिकारी | : ” |

विद्रुह सघर्ष करनेवाले में वासुदेव बलवन्त फडके का व्यक्तित्व सर्वाधिक बिलक्षण था। उनका जन्म 1845 में बम्बई के निकट कुलाबा जिले के मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। वे सेना के एकाउंट्स विभाग में सरकारी नौकर थे, जहाँ उन्होंने 15 वर्ष तक काम किया।

1876-77 में पश्चिम भारत में पड़े अकाल में जनता ने बहुत कष्ट झेला। श्री फडके इस नतीजे पर पहुँचे कि ये कष्ट विदेशियों के कारण हैं। उन्होंने सशस्त्र युद्ध के जरिये अंग्रेजों का शासन समाप्त करने की शपथ ली। उन्होंने पिछड़ी जातियों और किसानों को संगठित किया और डकैती द्वारा धन एकत्र करने की योजना बनायी। जनता की हमदर्दी उनके साथ थी ही क्योंकि वे जन साधारण के बीच लोकप्रिय थे। अतः पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। सरकार ने उन्हें पकड़वाने के लिए नकद इनाम की घोषणा भी की थी, तो भी वे पकड़े नहीं गए। वे अंग्रेजों पर आक्रमण कर पाते, इससे पूर्व 21 जुलाई 1879 को उन्हें सोते समय पकड़ लिया गया।



वासुदेव बलवन्त फडके

महारानी विक्टोरिया के विद्रुह युद्ध करने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन देश निकाले की सजा सुना दी गयी। 13 अक्टूबर 1879 को जेल से निकल भागे, किन्तु फिर पकड़े गये। अगस्त 1882 से उन्होंने खाना-पीना लगभग छोड़-सा दिया। उनकी दशा बिगड़ती गयी और 17 फरवरी 1883 को उनकी मृत्यु हो गयी।

1885 में बम्बई में भारतीय कांग्रेस की स्थापना एक भारतीय ईसाई उमेशचन्द्र बेनर्जी की अध्यक्षता में हुई। 1891 में भारत सुदूर पूर्व मणिपुर में खोमजोग के मैदान में वीर टिकेन्द्रजीत तथा जनरल थागा (नागा) के नेतृत्व में मणिपुर की स्वतंत्रता के लिए धमासान लड़ाई हुई। इन दोनों नेताओं को 13 अगस्त

1891 को फाँसी पर लटका दिया गया। हज़ारों मणिपुरी स्वतंत्रता-सेनानी वीरगति को प्राप्त हुए।

महाराष्ट्र में उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशकों में गुप्त क्रान्तिकारी समितियाँ बनीं, जिनमें युवकों को राष्ट्रीयता की शिक्षा तथा सशस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता था। पूना के निकट एक छोटी रियासत के दीवान बाबा ठाकुर साहब ने 1898 में एक गुप्त समिति बनाई थी। अरविन्द घोष इस समिति से सम्बद्ध थे।

लोकमान्य तिलक को पहली बार जो राजनैतिक सजा हुई, वह क्रान्तिकारी विचारों के कारण ही हुई थी। अंग्रेज अफसरों को मारकर फाँसी पाने वाले महाराष्ट्र के तीन क्रान्तिकारी चाफेकर बन्धुओं के वे प्रेरणा-स्रोत थे। दूसरी बार तिलक की इस लिए सजा मिली कि उन्होंने क्रान्तिकारी शहीद नवयुवक खुदीराम की प्रशंसा अपनी पत्रिका के माध्यम से की थी। 1892 में महाराष्ट्र में पंजाब केसरी लोकमान्य तिलक ने गणेश-उत्सव तथा शिवाजी जन्मोत्सव की परम्परा डालकर जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाई थी। 1895 में कुछ क्रान्तिकारियों ने चाफेकर संघ की स्थापना की। अन्य प्रसिद्ध क्रान्तिकारी थे— श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश सावरकर तथा चाफेकर बन्धु। कुछ अंग्रेज अफसरों की हत्या के अपराध में तीन चाफेकर बन्धुओं की अलग-अलग तिथियों पर तथा महादेव रानडे नामक क्रान्तिकारी को 12 मई 1898 को फाँसी दे दी गई।

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शीलभद्रयाजी, मासद के अनुसार क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव प्रकट रूप से 1897 में हुआ। दामोदर हरि चाफेकर ने पिस्तौल से रेण्ड पर 22 जून 1897 को रात में 11-30 बजे वार किया और 3 जुलाई 1897 को वह चल बसा। उसी समय महादेव विनायक रानडे ने लेफ्टीनेन्ट आयरस्टी को अपनी पिस्तौल का निशाना बनाया। इस घटना के समय दामोदर

के भाई बालकृष्ण भी उनके साथ थे। दामोदर 9 अगस्त को पकड़े गए और 18 अप्रैल 1898 को उन्हें यरवदा जेल में फाँसी पर लटका दिया गया। बालकृष्ण हरि चाफेकर 1 दिसम्बर, 1898 को हैदराबाद में पकड़े गए और उन्हें 12 मार्च, 1899 को फाँसी की सजा दी गयी।



दामोदर हरि चाफेकर

कहा जाता है कि पूना में प्लेग कमिश्नर रेण्ड तथा लेफ्टिनेंट आयस्टी की हत्या में श्यामजी कृष्ण का हाथ था। इनका कथन था— “प्राण देने से पूर्व प्राण लो” सावरकर बन्धुओं ने “अभिनव भारत समिति” की स्थापना की थी। गणेश सावरकर की सजा का बदला जेक्सन की हत्या करके लिया गया।

1903 में बंगाल के क्रान्तिकारियों ने “अनुशीलन समिति” की स्थापना की। इसकी अनेक स्थानों पर शाखाएँ स्थापित की गईं। इस समिति में सिस्टर निवेदिता और अरविन्द घोष भी थे। अरविन्द की दृष्टि भारतीय सैनिकों पर थी। उन्होंने 18 अगस्त 1907 को “युगान्तर” में लिखा था “विदेशी ताकतों को भारतीय जनता में से अपने अधिकांश सैनिकों की भर्ती करनी पड़ती



अरविन्द घोष

है। अतएव यदि क्रान्तिकारी गुप्त रूप से इन देशी सैनिकों से स्वाधीनता का सन्देश फैलाएँ तो बहुत अच्छा कार्य कर लिया जाएगा।” अपने अन्य लेख में सन्देश दिया— “देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो, परन्तु इससे पूर्व कम से कम एक अंग्रेज का जीवन समाप्त कर दो।” उसी समिति के कुछ सदस्यों ने 1908 में क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। इसके बाद

बंगाल में आजादी की लड़ाई को तेज करने के लिए "युवान्तर पार्टी" की स्थापना हुई।

देश में क्रान्तिकारी नवयुवकों का एक दल पैदा हो गया था जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था और सरकारी दमन का जवाब बम के गोले से देने की तैयारी कर रहा था। 1905-1906 का बंगाल का स्वदेशी आन्दोलन और 1908 से 1912 तक क्रान्तिकारियों की हिंसात्मक उपायों से साम्राज्यवाद को खत्म करने की अनेक कोशिशें हुईं।

11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर (बिहार) जेल में खुदीराम बोस को फाँसी दे दी गई। बहुत कम उम्र में फाँसी के तल्ले पर चढ़ गए थे और फाँसी पर चढ़ते समय उनके गले में गीता की एक प्रति लटक रही थी। उन दिनों गीता क्रान्तिकारियों के लिए अनूप्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही थी। इस घटना के बाद वारीन्द्र, कन्हैयालाल, कृष्णगोपाल कर्वे, विनायक देशपाण्डेय, आदि क्रान्तिकारियों को विभिन्न जेलों में फाँसी दे दी गई। 1912 में क्रान्तिकारियों को विजय मिली तथा बंग-मंग समाप्त कर बंगाल को पुनः एक कर दिया गया।



खुदीराम बोस

बिपिनचन्द्र पाल ने मद्रास का दौरा किया किन्तु उनको कंठ कर लिया गया। इससे मद्रास के नवयुवकों में हलचल मच गई। उनके स्वागत को मन करने का प्रयत्न, उनकी गिरफ्तारियों के द्वारा किया गया। फलस्वरूप टिनेवली के मजिस्ट्रेट को गोली से उड़ा दिया गया।

18 अगस्त 1909 को मदनलाल दीगरा को फाँसी दी गई। बर्लिन के सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता आगुस्ट बेबेल के पत्र "फोरवार्ड्स" (अग्रगामी) और पेरिस के सुप्रसिद्ध पत्र "ल्युमानिते" (मानवता) में भारतीय शहीद

मदनलाल ठीगरा के प्रशसात्मक लेख प्रकाशित हुए। निस्सन्देह मदनलाल की शहादत भारतीय इतिहास की एक उज्ज्वल घाटी है।

1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लायी गई। 23 दिसम्बर को चाँदनी चौक में लार्ड हार्डिगज पर बम फेका गया। इस सिलसिले में अमीर चन्द, बालमुकुन्द, अवधबिहारी तथा बसन्त विश्वास को 8 मई 1915 को फाँसी दे दी गई।

सशस्त्र क्रान्ति को ज्वालाएँ यही बुझी नहीं, बल्कि विदेशों में भड़क उठी। सशस्त्र क्रान्ति की योजनाएँ अब विदेशों में बनने लगी, जो "ग़दरपार्टी" के नाम से प्रसिद्ध है।

1857-1915 की प्रमुख घटनाएँ

देश के दूसरे भागों में भी 1857-58 के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए। अंग्रेजों के विरुद्ध जो जगह-जगह सैनिक विद्रोह हुए, उनमें आपसी ताल-मेल का अभाव था। इस कारण अंग्रेजों ने पुनः हिन्दुस्तान पर कब्जा जमा लिया। प्रमुख घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :—

- 2 फरवरी 1857 : ब्रह्मपुर में सेना की 19 वीं टुकड़ी द्वारा विद्रोह।
- 10 मई 1857 : मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह।
- 11 से 30 मई 1857 : दिल्ली, फिरोज़पुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलन्दशहर, नासिराबाद, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर और उत्तर प्रदेश के दूसरे नगरों में विद्रोह।
- 11 मई 1857 : बहादुर शाह ज़फ़र को भारत का सम्राट घोषित किया गया।
- जून 1857 : ग्वालियर, भरतपुर, झाँसी, इलाहाबाद, फ़ज़ाबाद, सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बिहार

- के समतल मैदान, राजपूताना, मध्यभारत और बगाल के कुछ भागों में सेना द्वारा विद्रोह ।
- जुलाई 1857 : इन्दौर, मद्रा, सागर तथा पंजाब के शेरम-स्थाल-कोट में विद्रोह ।
- अगस्त 1857 : नर्मदा और सागर जिलों में जन-विद्रोह ।
- 20 सितम्बर 1857 : अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा, मध्यभारत में विद्रोह का दूसरा दौर ।
- अक्तूबर 1857 : कोटा राज्य में विद्रोह ।
- नवम्बर 1857 : कानपुर के बाहर जनरल विडहम को देशभक्त सिपाहियों ने परास्त कर दिया ।
- दिसम्बर 1857 : कानपुर में अंग्रेजी फौज का मयाब और तात्या टोपे कानपुर निकल गए ।
- मार्च 1858 : लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा ।
- अप्रैल 1858 : झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा । बिहार में कुंवरसिंह के नेतृत्व में पुनः सफल विद्रोह ।
- मई 1858 : कालपी, बरेली, जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा; रुहेलखंड में विद्रोही सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध ।
- जुलाई से दिसम्बर 1858 : भारत पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार ।
- 1858-1915 : विविध क्रान्तिकारी घटनाएँ ।



चतुर्थं अध्याय

प्रवासी भारतीयों द्वारा
स्वाधीनता-संग्राम

(सन् 1909 से 1920 तक)

विषय क्रम

1. ग़दरपार्टी की स्थापना
2. क्रान्ति का अग्रदूत : ग़दर अख़बार
3. ग़दर के लिए स्वदेश प्रस्थान
4. सिमापुर में विजय
5. बर्लिन में क्रान्तिकारियों का केन्द्र
6. काबुल में कार्यकारी सरकार की स्थापना
7. अरब में क्रान्ति की योजना
8. विदेशों में जिन्होंने आजादी का अख़बार जगाया था :
 - (क) ग़दरपार्टी के नेता डॉ. लाला हरदयाल
 - (ख) कर्तार सिंह सराभा
 - (ग) श्यामजी कृष्ण वर्मा
 - (घ) मदनलाल घीगरा
 - (ङ) वीर साबरकर
9. ग़दर-आन्दोलन की विफलता के मुख्य कारण
10. ग़दर आन्दोलन की विशेषताएँ
11. होमरूल-आन्दोलन
12. क्रान्तिकारियों के प्रेरणा स्रोत : तिलक
13. हृदय-विदारक नर-संहार : जलियाँवालाबाग़

ग़दरपार्टी की स्थापना

भारतीय स्वाधीनता-संग्राम की दृष्टि से दोनो विश्व महायुद्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रथम विश्वयुद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवम्बर 1918 तक और द्वितीय विश्व महायुद्ध 1 सितम्बर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक चला। इन दोनो महायुद्धों में ब्रिटेन बुरी तरह उलझा हुआ था। क्रान्तिकारियों ने इन आसरो का पूरा लाभ उठाकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की योजना बनायी थी। सन् सत्तावन की सशस्त्र क्रान्ति देश के भीतर हुई थी परन्तु इस बार दोनो विश्व युद्धो के समय सशस्त्र आक्रमण की योजना विदेशों में बनायी गई थी। क्रान्तिकारियों की जागरूकता, सक्रियता, दूरदर्शिता, अदम्य साहस, वीरता एवं अनुपम देश भक्ति का परिचय मिलता है। प्रथम विश्वयुद्ध के समय लाला हरदयाल के नेतृत्व में "ग़दर पार्टी" की स्थापना और द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज की स्थापना विदेशों में ही हुई थी। प्रथम विश्वयुद्ध के समय अफ़गानिस्तान में और द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जापान में कार्यकारी सरकारो की स्थापना हुई थी। सशस्त्र क्रान्ति की सब से बड़ी उपलब्धि यह थी कि अहिंसावादी महात्मा गांधी जी को भी 1942 में अपने "सशस्त्र क्रान्ति" के मार्ग पर ले आये थे और तब गांधी जी ने देश को "करो या मरो" का आदेश दिया था। फलतः देशभ्यापी सशस्त्र क्रान्ति हुई थी।

ब्रिटिश सरकार की दमन नीति, साम्राज्यवादी शोषण नीति और कांग्रेस की बुलमुल नीति के कारण भारतीयों में असन्तोष व्याप्त हो गया था। राष्ट्रवादी दो वर्गों में बँट गये थे : एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। उग्रवादी भी दो खेमो में विभक्त हो गए : एक वे जो सक्रिय प्रतिरोध द्वारा मातृभूमि को स्वतंत्र करना चाहते थे, परन्तु उनका मार्ग शान्तिपूर्ण संघर्ष का था। इसके नेता गोपालकृष्ण गोखले थे। दूसरे वे शान्ति पूर्ण उपायों के स्थान

पर सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करने थे। इनके नेता बाल गंगाधर तिलक थे।
इन्हे आतंकवादी या क्रान्तिकारो के नाम से पुकारा जाता था।

क्रान्तिकारियों का मुख्य उद्देश्य था मातृभूमि की स्वतंत्रता, आतंक पैदा करके अंग्रेजों को भारत से भगाना। उनकी गुप्त गतिविधियों में सरकारी खजानों की लूट, डकैती, बड़े-बड़े अफसरों को हत्या, सरकारी भवनों पर बम फेंकना, रेलवे की पटरियों को जवाड़ फेंकना, आदि कार्यक्रम रहे।

यह अजीब संयोग की वान है कि दोनों विश्व महायुद्धों में जिन देशों को क्रान्तिकारियों की मदद प्राप्त थी, वे देश पराजित हो गए और क्रान्तिकारियों को सशस्त्र क्रान्ति विफल हो गयी। यदि ब्रिटेन विश्वयुद्ध में पराजित हुआ होता तो स्वतंत्र भारत का इतिहास कुछ और हो हुआ होता। इस बात का कोई महत्व नहीं कि सफलता मिली है या नहीं, अपितु महत्व तो इस बात का है कि स्वाधीनता की लड़ाई किस बहादुरी के साथ लड़ी गई और उसी मार्ग पर अपनी शहादत देकर आगे जानेवाले पीढ़ियों के लिए किस प्रकार क्रान्तिकारी प्रेरणा के स्रोत बने।

इस कालखण्ड की क्रान्ति-चेतना एवं संघर्ष को सुविधा के लिए हम दो भागों में विभाजित करते हैं :-

- 1 प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वाधीनता संग्राम · 1913 से 1920 तक
- 2 देशी क्रान्तिकारियों द्वारा आतंक-संग्राम · 1920 से 1939 तक

भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के क्रान्तिकारियों, विशेषतः प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रसिद्ध वागी भगवानसिंह सन् 1712 के अन्त में कनाडा और सन् 1913 में लाल हरदयाल ने अमेरिका के प्रवासियों के दिलों में बिद्रोह की चिनगारी फूँक दी थी। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने "इण्डियन इण्डिपेंडेन्स लीग" तथा "हिन्दू

ऐसोमियेशन आफ् अमरीका" की स्थापना की। उन दिनों प्रायः गुन्धारी में प्रति सप्ताह बैठके होनी थी। उन्हें बताया जाता था कि प्रत्येक भारतीय परस्पर जब कभी मिले तो आपस में "बन्देमातरम्" कहे। कनाडा-अमेरिका के भारतीयों के राष्ट्रीय अभार ने "गदर पार्टी" की जन्म दिया था।

1913 में सानफ्रान्सिस्को में लाल हृदयाल के नेतृत्व में 'गदर पार्टी' की स्थापना की गई। इस नयी पार्टी के अध्यक्ष मोहनसिंह भकना, मचिव लाला हरदयाल और कीषाध्यक्ष पं. ज्योतिराम बनाये गए। यह निश्चय हुआ कि सशस्त्र सैनिक भर्ती किये जाएँ तथा ब्रिटिश इण्डियन आर्मी में वगवत कराकर प्रथम विश्वयुद्ध के समय में भारत की आजाद करने के लिए सशस्त्र संग्राम शुरू कर दिया जाए। इन गदर पार्टी की शाखाएँ जर्मनी, जापान, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, बर्मा, कनाडा आदि देशों में स्थापित की गई। इस प्रकार गदर पार्टी आन्दोलन सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन था। यह पार्टी पूर्णतः धर्मनिर्पेक्ष थी। कहा जाता है कि गदर पार्टी के सदस्यों की संख्या दस हजार से अधिक थी। गदर पार्टी का अदर्ज था— आजादी तथा समानता। प्रत्येक सदस्य का परस्पर जातीय सम्बन्ध हाथ, न कि धार्मिक। प्रत्येक भारतीय, भारतीय होता हुआ और प्रत्येक मनुष्य मनुष्य के नाते इस का सदस्य बना रहेगा। "बन्देमातरम्" राष्ट्रीय अभिवादन तथा राष्ट्रीय गीत बन गया। पार्टी का सामान्य लक्ष्य उत्तार के किसी भी भाग में, जहाँ कहीं पराधीनता के विरुद्ध छिड़े, गदरपार्टी के सैनिक का कर्तव्य होगा कि वह आजादी तथा समानता के समर्थकों की तन, मन, धन से सहायता करे और मुख्य लक्ष्य था— भारत में से अंग्रेजी राज्य खत्म करके पंचायती राज्य कायम करना। भारत में जनवादी राज्य स्थापित करने के पीछे अमेरिका का आदर्श था, जिनका प्रभाव ग्रहण करके पंचायती राज्य का लक्ष्य निश्चिन किया गया था। इस प्रकार गदर पार्टी आन्दोलन सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन था। यह पार्टी पूर्णतः धर्मनिर्पेक्ष थी।

गदर पार्टी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में मुख्य बात यह थी कि 'अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से लाभ उठाना। इसके दो मुख्य पहलू थे— एक तो भारत में राज्य कर रही विदेशी सरकार पर उस समय अन्तिम चोट करना,

जब कि वह किसी बड़ी शक्ति के साथ युद्ध में उलझी हो। दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय अंग्रेज विरोधी शक्तियों की सहायता प्राप्त करना।” इस आन्दोलन को जर्मनी को बड़ी सहानुभूति प्राप्त थी, क्योंकि अंग्रेज प्रवासी क्रान्तिकारियों और जर्मनी दोनों के शत्रु थे।

क्रान्ति का अग्रदूत : ग़दर अखबार

गदर पार्टी की स्थापना के बाद अगला कदम था, “गदर” अखबार का प्रकाशन। 1 नवम्बर 1913 को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ। क्रान्ति के आन्दोलन को व्यापक करने में इस अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके जन्मदाता लाला हरदयाल थे। यह अखबार प्रति सप्ताह उर्दू, हिन्दी, पंजाबी और गुजराती भाषाओं में प्रकाशित होता था। पाठकों की संख्या हजारों में थी। अनेक देशों को मुफ्त भेजा जाता था। अखबार अंग्रेज विरोधी और स्वर ‘हिंसा’ था। उसकी प्रत्येक पंक्ति से विद्रोह की बू आती थी। अखबार का मूलमंत्र था— “अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना। इस प्रकार “गदर” ने प्रवासी भारतीयों में विद्रोह की आग भड़का दी। फलतः अमेरिका सरकार ने ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर लाला हरदयाल को निर्वासित कर दिया। तदुपरान्त भाई सन्तो सिंह गदर पार्टी के महासचिव बने और आन्दोलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पार्टी के कार्यों में सोहनसिंह भक्ना ने अमेरिका आने से पहले जिन्होंने भारत में कूका-आन्दोलन में बारह वर्षों तक सक्रिय रूप से कार्य किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

“गदर” की अपील

लाला हरदयाल द्वारा “गदर” के 18 अगस्त 1914 के अंक में प्रकाशित की गई एक अपील द्रष्टव्य है :-

1. क्रान्ति साहित्य को वितरित करो, सशस्त्र और निःशस्त्र दोनों प्रकार की क्रान्ति एक साथ हो।
2. अंग्रेजी बैंको में जमाघन तुरन्त निकालो, भारतीय सेना को भड़काओ कि वह अंग्रेजों पर पीछे से हमला करे।

इसी अंक में एक विज्ञापन छपा था :-

आवश्यकता है :-

1. ग़दर पार्टी के लिए वीर सैनिकों की

(आ)	वेतन	:	मृत्यु
(आ)	पुरस्कार	:	शाहादत
(इ)	पेंशन	:	स्वाधीनता
(ई)	युद्ध-क्षेत्र	:	भारत

इस समाचार से यह मली भान्ति स्पष्ट हो जाता है कि प्रवासी भारतीयों में किस प्रकार की उग्रता एवं मातृभूमि-प्रेम-भावना व्याप्त थी।

ग़दर के लिए स्वदेश प्रस्थान

प्रथम महायुद्ध का विस्फोट होते ही "ग़दर पार्टी" की गतिविधियाँ तेज हो गयी थी। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन महायुद्ध में शामिल हो गया। इस "ग़दर" अखबार के युद्ध विशेषांक निकाले गए। युद्ध का बिगुल बजाया गया। प्रवासी भारतीयों को भारत जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। ग़दर पार्टी के आठ हजार सदस्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों से "कामागाटा मारू", "निशानमारू" "मत्सु-शामारू", "तोशामारू", एस. एस. कोरिया इत्यादि जहाजों से 1914 और

1915 में भारत लौटे। गदर पार्टी के क्रान्तिवीर कर्तारसिंह सटाभा, नेता लाला हरदयाल के फ़रमान के इस गीत को गाते हुए सानफ्रासिस्को से चले थे।

चलो चलिए देश नू युद्ध करना।

य हो आखिरो बचन फरमान हो गए ॥

30 सितम्बर 1914 को बजबज में कनाडा से लौटे “कामा माटामारू” जहाज के सिख स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। उनमें से अनेक वीरगति को प्राप्त हुए।

“तोशामारू” जहाज रगून होता हुआ 29 अक्टूबर 1914 को कलकत्ता पहुँचा। विद्रोह सम्बन्धी भेद खुल जाने से मुख्य क्रान्तिकारी नेता जहाज से उतरते ही गिरफ्तार कर लिये गये। गदर पार्टी के प्रधान श्री सोहनसिंह भकना की गिरफ्तारी से क्रान्तिकारी आन्दोलन को बड़ा धक्का लगा।

भारत लौटे अन्य प्रवासी क्रान्तिकारियों ने रास बिहारी बोस और सशीन्द्रनाथ सांग्वाल से सम्पर्क किया। फिर इन क्रान्तिकारियों ने उत्तर भारत की अनेक छावनियों में सैनिकों से सम्पर्क करके क्रान्ति करवाने की कोशिश की। फिरोजपुर और मियामीर छावनी के सैनिक विद्रोह के लिए तैयार हो गए थे, परन्तु सारे भारत में 19 फरवरी 1915 को शुरू होने वाला यह विद्रोह भेद खुल जाने के कारण विफल हो गया। अनेक क्रान्तिकारी पकड़े गए और बहुतें को फाँसी हो गई।

लाला हरदयाल के फ़रमान से प्रेरित होकर गदरपार्टी ने 1915 में थाईलैंड में ‘पकाह’ के पास जंगल में दो दर्जन प्रशिक्षकों द्वारा भारतीयों को सैनिक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई थी और हथियार भी भेजे थे। प जगताराम और हरनाम सिंह, कन्हरीसहरी ने बर्मा में मिलिट्री पुलिस को विद्रोह में शामिल करने का प्रयास किया था।

सिंगापुर में विजय

“गद्दरपाटी” के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता पं. परमानन्द के जोशीले भाषणों से सिंगापुर में 14 फरवरी 1915 की सैनिक क्रान्ति हुई थी। इस क्रान्ति में तीन हजार भारतीय सैनिकों ने वहाँ के सब अंग्रेज सैनिकों को मारकर सिंगापुर के किले पर कब्जा कर लिया। दो महीने 21 दिन के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया और सिंगापुर में भारतीय झण्डा फहरा दिया। 14 फरवरी 1915 को घटित विद्रोह के सम्बन्ध में कहा जाता है कि सिंगापुर की जब रेजिमेण्ट के सैनिक एलेक्जेंड्रा बैरक में शस्त्र और गोला बारूद टूटकों पर रख रहे थे, तब सिपाही इम्माइल वॉ ने गोली दाग कर विद्रोह का संकेत दिया। विद्रोहियों ने टूटकी और उनमें ग्ये सामान पर कब्जा कर लिया और उसके रक्षकों की मार डाला। जमकर मुठभेड़ हुई। भारतीय विद्रोहियों ने सब से पहले नागरिक बैरक में नज़रबन्द लगभग 300 जर्मन युद्ध बन्दियों को रिहा करा दिया। इसके बाद भारतीय विद्रोहियों ने कर्नल के बंगले पर आक्रमण कर दिया। वहाँ जमकर रातभर मुठभेड़ हुई। कई अंग्रेज अफसर एवं सैनिक मारे गए। यह विद्रोह लगातार चार दिन तक चलता रहा। विद्रोहियों को काफी सफलता भी मिली, परन्तु बाद में बाहर से मदद पहुँच गई। जापानी युद्ध पोतों से सैनिक उतारे गए। जमकर लड़ाई हुई और 18 फरवरी की रात में एलेक्जेंड्रा बैरक पर जापानी सैनिकों का अधिकार हो गया। सारे विद्रोही पकड़े गए। बाद में 200 सैनिकों का कोर्टमार्शल हुआ। अनेक सैनिकों को फाँसी दे दी गई। शेष सैनिकों को कालापानी या अन्य कड़ी मजदूरी हुई।

बर्लिन में क्रान्तिकारियों का केन्द्र

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी और जर्मन एक दूसरे के निकट आये। 3 सितम्बर 1914 को "द जर्मन यूनियन आव फ्रैण्डली इण्डिया" की स्थापना हुई। 1915 को इसका नाम बदलकर "इण्डियन इण्डिपेण्डेन्स लीग" कर दिया गया। इसका मुख्य कार्य भारत और इसके बाहर के क्रान्तिकारियों की संगठित करना तथा भारत की, घन और जन से सहायता करना था। जर्मनी से प्रशिक्षित कर भारतीयों की पूर्वी एशियाई देशों में भेजा गया। जर्मनों के साथ बर्सा और भारत पर आक्रमण और अण्डमान के कैदियों को मुक्त कराने की योजना बनाई गयी। भारत में सुन्दरवन में शस्त्र उतारने को भी योजना थी, परन्तु ब्रिटिश सरकार की विद्रोह की योजना की गन्ध लग गई। आतः बंगाल, शंघाई और अमरीका में क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ बर्लिन भी क्रान्तिकारियों का केन्द्र न रहा। रामचन्द्र, चन्द्रकान्ता चक्रवर्ती तथा अन्य 16 भारतीय सेन फ्रान्सिस्को "पड्यंत्र" के सिलसिले में पकड़े लिये गए। रामचन्द्र को गीली सार दी गई तथा अन्य की कठोर सजाएँ हुईं।

गुदर पार्टी के सोहनलाल पाठक, हसनखाँ और हरनाम सिंह ने कहरौ-सहरी बर्मा में विद्रोह का प्रयास किया था और उन्होंने रंगून में 130 वीं बलूची सेना से सम्पर्क स्थापित किया। परन्तु विद्रोह का भेद खुल गया। क्रान्तिकारी पकड़े गए। उन्हें कठोर सजाएँ हुईं। सोहनलाल पाठक, हरनाम सिंह, चालियाराम, बसाना सिंह, नारायण सिंह और पालासिंह को फांसी हुई। यह विद्रोह मांडले (बर्मा) पड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है।

काबुल में कार्यकारी सरकार की स्थापना

पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण उपलब्ध भारतीय क्रान्तिकारियों को काबुल में प्राप्त हुई। जैसे ही प्रथम विश्व महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, तो राजा महेन्द्र प्रताप यूरोप चले गए। वे लाला हरदयाल से जनेवा में मिले तथा जर्मनी में कैसर से भेंट की। उन्होंने जर्मन चांसलर से सहायता ली तथा वे भारत के 27 राजाओं के नाम पत्र लेकर भारत लौटे। उन्हें तुर्की के मुल्तान से भी सहायता मिली।

अफ़गानिस्तान के शाह ने राजा महेन्द्र प्रताप का हार्दिक स्वागत किया। राजा महेन्द्र प्रताप ने दिसम्बर 1915 को काबुल में भारत की कार्यकारी सरकार की स्थापना की। राजा महेन्द्र प्रताप कार्यकारी सरकार के अध्यक्ष तथा बरख्तुल्ला प्रधानमंत्री बने। अध्यक्ष के नाते राजा ने ज़ार तथा नेशल नरेश को पत्र लिखे। भारतीय नरेशों को भी क्रान्ति के लिए प्रेरित किया। कार्यकारी सरकार के गृहमंत्री उवैदुल्ला ने "पैन-इस्लामिक आर्मी" तैयार करने के लिए 9 जुलाई 1916 को पीले रेशमी कपड़ों पर प्रभावशाली व्यक्तियों को पत्र लिखे, किन्तु बाद में पकड़ लिये गए। इतिहास में यह घटना "सिलिकन लैंटर काण्ड" के नाम से प्रसिद्ध है। रासबिहारी बोस ने सारे भारत में विद्रोह करने के पहले 21 फरवरी और बाद में दो दिन पहले 19 फरवरी 1915 तिथि निश्चित की थी। सारी तैयारी की गयी थी। बम तथा हथियार जमा कर लिये गए थे। गोरे सिपाहियों के कत्ल की योजना बनायी गई थी। आक्रमण के स्थान सुनिश्चित कर लिए गए थे, परन्तु पुलिस के भेदिया कृपालसिंह ने विद्रोह की सारी गतिविधियों को बता दिया। सारे क्रान्तिकारी पकड़ लिये गए और विद्रोह समय से पूर्व ही विफल हो गया।

प्रवासी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जिन क्रान्तिकारियों ने भाग लिया था, उनमें प्रमुख नेताओं के नाम हैं : भगवान सिंह, लाला हरदयाल, पं. परमानन्द, शचीन्द्रनाथ सान्याल, सोहनसिंह भकना, कर्तार सिंह सराभा, पण्डित रामचन्द्र, रास बिहारी बोस, विष्णुगणेश मिश्र, राजा महेन्द्र प्रताप,

बरकतुल्ला, सन्तोख सिंह, मुश्चासिंह, लछमनसिंह, हरनाम सिंह, "काहरी-साहनी", पण्डित काशीराम, डॉ. मधुरासिंह, बलवन्त सिंह, सोहनलाल पाठक आदि ।

इस सग्राम में जो क्रान्तिकारी "बन्देमातरम्" के साथ फाँसी पर हँसते हुए झूल गये थे, उनमें सर्वश्री कर्तारसिंह सरामा, दफेदार लक्ष्मन सिंह, अब्दुला, विष्णुगणेश पिंगले, पण्डित काशीराम, डॉ. मधुरा सिंह, भाई भागसिंह, भाई वशन सिंह, मेरा सिंह, गन्धा सिंह, बलवन्त सिंह, बन्ता सिंह, रगासिंह, बाबू-हरनाम सिंह, सोहनलाल पाठक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

अरब में क्रान्ति की योजना

प्रथम महायुद्ध (1914-18 ई.) प्रारम्भ हो गया तो मौलाना महमूद हसन ने इस अवसर को उचित समझकर अपनी गुप्त क्रान्ति को सक्रिय किया । इसको ध्यावहारिक रूप देने के लिए वे अरब गए, जहाँ तुर्की के रक्षा मंत्री स्व. जमाल पाशा से फौजी सहायता लेकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना बनाई । इस योजना को सफल बनाने के लिए हजरत मौलाना महमूद हसन अपने एक शिष्य मौलाना उवेदुल्ला सिद्दी की काबुल (अफगानिस्तान) सेवा ।

हजरत मौलाना महमूद हसन जब हिन्दुस्तान से अरब गये तो अपने शिष्य हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के यहाँ ठहरे थे । मौलाना मदनी ने अरब के अन्दर उनकी क्रान्ति की योजना की सफल बनाने की जी-जान से कोशिश की और भारत को अंग्रेजों के पजे से छुटकारा दिलाने में जान की बाजी लगा दी । ठीक उसी समय जब ये हजरत अपनी क्रान्ति के कार्य को सफल बनाने में जूझ रहे थे, इस गुप्त सशस्त्र क्रान्ति का भेद खुल गया । क्रान्ति का भेद झुलते ही अंग्रेजों ने मक्के के शरीफ हुसैन के हाथों मौलाना महमूद हसन और उनके साथियों को गिरफ्तार कराकर पहले मिस्र, फिर

मालटा द्वीप के जेल में भेज दिया। जून 1920 ई. को हजरत मदनो मालटा द्वीप के कैदखाने से छूटकर भारत आए। 30 नवम्बर 1920 ई. को इनके गुरु हजरत मौलाना महमूद हसन का देहान्त हो जाने पर भारत में क्रान्ति या आन्दोलन के कार्यों का भार मौलाना मदनो के कंधों पर आ गया और उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। 1932 में अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेकर मदनो ने अपनी गिरफ्तारी दी थी।

विदेशों में जिन्होंने आजादी का अलख जगाया था

(क) ग़दरपार्टी के क्रान्तिकारी नेता डॉ. लाला हरदयाल

लाला हरदयाल प्रतिभा सम्पन्न विद्वान्, महान् भौतिकवादी, मानवतावादी, समाज सुधारक, निर्भीक पत्रकार व लेखक, वैचारिक व वौद्धिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी नेता थे।



लाला हरदयाल

लाला हरदयाल ने अपनी अद्भुत संगठन-शक्ति के बल पर कनाडा और अमेरिका के प्रवासी भारतीय मजदूरों व छात्रों की ग़दरपार्टी बनायी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विशेषतः भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन को नई शक्ति और नया आयाम दिया।

लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता लाला गीरीशकर दयाल माधुर दिल्ली जिला अदालत में रीडर (पेशकार) थे। कुशाग्र बुद्धि के छात्र होने के कारण आपको इंग्लैण्ड में उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष की छात्रवृत्ति मिली थी। "बोधि सत्व डाक्ट्रेट" थोसिस पर 1932 में आपको डाक्ट्रेट की उपाधि मिली। आपने विदेशी में रहकर अनेक पुस्तकें लिखीं। 1911 से 1914 तक अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में दर्शन और संस्कृत के प्राध्यापक रहे।

लाला हरदयाल का सबसे महत्त्वपूर्ण व प्रभावी कार्य पहली नवम्बर 1913 को सानफ्रान्सिस्को में "गदरपार्टी" की स्थापना करना था। उन्होंने वहाँ युगान्तर आश्रम बनाया। इस महान् क्रान्तिकारी पार्टी के अध्यक्ष सोहनसिंह मकना, सचिव लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष पण्डित काशीराम थे। लाला हरदयाल ने "गदर" अक्षरों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम की क्रान्ति की भावना जगाई थी।

लाला हरदयाल की क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण अमेरिका सरकार ने ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर हरदयाल को 23 मार्च 1914 को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया था। तब उन्होंने स्वीटजरलैंड, जर्मनी, कनाडा, तुर्की आदि देशों में रहकर प्रवासी भारतीयों में क्रान्ति की भावना जगाई। बर्लिन में 1915 में आपने क्रान्तिकारियों की "बर्लिन समिति" बनायी थी। लाला हरदयाल द्वारा गठित गदर पार्टी के आठ हजार सदस्य प्रथम विश्व युद्ध के समय अनेक जहाजों के द्वारा सशस्त्र क्रान्ति के लिए भेजे गए थे, लाला और उनके साथियों ने 19 फरवरी 1915 को सेना द्वारा समर्थित जन-क्रान्ति की योजना बना ली थी, परन्तु कुरपाल सिंह द्वारा भेद खोल दिये जाने के कारण प्रस्तावित सशस्त्र क्रान्ति विफल हो गई।

डॉ. हरदयाल द्वारा गठित गदर पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका निभाई। 4 मार्च 1939 को अमेरिका में आपका निधन हो गया।

(ख) कर्तारसिंह सराभा

कर्तारसिंह सराभा जन्मत क्रान्तिकारी थे। गदरपाटी के क्रान्तिकारियों में कर्तारसिंह सराभा का विशेष स्थान है। उनकी क्रान्तिकारी लगन और उत्साह को देखकर क्रान्तिकारी नेता रासबिहारी बोस भी स्तब्ध रह गए थे। “भारतमाता की जय” के नारे के साथ फाँसी के फंदे पर हँसते हुए झूल गए थे। तब उनकी उम्र 19 वर्ष की थी।

श्री सराभा का जन्म सन् 1896 में लुधियाना जिले के सराभा नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आप में नेतागिरी के गुण विद्यमान थे। सहपाठी आपको “अफलातून” कहा करते थे। कालेज की पढ़ाई के समय सन् 1912 में अमेरिका गए। वहाँ “गदरपार्टी” से सम्बद्ध हो गए। अखबार के प्रकाशन में आपने पूर्ण सहयोग दिया। प्रवासी भारतीयों का स्वदेश लौटने का आपने जोरदार प्रचार किया। गदर की तैयारी के लिए स्वदेश लौटकर सराभा ने जी-जान से कोशिश की। विद्रोह असफल हो जाने पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया। ढेढ़ साल तक राजद्रोह का मुकदमा चला। फाँसी से पहले अग्रेज न्यायाधीश से कर्तार ने कहा था— “मातृभूमि को मुक्त कराने की कोशिश कभी गुनाह नहीं हो सकती। आप मुझे फाँसी की सजा दीजिए। आजन्म कारावास, मैं नहीं चाहता। फाँसी के बाद मैं फिर यही जन्म लूँगा और फिर लड़ूँगा। एक कर्तार मरेगा तो घर-घर में और कर्तार पैदा होंगे। उन सभी की मदद के लिए आपके पास फँदे भी नहीं होंगे।” आखिर कर्तार की इच्छा पूरी हुई। उसे फाँसी की सजा-सुनायी गयी। नवम्बर 1915 को कर्तार “भारत माता की जय” का नारा बोलते हुए प्रसन्नता के साथ फाँसी पर चढ़ गया।

(ग) श्यामजी कृष्ण वर्मा

विदेशों में क्रान्तिकारियों का संगठन कर उन्हें भारत की आजादी के लिए लड़-मरने के लिए उत्प्रेरित करने वाले में काठियावाड़ी विद्वान एवं प्रख्यात देश-भक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रमुख थे। वर्मा बैरिस्टर की डिग्री के

साथ इंग्लैंड गए और वही बस गये। देश में चल रहे स्वराज्य-आन्दोलन और क्रान्ति के प्रति उनका भावनात्मक लगाव अन्तहीन था। वे अपनी मातृ-भूमि की सेवा करना चाहते थे। लेकिन शायद उनकी योजना शेर को उसी की माँ में मात देने की थी। बर्मा ने 1905 में ही लन्दन में खुद की स्थापित कर लिया और भारतीय गृह नियम सोसा-



यटी (इण्डियन होमरूल सोसायटी) गठित की। श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने मकसद् को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रचार मञ्चाओं के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन्हीं कार्यक्रमों के रूप में पहली जुलाई को उन्होंने प्रसिद्ध इण्डिया हाउस की स्थापना की।

कृष्ण वर्मा द्वारा निर्मित लन्दन के इण्डिया हाउस (भारत भवन) का अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। इसी भवन में तरुण क्रान्तिकारियों की टोली ने 'अभिनव भारत' के नाम से क्रान्तिकारी क्रियाकलापों को आरम्भ किया। विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारी गतिविधियों को तेज करने में इन दोनों संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

(घ) मदनलाल धींगरा

इण्डिया हाउस (भारत भवन) के युवा क्रान्तिकारियों में मदनलाल धींगरा का नाम उल्लेखनीय है। मदनलाल धींगरा विदेशी सरजमी पर शहीद होनेवाला पहला भारतीय था। भारत भवन के युवा भारतीय क्रान्तिकारियों के नेता वीर सावरकर थे। मदनलाल धींगरा वीर सावरकर से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने भारत के सेक्रेटरी सर विलियम कर्नल बायली के ए.डी.सी. की अपनी



मदनलाल धींगरा

नौकरी छोड़ दी। पहली जुलाई 1909 की वान है। उस दिन मदननाल ने नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बैठक में एक अग्रज अफसर को अपने रिवा-ल्वर से ठपड़ा कर दिया। 18 अगस्त 1909 को मदननाल धीगरा को पेटोन-विले जेल में मौत की सजा दी गयी। इस प्रकार भारतीय क्रान्तिकारियों के लिए धीगरा प्रेरणा-स्रोत बन गए।

(ङ) विनायक दामोदर सावरकर

विदेशों में जिन क्रान्तिकारियों ने आजादी के मशाल को तेज किया था, उनमें अग्रदूत थे— विनायक दामोदर सावरकर। इंडिया हाउस (भारत भवन) के युवा भारतीय क्रान्तिकारियों के नेता वीर सावरकर थे। उन्हीं की प्रेरणा से लन्दन के अनेक युवा भारतीय सशस्त्र क्रान्ति में कूद पड़े थे।



वीर सावरकर

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के भगूर ग्राम में 28 मई सन् 1883 में इतिहास प्रसिद्ध चित्तपावन ब्राह्मण वंश में हुआ था। अनेक प्रमुख योद्धाजैसे श्री बाजीराव, पानीपत के योद्धा महान् राजनीतिज्ञ नाना फड़नवीस, सन् 1857 के स्वातन्त्र्य संग्राम के नेता नाना साहिब, प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वासुदेव बलवन्त फडके, चापकर बन्धु, रानाडे, गोखले और लोकमान्य तिलक आदि देश भक्त इसी चित्तपावन वंश में पैदा हुए थे। श्री सावरकर, श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की छानदृष्टि द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बम्बई से 9 जून सन् 1906 को चलकर 3 जुलाई को इंग्लैंड पहुँचे थे।

उन दिनों इंडिया हाउस में सावरकर की गतिविधियों के कारण लन्दन का माहिल काफ़ी गर्म था। मित्रों की सलाह पर 10 जनवरी 1910 को सावरकर पेरिस चले गये। वहाँ से सीधे मंडम् कामा के फ्लैट पर गये।



वह जहाज जिससे वीर सावरकर समुद्र में कूदे थे— मूर्ति के लिए लेकिन वहाँ से वे बहुत जल्दी ही 12 मार्च को लन्दन के रास्ते भारत लौटने के लिए रवाना हो गए। अगली ही सुबह विक्टोरिया स्टेशन पर पहुँचने के साथ ही वे गिरफ्तार कर लिये गये। 12 मई को उन्हें एक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने मुकदमे के लिए भारत भेजने का आदेश दिया। अदालत में यद्यपि सावरकर अत्यन्त शान्त थे लेकिन कामरेड अय्यर ने उन्हें एक गोपनीय वाक्य से सकेत दिया कि "हम लोग मार्साइल्स पर पुनः मिलेंगे।" चट्टोपाध्याय तथा अय्यर ने उस मोरेला पोत के बारे में सभी जानकारियाँ एकत्र कर ली, जिससे महान् भारतीय राजनेता को स्वदेश वापस ले जाया जाना था। इस बात की पूरी व्यवस्था की गयी कि 'सावरकर' मार्साइल्स के निकट समुद्र में कूदेंगे। उनके साथी कामरेड समुद्र तट पर एक टैंकी पर उनकी प्रतीक्षा करेंगे और इसके बाद सभी एक साथ सीधे पेरिस चल जायेंगे। योजनानुसार सावरकर जहाज से समुद्र में कूद पड़े, लेकिन थोड़ी देर हो गयी। सावरकर फ्रांसीसी पुलिस के हाथों घेर लिये गए और ब्रिटिश पुलिस को सौंप दिया गया।

सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अभियोग लगाकर सावरकर पर मुकदमा चलाया गया। 23 दिसम्बर सन् 1910 को न्यायाधीशों ने सावरकर को 55 वर्ष का कालेपानी का कठोर दण्ड दिया।

वीर सावरकर का समस्त जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। भारत वसुधैरा वस्तुतः उनको जन्म देकर घन्य हो गई।

ग़दर-आन्दोलन की विफलता के मुख्य कारण

1. प्रवासी भारतीयों द्वारा ग़दर आन्दोलन के पीछे जो मुख्य कारण था, वह क्रांतिकारियों का अनूठा जोश था। ग़दर पार्टी के नेताओं का इम जोश पर काबू पाना तो एक और रहा, वे स्वयं भी उसी बहाव में बह गए। भावा-देश में विद्रोह संग्राम में कूद पड़े।

2. क्रांतिकारियों को राजनैतिक दाँव-पेचों का कोई सम्बा-चौड़ा अनुभव नहीं था। भारत के लिए प्रस्थान-अभियान के समय क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल भी अमेरिका में नहीं थे।

3. मुख्य क्रांतिकारी नेता जहाज से उतरते ही गिरफ्तार कर लिए गए। ग़दर पार्टी के प्रधान श्री सोहनलाल भकना की गिरफ्तारी से क्रांति-कारी आन्दोलन को जबर्दस्त घटका लगा था। "गिरफ्तार हुए नेताओं के स्थान की पूर्ति नये नेता न कर सके।"

4. ग़दर पार्टी के संगठन में दृढ़ता नहीं थी। योजनाबद्ध कार्यक्रमों का भी अभाव रहा। क्रांतिकारी अपनी स्वतंत्र सूझ-बूझ से भारत को प्रस्थान किया। पर उनका भावी कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं था।

5. विद्रोह के विफल हो जाने का एक कारण यह भी था कि विश्व-युद्ध के समय विदेशों में प्रवासी भारतीयों द्वारा जिस तरह की तैयारी और जोश-उत्साह था, उस प्रकार का वातावरण भारत में तैंगर नहीं हुआ था। ग़दर के लिए भारत और अमेरिका के बीच सम्पर्क-सूत्रों का भी अभाव था। देश में जागृति अभी आई नहीं थी।

6. एक क्रांतिकारी नेता पं. परमानन्द का मन्तव्य था कि ग़दर की योजना बच्चों का खेल था।

ग़दर आन्दोलन की विशेषताएँ

1. अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा प्रवासी भारतीयों को सन् सत्तावन के स्वाधीनता-संग्राम से मिली थी। यह आन्दोलन अपूर्व, अनुपम और अनुकरणीय था।

2. प्रवासी भारतीयों के दिलों में अमेरिका स्वतंत्रता एवं समानता के वातावरण ने राजनीतिक चेतना को जगाया था।

3. प्रवासी भारतीयों में अपनी मातृभूमि के प्रति जिस प्रकार की अनुपम देशभक्ति, अदम्य साहस, बलिदान की भावना, लगन-उत्साह आदि की भावना विद्यमान थी, उस तरह की भावनाएँ भारतवासियों में विद्यमान नहीं थीं। उस समय भारतीयों के दिल बुझे-बुझे-से थे।

4. भारत में ग़दर के असफल हो जाने के बावजूद ग़दरी क्रान्तिकारियों ने अपना साहस नहीं छोड़ा। उनकी अदम्य क्रान्तिकारी भावना में कोई अन्तर नहीं आया। उन्होंने भारत के पड़ोसी देश बर्मा, स्याम, अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि देशों की सहायता से ब्रिटिश सरकार पर चोट करने के निरन्तर प्रयास किये। उनमें दृढ़ता, लगन आदि ऐसे गुण थे जिनमें सक्षत्र क्रान्ति में दृढ़ विश्वास था। क्रान्तिकारियों के प्रवासों, संघर्षों व बलिदानों से अभूतपूर्व जन-जागृति हुई और भावी स्वाधीनता संग्राम को बहुत बड़ा बल मिला।

5. आर्थिक संकट के शिकार होकर भारतीय विशेषतः पंजाबी किसान, विदेशों को जाने के लिए मजबूर हुए थे। वहाँ उन्हें जो कड़वा अनुभव हुआ, उसने उनके दिलों में क्रान्तिकारी भावना को जन्म दिया और उन्होंने यह अनुभव किया कि सारी मुसीबतों की जड़ मातृभूमि की पराधीनता है। इस पराधीनता को अपने कंधों से उतारे फेंकने के लिए प्रवासी भारतीयों ने ज़ुझारू संघर्ष किया।

6. प्रवासी भारतीय ऐसे क्रान्तिकारी थे, जो स्वतंत्रता रूपी शमा के परवाने थे, जिन्हें दूसरो से नहीं, अपितु अपने बलिदान से मतलब था।

7. इसमें कोई सन्देह नहीं कि क्रान्तिकारी नेता दूरदर्शी थे। उन्होंने विश्व महायुद्ध के दो वर्ष पूर्व ही ब्रिटेन के युद्ध में शरीक हो जाने का अन्दाज़ा लगा लिया था। राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाने के उद्देश्य से "ग़दर पार्टी" की स्थापना की थी।

होमरूल आन्दोलन

1913 से 1940 तक प्रथम विश्व महायुद्ध के संदर्भ में देश के कुछ ऐसे आन्दोलन हुए जिनका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। उनमें "होमरूल-आन्दोलन" भी एक था। होमरूल आन्दोलन इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। उग्रवादी इंग्लैण्ड को प्रथम विश्व महायुद्ध में फँसा हुआ देखकर लाभ उठाकर आजादी पाना चाहते थे। भारतीय जनता को जागृत एवं संगठित करना आवश्यक था। इस कार्य को होमरूल आन्दोलन द्वारा श्रीमती ऐनीबेसन्ट और तिलक ने किया। "मराठा और केसरी" के माध्यम से तिलक ने उत्तेजनापरक लेखों द्वारा भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को नई दिशा दी।

28 अप्रैल 1916 को पूना मुख्यालय बनाकर होमरूल लीग की स्थापना कर दी गई। उसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट को बनाया गया। तिलक ने एक साख रुपये की धौली जो उन्हें भेंट स्वरूप दी गई थी, लीग को दे दी। इस संगठन की अनेक शाखाएँ विभिन्न नगरों और विदेशों में खुल गयीं। एक वर्ष में तिलक की होमरूल लीग के 14,000 सदस्य बन गए। श्रीमती ऐनी बेसेप्ट ने स्पष्ट रूप से यह माँग रखी थी :-

"भारत अब साम्राज्यवाद के शिक्षुगृह में एक शिक्षु की भाँति नहीं रहना चाहता और न वह अपने खून तथा आँसुओं के बदले स्वतंत्रता की प्रार्थना

करता है। वह एक राष्ट्र की हैसियत से साम्राज्य से न्याय चाहता है तथा स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझकर माँगता है।”

विदेशों में होमरूल लीग ने भारत की माँग का प्रचार किया। दैनिक पत्रों में लेख प्रकाशित किए गए। सदन में प्रश्नोत्तर उठाने गए। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की संसद में भारतीय माँगों का समर्थन करने वाला एक दल बन गया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने अपने 1918 के नोटिधम् अधिवेशन में भारत को होमरूल प्रदान करने के निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया। इसी प्रकार उस समय अमेरिका के अलबार्तो में धूम मच गई थी।



श्रीमती एनीबेसेट

श्रीमती एनीबेसेट ने कहा था—
 “भारत स्वराज्य माँगता है क्योंकि स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है... ईश्वर को घन्यवाद है कि भारत की आँखें खुल रही हैं -- भारत अब अपने घुटने टेक कर भिसा नहीं माँग रहा है, प्रत्युत अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपने पैरों पर खड़ा है।”

क्रान्तिकारियों के प्रेरणा-स्रोत : तिलक (1856-1920)

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता-संग्राम के सेनापति, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, उच्चकोटि के विद्वान् एवं क्रान्तिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। वे भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के कृष्ण मा कीटिल्य के नाम से विख्यात हैं। “स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा।” यह घोषणा देश में सब से पहले तिलक ने की थी। तिलक ज्ञान और कर्म के एक अद्भुत मिश्रण थे।

भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिनचन्द्र पाल का नेतृत्व था। ये नेता-त्रय "बाल-लाल-पाल" के नाम से प्रसिद्ध हैं। तिलक प्रथम श्रेणी के देशभक्त और विदेशी नौकरशाही के कट्टर शत्रु थे। उनका विश्वास था कि राजनैतिक भिक्षावृत्ति के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने गणेश-उत्सव, शिवाजी-उत्सव, पैसा फण्ड, राष्ट्रीय स्कूल इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा जनता में जागृति पैदा की थी। इन सब कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका जाए। उनकी सिद्ध-गर्जना थी : "भाट की तरह गुनगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जायेगी। स्वतंत्रता के लिए शिवाजी की भांति नाहसी कार्य करने पड़ेगे।"

देश-सेवा की भाग उनके हृदय में विद्यार्थी काल से ही जलने लगी थी। कालत परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों के विरोध में "न्यू इंग्लिश स्कूल" की स्थापना की। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय विचारों वाले सच्चे नागरिक पैदा करना। बाद में उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में क्रमशः "केसरी और मराठा" अखबार निकाले। इनके द्वारा उन्होंने जनता को निर्भय होकर स्वराज्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सन् 1897 तथा 1908 में क्रान्तिकारी विचारों के अपराध में तिलक को कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। इस सम्बन्ध में मन्मथनाथ गुप्त का अभिमत है : "लोकमान्य तिलक को पहली बार जो राजनैतिक सजा हुई, वह क्रान्तिकारी विचारों के कारण ही हुई थी। उन पर यह अभियोग लगाया गया था कि उन्होंने महाराष्ट्र के क्रान्तिकारियों यानी अंग्रेज अफसर को मारकर फाँसी पाने वाले तीन चाफेकर बन्धुओं और नाटू बन्धुओं आदि के लिए नैतिक बाहुद प्रस्तुत की थी। इसके कई साल बाद जब उन्हें फिर 1908 में सजा हुई, तो इस कारण हुई कि उन्होंने बंगाल के प्रसिद्ध नवयुवक शहीद खुदीराम की प्रशंसा करते हुए "केसरी" नामक पत्र में उसका अभिनन्दन किया था।

यहाँ उल्लेखनीय है कि अमर शहीद खुदीराम बोस महान् क्रान्तिकारी था जिसने अंग्रेज न्यायाधीश से कहा था— "मुझे सी बार भी फाँसी दी जाती है तो मुझे खुशी होगी कि भारत माँ अपने बेटे को अपनी गोद में सहारा तो देगी।" 19 अगस्त 1908 को फाँसी पर जाने से पहले खुदीराम अपने हाथ में भगवद् गीता लिये हँसते हुए 'बन्देमातरम्' और 'भारत माँ की जय' कहते हुए फाँसी पर झूल गया था।



(खुदीराम, अपने हाथ में गीता को लेकर फाँसी पर लटकने के लिए जाते हुए)

लोकमान्य तिलक ने 1889 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश करके अपने क्रान्तिकारी विचार कांग्रेस सदस्यों के सम्मुख रखे। गरमदल के नेता के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए।

तिलक इच्छकोटि के विद्वान् थे। 1908 से 1914 तक के अपने छः वर्षीय कारावास-काल में उन्होंने "गीता रहस्य" तथा 'दि आर्कटिक होम ऑफ़ दि वेदाज' नामक दो प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की। इन ग्रंथ में तिलक की विद्वत्ता, ऐतिहासिक शोधवृत्ति, विस्तृत ज्ञान और उत्कृष्ट विचारों का परिचय मिलता है। उनके द्वारा रचित "गीता रहस्य" शंकराचार्य के बाद सब से सुन्दर तथा तर्कपूर्ण गीता का भाष्य है।

लोकमान्य तिलक ने भारतीय जनता को "अवज्ञा का दर्शन" प्रदान किया और इस दृष्टि से वे भारतीय जागृति के अप्रदुन थे। तिनक अपने जीवन की अन्तिम साँस तक भारतीय-स्वतंत्रता के लिए सघर्ष करते रहें। अगस्त 1920 को इस कर्मयोगी ने सदा के लिए अपनी आँखें मीच ली।

हृदय विदारक नरसंहार : जलियांवाला-बाग



जलियावाला-बाग नर-संहार का शाश्वत प्रतीक

13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियावाला-बाग में जो नर-संहार हुआ था, वह अत्यन्त हृदय विदारक और अधिक बीभत्स था। इस घटना से

अंग्रेजों की बर्बरता, क्रूरता और निष्ठुरता जग-जाहिर हुई। उनकी पाश-चिकता का ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलता। इस घटना से क्रान्तिकारियों का खून खौल उठा था। उनके हृदय में प्रतिशोध की भावना बढक उठी और क्रान्तिकारियों ने इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की कसम खाई।

वह घटना यों हुई कि लाहौर और अमृत-सर में 15 अप्रैल 1919 को फौजी कानून जारी करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद ही पंजाब के दो-तीन जिलों में वह जारी कर दिया गया था, परन्तु इस घोषणा के दो दिन पूर्व 13 अप्रैल (वर्ष-प्रतिपदा) को जो कि हिन्दुओं के संवत्सर का दिवस था। इस संदर्भ में अमृतसर में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई थी और जलियावाला-बाग़ में एक बड़ी भारी सभा आयोजित की गई। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में था। शहर के मकान ही इसकी चहारदीवारी बनाये हुए थे। इसका दरवाजा बहुत ही सकरा था, इतना कि एक



क्रूर जनरल डायर

गाड़ी उसमें होकर नहीं निकल सकती थी। बाग़ में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गए थे, जिनमें पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे भी सम्मिलित थे और सब के सब निहत्थे थे। शान्तिपूर्वक सभा हो रही थी। तब जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे सशस्त्र सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सैनिक थे। जिस समय ये लोग घुसे उस समय हंस-राज नामक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों लोग गोली से भून दिये गए। देखते ही देखते सारा मैदान शबों से भर गया था। सभा में भगदड़ मच गई। चीत्कारों और हाहाकारों से आकाश गूँज उठा। उस भगदड़ में अनेक लोग कुचले जाने से मर गए थे। बहुत से लोग अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहाँ के कुएँ में कूद पड़े और मर गए। हजारों लोग मौत के घाट उतार दिये गए थे। [वह सभा-स्थल क्षमशान भूमि बन गई। यह एक भयंकर नर-संहार था।

बाद में हण्टर कमीशन के सम्मुख अपनी गवाही में जनरल डायर ने बताया था कि उसने लोगों को तितर-बितर होने की आज्ञा दी और फिर बस गोली चलाने का हुक्म दे दिया, लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि तितर-बितर हो जाने के हुक्म देने के तीन मिनट बाद ही उसने गोली चलवा दी थी। यह बात ही स्पष्ट ही है कि बीस हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-बितर नहीं ही सकते थे। और वह भी विशेषकर एक बहुत तग दरवाजे से होकर। उन पर गीली तब तक चलती रही, जब तक सारे कारतूस खत्म नहीं हो गए। कुल सोलह सौ फायर किये गए थे। सरकार की स्थय को रिपोर्ट के अनुसार चार सौ मरे थे और घायलों की संख्या एक-दो हजार के बीच में थी। दुःख की बात तो यह थी कि गोली हिन्दुस्तानी फ़ौजियों से चलवाई गई थी, जिनके पीछे गोरे अंग्रेज सिपाहियों को लगा दिया गया था। ये सब के सब बाग़ में एक ऊंचे स्थान पर लड़े हुए थे। वास्तव में सब से बड़ी दुःखद बात तो यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतक और वे लोग जो बुरी तरह से सख्त घायल हो गए थे, उन्हें सारी रात वहीं पड़ा रहने दिया गया। वहाँ उन्हें रात भर न तो पानी ही पीने को मिला और न डॉक्टरों या कोई अन्य सहायता ही।

जनरल डायर कितना क्रूर, पाश्विक तथा निर्दयी था, इसका पता उसके बाद के बयान से प्रकट होता है कि चूंकि शहर फौज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बात की डोंडी पिटवा दी गई थी कि कोई भी सभा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो भी लोगों ने उसकी अवहेलना की, इस लिए मैं ने उन्हें एक सबक देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उड़ा सकें।

एक अन्य बयान में जनरल डायर ने बड़े अहंकार से कहा था—
 “मैं ने और जो गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते। सोलह सौ बार ही गोली चलाई, क्यों कि मेरे पास कारतूस खत्म ही गए थे।” उसने आगे कहा— “मैं तो एक फ़ौजी गाड़ी (गार्डकार) ले गया था, लेकिन वहाँ

जाकर देखा कि वह बाग के भीतर घूम ही नहीं सकती थी, इसलिए उसे वही बाहर छोड़ दिया था।¹

इस हृदय विदारक नरसंहार के बाद भी क्या अंग्रेज जाति को सुशिक्षित, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत कहा जा सकता है? इस सदर्भ में कार्लमार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स की यह टिप्पणी बहुत ही सार्थक है— “यह साफ़ बात है कि अंग्रेज चाहें बाहर से जितने सुशिक्षित, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत रहे हों, परन्तु भीतर से तो वे उतने ही बर्बर, लूटेरे और क्रूर रहे हैं। हमारी आँखों के सामने पूँजीवादी सभ्यता का वह घोर पाखण्ड और स्वभावगत बर्बरता निरवस्थ होकर आ गई, जो अपने देश में भद्रता की चादर ओढ़े रहती है और उपनिवेशों में नंगी धूमती है।”²



-
1. डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या : कांग्रेस का इतिहास भाग-2, पृ. 133,
 2. कार्लमार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स : उपनिवेश के बारे में, पृ. 114

पंचम अध्याय

त्रिकोणात्मक स्वाधीनता संग्राम

(सन् 1920 से 1939 तक)

विषय क्रम

1. त्रिवेणी संगम
2. उदारवादी दल
 - (अ) गांधीयुग
 - (आ) नेहरूयुग
 - (इ) नेहरू रिपोर्ट
 - (ई) सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोलमेज सम्मेलन
3. स्वराज्य दल की स्थापना

स्वराज्य दल की सफलता
4. क्रान्तिकारियों का आतंकवादी आन्दोलन
 - (क) आतंकवाद का स्वरूप
 - (ख) आतंकवादी-आन्दोलन
 - (ग) आन्ध्र में अल्लूरि सीताराम राजु का विद्रोह
 - (घ) काकोरी काण्ड
 - (ङ) क्रान्तिकारियों का दर्शन
 - (च) राष्ट्रीय अपमान का बदला
 - (छ) सशस्त्र क्रान्ति का स्वर्णिम अध्याय
 - (ज) प्रमुख क्रान्तिकारियों की शहादत
 - (झ) बाइसराय की ट्रेन की नीचे बम-विस्फोट
 - (ञ) चिटगांव में विद्रोह
 - (ट) फ्लावर्स दरबार
 - (ठ) कीर्ति पार्टी का विद्रोह
 - (ड) किशोर ज्ञानी जैलसिंह का साहसिक कदम
 - (ढ) निष्कर्ष

त्रिवेणी संगम

सन् 1920 से 1939 तक के 20 वर्षीय कालखण्ड में भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। भारतीय जन-जागरण भी इस कालखण्ड में अपनी चरमसोमा पर पहुँच चुका था। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। इसका प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। रूस की क्रान्ति ने सत्तार की शोषित दलित, पराधीन जनता को आलोड़ित कर दिया और भारतीय जनता को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष का संदेश दिया।

यह कालखण्ड एक प्रकार से गांधी-नेहरू-युग था। स्वाधीनता-आन्दोलन के तैवर बदल चुके थे। पूर्ण स्वतंत्रता को मांग उठायी गयी थी। पं नेहरू ने कांग्रेस को एक नयी दिशा दी और उसे समाजवाद से जोड़ा था। इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम का मुख्य स्वर स्वतंत्रता एक समानता बना।

समाजवाद एक ऐसा बिन्दु था, जहाँ पर गांधीवादियों एवं क्रान्तिकारियों का विलक्षण संगम हुआ था। शान्ति व क्रान्ति, अहिंसा व हिंसा का विचित्र मेल हो गया था। यद्यपि दोनों के रास्ते अलग-अलग थे, परन्तु मुख्य लक्ष्य एक ही था। क्रान्तिकारिता की दृष्टि से 1920 से 1939 का कालखण्ड भगतसिंह-आज़ाद-नेताजी का युग था। भगतसिंह ने “हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का नाम बदलकर हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी” नाम रखा। इस प्रकार क्रान्तिकारियों के मूलभूत सिद्धान्त बने— प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद। इन क्रान्तिकारों नेताओं ने अपनी दिलेरी और साहसिक कार्यों से भारतीय जनता को अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु संघर्ष की प्रेरणा दी। उग्रवाद को अपने लक्ष्य का साधन बनाया अर्थात् आतंकवाद द्वारा आज़ादी प्राप्त करना। अपने साहसिक कार्यों और बलिदानों द्वारा सारे सत्तार की आँखें खोल दी और अपने क्रान्तिकारी कार्यक्रमों के प्रति जनता की सहानु-

भूति प्राप्त कर ली। इनके प्रेरणा स्रोत थे- बाल-लाल-पाल उग्रवादी नेता-त्रय।

इस कालखण्ड में स्वाधीनता-संग्राम की मुख्य रूप से तीन धाराएँ प्रवाहित हुईं- सदारवाद, अडगावाद और उग्रवाद इन धाराओं के प्रमुख नेता थे :- क्रमशः गांधीजी, चित्तरजनदास और सरदार भगतसिंह। इनके रास्ते अलग-अलग थे, परन्तु सब का उद्देश्य एक ही था। ये धाराएँ अलग नहीं, अपितु राष्ट्रीयता का क्रमिक विकास ही हैं। ये धाराएँ आपस में इतनी घुली-मिली थी कि इनमें पुष्कल रेशा खींचना मुश्किल था। एक-दूसरे को बराबर प्रभावित एवं परिचालित कर रही थी। उग्रवादी इन धाराओं के साथ-साथ चल रहे थे और जहाँ-कहीं भी राष्ट्रीय नेताओं का अपमान हुआ, वहाँ क्रान्तिकारियों ने उस राष्ट्रीय अपमान का हिंसा द्वारा बदला लिया। इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में कांग्रेस के वैधानिक आन्दोलन और क्रान्तिकारी आन्दोलन ने एक-दूसरे के पूरक का कार्य किया। प्रसिद्ध लेखक श्री मन्मथानाथ गुप्त सन् 1919 से पहले क्रान्तिकारियों का ही संग्राह स्विकार करते हैं। वे लिखते हैं- “यह बात तो सर्वसम्मत है कि 1919 से पहले क्रान्तिकारी आन्दोलन ही भारत का एक मात्र जगजू-आन्दोलन था। बाकी आन्दोलन यानी कांग्रेस और उसके इर्द-गिर्द के आन्दोलन को भिक्षापात्र के आन्दोलन कह सकते हैं। 1919 के बाद कांग्रेस में गांधीजी का प्रभाव बढ़ गया और उन्होंने इसे एक जन-संगठन में बदल दिया और तब 1921 में क्रान्तिकारियों ने उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया।”

(अ) गांधीयुग

सन् 1919 तक गांधीजी अंग्रेजी के राजभक्त थे, वे अपने गुरु गोखले के परमशिष्य थे, परन्तु रीलेट एक्ट, जालियाँवाला हत्याकांड, हण्टर कमेटी रिपोर्ट और अन्तिम रूप से खिलाफत समस्या के कारण, 1915 के सहयोगी गांधी 1920 में असहयोगी गांधी बन गए। इन घटनाओं ने गांधीजी की आस्था को जबरदस्त धक्का पहुँचा था, यही कि युद्ध के समय ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा था। भारतीय नेताओं ने यह सोचा था कि युद्ध-समाप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना ही जाएगी, परन्तु बहुत निराशा हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि युद्ध से भारतीय राष्ट्रवाद को अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। सितम्बर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधीजी ने पहली बार असहयोग आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया। प्रमुख नेताओं द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। बाद-विवाद के बाद मतदान हुआ। प्रस्ताव 1855 मत के मुकाबिले 27 28 बहुमत के आधार पर स्वीकृत हो गया। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही भारतीय राजनीति में "गांधी युग" प्रारम्भ हो गया। गांधीजी के इस प्रस्ताव ने कांग्रेस को एक नयी दिशा प्रदान की। इसके साथ ही असहयोग और सत्याग्रह की नींव पड़ गई।

दिसम्बर-1920 की नागपुर में श्री विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में अधिवेशन सम्पन्न हुआ। यह एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में स्वीकृत गांधीजी के असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तथा भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस में एक नया दृष्टिकोण, उत्साह, स्फूर्ति और साहस प्रदान किया। एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। कांग्रेस ने अब वैश्व-वैधानिक आन्दोलन की सीमा का परित्याग कर सरकार का सक्रिय विरोध करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि इस अधिवेशन में पहली बार अनुमानतः 20 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने उच्च मध्यम वर्ग की समस्या के स्थान पर सच्चे और पूर्ण अर्थों में किसी सर्व-साधारण संस्था का रूप ले लिया था।

सन् 1921 में गांधीजी भारतीय जनता के बीच में असहयोग का सन्देश लेकर अवतरित हुए। जनता का देशभ्यापी समर्थन मिला। जनता के उत्साह को देखकर अंग्रेज चकित हो गए। असहयोग का उद्देश्य था— ब्रिटिश की भारत में जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ थी, उन सबका बहिष्कार कर दिया जाए और इस प्रकार सरकारी मशीनरी को बिल्कुल ठप्प कर दिया जाए। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार आन्दोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार था —

1. सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों और उपाधियों का परित्याग।
2. सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार।
3. 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार।
4. सरकारी अदालतों का बहिष्कार
5. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।
6. सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों एवं समारोहों का बहिष्कार।
7. भारतीय तथा मैसोपोटेमिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में कार्य करने से इन्कार करना।

आन्दोलन का प्रारम्भ गांधीजी ने अपने "केसर-ए-हिन्द" की पदवी को वापस देकर किया। लाखों लोगो ने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। इन निषेधात्मक कार्यक्रम के अतिरिक्त सकारात्मक पक्ष भी था। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम सम्मिलित थे :—

1. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना।
2. विवादों को निपटाने के लिए निजी पंचायतों की स्थापना।
3. दस्तकारिता का पुनरुद्धार।
4. स्वदेशी वस्तुओं का व्यापक प्रचार।
5. छूआ-छूत का उन्मूलन।

17 नवम्बर 1921 को प्रिंस ऑफ वेन्स बम्बई उतरे और कांग्रेस के निश्चयानुसार बम्बई में हड़ताल द्वारा उनका स्वागत किया गया। उस दिन हड़तालियों और स्वागत करने वालों के बीच संघर्ष भी हुआ, जिसमें पुलिस की गोली से 52 व्यक्ति मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना पर गांधीजी ने प्रायश्चित्त के रूप में पाँच दिन का उपवास किया। फलतः बहिष्कार का कार्यक्रम शान्तिपूर्वक ही गया।

लेकिन अंग्रेज शासन का अपना दमन-चक्र जारी रहा। दिसम्बर 1921 तक कांग्रेस के अनेक छोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनमें गांधीजी, चित्तरजनदास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय, मोलाना-आजाद, इत्यादि थे। उस समय गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या लग-भग 60 हजार थी। लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में पं. नेहरू लिखते हैं:— किशोर और नवयुवक पुलिस की गाड़ियों में जा बैठते और उतरने से इकार कर देते। पुलिस और जेल-अधिकारी इन असाधारण घटनाओं से चकित और किर्तकम्प विमूढ़ हो रहे थे।”

दिसम्बर 1921 को अहमदाबाद अधिवेशन में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया और एक प्रस्ताव द्वारा गांधीजी की सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सर्वाधिकारी नियुक्त किया गया।

5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सम्पूर्ण राज-नैतिक स्थिति को ही बदल दिया था। फरवरी 1922 को गांधीजी ने वायसराय को सरकारी नीति में परिवर्तन करने के लिए सात दिन का अन्तिम चेतावनी-पत्र लिखा था। सात दिन का समय अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि गोरख-पुर जिले के चौरा-चौरी किसानों की एक भोड़ और पुलिस के बीच मिडन्त हो गई। उत्तेजित किसानों ने एक थानेदार और 21 सिपाहियों को थाने में सदेड दिया और थाने को आग लगा दी। वे सब आग में जलकर मर गए। गांधीजी की इसी और दूसरी अन्य घटनाओं के कारण बहुत दुःख हुआ। इन घटनाओं से यह मालूम पड़ रहा था कि आन्दोलन हिंसात्मक होता जा रहा

था। गांधीजी की राय से कांग्रेस-कार्यमिति ने कानून तोड़ने वाले अपने अमहयोग कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया गया —

- (क) कांग्रेस के लिए एक करोड़ मद्रम्य बनाना।
- (ख) चर्खे का प्रचार।
- (ग) राष्ट्रीय शिक्षा समिती की स्थापना।
- (घ) मादक द्रव्य-निषेध।
- (ङ) पचायते संगठित करना।
- (च) अस्पृश्यता निवारण इत्यादि।

आन्दोलन स्थगित किये जाने के दूसरे ही दिन 12 फरवरी को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। इस प्रकार अमहयोग-आन्दोलन की पहली अवस्था खत्म हो गई।

गांधीजी द्वारा आकस्मिक रूप से अमहयोग-आन्दोलन स्थगित करने का जो निर्णय लिया गया, उसका देश के अन्य नेताओं द्वारा व्यापक विरोध हुआ। सुभाषचन्द्र बोस ने कहा— “ठीक उस समय, जब कि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था।” चित्तरजनदास ने कहा “महात्माजी किनी भी अभियान का आरम्भ बड़े शानदार ढंग से करते हैं, वे उसे निपुणतापूर्वक आगे बढ़ाते हैं, उन्हें एक के बाद एक सफलता मिलती जाती है, यहाँ तक कि वे अपने अभियान के चरम शिखर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन तब उनकी हिम्मत छूट जाती है और वे लड़खलाने लगते हैं।” इस प्रकार बड़ी सख्या में कांग्रेसियों ने आन्दोलन — स्थगित के निर्णय को राष्ट्रीय अपमान अनुभव किया। फलतः 24 फरवरी को दिल्ली में आयोजित विषय समिति की बैठक में गांधीजी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया।

1922 में जिस आकस्मिक ढंग से असहयोग-आन्दोलन स्थगित किया गया, उससे इस आन्दोलन की दुर्बलताएँ स्पष्ट हो गईं। सब से बड़ी दुर्बलता राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं निकले। गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम सहयोग की स्थापना के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम हिन्दू-मुस्लिम तनाव के रूप में प्रकट हुआ।

इन दुर्बलताओं के बावजूद असहयोग आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक जन-आन्दोलन का रूप प्रदान कर दिया था। यह भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। असहयोग आन्दोलन की महत्ता के सम्बन्ध में सुभाषचन्द्रबोस ने लिखा है— “1921 के वर्ष में निस्सन्देह एक सुभ्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इसके पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतया बात करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी ने इसे नया विधान दिया और देशव्यापी बनाया। उन्होंने इसे एक क्रान्तिकारी संगठन के रूप में भी परिवर्तित कर दिया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाये जाने लगे, एक जैसी नीति और विचारधारा हर जगह दिखाई देने लगी। अंग्रेजी भाषा का महत्त्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिन्दी की राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। खादी अब कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई।

(आ) नेहरू-युग

पं. जवाहरलाल नेहरू सन् 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस में बिल्कुल यह प्रथम अवसर था, जब पिता के बाद पुत्र सभापति बना हो। पं. नेहरू के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के इतिहास में एक नये नेहरू-युग का आरम्भ हुआ। “पूर्ण स्वतंत्रता” और ‘समाजवाद’ की मार्गें कांग्रेस-मव से उठायी गयी। 31 दिसम्बर 1929 को लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने पहली बार “इन्कलाब-जिन्दावाद” के नारे के साथ “पूर्ण स्वतंत्रता” का प्रस्ताव पास कराया। अधिवेशन में निश्चय किया गया प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता-दिवस मनाया जाए और उस दिन देश के एक-एक व्यक्ति से आजादी का

बचन लिया जाए। इससे देश की युवा-पीढ़ी का उत्साह बढ़ा और उनमें आशाएँ बलवती बन गयीं। वामपथीगुट ने श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा श्रीनिवास अय्यंगर के नेतृत्व में "कांग्रेस जनतन्त्रवादी दल" की स्थापना की। वे कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। पं. नेहरू की यह मान्यता रही है कि आम जनता की समस्याएँ समाजवादी व्यवस्था के बिना हल नहीं हो सकती। कांग्रेस की विचारधारा पूँजीपति वर्ग से प्रभावित थी। कांग्रेस का स्वप्न या विदेशी पूँजीपतियों की जगह देशी पूँजीपतियों का प्रभुत्व ही। इसलिए सन् 1934 में युवापीढ़ी के सक्रिय प्रयास से पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में कांग्रेस के अन्तर्गत "कांग्रेस समाजवादी पार्टी" की स्थापना हुई। इस पार्टी का लक्ष्य था शोषित साधनहीन जनशक्ति के द्वारा देश में "पूर्ण स्वराज्य" और जनतन्त्र के लक्ष्य के लिए सशर्ष करना।

साइमन कमीशन और नेहरू-रिपोर्ट

स्वाधीनता-आन्दोलन दिन-प्रति-दिन तीव्र होने के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रान्तों में शासन और प्रतिनिधि संस्थाओं को कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 8 नवम्बर 1927 को उदारदल के सदस्य नरजीन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राजकीय कमीशन की नियुक्ति कर दी। यह कमीशन अपने अध्यक्ष के नाम पर "साइमन कमीशन" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घोषणा से राष्ट्रीय आन्दोलन को नवजीवन और गति मिली। फलस्वरूप अपूर्व राजनैतिक आन्दोलन का जन्म हुआ।

साइमन कमीशन भारत आनेवाला था। कमीशन के गठन तथा उसके सीमित उद्देश्यों के कारण कांग्रेस ने दिसम्बर 1927 के अपने मद्रास वाले अधिवेशन में शाही-कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया और अपने आन्दोलन को तीव्र कर दिया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। सारे भारत में हड़ताल हुई और कमीशन बहिष्कार का आन्दोलन उस दिन से आरंभ हुआ। स्थान-स्थान पर काले झण्डों व "साइमन वापस जाओ" के नारों से कमीशन का विरोध किया गया। अनेक स्थानों पर पुलिस तथा जनता के बीच सशर्ष हुआ। उत्तर भारत में पं. नेहरू, गोविन्दवल्लभपन्त,

पजाब मे लाला लाजपतराय, आन्ध्र मे टी. प्रकाशम पन्तुलु इत्यादि नेताओ ने बहिष्कार आन्दोलन का नेतृत्व किया ।

भारतीय-जनता के विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद कमीशन ने अपना जांच कार्य जारी रखा । साइमन-कमीशन दी बार भारत आया और इसने दो बर्ष तक कठिन परिश्रम करके अपनी रिपोर्ट मई 1930 को प्रकाशित कर दी । द्वैध शासन की समाप्ति, प्रान्तीय स्वशासन और सध शासन की स्थापना, मताधिकार और धारा-सभाओ का विस्तार, माम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की पूर्ववत् जारी रक्षना इत्यादि सिफारिशे रिपोर्ट मे दी गई थी । रिपोर्ट की सिफारिशो के सम्बन्ध मे भारतीय नेताओ को तीव्र प्रतिक्रिया हुई- "यह रिपोर्ट रही कागजो की ढेरी मे रखने योग्य है ।"

(इ) नेहरू-रिपोर्ट

साइमन-कमीशन, सारे देश मे व्यापक विरोधी की प्रतिक्रिया स्वरूप अनुदार भारत मंत्री लार्ड बकिन हैड ने भारतीय नेताओ की एक ऐसे सविधान का निर्माण करने जिसे भारत के समी राजनीतिक पक्ष स्वीकार करते हो, ब्रिटिश ससद के सम्मुख प्रस्तुत करने की चुनौती दी । भारत मंत्री की यह बिश्वास था सर्वदेस सम्मत सविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता, परन्तु राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत मंत्री की चुनौती स्वीकार कर ली गई । 28 फरवरी 1928 को दिल्ली मे डॉ. एम. ए. अमारी की अध्यक्षता मे एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन मे उपस्थित सभी सस्थाओ की यह सम्मति थी कि "पूर्ण उत्तरदायित्व" शासन को आधार मानकर ही भारत की वैधानिक समस्या पर बिचार किया जाए । दी महीनो मे कुल मिलाकर 25 बैठके हुई और अधिकांश प्रश्नों पर सहमति हो गई । 19 मई 1928 को बम्बई मे डॉ अन्सारी की अध्यक्षता मे सम्पन्न सम्मेलन में भारतीय विधान के सिद्धान्तो का प्रारूप तैयार करने के लिए पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे एक समिति गठित हुई और श्री जवाहरलाल नेहरू सचिव नियुक्त हुए । सगतेज-बहादुरसप्र, सर अली इमाम, श्री एम. एस. अणें, सरदार मगल सिंह, श्री शुएब कुरैशी, श्री जी. आर. प्रधान तथा श्री सुभाषचन्द्रबोस सदस्य मनो-

नीत हुए। इस समिति ने तीन मास के अनवरत पश्चिम के वाद एक रिपोर्ट तैयार की, जो "नेहरू रिपोर्ट" के नाम से विख्यात है। इस रिपोर्ट में औप-निवेशिक स्वराज्य, प्रान्तों में उत्तरदायी शासन, केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायित्व शासन, द्वि-सदनात्मक केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को स्थापना, साम्प्रदायिक निर्वाचन का अन्त, मौलिक अधिकार-प्रदान करना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सिन्ध और बलूचिस्तान अलग प्रान्तों का निर्माण इत्यादि सिफारिशें की गई थी। अगस्त 1928 में लखनऊ में सम्पन्न सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू-रिपोर्ट को मामूली सशोधनो सहित स्वीकार कर लिया गया। "राजनैतिक विकास की दिशा में एक महान् कदम" के रूप में कांग्रेस कार्यसमिति ने रिपोर्ट का अनुमोदन किया। पृथक्तावादी राष्ट्रवादी मुसलमानों ने नेहरू-रिपोर्ट का समर्थन किया, किन्तु साम्प्रदायिक नस्लों ने विरोध किया। 31 दिसम्बर 1928 को दिल्ली में सम्पन्न पृथक्तावादी सर्वदल मुस्लिम सम्मेलन में एक स्वर में रिपोर्ट का विरोध किया गया।

नेहरू-रिपोर्ट का महत्त्व इस तथ्य में स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्र भारत का सविधान भी अधिक सीमा तक नेहरू-रिपोर्ट के अनुरूप है। इसमें कोई मन्देह नहीं कि नेहरू-रिपोर्ट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास था। इसने देश के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित किया।

(ई) सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोलमेज-सम्मेलन

ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट स्वीकार न करने पर कांग्रेस ने लाहौर के 1929 के अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निश्चय किया तथा कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया कि जब कभी उचित समझे वह निश्चित क्षेत्र या सम्पूर्ण देश में कर-रहित सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर सकती है। बाद में 14 से 16 फरवरी 1930 तक सावरमती ये हुई कांग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक में गांधीजी को पूर्ण अधिकार दे दिए गए।

वायसराय से सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर गांधीजी ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने

के लिए अपने प्रशिक्षित अनुयायियों के साथ डंडी-यात्रा पर चल पड़े। 24 दिन में 200 मील-यात्रा कर गांधीजी 5 अप्रैल 1930 को समुद्रतट डांडी पहुँचे और छः अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया। इस आन्दोलन को गाँव-गाँव तक पहुँचाया गया। बहुत शीघ्र ही आन्दोलन व्यापक हो गया। 4 मई 1930 को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। महानगरों में हड़तालें हुईं, आन्दोलन जोर पकड़ता गया। अनेक लोगो ने अपनी सरकारी नौकरियों को त्याग दिया। पटेल-पटवारियों ने भी त्याग-पत्र दे दिये। इस आन्दोलन की मज से बड़ी विशेषता यह थी कि हजारों महिलाओं ने स्वाधीनता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आन्दोलन में भाग लिया। पुलिस ने दमनकार्य तेज कर दिया। अनेक स्थानों पर निर्ममता पूर्वक लाठी प्रहार किया गया। लाठी प्रहार में अनेक पुरुषों और स्त्रियों की हत्या हो गई। इसी बीच गांधी-इरविन समझौता हो गया। अत आन्दोलन स्थगित कर दिया गया किन्तु इरविन चला गया और बिल्किंगडन वायसराय बनकर भारत आया। नये वायसराय ने ईमानदारी से समझौता का पालन नहीं किया। गांधीजी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए किन्तु वे खाली हाथ लौट आए। कोई लाभ न हुआ।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः 3 जनवरी 1932 को शुरू किया गया। सरकार की ओर से बड़ी कठोरता के साथ दमन नीति चलायी गई। गांधीजी ने 17 मई 1933 को आन्दोलन स्थगित कर दिया और व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा आन्दोलन चलाया। सात मास के बाद इस आन्दोलन को भी समाप्त कर दिया गया। इस पर गांधीजी के नेतृत्व की कटु आलोचना हुई। आलोचकों में विट्ठलभाई पटेल, सुभाषचन्द्र बोस और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। गांधीजी 28 नवम्बर 1934 को कापेस से अलग हो गए। अपना सारा समय उन्होंने हरिजनोद्धार आदि रचनात्मक कार्यों में लगा दिया।

प्रथम गोलमेज-सम्मेलन कांग्रेस के अभाव में असफल हो चुका था। भारत का वायसराय ने अनुभव किया कि बिना कांग्रेस-सहयोग के भारत को शान्त नहीं किया जा सकता और न कोई समस्या ही हल हो सकती है। इसलिए वायसराय ने गांधीजी से वार्ता की और फलस्वरूप दोनों के बीच

दिनांक 5 मई 1931 को एक समझौता हुआ जिसे 'गांधी-इंविन समझौता' कहते हैं। युवा पीढ़ी के द्वारा इस समझौता की कटु आलोचना हुई। भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु की फाँसी से बचा न सकने के कारण गांधीजी के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। देश की सारी जनता निराश हुई। फिर भी गांधी-इंविन समझौते की सब से बड़ी उपलब्धि यह थी कि भारतीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय जनता के प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता मिलना है।

पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितम्बर से 1 दिसम्बर 1931 तक और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवम्बर 1932 लन्दन में सम्पन्न हुआ, किन्तु कांग्रेस ने पहला और तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया। बिना कांग्रेस के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आयोजन पर प्रतिक्रिया स्वरूप डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने "दूबहे बिना सम्पन्न होनेवाला विवाह" कहा था।

प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साम्प्रदायिकता की समस्या को हल नहीं किया जा सका था। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अन्त में प्रधान मंत्री रैम्जे मैकडानल्ड ने एक काम चलाऊ योजना की घोषणा की, जो साम्प्रदायिक अवाइड के नाम से प्रसिद्ध है। अवाइड ब्रिटिश शासन को फूट डालो और शासन करो वाली नीति का एक भाग था। अवाइड के द्वारा प्रयत्न किया गया था कि जाति और धर्म का भेदभाव और अधिक उग्र ही जाये। इस घोषणा का तीव्र विरोध किया गया। गांधीजी ने इस घोषणा के विरुद्ध 18 अगस्त 1932 को आमरण अनशन करने की घोषणा की और 20 सितम्बर को यर्वेदा जेल में अपना अनशन शुरू कर दिया। देश में हलचल मच गई। देश के नेताओं के प्रयासों के फलस्वरूप 24 सितम्बर को एक समाधान निकल आया। इसे सभी दलों और गांधीजी ने स्वीकार कर लिया। 26 सितम्बर को साय गांधीजी ने अनशन तोड़ दिया। यह समाधान "पूना-पैक्ट" के नाम से जाना जाता है।

31 मार्च 1933 को दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक डॉक्टर असारो के सभापतित्व में हुई। इस बैठक में आगामी चुनावों में भाग

लेने की अनुमति दी गई। गांधीजी ने भी अपनी सहमति दे दी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर सम्पन्न चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया। 1937 में जो चुनाव-परिणाम सामने आये, वे अद्विक उरसाह्वर्धक थे। 11 में से 6 प्रान्तों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और शेष तीन प्रान्तों में कांग्रेस सब से बड़ा दल था। 1937 में 11 में से 8 प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ और अनेक जनहित कार्य किये गए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड-लिनलिथगो ने कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के कार्यों की बहुत प्रशंसा की थी। सितम्बर 1939 ई. को द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ तो इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारत के वायसराय ने भारतीय नेताओं, कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों या केन्द्रीय विधान सभा से बिना परामर्श के यह युद्ध की घोषणा कर दी थी तो अपना अपमान समझकर कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने तुरन्त त्याग-पत्र दे दिया।

स्वराज्य दल की स्थापना

विधान-सभाओं में स्वराज्यदल का जूझारू संग्राम

फरवरी 1922 में असहयोग-आन्दोलन के स्थगन के निर्णय से कांग्रेस-जनो में असन्तोष व्याप्त हो गया था। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं था, जिसकी ओर भारतीय जनता नेतृत्व के लिए देखती। निराशा एवं अशान्ति सर्वत्र व्याप्त थी। दूमरी ओर असहयोग-आन्दोलन-काल की हिन्दू-मुस्लिम एकता का स्थान साम्प्रदायिक तनाव और दगो ने ले लिया। इस सम्बन्ध में पं. नेहरू का अभिमत है "सरकारी अधिकारियों और खुफिया विभाग का दूसरा तरीका यह था कि वे साधुओं और फकीरों के वेश में अपने खुफिया एजेंटों को साम्प्रदायिक झगड़े और दुर्गम खड़े करने को भेजते थे।"

परिवर्तित स्थिति के मूल्यांकन और भविष्य के मार्ग-निर्धारण के लिए कांग्रेस ने "सचिनय अवज्ञा जांच समिति" नियुक्त की। इस समिति ने देश मर का दौरा किया। समिति ने जो सिफारिशें पेश की हैं, उनमें 1919 के अधिनियम के आधार पर निर्मित परिषदों में प्रवेश के सम्बन्ध में सदस्यों का तीव्र मतभेद सामने आया। कांग्रेस दो वर्गों में बँट गया— एक अपरिवर्तनवादी वर्ग जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ अम्सारी तथा कस्तूरी रंगा अय्यर थे। यह वर्ग गांधीजी की नीतियों का समर्थक व कीसिल प्रवेश का विरोधी था। इस वर्ग का यह दृढ़ मत था कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के द्वारा गांधीजी द्वारा सुझाये गये रचनात्मक कार्य किये जाने चाहिए।

दूसरी ओर देशबन्धु चित्तरजनदास, मोतीलाल नेहरू, हुकीम अजमल खान और विट्ठल भाई पटेल थे, जिनका विश्वास था कि परिषदों में प्रवेश कर स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। कांग्रेस का यह वर्ग "परिवर्तनवादी" के नाम से विख्यात है। इस वर्ग का तर्क था— 'शेर को उसकी माँ में जाकर पराजित करना।' इस वर्ग का मत था कि असहयोग-आन्दोलन विफल हो गया है और इस परिवर्तित स्थिति में सत्याग्रह पंजाब तथा खिलाफत सम्बन्धी सरकार की भूलों को सुधारने हेतु तुरन्त स्वराज्य की माँग के आधार पर निर्वाचनों में भाग ले।

नवम्बर 1922 में कलकत्ते में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में "कीसिल प्रवेश" के प्रश्न पर दोनों वर्गों में बड़ा संघर्ष छिड़ गया। अन्त में जब "कीसिल प्रवेश" के प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो 890 मतों के मुक़ाबिले 1748 मतों से प्रस्ताव तो गिर गया और अपरिवर्तनवादियों की विजय हो गई— तत्काल उसी बैठक में अध्यक्ष चित्तरजनदास तथा महामन्त्री श्री मोतीलाल नेहरू ने त्याग-पत्र दे दिये।

1 जनवरी सन् 1923 को देशबन्धु तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना की और इस दल के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए देश-व्यापी दौरा किया। सर्वत्र इनका भव्य स्वागत किया गया और स्वराज्यदल की दिन-प्रति-दिन लोकप्रियता बढ़ती गयी।

स्वराज्यदल का उद्देश्य 1923 में स्वराज्यदल का चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें उस दल का प्रथम लक्ष्य यह बताया गया था कि भारतीय शासनतंत्र पर भारतीय जनता का अधिकार स्वीकार किया जाए। यदि सरकार हमारे इस अधिकार को स्वीकार न करे तो शासन कार्य का चलाना असम्भव कर दें। स्वराज्यदल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य :

भारत को स्वराज्य दिलाना और उस परिपाटी का अन्त करना जो ब्रिटिश सत्ता के आधीन भारत में विद्यमान थी। स्वराज्यदल की मुख्य-नीति अहमदाबादी नीति के द्वारा सरकारी कार्यों में असहयोग करना था।

बाद में मौलाना आजाद के प्रयत्नों से कांग्रेस और स्वराज्यदल में समझौता हो गया। सितम्बर 1923 को दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में सम्पन्न कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में "कौंसिल प्रवेश" सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि कांग्रेस के सदस्य आगामी नवम्बर मास में होनेवाले निर्वाचनों में भाग ले सकते हैं।

स्वराज्य दल की सफलता

कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर स्वराज्यदल ने नवम्बर 1923 के निर्वाचन में भाग लिया। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वराज्यवादी नेताओं विशेषकर देशबन्धु चित्तरंजनदास ने बहुत अधिक प्रयास किया और उन्हें अपने प्रयास का वाञ्छित परिणाम भी प्राप्त हुआ। उन्होंने केन्द्रीय व्यवस्थापिका के 145 स्थानों में से 45 पर अधिकार प्राप्त कर लिया और बंगाल तथा मध्यप्रान्त की व्यवस्थापिकाओं में तो उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। स्वराज्य दल की स्थापना हुए अभी ही मास ही हुए थे, दल की यह सफलता विशेष उपलब्धि थी।

निर्वाचन के बाद केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा प्रान्तीय विधान परिषदों में प्रारम्भ में स्वराज्यदल की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है। 1924-25 के बजट को अस्वीकार करने के अतिरिक्त स्वराज्यदल ने अनेक

सरकारी प्रस्तावों की गिराया और अनेक निजी प्रस्तावों को पाम कराया। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में स्वराज्यदल के नेता श्री मोतीलाल नेहरू ने 8 फरवरी 1924 के अधिनियम के संशोधन करने के अभिप्राय से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो विरोध करने पर भी स्वीकृत हो गया। फलस्वरूप भारत सरकार के गृह सदस्य सर मुडोर्न की अध्यक्षता में 1919 के अधिनियम की क्रियान्विति की जाँच-समिति गठित हुई। श्री सी. डी. अय्यंगर ने केन्द्रीय विधान-सभा में एक प्रस्ताव द्वारा बंगाल के दमनकारी अध्यादेशों का अन्त करने का प्रयत्न किया, जो स्वीकृत हुआ। उसी प्रकार फरवरी 1925 में श्री विट्ठलभाई पटेल ने अपने दमनकारी कानूनों का समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया, केवल एक को छोड़कर अन्य कानूनों के सम्बन्ध में स्वीकृत हो गया। इस प्रकार स्वराज्यदल की भूमिका शुरू-शुरू में जूझा रही है।

सन् 1925 में स्वराज्यदल के जन्मदाता देशबन्धु चित्तरजनदास की मृत्यु हो जाने के कारण स्वराज्यदल को बहुत बड़ा क्षति हुई। उनकी मृत्यु के बाद स्वराज्यदल में फूट पड़ गयी थी। दल दो पक्षों— सहयोगी और असहयोगी में बँट गया था। दल की नीति में, जो प्रारम्भ में सरकार के साथ असहयोग की नीति और दल के कार्यों में अड़गं लगाना था, बाद में स्वराज्यदल स्पष्टतया सहयोग की नीति की ओर झुकाव-परिवर्तन से दल को बहुत बड़ा धक्का लगा।

स्वराज्यदल अपनी अड़गं-नीति में अधिक सफल न हो सका और न स्वयं स्वराज्य के लक्ष्य की ही प्राप्त कर सका, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में स्वराज्यदल का अमूल्य योगदान रहा है। जनता में इस दल ने आशा और उत्साह का संचार किया। शिक्षित जनता को कांग्रेस के समीप लाया और बड़ी भारी राष्ट्रीय चेतना जगाई। साइमन-कमीशन ने भी स्वराज्यदल को एक सुसंगठित तथा अनुशासन-प्रिय राजनैतिक दल कहा था, जिसके पास अपना एक सुनिश्चित कार्यक्रम था। अड़गं-नीति के औचित्य को स्वीकार करते हुए ब्रेत्सफोर्ड ने लिखा— “मेरे विचार से अड़गं लगाने की नीति उचित ही थी, क्योंकि उसने ब्रिटिश अनुदार दल को इस बात का कायल कर दिया कि द्वय शासन प्रणाली अव्यवहारिक थी। गोलमेज परिषद की

आयोजना, मूडीमेंन-कमेटी तथा समय से पूर्व साइमन-कमीशन की नियुक्ति इत्यादि स्वराज्यदल की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं।

अन्त में श्री एच डी गुप्ता के अभिमत को यहाँ उद्धृत किया जाता है, वे लिखते हैं— 'स्वराज्यदल ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में भी प. मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में महान् सफलता प्राप्त की। इसकी एक प्रमुख विजय श्री बिट्ठल भाई पटेल को केन्द्रीय व्यवस्थापिका का अध्यक्ष निर्वाचित करना था। उसके अतिरिक्त दूसरी सफलताएँ भी प्राप्त हुई हैं। अलोकप्रिय कार्यों को रोक दिया गया और राष्ट्र निर्माणकारी कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तावों का बहुमत से समर्थन किया गया।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँ



खान अब्दुल गफ्फार खाँ

पेशावर के पठानी ने खान अब्दुल गफ्फार खाँ के नेतृत्व में बहुत बहादुरी दिखालाई। वे 'सरहद-गांधी' के नाम से प्रसिद्ध थे। जब जलियावाला-हत्याकाण्ड हुआ और देश भर में आन्दोलन चला, उस समय उन्होंने अपने गाँव उस्मानजर्ह में एक सभा की। इसी पर उन्हें जेल भेज दिया गया। वे 1931 तथा 1932 में पुनः गिर-फ्तार हुए और उन्हें तीन वर्ष की सजा हुई। जेल में उन पर दबाव पड़ता रहा, पर उन्होंने माफी माँगने से इन्कार किया।

ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती थी कि पठानों में जरा भी जागृति हो। अब्दुल गफ्फार खाँ ने 1921 में 'खुदाई खिदमतगार' संस्था की स्थापना की।

अमानवीय यातनाएँ भी 'सीमान्त गांधी' की कभी भी झुका नहीं सकी। स्वतंत्रता के बाद यदि वे चाहते तो भारत में रह सकते थे, किन्तु उन्होंने घोषणा की कि वे अपने पठान भाइयों की वहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे

स्वेच्छा से अपनी जन्मभूमि में रहे और पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों को उन्होंने खुली चुनौती दी। परिणामतः पूरे पन्द्रह वर्षों तक उन्हें पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बन्द कर अमानवीय यातनाएँ दी जाती रही।

स्वतंत्रता-आन्दोलन के अग्रणी नेता और महात्मा गांधी के परम अनुयायी 'सीमान्त गांधी' खान अब्दुल गफ्फार खान को उनके जीते जी सन् 1987 में सर्वोच्च 'भारत रत्न' अलकरण से सम्मानित कर भारत सरकार ने सही कदम उठाया। यह सम्मान एक युग-पुरुष का सम्मान था। बादशाह खान की भारत के स्वतंत्रता-आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता, शान्ति और अहिंसा के लिए जीवन भर संघर्षरत 'सरहद गांधी' ने भारत के विभाजन को दिल से स्वीकार नहीं किया था। अपने को खुदाई खिदमतगार माननेवाले इस महान् नेता ने अपनी कुर्बानियों और जन-सेवा से करोड़ों लोगों के दिलों को जीत लिया था।

क्रान्तिकारियों का उग्रवादी आन्दोलन

(1920-1989)

उग्रवाद का स्वरूप

“सर फ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है जोर कितना बाजूएँ कातिल में है ॥”

क्रान्तिकारियों की सशस्त्र-क्रान्ति-आन्दोलन का इतिहास अत्यन्त शौर्यपूर्ण एवं देश-भक्ति पूर्ण था, परन्तु दुर्भाग्य से भारतीय नेताओं द्वारा उन्हें समर्थन नहीं मिल सका, अपितु इस दल की गतिविधियों की झूलकर निन्दा की गई। अंग्रेजों ने तो इन क्रान्तिकारियों को हत्यारे, डाकू और आतंकवादी कहा करते थे, जो उचित नहीं था। किन्तु इन्हें हत्यारे या डाकू के स्थान पर क्रान्तिकारी

ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य हत्या या लूटमार करना नहीं, अपितु एक वास्तविक क्रान्ति की जन्म देना था। उनका उद्देश्य भारत में विदेशी शासन का अन्त कर सच्चा समाजवादी लोकतंत्र स्थापित करना था जिसमें शोषित एवं उत्पीड़ित वर्ग का हित-माधन ही। उन्हें आतंकवादी कहना इसलिए भी अनुचित था कि उनका लक्ष्य समाज में आतंक का राज्य स्थापित करना नहीं था, वरन् अत्याचारी शासकों के मन में अत्याचारों के विरुद्ध आतंक या भय उत्पन्न करना था।

इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि क्रान्तिकारी, व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के शत्रु नहीं, वरन् भारत में अंग्रेजी शासन के विरोधी थे। क्रान्तिकारियों द्वारा केवल उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों या राज-भक्तों की हत्या की गई—जिनके द्वारा निर्भयता पूर्वक भारतीयों के ऊपर अत्याचार या उनकी हत्याएँ की गई थी, जैसे अमृतसर के जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड के लिए जिम्मेदार गवर्नर ओडवायर, साइमान-कमीशन के बहिष्कार आन्दोलन के समय पंजाब के नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार पुलिस कप्तान साण्डर्स तथा काकोरी बहयत्र केस में अंग्रेज सरकार के मुख्य मद्दगार डी पाई एस. पी. रायबहादुर जितेन्द्रनाथ बनर्जी हत्यादि क्रान्तिकारियों की गोली के शिकार हुए। हत्या की ये घटनाएँ व्यक्तिगत प्रतिशोध के रूप में नहीं, वरन् राष्ट्रीय प्रतिशोध के रूप में की गई थी।

उपर्युक्त घटनाओं द्वारा राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया गया, राष्ट्रीय आत्म-सम्मान की जीवित रखा गया और अंग्रेज शासकों को यह चेतावनी दी गई कि भारतीय रक्त ठण्डा नहीं, वरन् अत्यन्त गर्म व जीवित है। यदि उनके द्वारा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, तो उन्हें अपने प्राणी से हाथ धोना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर उन्हें बरूना नहीं जाएगा।

क्रान्तिकारियों के लिए— गीता-रामायण की तरह उनका समवेत गीत था :—

“सर फरीशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

देखना है जोर कितना बाजूएँ कातिल में है ॥”



बाल-पाल-लाल

क्रान्तिकारियों के प्रेरणा-स्रोत थे : नेतात्रय बाल-पाल-लाल (बाल-गंगाधर, विपनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय)। स्वाधीनता-संग्राम में गरमदल के इस नेतात्रय ने युवापीढी को जितनी गहराई तक प्रभावित किया था, उतना नरमदल ने नहीं।

(ख) उप्रवादी-आन्दोलन

प्रथम विश्व महायुद्ध काल में भारतीय क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ बहुत तेज हो चुकी थी। युद्धकाल में भारतीय आन्दोलन का दमन करने के लिए "भारतीय सुरक्षा अधिनियम (OORA) पारित किया गया था। यह अधिनियम केवल युद्ध-काल के लिए था। किन्तु इसे स्थायी रूप देने और क्रान्तिकारी आन्दोलनों से सम्बन्धित अपराधपूर्ण षड्यन्त्रों पर अंकुश लगान के निमित्त जस्टिस रोलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी जो रोलट-कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है। अप्रैल 1918 में इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अतः सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दो विधेयकों का प्रारूप तैयार किया। इसमें से एक को सरकार ने फरवरी 1919 में अधिनियम का रूप दिया, जो "आतंकवादी और अपराध अधिनियम" कहलाया। इसके अनुसार मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिल गया था कि वे सदिग्ध क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी के लिए, नजरबन्दी का आदेश जारी कर सकते थे।

फिर इसके बाद दूसरा, 18 मार्च 1919 को रौलट एक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा मोतीलाल नेहरू के शब्दों में— “अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया।” देश के अनेक नेताओं ने इन अधिनियमों का विरोध किया। गांधीजी ने रौलट एक्ट के विरोध में सम्पूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 को सार्वजनिक हड़ताल का आह्वान किया, जो सारे देश में नगरो-गाँवों में सभी जगह शान्तिपूर्ण हड़ताल सफल हुई। इस प्रकार गांधीजी के “सत्याग्रह” का जन्म सार्वजनिक हड़ताल के रूप में हुआ था। फिर असहयोग आन्दोलन तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल पड़े। भारतीय राजनीति में “गांधीयुग” प्रारम्भ हुआ। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय क्रान्तिकारियों के आन्दोलनों ने गांधीजी को मक्रिय रूप से राजनीति में परिचालित किया था। फलतः राजभक्त गांधी, अहिंसावादी विद्रोही बन गए। देश में क्रान्तिकारियों के आन्दोलनों के संदर्भ में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लेखक श्री यन्मधनाथ गुप्त ने लिखा है— “1921 का असहयोग-आन्दोलन भी रौलट विधेयक से ही निकला था और रौलट विधेयक रौलट कमेटी के गर्भ से निकला था। रौलट-कमेटी केवल क्रान्तिकारियों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिए बैठाई गई थी।”

सन् 1922 में गांधीजी द्वारा असहयोग-आन्दोलन आकस्मिक ढंग से स्थगित किया गया तो क्रान्तिकारियों को बहुत निराशा हुई। तब उन्होंने अनुभव किया कि गांधीजी ने अपना प्रयोग बन्द कर दिया और क्रान्तिकारियों की पहलो लपट देखते ही वे पीछे हट गए, तो उन लोगों ने भी फिर से अपना आन्दोलन चालू किया। इस प्रकार अहिंसात्मक आन्दोलन और हिंसात्मक आन्दोलन दोनों अलग-अलग हो गए और गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस का अहिंसात्मक आन्दोलन चलता रहा। हर दस साल बाद एक नया आन्दोलन चलाया गया। साथ ही समानान्तर रूप से क्रान्तिकारी आन्दोलन भी चलता रहा। कई बार ये दोनों आन्दोलन एक-दूसरे से प्रभावित भी होते थे और कभी-कभी एक दूसरे के पूरक भी बनते जाते थे।

(ग) आन्ध्रश्री अल्लूर सीतारामराजु का विद्रोह



आन्ध्रश्री अल्लूर सीतारामराजु

जिन देशभक्त वीरों ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के यज्ञ में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, उनमें स्वाधीनता सेनानी "आन्ध्रश्री" सीतारामराजु भी एक थे। सीतारामराजु में असाधारण वीरता, विलक्षण सघटन-ज्विन, अपूर्व साहस दिखमान था। आन्ध्र की जनता में उन्होंने देशप्रेम की भावना जगाई थी और अंग्रेजों के साथ छापामार-लड़ाई लड़ी थी।

अपनी वीरता से अंग्रेज शासकों को आतंकित कर दिया था।

अल्लूर का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखपट्टणम के पाड़ुंकि गाँव में एक साधारण परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही रामराजु के मन में देशप्रेम की भावना जागी थी। उनके क्रान्तिकारी ब्यवित्त्व के निर्माण में उनके पिता डेक्टरामराजु का प्रभाव रहा। रामराजु ने महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल इत्यादि प्रदेशों में घूमकर क्रान्तिकारियों की रण-नीति का अध्ययन किया। उस समय देशभर में असहयोग-आन्दोलन जारो पर था। सुभाषचन्द्र बोस जगह-जगह घूमकर जनता में देशप्रेम और आत्म-बलिदान की भावना जगा रहे थे। उसी सिलसिले में वे विशाखपट्टणम आये थे। उनकी एक जन-सभा में लाखों लोग जमा हुए थे। उसी सभा में सीतारामराजु ने स्वाधीनता संग्राम का बीड़ा उठाया था। नेताजी की प्रेरणा से स्वाधीनता संग्राम में वे कूद पड़े थे। अविवाहित रहकर देश को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा की थी।

सीतारामराजु ने विशाखपट्टणम के मन्थम पर्वतप्रदेश को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। वहाँ के गिरिजनो और आदिवासियों का संगठन किया। उन्हें प्रशिक्षित कर एक सेना बनाई और उस क्षेत्र के पुलिस थानों पर आक्रमण कर हथियार और धन जमा किया। सत्ताईस वर्षीय युवानेता ने ढाई-तीन वर्ष

तक अंग्रेजों के साथ लगातार छापामार लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाये। सीतारामराजु के नाम से अंग्रेज भय खाने लगे। सीतारामराजु और उनके साथियों को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने सेना और बड़े-बड़े सेना-पतियों की मन्यम प्रदेश भेजा। उन सेनापतियों में प्रथम विश्वयुद्ध के विजयी सेनापति भी थे। रामराजु और अंग्रेज सेना के बीच जबर्दस्त मुठभेड़ हुई और अन्त में 24 सितम्बर 1922 को सीतारामराजु की विजय हुई। मन्यम प्रदेश पर उनका अधिकार हो गया।

सीतारामराजु महान् स्वाधीनता सेनानी थे, परन्तु साथ ही वे एक धार्मिक योद्धा और कमयोगी भी थे। उनके अपने सिद्धान्त और आदर्श थे। आगे चलकर ये ही आदर्श उनकी कमजोरी सिद्ध हुए। अन्त में रामराजु निहत्थे गिरपतार कर लिये गए। क्रूर अंग्रेजों ने उन्हें एक पेड़ से बाँधकर गोलियों से भून डाला। परन्तु सीतारामराजु ने उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाया। "वन्देमातरम्" के नारे के साथ रामराजु 6 मई 1924 को शहीद हो गए। परन्तु आन्ध्र के करोड़ों नर-नारियों के वे हृदय-सम्राट बन गए।

श्री सुभाषचन्द्र बोस ने राजु की अन्यायपूर्ण हत्या की तीव्र भरत्सना की और उनके आत्मोत्सर्ग की सराहना करते हुए कहा— "राष्ट्रीय आन्दोलन में श्री राजु ने जो योगदान दिया, उसकी प्रशंसा करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती है।उनका धैर्य, साहस, देशभक्ति, अखण्ड निष्ठा और पीरुष सदा अविस्मरणीय रहेंगे। मुझे विश्वास है कि भारतीय युवक ऐसे भारतीय वीरों की आराधना करना नहीं भूलेगे।"

इस सम्बन्ध में डा. एन. पी. कुट्टनपिल्लै के अनुसार 'परिस्थितियों, आदर्शों और विचारों की दृष्टि से केरल राज्य के स्वाधीनता सेनानी वेलुत्तम्पी और सीतारामराजु के सघर्षों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। यह दूसरी बात है कि दोनों अमर सेनानी भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में उपेक्षित रह गए। बात यह थी, इन दोनों के कार्यक्षेत्र भारत देश के दो छोटे भागों तक सीमित रहे और विशाल अंग्रेज साम्राज्य के सामने दोनों लघु जीव थे।

पर अपने सीमित क्षत्र में ही सही, अपने सीमित साधनों के सहारे इन दो बोरों ने जो स्वतंत्रता-यज्ञ चलाया था, इतिहास में उसका सानो नहीं मिलता।”

सीतारामराजु और क्रान्तिकारी नेता सुभाषचन्द्र बॉन के विचारों में समानता थी। सीतारामराजु को यह विश्वास था अंग्रेजों के सामने याचना के स्वर में गिडा-गिड़ाने से भारत को स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी। अतः भारत के प्रत्येक नौजवान को अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण पीछे के साथ समर-भूमि में कूद पड़ना होगा। इस महायज्ञ में भारतीयों की विजय सुनिश्चित है।”

(घ) काकोरी-काण्ड

फरवरी 1920 में जेल से रिहा होने के बाद शचीन्द्र सान्याल के द्वारा भारत वर्ष के सारे क्रान्तिकारी दलों को संगठित करके “हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक सघ” की स्थापना की गई। इस सघ का लक्ष्य रखा गया—संगठित क्रान्ति द्वारा भारत में गणतांत्रिक सघ की स्थापना। इसी क्रान्ति का प्रभाव संगठन की कल्पना पर था। इसके बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन में तेजी आई। इस क्रान्तिकारी दल के द्वारा देश में सशस्त्र क्रान्ति-योजना बनाई गई। भारी मात्रा में खरीदे गए शस्त्रों की कीमत चुकाने के लिए सरकारी खजाने लूटने का कार्यक्रम बनाया गया। यह योजना बनाई गई कि जब रेलगाड़ी लखनऊ के निकट काकोरी पहुँचे, तो सरकारी खजाने को लूट लिया जाए। तदनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी के निकट गाड़ी को रोककर क्रान्तिकारियों द्वारा



बगल के क्रान्तिकारी
पुलिन विहारी दास

सरकारी खजाना लूट लिया गया। बाद में पुलिस और गुप्तचर विभाग ने 40 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर मुकदमा चलाया गया, जो "काकोरी षडयंत्र केस" के नाम से जाना जाता है।

इस केस में पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, रोशनसिंह और अशफाक उल्लाह हुसैन को फाँसी, शचीन्द्रनाथ सान्याल व शचीन्द्र वर्मा को आजीवन कारावास, मम्मथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद और अन्य को कई वर्ष की सजाएँ दी गईं। परन्तु इससे क्रान्तिकारियों की हिम्मत पस्त नहीं हुई, अपितु उनका उत्साह और आत्म-बलिदान की



भावना और बढ़ती गई। "बन्देमातरम् और भारत-माता की जय" के नारी के साथ क्रान्तिकारी हँसते हुए फाँसी के फंदे में झूल गए। काकोरी-काण्ड में रामप्रसाद बिस्मिल की प्रमुख भूमिका थी।



पं. रामप्रसाद बिस्मिल

पं. रामप्रसाद "बिस्मिल" को गोरखपुर जेल में 19 दिसम्बर 1927 को फाँसी हुई। फाँसी के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने मित्र के पास एक पत्र भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था. "19 तारीख को जाँ कुछ होनेवाला है, उसके लिए मैं अच्छी तरह तैयार हूँ। यह है ही क्या? केवल शरीर का बदलना मात्र है। मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृभूमि तथा उसकी दीन-सन्तति के

लिए नये उत्साह और बीज के साथ काम करने के लिए शीघ्र ही फिर लौट आएगी।" "काकोरी षडयंत्र केस" में जिन क्रान्तिकारियों को फाँसी दी गई थी, उसका बदला लेने के लिए पार्टी ने निश्चय किया कि काकोरी केस में सरकार के मुख्य मददगार डी. वाई. एस. पी. रायबहादुर जितेन्द्रनाथ वेनर्जी को मौत के घाट उतार दिया जाए। यह काम क्रान्तिकारी जुझारू नेता मणीन्द्रनाथ बनर्जी को सौंपा गया। मणीन्द्र ने 13 जनवरी 1928 को मुद्दोलिया में मार-

वाड़ी अस्पताल के सामने जितेन्द्रनाथ को गोली मारी। जितेन्द्र वहीं प्राणशायी हो गया। मणीन्द्र ने उसके पास जाकर कहा "रायवहादुर क्या काकोरी का इनाम अब तुम्हें मिल गया?" मणीन्द्र को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, परन्तु उनकी पिस्तौल नहीं मिली। कहा जाता है कि उनके दूमरे माथी प्रभासचन्द्र मणीन्द्र से पिस्तौल लेकर वहाँ से चम्पत हो गए थे। मणीन्द्र की इम शौर्यपूर्ण कार्रवाई से राष्ट्र-प्रेमियों का सर ऊँचा हो गया और अंग्रेज सरकार दहल गई। बाद में जेल में, वहाँ की यातनाओं के विरुद्ध अनशन करके दिनांक 20 जून 1934 को क्रान्तिकारी मणीन्द्र शहीद हो गए। इस प्रकार हिन्दुस्तान गणतान्त्रिक-संघ, क्रान्तिकारियों को उत्प्रेरित करने की भूमिका निभाकर, मणीन्द्र इतिहास के प्रवाह में बिलीन हो गए।

(ड) क्रान्तिकारियों का दर्शन

काकोरी-काण्ड के क्रान्तिकारियों को फाँसी दिये जाने पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन परिणाम कुछ न निकला। 1928 में मयर्तमिह, "आजाद", बटुकेश्वरदत्त, जनीनदास, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल आदि क्रान्तिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने यह अनुभव किया कि बर्गर समाजवाद की स्थापना के भारत की गरीबी तथा बेकारी दूर नहीं की जा सकती। इसलिए दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में बैठक कर "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन" के स्थान पर "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी" बनाई गई तथा इसका एक सैनिक पक्ष "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक सेना" बनाया गया था जिसके प्रधान सेनापति, अमर शहीद चन्द्रशेखर "आजाद" बनाये गए। इस संस्था की शाखाएँ सब जगह स्थापित की गईं तथा इस सेना में हजारों लोग भर्ती हुए। "सेना" शब्द ही यह बता देता है कि क्रान्तिकारी किम प्रकार और क्या करना चाहते थे।

इसके बाद क्रान्तिकारी दल का एक स्पष्ट रूप सामने आया। दल का घोषणा-पत्र घोषित हुआ जिसमें दल के उद्देश्य, कार्यक्रम तथा "बम-दर्शन" इत्यादि विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया था। क्रान्तिकारी दलने जो अब

तक एक गुप्त मगठन था, अपनी स्पष्ट स्थिति जनता के सामने रखकर जन-समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। धीरे-धीरे दल को जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त होने लगा। क्रान्तिकारी दल ने विशेषकर देश की युवा-पीढ़ी को बहुत गहराई तक प्रभावित किया था। क्रान्तिकारी दल ने "बम-दर्शन" के घोषणा-पत्र में अपना उद्देश्य बताया :-

"क्रान्तिकारियों का विश्वास है कि देश की जनता की मुक्ति केवल क्रान्ति द्वारा ही सम्भव है। क्रान्ति से हमारा अभिप्राय जनता और विदेश सरकार में मशरूफ संघर्ष ही नहीं है, हमारी क्रान्ति का लक्ष्य एक नवीन न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। इस क्रान्ति का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना करना। विदेशी और देशी शोषण से जनता को मुक्त कर आत्म-निर्णय द्वारा जीवन का अवसर देना है।"

(च) राष्ट्रीय अपमान का बदला

20 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। अंग्रेज पुलिस कप्तान साण्डर्स के द्वारा लालाजी पर ऐसी मीषण लाठी-बर्षा की गई कि उसके परिणाम स्वरूप 17 नवम्बर 1928 को लालाजी की मृत्यु हो गई। घायल अवस्था में लाला-लाजपत राय ने सिंह-गर्जना की थी :- "मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के 'कफन' की कील सिद्ध होगा।" इस खबर से सारे देश में बहुत खलबली मच गई। क्रान्तिकारियों ने यह सोचा कि यदि इस राष्ट्रीय अपमान का बदला न लिया गया, तो जनता को बहुत घबका लगेगा और साइमन कमीशन के बायकाट से जो जोश उत्पन्न हुआ था, वह समाप्त हो जाएगा। तदनुसार यह निश्चय हुआ कि लाला लाजपत राय की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर को मारा जाए। इस कार्य के लिए चार व्यक्ति नियुक्त हुए - 1. चन्द्रशेखर आजाद, 2. भगतसिंह, 3. शिब राम राजगुरु और 4. जयगोपाल। 17 दिसम्बर 1928 को सैण्डर्स नासक पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट

अपनी मोटर साइकल पर पुलिस के दफ्तर से निकल रहा था, तो उस पर हमला हुआ। सैण्डर्स वही पर गिर पड़ा और क्रान्तिकारी चम्पत हो गए। सैण्डर्स की हत्या से सारे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि जनता के सामने यह स्पष्ट हो गया कि एक ऐसा भी दल है, जो भारतीयों के लिए भी व्याय दिखाना सकता है। इस प्रकार क्रान्तिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया गया।

स्मरण रहे, इसी प्रकार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला-बाग में घटित निरपराध भारतीयों के हत्याकाण्ड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर ओडवायर पर क्रान्तिकारी नव-युवक ऊधमसिंह ने इंग्लैंड में जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। इस घटना से अंग्रेज सरकार आतंकित हो गई थी। देश में खुशी की लहर दौड़ गई।



वीर ऊधमसिंह

(छ) सशस्त्र क्रान्ति का स्वर्णिम अध्याय

सन् 1929 को क्रान्तिकारी दल द्वारा एक ऐसा साहसिक कार्य हुआ, जिसने न केवल भारत का, अपितु सारे विश्व का ध्यान भारत में खिंचनेवाले स्वाधीनता-संग्राम की ओर आकर्षित कर लिया था। यह घटना, वास्तव में स्वाधीनता-संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय है जिसके कारण क्रान्तिकारी दल, सभी आन्दोलनों को पीछे धकेलकर अग्रगामी बन गया था। क्रान्तिकारियों की सूझबूझ-दूरदर्शिता, शौर्य-पराक्रम, त्याग-बलिदान के लिए सारा राष्ट्र गर्व के साथ अपना सर ऊँचा कर सकता है।

अप्रैल 1929 में केन्द्रीय असेम्बली में "सार्वजनिक सुरक्षा कानून" पर बहस चल रही थी। जनता इस विधेयक के विरुद्ध थी, किन्तु सरकार इसे बलपूर्वक पास करवाना चाहती थी। इसके पहले सरकार द्वारा जनता की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उद्योग विवाद कानून पास करा दिया था। "हिन्दु-

स्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना" की केन्द्रीय समिति ने निर्णय किया कि इस बिल को रकवाने और सरकार को जनता की आवाज का मूल्य समझाने के लिए असेम्बली में बम फेंका जाय। इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए सरदार भगतसिंह और बटुकेश्वरदत्त को चुनाव गया। यह भी निश्चय किया गया कि य व्यक्ति बम फेंकने के बाद भागे नहीं, वरन् अपने आपको गिरफ्तार करवा दें, तथा अदालत में बयान देकर "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना" के उद्देश्य और कार्यक्रम पर प्रकाश डाले।

8 अप्रैल 1929 को जब "सार्वजनिक सुरक्षा का बिल" पर मतदान होने वाला था, तो सरदार भगतसिंह ने बड़ी कुशलता के साथ योजनाबद्ध ढंग से केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंका। असेम्बली में फेंके गये पर्वे में लिखा हुआ था— "बहरो को सुनाने के लिए बमो की आवश्यकता है।" बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, वरन् देश में जागृति पैदा करना ही था। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा अपने आपको गिरफ्तार करवा



बटुकेश्वरदत्त

दिया गया। पुलिस ने इन पर मूकदमा चलाया। अदालत में सरदार भगतसिंह ने एक लम्बा भाषण देकर "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक दल" के उद्देश्यो और कार्यक्रम पर प्रकाश डाला, जो एक ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण भाषण था :- "क्रान्ति का अधिप्राय बम और पिस्तौल मात्र ही नहीं है। क्रान्ति से हमारा अधिप्राय यह है कि आज की वस्तुस्थिति और समाज-व्यवस्था जो स्पष्ट रूप से अन्याय पर टिकी हुई है- को बदला जाय। क्रान्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करने और हमारे राष्ट्र के लिए पूर्ण आत्म-निर्णय का अधिकार प्राप्त करने हेतु है। क्रान्ति के हमारे विचार का अन्तिम लक्ष्य यही है। स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इस उच्च आदर्श की प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के त्याग करने और कष्ट सहन करने हेतु तत्पर हैं। क्रान्ति जिन्दाबाद !"

4 जून 1929 को अदालत में सेशन जज के सम्मुख भगतसिंह एव बटु-केशवरदत्त द्वारा दिया गया समुक्त बयान था। अन्त में इस केस से सम्बन्धित तीनों क्रान्तिकारियों को फाँसी 23 मार्च, 1931 को दी गई।

लाहौर-सेण्टल जेल की काल-कोठरी से फाँसी के फंदे तक जाते समय भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव यह गीत गाते रहे;

“दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उत्फुल्ल
मेरी मिट्टी से भी खुदाबू-ए-वतन आया करेगी।”



क्रान्तिकारियों को फाँसी पर लटकाते हुए

(ज) प्रमुख क्रान्तिकारियों की शहादत

पुलिस ने सरदार भगतसिंह के अतिरिक्त उनके कई साथियों की भी फाँसी ली। 23 मार्च 1931 को सरदार भगतसिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी की सजा दे दी गई और उनकी लाशों को चुनके से रात्रि के समय फिरोजपुर में जला दिया गया। इस सम्बन्ध में डॉ. पट्टाभि सीतारामध्या ने लिखा है :- “1931 में कराँची कांग्रेस अधिवेशन के समय सरदार भगतसिंह का नाम भारत में उतना ही सर्वप्रिय हो चुका था, जितना कि गांधीजी



शहीद सरदार भगतसिंह

शहीद सुखदेव

शहीद राजगुरु

का।" इन शहीदों के बलिदान पर सारे देश में गहरा शोक मनाया गया। देशभर में हड़ताल हुई। इस सम्बन्ध में पं. नेहरू ने लिखा—“ 1929 ई. में लाहौर में जो पडयंत्र केस चलाया गया था, उसमें एक कैदी यतीन्द्रनाथदास ने जेल के बर्ताव के खिलाफ विरोध—स्वरूप भूखहड़ताल कर दी। यह लड़का आखिर तक अपनी बात पर डटा रहा और इकसठवें दिन मर गया। यतीन्द्रनाथदास के आत्म-बलिदान का हिन्दुस्तान पर गहरा असर हुआ। दूसरी घटना, जिसने देश के दिल पर चोट की और उसे व्यथित किया, 1931 के शुरू में भगतसिंह को दी जाने वाली फाँसी थी।” इस सम्बन्ध में गांधीजी का विरोध हुआ “गांधीजी ने वामसराय के सामने समझौता सम्बन्धी जो ग्यारह शर्तें पेश की थी, उनमें एक शर्त देश भर में शराब निषेध की भी थी, पर भगतसिंह आदि को फाँसी न दिये जाने की कोई शर्त नहीं थी।” गांधीजी शराब-निषेध के लिए सरकारी शक्ति से जनता पर प्रभाव डालना नैतिक समझते थे, परन्तु भगतसिंह आदि की फाँसी रद्द करने के लिए विदेशी सरकार पर जनमत का दबाव डालना अनैतिक समझते थे।”²

1. श्री पं. जवाहरलाल नेहरू : विश्वइतिहास की झलक, भाग . 2 पृ. 1040

2. मधुवाल : सिंहावलोकन, भाग-3 : पृ. 81

भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानीजैल सिंह के अनुसार शहीद-ए-आजाम का सारा परिवार देश भक्तिमय था। उनका पूरा परिवार न केवल देश भक्ति के रंग में रंगा था, बल्कि देश के स्वाधीनता आन्दोलन में इस परिवार की तीन पीढ़ियाँ आजादी के लिए लड़ती रहीं और सघर्ष के लम्बे दौर में बड़ी यातनाएँ सही थी।

(झ) वाइसराय की ट्रेन के नीचे बम-विस्फोट

23, दिसम्बर 1929 की दिल्ली में गांधीजी वाइसराय से भेंट करने वाले थे। वाइसराय दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में कोल्हापुर जाकर 23 दिसम्बर को दिल्ली लौटने वाले थे। क्रान्तिकारी दल ने लार्ड इरविन वाइसराय की स्पेशल ट्रेन को शक्तिशाली बम द्वारा उड़ा देने की योजना बनायी थी। यह महत्त्वपूर्ण कार्य श्री यशपाल और भागराम की साँप गया था। क्योंकि राज-नैतिक दृष्टि से वाइसराय पर इसी समय आक्रमण करने का विशेष महत्त्व था और इस अवसर से क्रान्तिकारी दल चूकना नहीं चाहता था।

योजना के अनुसार यशपाल "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आरमी" के "मेजर" की वर्दी में और भागराम सूट पहने नियत स्थल पर पहुँच गए और योजना के अनुसार नयी दिल्ली स्टेशन से चार-पाँच मील पहले वाइसराय की रेलगाड़ी के नीचे बम का भयंकर विस्फोट किया गया, किन्तु रेल की गति बहुत तेज होने के कारण वाइसराय का कम्पार्टमेंट, विस्फोट की जगह से आगे निकल गया था और वाइसराय बालबाल बच गए। वाइसराय गाड़ी से उतरते ही अपने महल में जाने से पहले, अपनी प्राण-रक्षा के लिए भगवान की घन्यवाद देने गिरजाघर पहुँचे थे। पुलिस इस बमकाण्ड की सिरतोड़ खोज करने के बावजूद न किसी को गिरफ्तार कर सकी और न योजना का रहस्य ही जान सकी। वाइसराय की गाड़ी पर आक्रमण के समाचार से सारे देश में प्रसन्नता और उत्साह की लहर दौड़ गई किन्तु इस दुर्घटना के दूसरे दिन 24 दिसम्बर को लाहौर के काप्रेसवाले अधिवेशन के प्रारम्भ में एक प्रस्ताव वाइसराय पर आक्रमण करनेवाले लोगों की निन्दा और वाइसराय के प्रति सहानुभूति और उनकी प्राण-रक्षा के लिए भगवान की घन्यवाद देने सम्बन्धी, दूसरा

प्रस्ताव स्वयं गांधीजी ने उपस्थित किया। गांधीजी के पहले निन्दावाले प्रस्ताव में वाइसराय पर आक्रमण करने वाले लोगो को कायर और उनके काम को जघन्य कहा गया था। इस प्रस्ताव से देश की जनता को जबर्दस्त घक्का लगा। बाद में, क्रान्तिकारियों की इस निन्दा का जवाब, दल द्वारा "बम का दर्शन" सम्बन्धी परिपत्र छापकर जनता में वितरित किया गया था।

(अ) चिटगांव में विद्रोह

"हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन" की चिटगांव शाखा ने मास्टर दा सूर्यसेन के नेतृत्व में "भारतीय गणतंत्र वाहिनी" का गठन किया था। इस शाखा ने 28 अप्रैल 1930 को चिटगांव का पुलिस शस्त्रागार को लूटा था। क्रान्तिकारियों ने अपने मुख्यालय पर तिरगा झण्डा फहरा कर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज को सैनिक सलामी दी थी। सूर्यसेन ने चिटगांव की मुक्ति और अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थी।

इन क्रान्तिकारियों ने जलालाबाद की पहाड़ी पर 22 अप्रैल 1930 को जो मुक्ति युद्ध किया था, उसमें 12 क्रान्तिकारी और सरकारी पक्ष के 160 व्यक्ति मारे गए थे। चिटगांव के क्रान्तिकारियों की छापामार लड़ाई चार वर्ष तक चली थी। बाद में, मास्टर दा सूर्यसेन तथा तारकेश्वरी दस्तीदार को गिरफ्तार कर 12 जनवरी 1934 को फाँसी दी गई थी।



मास्टर दा सूर्यसेन

सरदार-भगतसिंह की गिरफ्तारी के बाद क्रान्तिकारी दल का नेतृत्व चन्द्रशेखर आजाद, यशपाल और भगवतीचरण बोहरा के हाथ में आ गया। लेकिन 27 फरवरी 1931 को चन्द्रशेखर और एक अन्य क्रान्तिकारी सुखदेवराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मंत्रणा कर रहे थे कि वहाँ पुलिस ने घेरा डाला। पुलिस और आजाद के बीच



चन्द्रशेखर आजाद

स्वतंत्रता की दुर्गा



दुर्गा भाभो

मुठभेड हुई और आजाद वीरगति को प्राप्त हुए। आजाद की मृत्यु से क्रान्तिकारी दल को बहुत बड़ी क्षति हुई। जनवरी 1932 में यशपाल भी गिरफ्तार कर लिये गए और अब क्रान्तिकारी दल प्रभावहीन हो गया।

(ट) फ्लावर्स दरबार

30 अप्रैल 1930 को ऊटी में "फ्लावर्स दरबार" होनेवाला था जिनमें गवर्नर शरीक होने वाले थे। क्रान्तिकारी दादा शम्भुनाथ आजाद के नेतृत्व में गवर्नर-वध की योजना बनायी गयी थी। क्रान्तिकारियों को इसके लिए धन की आवश्यकता थी। छ क्रान्तिकारियों ने दिन-दहाड़े 27 अप्रैल 1933 को उदकमडल नेशनल बैंक पर धावा बोलकर एक लाख रुपये लूट लिये। ऊटी बैंक डकैती से सरकार इतनी आकण्ठ हो गयी कि उसने "फ्लावर्स दरबार" को ही स्थगित कर दिया।

4 मई 1933 को 300 ब्रितानी सिपाहियों ने चेट्टीस्ट्रीट स्थित क्रान्तिकारियों के मकान को घेर लिया। क्रान्तिकारियों ने छत पर मोर्चा लगा लिया। दिन भर दोनों ओर से गोलियाँ चलती रहीं। सभी लोग पकड़े गए। 9 जुलाई 1933 को दादा आजाद, कामरेड हजारासिंह, नित्यानन्द वात्स्यायन, बच्चूलाल, खुशीराम मेहता की ऊटी बैंक डकैती केस में लम्बी सजाएँ हुईं।

(ठ) कीर्तिपार्टी का विद्रोह

क्रान्तिकारियों की सेना द्वारा समर्थित जन-क्रान्ति के रण-नीति की, बीसवीं सदी के चौथे और पाँचवें दशक में भी अभिव्यक्त हुई। मगर पार्टीं रुसी समाजवादी क्रान्ति के बाद सोवियत रूस की ओर उन्मुख हुई। तेजासिंह

स्वतंत्र आदि ने गदर पार्टी के लगभग पचास सदस्यों को पूर्वी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए मास्को भेजा। प्रशिक्षण के बाद ये क्रान्तिकारी गुप्त रूप से भारत आये और उन्होने कीर्तिपार्टी के रूप में किसानों के साथ तथा सेना में काम किया। कीर्तिपार्टी के नेता हरमिन्दर सिंह सोढी और अछरसिंह चीमा जब 1938-39 में मेरठ से 'कीर्तिलहर' अखबार निकालते रहे, उस समय उन्होने मेरठ छावनी के सैनिकों में अपनी पार्टी की शाखा बनायी थी। गुरबख्शासिंह इसके इंचार्ज थे। गुरबख्शासिंह ने सेना में एक राष्ट्रीय पार्टी भी बनायी थी। इस पार्टी पर कम्युनिस्ट व कांग्रेस दोनों ही विचारधाराओं का प्रभाव था। यह मेरठ स्थित पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों में काम करती थी। इसी की एक टुकड़ी ने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जनवरी 1940 में बम्बई से मिस्र में विद्रोह किया। इसके 303 सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ जिसमें से दस को कालापानी की सजा हुई। इसी रेजिमेंट के सेंट्रल इण्डिया हास ने जून 1940 में बम्बई से मिस्र जाने से इन्कार कर दिया था। इन पर कांग्रेस के आन्दोलन तथा उसके इस प्रस्ताव का भी असर था कि भारतीय सैनिकों को देश से बाहर साम्राज्य की रक्षा के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। सेप्टरल इण्डिया हास के चार सैनिकों को सिकन्दराबाद जेल में फाँसी हुई थी।

(ड) किशोर ज्ञानीजैलसिंह का साहसिक कार्य

हमारे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह अपने बाल्यकाल से ही क्रान्तिकारी थे। सन् 1927 में पंजाब में गठित "युग-पलटो" दल के किशोर ज्ञानीजैलसिंह सक्रिय सदस्य रहे। इस दल का उद्देश्य किसी भी तरीके से देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराना था। सन् 1932 की घटना है। 16 वर्षीय किशोर ज्ञानी जैलसिंह के जीवन में यह घटना खतरो से खेलने और उनसे मुकाबिला करने की शुरुआत थी।

"युग-पलटो" दल के प्रमुख क्रान्तिकारी सन्त जसवंत सिंह अपने एक साथी की असावधानी के कारण गोली चल जाने से घायल हो गये थे। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुँचाना जरूरी था, किन्तु समस्या यह थी कि इसके लिए कोई डॉक्टर तैयार नहीं था, क्योंकि सन्त जसवंतसिंह आखिर क्रान्तिकारी थे। कई मामलों में पुलिस को उनकी तलाश थी।

किशोर जैलसिंह तब तक क्रान्तिकारी बन चुके थे। उन्होंने भाई ईशरसिंह के साथ मिलकर उस बरसात की अंधेरी रात में घायल क्रान्तिकारी को पंजाब के बड़ा डकारा गाँव से 32 मील दूर मुक्तनर में क्रान्तिकारियों के समर्थक डॉ. केहरसिंह सन्धु के नसिग होम तक बैलगाड़ी खींचकर पहुँचाया था। सवारी का और कोई साधन नहीं था और बैलगाड़ी का बैल भी बीमार था। इस प्रकार किशोर जैलसिंह ने अनुपम साहसिक कार्य किया था।

(ढ) निष्कर्ष

इस काल-खण्ड की सशस्त्र क्रान्ति ने भारतीयों में अपूर्व राष्ट्रीय चेतना पैदा कर दी थी और भावी 1942 की विशाल जन-क्रान्ति के लिए आधार भूमि निर्माण की थी। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रान्ति मात्र बदलाव नहीं, अपितु एक दर्शन भी है और एक रचनात्मक कार्यक्रम भी। क्रान्ति का मार्ग "शार्टकट" नहीं, अपितु एक सुदीर्घ राजमार्ग है। क्रान्ति वैयक्तिक प्रश्न भी नहीं है, सामूहिक चेतना जागृत करने का एक साधन है। जितने भी क्रान्तिकारी नेता हुए, वे सब के सब ईमानदार, प्रतिबद्ध, निर्भीक और साधारण मनुष्य ही थे। न तो वे दिव्य मानव या मसीहा थे, और न अभिजात-वंश के क्षतुर्धारि नेता ही थे। उनकी क्रान्तिकारिता का मूलमंत्र था : 'नो-कॉम्प्रोमाइज़' यानी कोई 'समझौता' नहीं। वे ऐसे सामान्य मनुष्य थे जिन्होंने अपने चारों ओर घिरी हुई यात्रिक पूँजीवादी एब साम्राज्यवादी व्यवस्था की गुलामी से विद्रोह किया और अन्त में क्रान्ति के मार्ग पर ही अपनी शहादत दी और अपनी लहू की बूँद से हजारों क्रान्तिकारियों को जन्म दिया। क्रान्तिकारी नायक अपनी देह-नाश मात्र करता है, परन्तु नायक की गति से ज्यादा महत्त्वपूर्ण नामक के माध्यम से आलोहित गति है। भारत के सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन में पं. रामप्रसाद "बिस्मिल", भगतसिंह, चन्द्रशेखर "आज़ाद", राजगुरु, अशफ़ाक उल्ला ख़ाँ आदि ने जो बलिदान किये, वे क्रान्ति की मशाल को तेज करने के लिए और राष्ट्र के संयुज उद्धार के लिए थे। इस प्रकार की देश-भक्ति एवं शौर्य के उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। अतएव भारतीय स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने और उसे तीव्र बनाने में

सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन का अपना विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

वन्देमातरम् के प्रणेता

सशस्त्र क्रान्ति के आन्दोलन में “वन्दे-मातरम्” गीत की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यह गीत क्रान्तिकारियों के लिए प्रेरणा-स्रोत और उनका समवेत गान भी था। ‘वन्देमातरम्’ उस समय राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का जीवन्त नारा था। इस गीत को राष्ट्रीय मर्यादा, बंग-भंग आन्दोलन के समय में प्राप्त हुई थी जिसकी कल्पना बंकिमदास आजीवन करते रहे। यह उल्लेखनीय है कि क्रान्तिकारी ‘वन्देमातरम्’ गीत गाते हुए सहर्ष फाँसी के फँदे में लटक गए थे।



बंकिमचन्द्र चटोपाध्याय



षष्ठम अध्याय

आजाद हिन्द फौज का स्वाधीनता-संग्राम

(सन् '४१० से १९५१ तक)

विषय क्रम

1. सुभाष-युग
2. कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में सुभाषचन्द्र बोस
3. सविनय अवज्ञा आन्दोलन : व्यक्तिगत सत्याग्रह
4. सुभाषचन्द्र बोस
5. सन् '42 की जन-क्रान्ति
6. विदेशों में आजाद हिन्द फ़ौज की स्थापना
7. रानो झाँसी रेजीमेंट की स्थापना
8. आजाद हिन्द सरकार की घोषणा
9. नेताजी के रेडियो-प्रसारकों का प्रभाव
10. गांधीजी का जेल में उपवास
11. आजाद हिन्द सेना के अधिकारियों पर मुकदमें
12. सन् 1945-46 का नौसैनिक-विद्रोह
13. भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति
14. निष्कर्ष

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस



आज़ाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति तथा
स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति

सुभाष-युग

सन् 1939 से 1947 तक के कालखण्ड का स्वतंत्रता-संग्राम द्वितीय विश्वयुद्ध के सदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। पहली सितम्बर 1939 को द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ था, जो 14 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। इस कालखण्ड में सुभाषचन्द्र बोस ने स्वाधीनता-संग्राम की कमान सम्हाली। नेताजी में जन-नेता, क्रान्तिकारी नेता तथा सैनिक नेता तीनों नेताओं के गुण विद्यमान थे। उनमें दिलक्षण समर्थन-शक्ति और गजब की दूरदर्शिता थी।

आजाद हिन्द फौजवाला-आन्दोलन जिसके नेता पहले रासबिसरी-बोस और बाद में सुभाषचन्द्र बोस हुए, सम्पूर्ण रूप से एक क्रान्तिकारी आन्दोलन था और उसको किसी भी प्रकार की जादूगरी से और कुछ साबित नहीं किया जा सकता। यह फौज पराजित हुई और उसके नेताओं पर लालकिले पर मुकदमा चला। श्री मन्मथनाथ गुप्त के अनुसार "गिरते हुए साम्राज्यवाद को अन्तिम लात आजाद हिन्द फौज ने ही मारी थी।" इस प्रकार इस कालखण्ड को "सुभाष-युग" ही कहा जा सकता है। कुछ इतिहासकार 42 अगस्त को तुलना फ्रांस के इतिहास में वेस्टील के पतन और सोवियत रूस की अक्टूबर क्रान्ति से करते हैं।

इस कालखण्ड के आन्दोलन की विशेषता यह थी कि गांधीवादी-दल और क्रान्तिकारी-दल दोनों ने मिलकर आन्दोलन को ज्वालामुखी का रूप दिया था। स्वयं गांधीजी ने कहा था कि वे एक नई किस्म का आन्दोलन चलाना चाहते हैं। इसलिए हुआ यह कि ये दोनों आन्दोलन इकट्ठे मिल गए थे। यद्यपि गांधीजी कांग्रेस और उसके आन्दोलन को सदा हिंसा के मार्ग से बचाते रहे और युवा-पीढी द्वारा संचालित "सशस्त्र विद्रोह" को वे कुचलते रहे, परन्तु वे ही पहली बार कांग्रेस के मंच से अंग्रेजों को भारत छोड़ जाने की सिंह-गर्जना करते हैं। और देश की जनता की "करो या मरो" का आदेश देते हैं। यहाँ

गांधीजी अपने "अहिंसा का मार्ग" को छोड़कर हिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी घोषणा के बाद उसी रात गांधीजी और कांग्रेस के अन्य चोटी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद क्रान्तिकारियों के द्वारा मोर्चा महान्त लिया गया था। और देश भर में भयंकर एवं व्यापक रूप में जन-क्रान्ति-प्रवर्धनी गई थी। दूसरी विशेषता यह थी कि स्वाधीनता सेनानियों द्वारा पहली बार ब्रिटेन के शत्रु-राष्ट्रों की मदद लेकर बाहर में आकाशवाणी से युद्ध लड़ा गया था।

इस काल-खण्ड में युवा-पीढ़ी नयी राजनीतिक चेतना के साथ कांग्रेस के मंच पर संगठित हो गई थी। यह पीढ़ी "पूर्ण स्वतंत्रता" के संघर्ष के लिए, बैठी थी। गांधीजी और उनके समान सोचनेवाले नेता युवा-पीढ़ी के मार्ग में बाधक थे। उनकी अहिंसात्मक नीति में युवा-पीढ़ी की कोई आस्था नहीं थी। यह पीढ़ी कांग्रेस के मंच से "सशस्त्र विद्रोह" की सिंह-गर्जना करवाना चाहती थी। नेताजी सुभाषबाबू युवा-पीढ़ी की आशा-आकांक्षाओं के प्रतीक थे। उनकी पूर्ण आस्था नेताजी के उग्रवादी नेतृत्व में थी। नेताजी के विचार उग्र थे— "ब्रिटिशराज में सीमित अधिकार स्वीकार करके, कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बनाकर शासन चलाना समझौते की प्रतिक्रियावादी नीति थी। उनका विश्वास था कि ब्रिटेन और जर्मनी में म्युनिख-सन्धि निम्न नहीं सकती, दोनों में स्वतंत्रता के लिए तुरन्त संघर्ष प्रारम्भ कर देना चाहिए। इस अवसर से चूकना बहुत ही बड़ी राजनीतिक मूर्खता होगी।"

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाषचन्द्र बोस

सन् 1939 में कांग्रेस को संघर्ष के मार्ग पर लाने के प्रश्न पर नेताजी और गांधीजी में सीधी टक्कर हो गयी थी। नेताजी की युवा-पीढ़ी का प्रबल समर्थन प्राप्त था। नेताजी को कांग्रेस-अध्यक्ष बनाने के लिए युवा-पीढ़ी ने जी-जान से कोशिश की। दौड़-दौड़कर कांग्रेस के अधिक से अधिक सेक्टर बनाये और उग्र

पन्थियों को प्रतिनिधि निर्वाचित करवाया। इस अभियान में वामपथी कांग्रेसी, कांग्रेस समाजवादी तथा कम्युनिस्टों का एक संयुक्त मोर्चा बन गया। सुभाष ने युवा-पीढ़ी के सम्मुख अपनी उग्रवादी नीति पेश कर सकने की गरज से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। गांधीवादी खेमे में हलचल मच गयी।

कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न ने उग्ररूप धारण कर लिया। विगत बीस-पच्चीस वर्षों से कांग्रेस-अध्यक्ष का चुनाव औपचारिक अनुष्ठान मात्र रहा था। गांधीजी जिस व्यक्ति का निर्देश कर देते, उसे सर्व सम्मति से अध्यक्ष चुन लिया जाता। उस वर्ष गांधीजी ने अपने परम शिष्य पट्टामि सीतारामय्या का नाम अध्यक्ष-पद के लिए सुझाया था। कांग्रेस के नेताओं को गांधीजी का निर्णय स्वीकार्य था। नेताजी को परामर्श दिया गया था कि गांधीजी की प्रतिष्ठा और कांग्रेस की एकता के लिए गांधीजी का निर्णय मानकर अध्यक्ष-पद के लिए चुनाव लड़ने का विचार छोड़ दें। पं नेहरू भी कांग्रेस की समझौतावादी नीति से असन्तुष्ट थे, परन्तु गांधीजी के नेतृत्व की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। नेहरूजी ने भी सुभाषबाबू को गांधीजी का निर्णय मान लेने की राय दी। परन्तु सुभाष बाबू अपने निर्णय पर दृढ़ रहे और चुनाव में दो सौ अधिक मतां से विजयी हुए।

नेताजी सुभाषचन्द्र बीस के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने पर युवा-पीढ़ी में विजयील्लास फूट पड़ा। त्रिपुरा में होनेवाले अधिवेशन में कांग्रेस को संघर्ष के मार्ग पर ले चलने की खूशी में उत्साहित थे, परन्तु गांधीवादी दल पर वज्रपात हो गया। वे विस्मयाहत हो गए। गांधीजी ने चुनाव प्रतिक्रिया स्वरूप यह घोषणा कर दी- "पट्टामि की पराजय स्वयं मेरी पराजय है। मैं त्रिपुरा अधिवेशन में सम्मिलित न हूँगा।"

गांधीजी की इस घोषणा से कांग्रेस के चोटी के नेता चिन्तित हो गए। नेताजी और गांधीजी के नेतृत्व की आवश्यकता थी। आचार्य नरेन्द्र देव, जय-प्रकाश बाबू, लोहिया इत्यादि चोटी के नेताओं ने दोनों दलों में समन्वय कराने की कوشिश की, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस ने अडगोबाजी की

नीति अपनाई। फलतः त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी-विरोधी प्रस्ताव 28 मती से पारित हो गया। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष को आदेश था कि सम्पूर्ण कांग्रेस-कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति गांधीजी के निर्देश या स्वीकृति से की जाए। फलतः नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने विवश होकर कांग्रेस से अपना त्याग-पत्र दे दिया। बाद में कांग्रेस की नीतियों से असन्तुष्ट होकर अनेक समाजवादी नेता कांग्रेस से अलग हो गए।

20 मार्च 1940 को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ (बिहार) में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ जिसमें देश भर में राष्ट्रीय संग्राम शुरू कर देने के लिए बिगुल बजाया गया। हजारों स्वतंत्रता-सेनानी युद्ध विरोधी आन्दोलन में गिरफ्तार हो गए और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भी हालवैक मीनूर्मेंट हटाने के आन्दोलन में गिरफ्तार कर लिये गए।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन : व्यक्तिगत सत्याग्रह

कांग्रेस ने रामगढ़ प्रस्ताव के आधार पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन गांधीजी के नेतृत्व में चलाने का निश्चय किया। आश्चर्य की बात यह थी कि सत्याग्रह का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता न होकर युद्ध के विरुद्ध विचार-अभिव्यक्ति का अधिकार था। कांग्रेस ने 5 जनवरी 1941 को युद्ध विरोधी व्यक्तिगत सत्याग्रह विनीता भावे के नेतृत्व में शुरू किया जिसमें लाखों लोग जेल गए।

इधर ब्रिटिश सरकार ने विश्व महायुद्ध के दौरान अपने मित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण भारत में सवैधानिक गतिरोध को दूर करने और भारतीय

नेताओं से वार्ता के लिए नये सुझावों सहित सरस्टैपर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल 23 मार्च 1942 को दिल्ली सेवा जो क्रिप्स-मिशन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित कर दी। योजना सम्बन्धी सुझाव दो भागों में विभाजित थे— एक युद्ध काल में और दूसरे युद्ध के बाद लागू होने वाले थे। प्रस्ताव में प्रत्येक दल को खुश करने का प्रयास था, परन्तु कोई भी दल इससे सहमत न हो सका। अनेक खामियाँ थीं। फलतः देश को बहुत निराशा हुई। क्रिप्स को यह कहना पड़ा— मुझे दुःख है कि हमारे प्रयत्न विफल हो गए हैं। फलस्वरूप 11 अगस्त 1942 को प्रस्तावित प्रस्ताव वापिस ले लिये गए। इस प्रकार— “दिवालिये बैंक का भविष्य की तिथि में भुने जाने वाला चैक अस्वीकार हो गया।”

सुभाषचन्द्र बोस

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की महती भूमिका रही है। नेताजी का व्यक्तित्व विलक्षण था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले, फिर भी उन्होंने कमी हार नहीं मानी। नेताजी भारतीय अदम्य जीजीविधा के प्रतीक बन गए थे। ज्ञान और कर्म, सूझबूझ और साहस के जो अद्भुत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किये, उनसे लोक-मानस में सहज ही उन्हें भारतीय इतिहास के दो शिखर—पुरुषों की कोटि में रखा जा सकता है— वे शिखर—पुरुष हैं महाराज शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह। द्वात्रिंशत् और क्षात्र का जो अद्भुत सामंजस्य उनके व्यक्तित्व में हुआ था, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जिस प्रकार शिवाजी और गजेव की आँखों में धूल झोककर आगरा किले से निकल आये थे, उसी प्रकार अंग्रेजी हुकूमत को चमका देकर नेताजी सुभाष-चन्द्र बोस कलकत्ता के एल्गिनरोड स्थित अपने मकान से निकल कर बर्लिन पहुँच गए थे।

नेताजी के महा-निष्क्रमण के मुख्य तीन भाग हैं : पहला अपने घर से निकलना, दूसरा गोमोह से पेशावर और फिर कबाइली बेश में काबुल पहुँचना और तीसरा काबुल से सोवियत संघ होते हुए बलिन पहुँचना । उनका महा-निष्क्रमण निरुद्देश्य नहीं था । देश को सशस्त्र युद्ध के द्वारा वे आजाद करना चाहते थे ।

बात दूसरे महायुद्ध से गूढ़ होती है । अंग्रेजों की कुटिल चालों से नेताजी भली-भांति परिचित थे और यह अनुभव करते थे कि यही मौका है, जब अंग्रेजों को शिकस्त दी जा सकती है : वे किसी तरह सोवियत रूस पहुँचकर दूसरे महायुद्ध की शक्तियों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोड़ना चाहते थे । वे इस यात्रा के पीछे चार कारण मानते थे :

- (1) कांग्रेस के भीतर सक्रिय दक्षिणपथी शक्तियाँ उन्हें अध्यक्ष-पद से हटाने में कामयाब हो गयी थी ।
- (2) वामपथी शक्तियों को न गांधीवादियों के खिलाफ मोड़ा जा सकता था और न अंग्रेजों के खिलाफ ।
- (3) अंग्रेजों को तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि उसके समानान्तर सशस्त्र-शक्ति न खड़ी कर दी जाए ।
- (4) द्वितीय महायुद्ध ने एक ऐसा अवसर दिया है जिसमें भारत एक सैन्यशक्ति के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सकता है ।

नेताजी ने सोवियत संघ जैसे साम्राज्यवादी अंग्रेज विरोधी देश से हथियार लेने की योजना बनायी । उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में सक्रिय क्रान्तिकारियों की मदद से वे रूस में प्रवेश करना चाहते थे; तय हुआ कि वे जुलाई 1940 में भारत छोड़ देंगे । इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जय प्रकाश नारायण, लाला शंकरलाल शर्दूलसिंह, कबीर आदि नेताओं से भी उन्होंने सलाह-मसिवरा किया । सब ने उनकी इस योजना का समर्थन किया । उत्तर-पश्चिम में उन्हें रूस ले जाने की तैयारियाँ भी हो गयी थी । लेकिन इसी बीच उन्होंने कलकत्ता में होवल के स्मारक को हटाने की माँग पर आन्दोलन

की घोषणा कर दी। शायद वे अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर से हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी यह योजना सफल नहीं हो पायी, क्योंकि वे गिरफ्तार कर लिये गए थे।

नेताजी की हवालात से फरारी

अपने भतीजे डॉ. शशिर बोस की मदद से 16-17 जनवरी 1941 को नेताजी घर के हवालात से फरार हो गए। क्रान्तिपार्टी के सदस्य व क्रान्तिकारी भगत राम तलवार और मिर्चा अकबर शाह को मदद से नेताजी अनेक कष्टों को झेलते हुए पहले काबुल पहुँचे। 27 जनवरी से 18 मार्च 1941 तक उन्होंने काबुल में रहकर आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनाया। जर्मनी के सैन्य महत्त्व को देखते हुए उन्होंने पहले बर्लिन पहुँचने का फैसला किया। ओरलांदो मौजेतो गुप्त नाम से नेताजी 2 अप्रैल 1941 को बर्लिन पहुँच गए।

नेताजी को इस फरारो-घटना ने देश की युवा-पीढ़ी को उत्साहित कर दिया था। अब दिखाने का आन्दोलन नहीं, असली लड़ाई शुरू होगी। नेताजी का यूरोप से क्रान्ति का कार्यक्रम घोषित हुआ। सशस्त्र क्रान्ति के लिए विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों का आह्वान किया गया और भारतीयों को स्वतंत्रता-प्राप्ति के अवसर को हाथ से न जाने देने को ललकार दी गयी। ब्रिटेन को चोट पहुँचाने और धूँसा मारने का यही असली समय है। नेताजी ने सिंह-गजंता की- "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।"

सन् '42 की जन-क्रान्ति

इधर पं. नेहरू जनता के रक्ष और उन्नति को देख सहम गए थे। उन्होंने अपनी नीति बदल दी। चमत्कार यह हुआ कि सभी नेता उग्र, युद्ध-बिरोधी हो गए। 1942 के 8 अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस

कमेटी ने "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पारित किया। गांधीजी ने देश को "करो या मरो" का नारा दिया। उसी रात सोते हुए गांधीजी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। युवा पीढ़ी ने अपने आत्मबल से जन-क्रान्ति का मोर्चा सम्भाल लिया था। युवा-पीढ़ी अब तक नेताओं की मूलापेक्षी रहा करती थी, किन्तु सन् 1942 के समय ने उनके लिए दक्षिण अवसर प्रदान कर दिया था। देश के नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही युवा-पीढ़ी ने इन्कलाब का बिगुल बजा दिया था।

नेताओं के कंठ कर लिये जाने पर जनता क्रुद्ध हो गई। 9 अगस्त 42 को बम्बई, पूना, अहमदाबाद इत्यादि नगरों में जुलूस निकले गए और सभाएँ हुईं। 10 अगस्त को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नगरों में स्थिति बिगड़ती गई। अहिंसा का स्थान हिंसा ने ले लिया। देश भर में विद्रोह भड़क उठे। व्यापक रूप से तोड़-फोड़ हुई। सरकारी इमारतें पुलिस-चौकियाँ, स्टेशन, खजाने गोदाम आदि फूँक दिये गए। जेलों के फाटक तोड़े गए और सभी बन्धियों को आजाद कर दिया गया। सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झण्डे फहराये गए। रेल-पटरियाँ उखाड़ी गयीं। रेजिनाल्ड मॅक्सवेल के अनुसार "200 के लगभग रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिये गए, 500 के लगभग डाकखानों पर हमला हुआ, जिनमें 50 के करीब बिल्कुल जला दिये गये।" 3500 स्थानों पर तार और टेलीफोन लाइनों को काट दिया गया। 85 सरकारी भवन और 70 थाने जला दिये गये। "अनेक स्थानों पर सड़के खोदी गईं। नगरों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। क्रान्तिकारियों ने अपनी रणनीति बदल ली—सशस्त्र पुलिस से टक्कर लेने के बजाये देहातों में इन्कलाब की आग को फैला दिया गया। फलतः बलिया, बस्ती, सतारा, मिदनापुर आदि में विद्रोह भड़क उठे। बलिया (उत्तर प्रदेश) में तो अधिकारियों को कंठ कर अपना राज्य स्थापित कर लिया गया। बलिया की स्वतंत्रता पर युवा-पीढ़ी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। बलिया में कई दिनों तक स्थानीय क्रान्तिकारी नेताओं के नेतृत्व में प्रजा-तंत्र कायम रहा।

सरकार ने अत्यधिक शक्ति के साथ आन्दोलनकारियों का दमन किया। कांग्रेस गैर-कानूनी सस्था घोषित कर दी गई। सभाओं, जुलूसों पर पाबन्दी

लगा दो गई। कुछ नगरी में मार्शल ला लागू कर दिया गया। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और सेना द्वारा 538 चक्र गोलियाँ चलाई गयी और 950 व्यक्ति मारे गये तथा 1360 घायल हुए। 60,229 बन्दी बनाये गए। किन्तु ये आंकड़े सच्चाई से परे थे। आन्दोलन को भूमिगत कर दिया गया और नेतृत्व राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादो नेताओं के हाथों में चला गया। इस आन्दोलन में साम्यवादियों को छोड़कर सभी दलों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

विदेशों में आजाद हिन्द फौज की स्थापना



रास बिहारी बोस

इधर जब भारत में "भारत छोड़ो" आन्दोलन चल रहा था, 1942 में जनरल मोहनसिंह ने सिगापुर में आजाद हिन्द फौज की स्थापना की और जापान सरकार को यह पत्र लिखा कि जल्द से जल्द नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को जर्मनी से सिगापुर ले आए और नेताजी ही आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व करें। नेताजी बर्लिन में खामोश नहीं बैठे। वहाँ उन्होंने आजाद हिन्द फौज को स्थापना की थी। नेताजी को जापानी सरकार 1942 में

सिगापुर में नहीं लायी इस पर जनरल मोहनसिंह ने आजाद हिन्द फौज को तोड़ दिया तो जापानी सरकार ने जनरल मोहनसिंह को नजर बन्द कर दिया। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री रास बिहारी बोस ने जो उन दिनों सिगापुर में ही भारतीय सैनिकों को लेकर एक सेना बनाई और नेताजी को यह सन्देश भेजा कि वे आकर सेना का नेतृत्व करें। सुभाष बाबू भी यही चाहते थे। उन्होंने जर्मन सरकार पर यह दबाव डाला कि उन्हें फौरन सिगापुर पहुँचाने की

व्यवस्था की जाए। हिटलर ने नेताजी को पनडुब्बी द्वारा सिगापुर पहुँचाने की व्यवस्था कर दी। हजारों मील समुद्री-यात्रा करके पनडुब्बी के द्वारा सुभाष बाबू सकुशल जूलाई 1943 में सिगापुर पहुँचते ही भारतीयों में एक मनमनी-सी फैल गयी। सुभाष बाबू ने टोकियो जाकर जापानी सरकार में मलाट-मज-विरा किया और फिर युद्ध में बन्दी बनाकर लाये गए भारतीयों तथा प्रवासी भारतीयों की एक मजठित सेना आजाद हिन्द फौज के नाम से गठित की। ब्रिटिश इण्डिया आर्मी के चालीस हजार नौजवान आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए। लड़कियों की एक अलग सेना "झाँसी रानी वाहिनी" के नाम से गठित की गई। दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों से जो 20 लाख प्रवासी भारतीय थे, सुभाष बाबू की अपील पर उनके प्रत्येक परिवार में आजाद हिन्द फौज के लिए एक-एक नौजवान आजाद हिन्दी फौज में और एक-एक लड़का रानी झाँसी रेजीमेंट में शामिल हुए। प्रवासी भारतीयों ने अपनी रैलियाँ की मुँह खोल दी। देखते ही देखते बरबो रुपये जमा हो गए। इस प्रकार प्रवासी भारतीयों ने आजाद हिन्द फौज को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। जापानी सरकार सुभाष बाबू को हर तरह से सहायता दे रही थी, परन्तु नेताजी ने अपने को उनके हाथों बेचा नहीं था, अपितु अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाये रखा था। ऐसा भी हुआ कि अनेक बार जापानी अधिकारियों से उनका मतभेद हुआ, परन्तु अन्त में नेताजी की ही बात मानी गई और जापानी अधिकारियों की अपना सिर झुकाना पड़ा।

रानी झाँसी रेजीमेंट

सुभाषचन्द्र बोस की सशस्त्र क्रान्ति की प्रेरणा मनु 1857 की क्रान्ति से मिली थी। वे चाहते थे कि सशस्त्र क्रान्ति में महिलाओं का भी सक्रिय सहयोग लिया जाए। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई आदि वीराणियों ने जिस साहस-वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी, उसी प्रकार वीराणियों को




रानी झाँसी रेजीमेट सेनापति सुभाषचन्द्र बोस को सलामी देती हुईं

की एक प्रशिक्षित सेना 'रानी लक्ष्मीबाई' के नाम पर तैयार की जाए। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्मतिथि 22 अक्टूबर (1943) को सिगापुर में कैप्टेन डॉ. लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में 'रानी झाँसी रेजीमेट' बनायी थी। उस समय इस रेजीमेट में तीन सौ से अधिक प्रशिक्षित युवतियाँ थी, बाद में उनकी संख्या बढ़ गयी। इस रेजीमेट के उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले 21 अक्टूबर को सुभाषचन्द्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की विधिवत् घोषणा कर दी थी। कैप्टेन डॉ. लक्ष्मी सहगल उस मंत्रिमण्डल में महिला प्रतिनिधि-मंत्री थी।

'रानी झाँसी रेजीमेंट' आजाद हिन्द फौज की एक शाखा थी। नेताजी ने आजाद हिन्द फौज को राष्ट्रगीत— "सब सुख चैन का बन्धा बग्से भारत भाग्य है जागा" और 'जय हिन्द' और 'जलो दिल्ली' 'मजे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा' आदि नये नारे दिये थे। कैप्टन डॉ. लक्ष्मी महगल ने नेताजी के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लाहौर षडयंत्र केस और चटगाँव शास्त्राचार केस आदि में अन्य क्रान्तिकारियों के साथ डॉ. लक्ष्मी महगल ने सक्रिय रूप से कार्य किया था। रानी झाँसी रेजीमेंट ने न केवल आजाद हिन्द फौज के साथ भाग लिया, अपितु युद्ध में घायल सिपाहियों की सेवा—सुश्रुषा में भी महत्वपूर्ण सेवा की थी। इस रेजीमेंट ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा 'नेताजी फण्ड' के लिए भी धन इकट्ठा किया था। 'रानी झाँसी रेजीमेंट' की अनुशासनबद्धता एवं अपूर्व देश-भक्तों को देखकर अनेक विदेशी युवतियाँ सेना में भर्ती हो गयी थीं जैसे 'पेनांग', 'इपोह' और क्वालालम्पुर आदि की युवतियाँ। बाद में ये युवतियाँ रेजीमेंट की अफसर भी बन गयीं। रंगून, मलाया आदि देशों में भी 'रानी झाँसी रेजीमेंट' की शाखाएँ स्थापित की गयी थीं।

आजाद हिन्द सरकार की घोषणा

सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर में केवल आजाद हिन्द फौज और रानी झाँसी रेजीमेंट बनाकर ही शान्त नहीं बैठे, अपितु उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की विधिवत् घोषणा कर दी थी। जिस समारोह में अस्थायी सरकार की घोषणा हुई थी, उसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपनी आँखों में आसु भरे नेताजी ने ईश्वर और 40 करोड़ देशवासियों की साक्षी रहकर अपने पद की शपथ ली थी। उन्होंने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अनवरत प्रयास करते रहने की प्रतिज्ञा की थी।



अस्थायी सरकार के मंत्रिमण्डल के साथ सुभाषचन्द्र बोस

इस मंत्रिमण्डल में सैनिक अफसर नौ और आठ नागरिक प्रतिनिधि इस प्रकार कुल 17 मंत्री थे। महिला प्रतिनिधि कैप्टेन डॉ. लक्ष्मी सहगल थी। मंत्रिमण्डल में सैनिक सदस्य थे— कर्नल मॉसले, कर्नल चटर्जी, कर्नल लोक्नाथन्, कर्नल एहसान कादिर, कर्नल भगत, कर्नल जमान कियानी, कर्नल अब्जीज अहमद, कर्नल शाह नवाज खान और ले. कर्नल गुलबारा सिंह और नागरिक प्रतिनिधि थे— सर्वश्री एस. ए. ऐयर (प्रचार मंत्री) आनन्द मोहन सहाय (मंत्रिमण्डल सचिव और बिना विभाग के मंत्री) करीमगनी, सरकार, दोस्त मोहम्मद खान, देवव्रतदास, ईश्वरसिंह (सभी सलाहकार) और महिला प्रतिनिधि कैप्टेन डॉ. लक्ष्मी सहगल।

सुभाषचन्द्र बोस आज़ाद हिन्द सरकार के राष्ट्रपति और सर्वोच्च सेनापति बने। जर्मन, जापान, इटली, आयरलैण्ड और जर्मन पक्ष की ओर से लड़नेवाली सभी सरकारों ने आज़ाद हिन्द सरकार को नियमित रूप से मान्यता प्रदान कर दी और समक्षता के बराबर दर्जा दिया। आज़ाद हिन्द सरकार के राष्ट्रपति के नाते सुभाषचन्द्र बोस ने ब्रिटिश सरकार और अमेरिकन सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यदि रूस से नेताजी को सकारात्मक मदद मिली होती तो वे पश्चिमी सीमान्त से अंग्रेजी फौज पर हमला करने में काफी हद तक सफल हो गए होते। खैर, जो विधि को मान्य था बही हुआ। उन्हें जापान जाकर पूर्वी क्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी।

आज़ाद हिन्द फौज ने बर्मा के जंगलों के मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। सिंगापुर के इम्फाल (मणिपुर) तथा (कोहिमा) नागा हिल्स जिला असम का मोर्चा 2,775 मील लम्बा था। इतने लम्बे मोर्चे पर जमकर युद्ध हुआ और इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर 26 हजार आज़ाद हिन्द फौज के स्वाधीनता सेनानी शहीद हो गए और उनके सहयोगी 40 हजार जापानी सैनिक इन मोर्चों पर मर गये, 60 हजार ब्रिटिश-अमेरिकन तथा ब्रिटिश इण्डियन आर्मी के लोग इन मोर्चों पर मर गये। इस युद्ध में रानी आंती रेजीमेंट सेना भी शामिल रही है। इस घमासान आज़ाद हिन्द फौज की लड़ाई से भारत के मणिपुर राज्य के दो तिहाई भाग और समूचा नागालैंड आज़ाद हो गया। मोयरींग (मणिपुर) में सर्वप्रथम तिरंगा झण्डा सहराया गया।

इस लड़ाई की विशेषता यह थी कि हजारों प्रवासी भारतीय लड़कियाँ 'रानी झाँसी रेजीमेन्ट' में शामिल होकर कैप्टन डॉ. लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज के स्वाधीनता सेनानियों के साथ कन्नड़ से कन्नडा मिलाकर भारत को आजाद कराने के लिए लड़ी थी, किन्तु रसद और विमानों की कमी के कारण तीन महीनों के बाद ही आजाद हिन्द फौज को भारत की भूमि मणिपुर तथा नागालैण्ड छोड़ना पड़ा था ।

नेताजी के रेडियो प्रसारणों का प्रभाव

आजाद हिन्द फौज की बीरतापूर्ण लड़ाई का प्रभाव भारतीय स्वाधीनता सेनानियों और विशेषकर ब्रिटिश इण्डियन आर्मी के लोगों पर पड़ा । सुभाषचन्द्र बोस बलिन, सिगापुर, टोकियो आदि से अपने रेडियो प्रसारणों में आम जनता के साथ-साथ सैनिकों को भी विद्रोह करने तथा आई. एन. ए. का स्थान देने का आह्वान करते थे । उस समय देश में 1942 का "भारत जोड़ो" आन्दोलन जोरों पर था और दमन-धक्का भी खूब चल रहा था । देश-विदेशों में तैनात भारत सैनिकों पर नेताजी के रेडियो प्रसारणों तथा राष्ट्रीय आन्दोलन और आई. एन. ए. के मुक्ति-अभियानों का प्रभाव पड़ा ।

सच्चाई यह है कि यूनिटों के सैनिक गुप्त रूप से नेताजी का रेडियो-प्रसारण सुनते थे । नेताजी बार-बार कहते थे ब्रिटिश सेना के कार्यों को विफल करो । उससे असहयोग करो । स्वेज नहर पर तैनात सैनिकों (सिगापुर तोपखाना) ने नारायणसिंह के नेतृत्व में 1943 में स्वेज नहर पर विद्रोह किया था ।

सुभाष के आह्वानों ने चौथी इण्डियन कोस्टल गार्डिलरी, जिसे मद्रास कोस्टल गार्डिलरी भी कहते थे, पर असर पड़ा और इसी बैटरी के सैनिकों ने 1943 में कोचीन सैनिक-विद्रोह को दिशा में प्रयास किये । सेना के दक्षिणी मुख्यालय को प्राप्त एक मूक्त रिपोर्ट के अनुसार "चौथी मद्रास कोस्टल डिफेंस

बेटी के कुछ सैनिकों ने 1942-43 में कोचीन में तोड़-फोड़ करने, ब्रिटिश शासकों के प्रति निष्ठा को खत्म करने सैनिकों को सेना छोड़कर चले जाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न यूनिटों में तनाव और असन्तोष पैदा करने की कोशिश की। "इनके विरुद्ध कदम उठाये गए और 18 अप्रैल 1943 को एक दर्जन विद्रोही सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सैनिकों के विरुद्ध 6 जुलाई और 5 अगस्त को गुप्त रूप से कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल ने वारह अभियुक्तों में से नौ को फाँसी व तीन को कैद की सजा दी। यनकुमार, बसु ठाकुर, नन्द कुमार दे, दुर्गादासराय चौधरी, निरजन बरुआ, चित्तरजन मुखर्जी, फानीभूषण चक्रवर्ती, सुनील कुमार मुखर्जी, कालिपद एवच और नरेन्द्र मोहन मुखर्जी को फाँसी तथा खोन्दनाथ घोष और मृजीबुर रहमान को आजीवन कारावास और अमल चन्द दे को सात वर्ष कैद की सजा सुनायी गई। मद्रास के सुधारानगर (जेल) में 27 सितम्बर 1943 को इन्हें फाँसी दे दी गई। फाँसी पर ये लोग मुस्कराते हुए चढ़े और "बन्देमातरम्", "भारत माता की जय" और "नेताजी जिन्दाबाद" के नारे लगाये। निस्सन्देह इन सैनिक क्रान्तिवीरों के संघर्षों और उनकी शहादतों ने भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को आगे बढ़ाया और उसमें जूझाई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न कर दी। फलतः 1946 के फरवरी महीने ये बम्बई ये नाविक सेना में बगावत का बिगुल बजाय दिया था। आजाद हिन्द फौज का भाग्य जापान के साथ बन्धा हुआ था। अमेरिका के युद्ध में कूदने से ब्रिटिश पक्ष का पलड़ा भारी पड़ गया था। लड़ाई में जर्मनों और जापान दुर्बल पड़ गये थे। आजाद हिन्द फौज सफल न हो सकी। उसे मोर्चा छोड़ कर पीछे हटना पड़ा था। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश सेना विजयी होती गयी, त्यों-त्यों आजाद हिन्द फौज के नेतागण ब्रिटिश कारागार में पहुँचते गये। उनसे शाहनवाज, दिल्ली और सहगल प्रमुख थे। अन्त में जापान ने आत्म-समर्पण कर दिया और ब्रिटेन और अमेरिका की विजय हो गई।

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के पराजय स्वीकार करते समय नेताजी सिंगापुर में ही थे और 16 अगस्त 1945 को उन्होंने वहाँ से बैंकाक के लिए प्रस्थान किया था। नेताजी की यह अन्तिम यात्रा-समझौता जारी है।

सिगापुर से बैकाक होते हुए नेताजी ने एक जापानी विमान में यात्रा की थी। कहा जाता है कि यह विमान 18 अगस्त को ताइवान के तेकोहू हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी रात लगभग नौ बज नेताजी का निधन हो गया। यह उल्लेखनीय है कि सिगापुर में आजाद हिन्द फौज के कर्णधार सुभाष ने तो ब्रिटिश राज्य सत्ता के विरुद्ध क्रान्ति का शंखनाद किया ही था, उसके पूर्व भी प्रथम महायुद्ध के दौरान गुदर पार्टी के क्रान्तिकारियों ने सिगापुर को आजादी-संघर्ष का एक प्रमुख केन्द्र बनाया था और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समान वहाँ सिपाही-विद्रोह कराया था।

गांधीजी का जेल में उपवास

ब्रिटिश सरकार ने उपद्रवों और हिंसा के लिए कांग्रेस की उत्तरदायी ठहराया। चर्चिल ने हाउस आफ कामन्स में कहा— “कांग्रेस ने अहिंसा को त्याग कर दिया है। और क्रान्तिकारी पद्धति अपना ली है।” गांधीजी ने 15 जुलाई 1943 को अतिरिक्त सचिव गृह विभाग की पत्र लिखकर इन आरोपों को निराधार सिद्ध किया और निष्पक्ष जाँच की माँग की। जब शासन ने हिंसात्मक कार्यवाहियों की जाँच करवाने से इन्कार कर दिया तो गांधीजी ने जेल में उपवास का निश्चय किया। इस उपवास का उद्देश्य सरकारी हिंसा का विरोध तथा आत्म-शुद्धि था। उपवास के दौरान गांधीजी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, फिर भी उन्होंने 21 दिन बाद ही अपना उपवास तोड़ा। महायुद्ध की समाप्ति और मित्रराष्ट्रों की विजय के बाद गांधीजी को 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया गया। इधर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग जोर पड़ती जा रही थी। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और लीग में समझौता के लिए एक फार्मूला, गांधीजी की स्वीकृति से दिसम्बर 1944 में जिन्ना के सामने रखा। इस फार्मूले की योजना के साथ स्वयं गांधीजी जिन्ना से मिले, किन्तु यह बातों विफल हो गयी। नये नियुक्त वाइसराय लार्ड वैलेल

ने 14 जून 1945 की एक नयी योजना पेश की जिसे 'वैबल योजना' के नाम से जाना जाता है। इस योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन हुआ, परन्तु जिम्ना की हठधर्मिता के कारण 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन असफल हो गया। विफलता के कारणों में काँग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों की सख्या समान रखना भी एक कारण था।

आजाद हिन्द सेना के अधिकारियों पर मुकदमें

जापान के आत्म-समर्पण के उपरान्त नेताओं द्वारा स्थापित आजाद हिन्द सेना के सिपाही भी कब्द कर लिये गए और उस सेना के प्रमुख अधिकारियों पर सैनिक कानून के अनुसार दिल्ली के लालकिले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आजाद हिन्द सेना के जिन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, उनमें सब से प्रमुख थे केप्टन शाह नवाज; केप्टन जी. के. सहगल तथा लेफ्टिनेट गुरुबख्शसिंह दिल्लीन। देशवासियों के हृदय में इन व्यक्तियों के साहसिक तथा देशभक्ति पूर्ण कार्यों के प्रति अतीव श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। अतः जनता के द्वारा इन नेताओं की मुक्ति की माँग की गई। इन नेताओं पर नवम्बर 1945 में अभियोग प्रारम्भ हुआ और इन नेताओं को बचाने का कार्य कांग्रेस के द्वारा अपने हाथ में लिया गया। केन्द्रीय व्यवस्थापिका में कांग्रेस दल के नेता भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के प्रमुख वकील थे और उनके पीछे विद्यान-शास्त्रियों की एक लम्बी पंक्ति थी जिसमें सरतेज बहादुर सप्रू, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. कलाशनाथ काटजू, दीवान बन्नीदास, आसफली और बख्शीटेकचन्द आदि थे।

स्वातंत्र्य सैनिकों पर चलाये जा रहे इस अभियोग ने सम्पूर्ण देश के वातावरण को उत्तेजनापूर्ण कर दिया। हिन्दू, मुसलमान और भारत के सभी

वर्गों द्वारा धामन के इस कार्य का विरोध करते हुए प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सरकार ने प्रदर्शनकर्ताओं के साथ कठोर व्यवहार किया। कई स्थानों पर लाठी और गोली चलाई गई जिसके कारण कलकत्ते में 40 व्यक्ति मारे गये और 300 से अधिक घायल हुए। बम्बई में 3 व्यक्ति मारे गये और घायलों की संख्या 400 से अधिक थी। मैत्रिक अदालत ने इन तीनों वीरों का आजन्म कारावास का दण्ड दिया, किन्तु ब्रिटिश सरकार इस निर्णय का लागू करने का साहस नहीं कर सकी। गवर्नर जनरल ने अपने विशेष अधिकारों के अन्तर्गत इन वीरों को मुक्त कर दिया। वास्तव में वे 'राष्ट्रीय वीर' बन गये थे। दूसरे मुकदमे में श्री कॅप्टन रशोद को आजन्म कारावास का दण्ड दिया गया जिसे बाद में गवर्नर जनरल ने सात वर्ष का कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध सम्पूर्ण देश में हड़ताल और प्रदर्शन हुए। माइकेल बेचर लिखते हैं : "आजाद हिन्द सेना की इन घटनाओं से ब्रिटिश शासकों की प्रतिष्ठा गिरी और सेना के साहस में कमी हुई।"

अन्त में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के साथी जन्मना क्रान्तिकारी एव अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष शीलभद्र याजी के व्यक्तित्व एव कृतित्व के सम्बन्ध में यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और अनेक बार जेल की यातनाएँ सहनीं। श्री याजी जी के ही सद् प्रयत्नों से आजाद हिन्द फौज-शहीद स्मारक का निर्माण मोडरग (मणिपुर) में हुआ। यह शहीद स्मारक उन छब्बीस हजार आजाद हिन्द फौज के शहीद बहादुर जवानों, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारतीय वसुन्धरा पर तिरगा झण्डा फहराया था, की पुण्य-स्मृति को जीवित रखने के लिए श्री याजी की यह एक बहुत बड़ी देन है। इस शहीद स्मारक के लिए अनेक राज्यों का दौरा करके और असहनीय कष्ट उठाकर उन्होंने धन-संग्रह



श्री शीलभद्र याजी

किया था। वास्तव में यह स्मारक उनकी व्यक्तिगत स्मरणीय कृति है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं समाजवाद के श्री शीलभद्रयाजी ज्ञाते-ज्ञागते प्रतीक हैं।

सन् 1945-46 का नौ सैनिक विद्रोह

आजाद हिन्द फौज की मातृभूमि के लिए बीरता पूर्ण लड़ाई से उत्प्रेरित होकर सन् 1945-46 में भारत में जगह-जगह सैनिक विद्रोह हुए। पहला विद्रोह कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे पर वायुसेना ने किया। इसका प्रभाव सेना के दूसरे अंगों और भागों तक पहुँचा। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौ सैनिकों ने देश व्यापी विद्रोह किया और अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया। यूनियन जैक के स्थान पर कांग्रेस और लोग के झण्डे लगा दिये गए। ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में यह प्रथम अनहोनी घटना थी। विद्रोह की पृष्ठभूमि में विशुद्ध राष्ट्रीय भावना थी। सैनिक विद्रोह के समर्थन में 19 फरवरी 46 में देशव्यापी हड़ताल हुई। इस सम्बन्ध में एक शासकीय रिपोर्ट के अनुसार सन् 1946 में 18 बार तीन लाख मजदूरों ने हड़ताल की, जिनमें 27,17,000 घण्टों का नुकसान हुआ। बम्बई में नौ-सैनिकों का जो विशाल जुलूस निकला था, उसमें— "इन्कालाब हिन्दाबाद", "जयहिन्द", "हिन्दुस्तान को आजाद करो", "आजाद हिन्द फौज को रिहा करो" इत्यादि नारों से नारा आकाश गूँज उठा था। इस विद्रोह में अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ाई हुई। संकटों नाविक सेना के लोग शहीद हुए और हजारों लोग घायल हुए। यद्यपि सरकार पटेल की अपील पर सैनिकों ने हथियार डाल दिये किन्तु इन घटनाओं से अंग्रेज सरकार को प्रतिष्ठा गिर गयी। अंग्रेज सरकार की स्पष्ट मान्यता हो गयी कि भारत पर अब अधिक समय तक शासन सम्भव नहीं हो पाएगा। भारतीय सैनिकों के बल पर देश-विदेश में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया था। उन्हीं के सहारे भारत में ब्रिटिश राज टिका हुआ था। सेनाओं में बढ़ते हुए असन्तोष, उसके राजनीतिककरण तथा इन विद्रोहों के बाद ब्रिटिश शासकों ने यह अनुभव कर लिया था कि अब उनके दिन लड़ गए हैं। अतएव उन्होंने

भारत छोड़कर जाने का निर्णय किया। 1857 के उपरान्त यह पहला अवसर था जब भारतीय सेना ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुलकर अपने असन्तोष को व्यक्त किया था। इस सम्बन्ध में मौलाना आजाद लिखते हैं— “बम्बई में जल-सेना के अधिकारियों का विद्रोह तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। 1857 के बाद यह पहला अवसर था जब कि रक्षा-शक्ति के एक अंग ने राजनैतिक प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्पष्ट विद्रोह किया था। यह विद्रोह कोई पृथक घटना नहीं थी क्योंकि इसके पूर्व सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में युद्ध बन्धियों में से आजाद हिन्द सेना का निर्माण हो चुका था— इन घटनाओं ने ब्रिटेन को समझा दिया कि भारत की राज-नैतिक समस्या को सन्तोषजनक रूप से सुलझाये बिना अब वे और अधिक समय तक रक्षा-शक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते।” सैनिक विद्रोह के तुरन्त बाद ही ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने घोषणा की कि भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए भारत मंत्री पैथिव लारेस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और अलैंकजैडर भारत जायेंगे और भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे।

भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति

लार्ड माउण्टबेटन ने 23 मार्च 1947 को वायसराय का पद सम्भाला और नेताओं से वार्ता के पश्चात् इम निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एक मात्र हल पाकिस्तान की स्थापना है। उन्होंने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से परामर्श के बाद 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तावित की जिसे माउण्टबेटन-योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और लीग से स्वीकृति मिलते ही इसे तुरन्त लागू किया गया। फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान, दो-स्वतंत्र राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। इस योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके लिए 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम

से भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्रता मिल गई।

निष्कर्ष

इस तरह 1748 से 1947 तक दो शतान्दियों के लगातार स्वाधीनता संग्राम के फलस्वरूप माउण्टबेटन की योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र हुआ। दो शतान्दियों के अन्धकार के बीच से एक तेजस्वी स्वतंत्रता का सूर्य उदित हुआ। इस प्रकार युगों का अन्धकार समाप्त हुआ परन्तु देह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हुआ। अंग्रेज अपनी कूटनीति में सफल हो गए। भारतीय नेताओं ने इस विभाजन को स्वीकार करके भारी झूल को है। उस समय गांधीजी ने कहा था कि इस विभाजन को न माना गया होता तो हो सकता कि भारत 1947 में स्वतंत्र न होकर दो एक वर्ष बाद अवश्य आजाद हो जाता। वह स्वतंत्र अवश्य हो जाता, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि अंग्रेज भारत भूमि पर अधिक समय तक अपने पाँव जमाए न रख सकता था और अंग्रेज इस देश के टुकड़े किये बिना यहाँ से चला जाता।

यह अजीब विदम्बना की बात है कि दो शतान्दियों के स्वाधीनता-संग्राम में जहाँ हिन्दू-मुस्लिम अपना कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, वे लोग अपनी मंजिल पर पहुँचते-पहुँचते अलग-अलग देशों में बंट गए। सदा के लिए साम्प्रदायिक जहर की एक गलत नींव पड़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए। भयंकर नर-संहार हुआ। दोनों देशों की अपार क्षति हुई। दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान सरकार आज भी साम्राज्यवादी शक्तियों की कठपुतली बनी हुई है। विकासशील भारत के लिए पाकिस्तान सरदर्द बना हुआ है।

मौ. अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को 'एक जान दो जिन्म' घोषित करते हुए दृढ़ता से कहा था— "आज अगर एक फरिश्ता आसमान की बलन्दियों में से उतर आये और दिल्ली के कुतुबमीनार पर खड़ा होकर यह एलान कर दे कि स्वराज चौबीस घण्टे के अन्दर मिल सकता है, शर्त यह है कि हिन्दुस्तान हिन्दू-मुस्लिम एकता को त्याग दे तो मैं स्वराज को छोड़ दूंगा। मगर एकता न छोड़ूंगा, क्योंकि अगर स्वराज मिलने में देर हुई तो यह हिन्दुस्तान का नुकसान होगा। अगर हमारी एकता जाती रही तो यह... सारी इन्सानियत का नुकसान होगा...।"

डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या लिखते हैं— "भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी।" स्वतंत्रता के बाद डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने लार्ड माउण्टबेटन के प्रति घन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा था— "जहाँ स्वतंत्रता की प्राप्ति काफी सीमा तक हमारे अपने त्यागों और वलिदानों के फलस्वरूप हुई है, वहाँ वह विश्व शक्तियों और घटनाओं का भी परिणाम है। इसके साथ ही ब्रिटिश जाति के लोकतन्त्रात्मक आदर्शों और ऐतिहासिक परम्पराओं की पूर्ति भी है।"

प्रसिद्ध क्रान्तिकारी मन्मथनाथ गुप्त बहुत ही वेदना के साथ लिखते हैं— "शहीदों और देश भक्तों का स्वप्न साकार हो गया। पर, जिस रूप में यह सत्य हुआ उससे किसी को पूर्ण प्रसन्नता नहीं हुई। देश दो टुकड़ों में बट जाने से लोगों को स्वतंत्र होने, सैकड़ों वर्षों के बाद भारत माता की बँडियाँ जन-ज्ञानकर टूट जाने का आनन्द ही नहीं मिला।"



सप्तम अध्याय

सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम की उपलब्धि

उपसंहार :

विषय क्रम

1. सशस्त्र क्रान्ति का स्वरूप
2. क्रान्तिवादी आजादी-शमा के परवाने
3. उपलब्धि किस दल की ?
4. सशस्त्र क्रान्ति की उपलब्धि

सशस्त्र क्रान्ति का स्वरूप

प्रायः युद्धों की तुलना ज्वालामूखी के विस्फोटों से और क्रान्तियों की तुलना भूकम्पों से की जाती है। वास्तव में क्रान्ति का उद्भव, समस्या से मुक्ति पाने की छटपटहाट से होता है। क्रान्ति की मूल प्रवृत्ति होती है-स्विति में बदलाव। क्रान्ति अपने आप में साध्य नहीं, साधन है और क्रान्ति का साधन व्यक्ति नहीं, भावना है। क्रान्ति का छयेय व्यक्ति के प्रति अनुरक्ति से नहीं, भावना के प्रति निष्ठा से पूर्ण होता है। क्रान्ति वैयक्तिक प्रश्न भी नहीं है, न केवल वैयक्तिक प्रयत्नी से संभव है। सामूहिक चेतना जागृत करने का वह सशक्त साधन है। क्रान्ति का मार्ग "शाटंकट" भी नहीं अपितु एक सुदीर्घ राजमार्ग है।

क्रान्ति मात्र बदलाव नहीं, एक दर्शन है और एक रचनात्मक कार्यक्रम भी है। क्रान्ति-दर्शन के मूलभूत सिद्धान्त हैं- प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान के आदर्श बने। शहीद-ए-भाजम सरदार भगतसिंह द्वारा गठित, "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक दल" इस बात का प्रमाण है। शोषण-विहीन समाज की रचना उस दर्शन का कार्यक्रम था। क्रान्ति का मुख्य उद्देश्य विकृत संस्कारों से मानव की विमुक्ति द्वारा एक स्वस्थ समाज का पुनर्निर्माण करना था। क्रान्तिकारिता का मूलमंत्र था : "नो काम्प्रोमाइज" अर्थात् कोई समझौता नहीं।

क्रान्तियों की भी अपनी परम्परा होती है। प्रायः क्रान्तियाँ अपने स्वभाव के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं - 1. राज्यक्रान्ति या दरबारी क्रान्ति अथवा सैनिक क्रान्ति 2. राष्ट्रीय क्रान्ति और 3. सामाजिक क्रान्ति। विगत दो शताब्दियों में भारत में जो सशस्त्र क्रान्ति हुईं, उसे हम "राष्ट्रीय क्रान्ति" द्वारा सामाजिक क्रान्ति कह सकते हैं। यही सर्वोत्तम क्रान्ति कहलाती है।

क्रान्तिकारी आजादी-शभा के परवाने

मुदीर्घ दो शताब्दियों के भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मूल में क्रान्ति की चेतना विद्यमान रही है। यह उल्लेखनीय है कि संग्राम के आदि से अन्त तक क्रान्ति हिसामूलक रही है। क्रान्तिकारी स्वतंत्रता-शभा के परवाने थे। वे देश-प्रेम और स्वतंत्रता की भावना से प्रतिबद्ध थे। इसलिए उन्हें दूसरो से नहीं, अपितु अपने बलिदानो से मतलब था :

सरफरोशी की तमन्ना

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल मे है।

रहबरे राहे मुहब्बत, रह न जाना राह मे
लज्जते सहरा नवर्दी दुरी-ए-नजिल में है।

वक्त आने दे बता देंगे तुझे, ऐ आसमां !
हम अभी से क्या बताएँ, क्या हमारे दिल में है।

आज फिर मकतल में थे, कातिल कह रहा है बार-बार,
क्या तमन्ना-ए-शहादत भी किसी के दिल में है।

ऐ शहीदे-मुल्को-मिल्लत, मैं तेरे जज्बों के निसार,
अब तेरी कुर्बानी की चर्चा गैर की महफिल मे है।

अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़,
एक मिट जाने की हसरत अब दिले 'बिस्मिल' मे है ॥

राम प्रसाद 'बिस्मिल'

सन् 1929

सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम में युवा-पीढ़ी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सब पूछते तो वे ही क्रान्ति के सम्राट्क थे। विशेषता यह है कि क्रान्तिवादी युवा नेता मामूली, ईमानदार प्रतिबद्ध, निर्भीक, नया मनुष्य, जो भारत के "चतुर्धारी नेता" या अरस्तू के त्रासदी कुलीन से बिल्कुल भिन्न रहा है। ये युवा नेता अवतारी पुरुष नहीं, न अर्द्धदेवी मानव, न मसीहा, न अभिजात वर्ण के "चतुर्धारी नेता" थे, बल्कि वे साधारण मनुष्य थे।

ये ऐसे साधारण मनुष्य थे, जो आधुनिक त्रासदी से उत्पीडित, शोषित एवं मोहभंग के शिकार थे। ये ऐसे क्रान्तिवादी मनुष्य थे, जिन्होंने अपने चारों ओर घिरी हुई यात्रिक साम्राज्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था की गुलामी के विकृत विद्रोह किया था। अतः मे इसी क्रान्ति के मार्ग पर अपनी गहावत दी और अपने लहू की एक-एक बूंद से हजारों क्रान्तिकारियों को जन्म दिया। यह ठीक है कि क्रान्तिकारी नायक ने शरीर त्याग किया, किन्तु उस नायक की गति ने ज्यादा महत्त्वपूर्ण नायक के माध्यम से अलौकिक गति थी।

उपलब्धि किस दल की ?

वास्तव में बलिदान सुदीर्घ क्रान्ति का एक उद्धार संदर्शन है जो इतिहास के त्रासद तथ्य के उद्धार की प्रक्रिया की एक व्यक्ति के जीवन खण्ड से आगे ले जाता है। भारतीय सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम में तात्याटोपे, हांसी की रानी, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, गान्धुलू, अशफाक उल्ला खाँ, सुभाषचन्द्र बोस आदि ने जो बलिदान किये, वे क्रान्ति की मशाल को तेज करने के लिए और राष्ट्र के संयुक्त उद्धार के लिए थे।

कुछ राजनैतिक नेताओं तथा इतिहास-लेखकों ने जनना में यह प्रम पैदा करने की चेष्ट की है कि भारत के स्वाधीनता-संग्राम के फल-स्वरूप भारत की जो स्वतंत्रता मिली है, वह बिना खून बहाए अहिंसात्मक ढंग से मिली है, किन्तु अखिल भारतीय स्वतंत्रता-सेनानी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष

श्री शीलभद्रयाजी पूर्व सासद के अभिमतानुसार यह बात सफेद झूठ है और ऐसा कहना उन अमर शहीदों का अपमान करना है, जिन्होंने सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया था। श्री याजी पूछते हैं कि क्या उनका बहाया हुआ खून पानी था ? सच्चाई यह है कि स्वाधीनता-संग्राम का दो तिहाई भाग हिंसात्मक तथा एक तिहाई भाग कांग्रेस व गांधीजी के नेतृत्व में लड़ा गया अहिंसात्मक आन्दोलन था।

इस सदर्भ में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लेखक श्री मन्मथनाथ गुप्त का अभिमत उल्लेखनीय है— “सन् 1942 का आन्दोलन एक क्रान्तिकारी आन्दोलन था। इस माने में कि इस आन्दोलन में आकर गांधीवादी जन-आन्दोलन और क्रान्तिकारी आन्दोलन मिल गए थे। यह तो सुपरिचित है कि जब इस आन्दोलन के बाद गांधीजी जेल से छूटे तो उन्होंने इस आन्दोलन के नेतृत्व को अस्वीकार किया और इस बीच अग्रेज सरकार पर जो सशस्त्र आक्रमण इत्यादि हुए थे, उनकी निन्दा की। जवाहरलाल आदि नेताओं ने उस हद तक 1942 के आन्दोलन की निन्दा नहीं की, पर यह स्पष्ट था कि यह आन्दोलन 1921, 1930 तथा 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन से बिल्कुल अलग धारा का आन्दोलन था और यह 1914-18 तथा उसके बाद के युग के क्रान्तिकारी प्रयासों से मेल खाता था।” वास्तव में क्रान्तिकारियों के स्वतंत्रता-संग्राम की मूल प्रवृत्ति “सशस्त्र क्रान्ति” थी और मुख्य लक्ष्य था आजादी प्राप्त करना। इसी मार्ग पर उन्होंने अपनी साहायते दी।

सशस्त्र क्रान्ति की उपलब्धि

भारत को आजादी प्राप्त होने के सम्बन्ध में सरदार पटेल का वह वक्तव्य, जो उन्होंने आई. ए. रिलीफ, कमेटी की दिल्ली मीटिंग में दिया था कि जिस काम को साठ वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं कर सकी, वह काम आजाद हिन्द फौज तथा उनके नेता, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने तीन

भङ्गिनो को लडाईं मे ही कर दिया, क्योंकि उनको लडाईं के फलस्वरूप ही ब्रिटिश इण्डियन आर्मी के लोगो मे देश-भक्ति तथा इन्कलाव की भावना आ गई और इसलिए ब्रिटिश ने भारत को छोडकर भारत की आजादी दे दी ।” मन्मथनाथ गुप्त के अनुसार—“गिरते हुए साम्राज्यवाद को अन्तिम लात आजाद हिन्द फौज ने ही मारी थी ।”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि क्रान्तिकारी स्वाधीनता-सेनानी देश के दो टुकड़े करना नहीं चाहते थे, बल्कि वे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आजादी चाहते थे । इन्ही स्वाधीनता सेनानियो के प्रयासो से ही भारतीय सविधान मे “समाजवादी गणराज्य” के सञ्चोधन को स्वीकार कर लिया गया । लेकिन क्या भारत आज सचमुच एक “समाजवादी गणराज्य” बन गया है? आज भी यह प्रश्न चिह्न बना हुआ है ।

श्री जीवन सिंह ठाकुर के अनुसार “हमारे देश में कभी भी राजतंत्र या सामन्तवाद के विरुद्ध विद्रोह जैसा कुछ नहीं हुआ है । सामन्ती व्यवस्था पर अंग्रेज सामन्ती का जन्म जाना और स्वतंत्रता-आन्दोलन का फैल जाना, मात्र विदेशी शासक और स्वदेशी शासको का द्वन्द्व बन गया, न कि स्वदेशी का ।” विडम्बना यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के 43 वर्षों के बाद भी आज पूँजीवादी-सर्प देश के सारे प्रगतिशील तत्वो पर कुण्डली मारकर बैठे गये हैं, इस कारण पूँजीवादी तत्वों के ध्वंस के बिना देश के प्रगतिशील तत्व मुक्त नहीं हो सकेंगे और उन शहीद क्रान्तिकारियो का स्वप्न भी साकार नहीं हो सकेगा । डॉ लोहिया की सप्तक्रान्ति और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति का आन्दोलन” आदि आधुनिक शासदी के साक्षी हैं ।

अन्त मे हमे यह स्वीकार करना पडेगा कि स्वाधीनता संग्राम मे सशस्त्र राष्ट्रीय क्रान्ति ने देश भर मे झूकम्प कर दिया था और उसका परिणाम था देश को आजादी मिलना । इस लिए सशस्त्र क्रान्ति की सब से बड़ी उपलब्धि-स्वाधीनता की प्राप्ति है ।

स्वाधीनता-संग्राम के दौरान नेताओं द्वारा युवा-पीढी को सदा आगे बढ़ने से रोका गया है और उसकी इच्छाओं व आकांक्षाओं को कुवला गया, उनकी उपेक्षा की गई, फिर भी युवा पीढी ने अपनी सोच, सूझ-बूझ और अपने ढंग से सशस्त्र क्रान्ति के आन्दोलन को पूरी शक्ति के साथ चलाया। वे किसी राष्ट्रीय नेता के मुख्यापेक्षी नहीं रहे।

अन्त में भारत के उप-राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा के मन्तव्य को उद्धरित करते हुए "भारतीय स्वतंत्रता सशस्त्र संग्राम" के इतिहास का समाहार करते हैं—

“स्वतंत्रता-संग्राम में गाँधीवादियों और क्रान्तिकारियों के योगदान को अलग-अलग करके आँकना-उचित नहीं है, क्योंकि महात्मा गाँधी सहित सभी क्रान्तिकारी थे। आजादी की लड़ाई में क्रान्तिकारी और गाँधीवादी एक-दूसरे के पूरक रहे और उनमें कहीं टकराव नहीं था।”

—12 जून 1989



परिशिष्ट

- (1) 1748 से 1917 तक की प्रमुख घटनाएँ
- (2) संदर्भ ग्रन्थों की सूची

सन् 1748 से 1947 तक की प्रमुख घटनाएँ

17 वीं शती में भारत में राष्ट्रीय चेतना महाराष्ट्र में समर्थ रामदास (1654-1689) ने जागृत की थी। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार "अखण्ड भारत का स्वप्न महाराष्ट्र में सर्वप्रथम रामदास और छत्रपति शिवाजी ने देखा था।"

सन् 1600 : इंग्लैण्ड की महारानी एलिजबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना इंग्लैण्ड में की थी।

सन् 1608 : पहला अंग्रेजी जहाज भारत पहुँचा था।

6 फरवरी 1613 : मुगल सम्राट जहाँगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए और सूरत में एक कोठी बनाने की आज्ञा दी और मुगल दरबार में उनके एक दूत को प्रतिनिधि के रूप में रहने की अनुमति दी थी।

सन् 1640 : शाहजहाँ ने बंगाल में अंग्रेजों के माल पर चुगी कर माफ कर दिया। उस प्रान्त में अपनी कोठियाँ हुगली में बनाने तथा उनके जहाजों को हुगली नदी तक आने की अनुमति दी थी।

सन् 1664(अ) : वीर शिवाजी के बल को दबाने और सूरतकी रक्षा करने में औरंगजेब ने अंग्रेजों की मदद ली और उसके बदले में उन्हें व्यापार बढ़ाने की अनेक तरह की सुविधाएँ प्रदान की।

(आ) मुगल साम्राज्य का विनाश अंग्रेजों के हाथों नहीं हुआ, वरन् मराठों की वजह से हुआ। मच्छाई तो यह है कि मराठों की कुचलने के लिए मुगलों और अंग्रेजों का संयुक्त मोर्चा बना था।

(इ) . ईस्ट इण्डिया कम्पनी को तरह फ्रांसिसियों ने मी ठीक उसी उद्देश्य से भारत में व्यापार करने हेतु एक कम्पनी कायम की। फलत दोनों कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा बराबर जारी रही और लड़ाइयाँ भड़क उठी।

20 जून 1756 : अलीवर्दी खाँ का नाती युवराज सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और "अंग्रेजी दरबार-कोठी" के तमाम अंग्रेजों को गिरफ्तार कर उन्हें बंगाल प्रान्त से निष्कासित कर दिया और कलकत्ता का नाम बदलकर "अलीनगर" रख दिया था। यह घटना इतिहास में "काल-कोठरी" के नाम से जानी जाती है।

23 जून 1757(अ) . अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बङ्गाल के नवाब को पराजित करके अधर्म की नींव पर अंग्रेज साम्राज्य की नींव डाली। प्राय यह वही समय था, जब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्वतंत्रता पाने और हिन्दु-स्तान अपनी स्वतंत्रता खोने का।

(आ) अंग्रेजों ने 23 जून 1757 को जिस अधर्म की नींव पर अपने साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक उससे एक सौ साल बाद 23 जून 1857 को नानासाहिब के नेतृत्व में क्रान्तिकारियों ने कानपुर में उस अपमान का बदला अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करा लिया था। नाना साहिब का राज्याभिषेक "शास्त्रीय रीति" से ब्रह्मावर्त में सम्पन्न हुआ।

(इ) इतिहासकारों का अभिमत है कि हिन्दुस्तानी दौलत ने ही इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया, क्योंकि इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति सन् 1770 में शुरू हुई, जब कि अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना भारत में सन् 1757 में हुई।

20 अक्टूबर 1760 : अंग्रेजों ने नवाब मीर कासिम को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया।

सन् 1761 : अफगानिस्तान के शासक अहमदशाह दुरानो के आक्रमण ने मराठों के साम्राज्य स्थापित करने के स्वप्न को नष्ट कर दिया।

सन् 1764 : बंगाल में बैराकपुर विद्रोह और 1825 में पागलपथी विद्रोह हुआ था।

सन् 1770 : बंगाल में अकाल, अंग्रेजों के कठोर व शोषक कानूनों के विरुद्ध सत्यासियों का विद्रोह हुआ था।

सन् 1774 : मराठा राज्य को रक्षा करने हेतु कुशल राजनीतिज्ञ नाना फडनवीस ने "मराठा-सच" की स्थापना की थी।

सन् 1783 : हैदरअली की मृत्यु के बाद शेर-ए-मंसूर टीपूसुल्तान मंसूर राज्य का शासक बना और 1784 में उसने एक युद्ध में अंग्रेजों को पराजित कर दिया।

सन् 1794 : दक्षिण भारत में विजयनगर में विद्रोह हुआ था।

14 अक्टूबर 1799 : मद्रास प्रान्त के अन्तर्गत पांचालकुरिस्चै राज्य का राजा बीरपाण्ड्य कट्टबोम्मन ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया।

सन् 1804 : आगरे के पास मराठों ने अंग्रेजों को युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया।

18 दिसम्बर 1808 : केरल प्रदेश में जननेता वेल्लुन्प्याम्पी ने रेजिडेंट मेकाले की सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी और त्रावणकोर-कोचीन पर अपना झण्डा फहरा दिया ।

सन् 1820 से 1850 : तीन दशक तक गुजरात में इतिहास प्रसिद्ध "कोली—विद्रोह" हुआ ।

सन् 1822 : ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सतारा में चित्तूरसिंह के नेतृत्व में शमोसियो और सितम्बर 1844 में कोल्हापुर में गढ़कारियों का विद्रोह हुआ ।

दिसम्बर 1824 : कर्नाटक के कित्तूर की रानी चैन्नम्मा ने विद्रोह किया और 21 फरवरी 1829 को जेल में रानी की मृत्यु हो गयी ।

सन् 1827 से 1865 : बिहार में 1827 में बुढोभगत, 1831 में कोलविद्रोह, 1846 में खोद विद्रोह, 1855 से 65 तक सन्धाल परगना विद्रोह आदि जनजातियों के विद्रोह हुए ।

सन् 1829 : आसाम राज्य में तीरोतसिंह के नेतृत्व में आदिवासी खासी लोगी ने विद्रोह किया ।

जनवरी 1830 : कित्तूर की रानी चैन्नम्मा का एक बफ़ादार चौकीदार रायप्पा ने अपना सगठन तैयार कर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला लड़ाई लड़ी और उसे गिरफ़्तार करके अंग्रेज 1830 में अंग्रेजों ने फाँसी दी ।

सन् 1835 : उड़ीसा के गुरदर के जमींदार ने विद्रोह किया था ।

13 जनवरी 1849 : महाराजा रणजीतसिंह के दूसरा बेटा वीर शेरसिंह ने लाहं डलहोजी की गोरी सेना से युद्ध कर उसे पराजित किया था ।

1748 से 1847 . इन ती बर्षों मे अनेक विद्रोह हुए जिनमे "चौर हो विद्रोह", "भील विद्रोह," "नाइकदास आन्दोलन" आदि वन्य जनजातियो का विद्रोह उल्लेखनीय है । कहा जाता है कि इस कालखण्ड मे देशभर मे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चालीस से भी अधिक बार जनजातियो के विद्रोह भडक उठे थे ।

1849 से 1909 तक की प्रमुख घटनाएँ

2 फरवरी 1857 : ब्रह्मपुर मे सेना की 19 वी टुकडी द्वारा विद्रोह ।

10 मई 1857 : मेरठ मे सिपाहियो का विद्रोह ।

11 से 30 मई 1857 : दिल्ली, फिरीजपुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलन्दशहर, नासिराबाद, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर और उत्तर प्रदेश के दूसरे नगरो मे विद्रोह ।

11 मई 1857 : बहादुरशाह ज़फ़र को क्रान्तिकारियो द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया ।

जून 1857 : ग्वालियर, भरतपुर, झाँसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), बिहार के समतल मैदान, राजपूताना, मध्यभारत और बंगाल के कुछ भागो मे सेना द्वारा विद्रोह ।

23 जून 1857 : नाना साहिब के नेतृत्व मे क्रान्तिकारियो ने कानपुर को स्वतंत्र कर नाना साहिब का राज्याभिषेक "शास्त्रीय रीति" से ब्रह्मवर्त मे सम्पन्न किया ।

जुलाई 1857 : इन्दौर, महु, सागर तथा पंजाब के शेरम-स्यालकोट मे विद्रोह ।

अगस्त 1857 : नर्मदा और सागर जिलो में जन-विद्रोह ।

20 सितम्बर 1857 : अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा, मध्यभारत में विद्रोह का दूसरा दौर ।

अक्तूबर 1857 : कोटा राज्य में विद्रोह ।

नवम्बर 1857 : कानपुर के बाहर जनरल विडहम को देशभक्त सिपाहियों ने परास्त कर दिया ।

दिसम्बर 1857 : कानपुर में अंग्रेजी फौज कामयाब और तात्या टोपे कानपुर से निकल गए ।

मार्च 1858 : लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा ।

अप्रैल 1858 : झाँसी पर अंग्रेजों का कब्जा । बिहार में बाबू कुँवरसिंह के नेतृत्व में पुनः सफल विद्रोह ।

मई 1858 : कालपी, बरेली, जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा, रुहेलखण्ड में विद्रोही सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध ।

जुलाई से दिसम्बर

1858 : भारत पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार ।

सन् 1840 से 1863 : अंग्रेजों के विरुद्ध बहाबी 20 ऐसे अभियान हुए जिनमें 60,000 सेना मारी गयी ।

13 जनवरी 1872 : पंजाब में एक सौ कूका-सम्प्रदाय के अनुयायियों ने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया ।

सन् 1878-79 : वासुदेव बलवन्त फडके ने क्रान्तिकारी आन्दोलन की शुरुआत कर भारत को गणराज्य बनाने के संकल्प की घोषणा की थी ।

सन् 1891 : महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने हेतु लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव तथा शिवाजी जन्मोत्सव की परम्परा डाली थी ।

सन् 1897 : क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ और 1898-99 को चाफेकर बन्धुओं को फाँसी की सजा हुई ।

11 अगस्त 1908 : खुदीराम बोस को फाँसी दी गई ।

18 अगस्त 1909 : मदनलाल घीगरा को फाँसी दी गई ।

सन् 1909 से 1920 तक की प्रमुख घटनाएँ

23 दिसम्बर 1910 : लन्दन में न्यायाधीशों ने वीर सावरकर को 55 वर्ष काले पानी का कठोर दण्ड दिया ।

सन् 1912 : राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लायी गई ।

सन् 1913 : सानफ्रान्सिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में "गदर-पार्टी" की स्थापना हुई ।

1 नवम्बर 1913 , गदरपार्टी का "गदर" अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ ।

18 अगस्त 1914 : गदरपार्टी के सचिव लाला हरदयाल ने विदेशों में रहनेवाले प्रवासी भारतीयों का सशस्त्र क्रान्ति के लिए आह्वान किया ।

सन् 1914-15 : गदरपार्टी के आठ हजार सदस्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों से "कामायाटामारू", "निशानमारू", "मशीशामारू", "तोषामारू" "एस.एस.कोरिया" आदि जहाजों द्वारा अस्त्र-शस्त्रों सहित भारत प्रस्थान ।

30 दिसम्बर 1914 : बज्रबल में कनाडा से लौटे "कामायाटामारू" जहाज के सिलसिले स्वतंत्रता सेनानियों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा सजाकर दिया ।

- 29 अक्टूबर 1914 : "तोशामाह" जहाज रंगून होता हुआ कलकत्ता पहुँचा तो विद्रोह सम्बन्धी भेद खुल जाने से ग्दरपार्टी के प्रधान सोहन सिंह भक्तना, जहाज से उतरते ही गिरफ्तार कर लिये गये ।
- 14 फरवरी 1915 : ग्दरपार्टी के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता पं. परमानन्द के नेतृत्व में सिगापुर में सैनिक क्रान्ति हुई और विजय प्राप्त हुई ।
- सन् 1915 : बर्लिन में भारतीय राष्ट्रवाहियों द्वारा "इण्डियन इण्डि-पेंडेंस लीग" की स्थापना की गई ।
- दिसम्बर 1915 : काबुल में राजा महेन्द्र प्रताप ने भारत की कार्यकारी सरकार की स्थापना की । राजा महेन्द्र प्रताप कार्यकारी सरकार के अध्यक्ष तथा बरकतुल्ला प्रधान मंत्री बने ।
- 28 अप्रैल 1916 : श्रीमती ऐनीबेसन्ट ने लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर पूना में मुख्यालय बनाकर होमरूल-लीग की स्थापना की थी । तिलक ने एक लाख रुपये की जो शैली उन्हें पेंट स्वरूप दी थी, वह इण्डियन इण्डिपेंडेंस लीग को दे दी गई ।
- सन् 1917 : गांधीजी शान्ति और मित्रता का संदेश लेकर भारतीय राजनीति में आए और 1920 में असहयोगी गांधी बन गए ।
- सन् 1914-18 : मौलाना महमूद हसन ने अरब में गुप्तक्रान्ति की योजना बनाई थी ।
- सन् 1919 : पहले क्रान्तिकारी आन्दोलन ही भारत का एक मात्र जंगल आन्दोलन था लेकिन 1919 के बाद का आन्दोलन गांधीजी का कायेसी आन्दोलन ही गया ।
- 18 मार्च 1919 : रीलेट एक्ट पास हुआ—पं. मोतीलाल के अनुसार "अपील" दलील और दलील की व्यवस्था का अन्त ।

13 अप्रैल 1919 : अमृतसर के जलियावाला बाग में क्रूर जनरल डायर द्वारा हृदय विदारक नरसंहार हुआ ।

सन् 1921 से सन् 1939 तक की प्रमुख घटनाएँ

सन् 1921 : गांधीजी ने अपने केसर-ए-हिन्द की पदवी जो अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त की गई थी, उसे वापस करके असहयोग आन्दोलन चलाया था ।

1 जनवरी 1923 : देशबन्धु तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना की ।

3 फरवरी 1928 : भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध बहिष्कार आन्दोलन चलाया गया ।

31 दिसम्बर 1929 : काप्रस के लाहौर अधिवेशन में पं. नेहरू जी ने पहली बार "इन्कलाब जिन्दाबाद" नारे के साथ "पूर्ण स्वतंत्रता" और "समाजवाद" का प्रस्ताव पारित कराया ।

6 अप्रैल 1930 : महात्मा गांधी ने नमक-कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह किया ।

3 जनवरी 1932 : गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः प्रारम्भ किया ।

उपवादी दल की प्रमुख घटनाएँ

24 सितम्बर 1922 : आन्ध्र प्रदेश के मण्यम पर्वत-प्रदेश में क्रान्तिकारी सीतारामराजु और अंग्रेज-सेना के बीच जबर्दस्त मुठभेड़ हुई और सीतारामराजु को विजय हुई ।

9 अगस्त 1927 : क्रान्तिकारियों द्वारा काकोरी के निकट रेलगाड़ी को रोककर सरकरो खजाना लूट लिया गया ।

19 दिसम्बर 1927 : गोरखपुर जेल में परामप्रसाद "बिस्मिल" को फाँसी हुई ।

सन् 1928 : सरदार भगतसिंह के नेतृत्व में क्रान्तिारियों ने "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी" बनायी और उसका एक सैनिक पक्ष "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना" बनाया गया जिसके प्रधान सेनापति चन्द्रशेखर "आजाद" बनाए गए । दल का एक घोषणापत्र "बमदर्शन" कर-पत्र छापा गया ।

8 अप्रैल 1929 : केन्द्रीय असेम्बली में "सार्वजनिक सुरक्षा का बिल" पर मतदान होने वाला था, सरदार भगतसिंह ने योजनाबद्ध ढंग से बम फेंक कर अपनी गिरफ्तारी दी ।

23 दिसम्बर 1929 : दिल्ली स्टेशन से चार-पाँच मील पहले वाइसराय की ट्रेन के नीचे क्रान्तिकारी यशपाल और भगत राम ने बम का विस्फोट किया ।

28 अप्रैल 1930 : चिटगाँव में मास्टर दा सूर्यदेव के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय पर आक्रमण कर क्रान्तिकारियों ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झण्डा फहरा दिया ।

23 मार्च 1931 : सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर-सेण्ट्रल जेल में फाँसी दी गई ।

सन् 1932 : "युग पलटो" दल के किशोर सदस्य ज्ञानी जल सिंह ने साहसिक कार्य कर अपने क्रान्तिकारी नेता सन्त जसदन्त सिंह की जान बचायी ।

सन् 1940 से 1947 तक की प्रमुख घटनाएँ

सन् 1939 : नेताजी सुभाषचन्द्र बोस "कांग्रेस" के अध्यक्ष निर्वाचित हुए ।

5 जनवरी 1941 : युद्ध विरोधी व्यक्तिगत सत्याग्रह-संविनय अवज्ञा आन्दोलन विनोबा भावे के नेतृत्व में शुरु किया गया ।

16-17 जनवरी 1941 : नेताजी घर के हवालात से अपने सतीजे डॉ. शशिर बोस की मदद से फ़रार हो गए ।

2 अप्रैल 1941 : नेताजी काबुल से होते हुए बर्लिन पहुँच गए ।

8 अगस्त 1942 : बम्बई अधिवेशन में गाँधीजी ने अंग्रेजों को "भारत छोड़ी" को चेतावनी दी और देश की जनता को "करो या मरो" का नारा दिया ।

9 अगस्त 1942 : देश भर में विद्रोह भड़क उठा । व्यापक रूप से तोड़फोड़ हुई । अहिंसा का स्थान हिंसा ने ले लिया । क्रान्ति-कारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ।

सन् 42 की इस जन-क्रान्ति की तुलना कुछ इतिहासकार फ्रांस के इतिहास में वेस्टील के पतन और सोवियत रूस की "अकतूबर क्रान्ति" से करते हैं ।

सन् 1942 : सिगापुर में जनरल मोहनसिंह ने आजाद हिन्द फौज को स्थापना की ।

जुलाई 1943 : नेताजी हिटलर की मदद से पनडुब्बी द्वारा बर्लिन से सिगापुर पहुँच गए । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्री रासबिहारी बोस और नेताजी मिलकर युद्ध में जापानी सरकार द्वारा बन्दी बनाये गये ब्रिटिश इण्डिया आर्मी के चालीस हजार नौजवान और प्रवासी भारतीयों की एक संगठित सेना "आजाद हिन्द फौज" के नाम से गठित की ।

- 21 अक्टूबर 1943 : नेताजी ने सिगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी और वे स्वयं आज़ाद हिन्द सरकार के राष्ट्रपति और सर्वोच्च सेनापति बने। अनेक सरकारों से तत्काल मान्यता मिल गई।
- 22 अक्टूबर 1943 : नेताजी ने झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रेरणा लेकर उनकी जन्मतिथि पर सिगापुर में कैप्टेन डॉ. लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में युवतियों की सेना "रानी झाँसी रेजीमेंट" गठित की।
- सन् 1944-45 : आज़ाद हिन्द फ़ौज ने बर्मा के जंगलों के मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। इस प्रयासान लड़ाई में मणिपुर राज्य के दो तिहाई भाग और समूचा नागालैंड आज़ाद हो गया। मोयरींग (मणिपुर) में सर्वप्रथम तिरंगा झण्डा लहराया गया। इन झलाकों पर तीन मास तक आज़ाद हिन्द फ़ौज का अधिकार रहा।
- सन् 1942 से 46 : नेताजी के बर्लिन सिगापुर, टोकियो आदि रेडियो प्रसारणों के प्रभाव से न केवल भारत की जनता, अपितु सैनिक यूनिटो-जल-नभ एवं धल द्वारा अनेक स्थानों पर अनेक विद्रोह हुए जिन में कलकत्ता की वायुसेना और 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसेना का विद्रोह चिरस्मरणीय हैं।
- 16 अगस्त 1945 : नेताजी की सिगापुर से बंकाक के लिए प्रस्थान के समय दुर्घटना में मृत्यु।
- नवम्बर 1945 : दिल्ली के लालकिले में आज़ाद हिन्द सेना के अधिकारियों कैप्टेन शाहनवाज़, कैप्टेन जी.के.सहगल तथा लेफ्टिनेंट गुरुबहा सिन्हा दिल्ली पर राजद्रोह का मुकद्दमा चलाया गया।

- सन् 1946-47 : नेताजी के अनन्य साथी शीलभद्र याजी ने अपने निजी प्रयत्नों से मोइरंग (मणिपुर) में आज़ाद हिन्द फ़ौज-शहीद-स्मारक भवन का निर्माण किया ।
- 3 जून 1947 : भारत के अन्तिम वायसराय लार्ड माउण्टबेटन ने एक योजना प्रस्तावित की जिसे "माउण्टबेटन-योजना" कहा जाता है । तदनुसार 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ ।
- 15 अगस्त 1947 : भारत को स्वतंत्रता मिली किंतु उसके एक भाग का विभाजन कर पाकिस्तान की स्थापना भी की गई ।



संदर्भ ग्रन्थ

- काशी प्रचारिणी सभा, वाराणसी : हिन्दी विश्व कोश खण्ड-2
संपादन .
- कालमाक्स व फ्रेडरिक एंगेल्स : उपनिवेशवाद के बारे में
(सम्पादक : सुरेन्द्र बालूपुरी,
अनुवादक : भीष्म सहनी)
- प. जवाहरलाल नेहरू : विश्व इतिहास की शलक भाग-1, 2
- प. जवाहरलाल नेहरू : हिन्दुस्तान की कहानी
- वीर विनायक दामोदर साबरकर : 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर
- डॉ. रामविलास शर्मा : सन् सत्तावन का विद्रोह
- असहर अन्वास रिजवी : स्वतंत्र दिल्ली
- इयूगफ़ : ओल्ड मेरारीज : 1897
- सर गोकुलचन्द नारग
- मन्मथनाथ गुप्त : वे अमर क्रान्तिकारी
- डॉ. पट्टाभिषीतारामय्या : कांग्रेस का इतिहास भाग-1,2,3
- डॉ. एन. पी. कुट्टनपिल्लै : स्वतंत्रता सेनानी अल्लूर सीतारामराजू
- यशपाल : सिंहावलोकन-भाग-1,2,3

- डॉ. शीलम् बेकटेश्वर राव . यशपाल के उपन्यास : समस्यामूलक अध्ययन
- पुखराज जैन : भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा तत्संबंधी विकास
- प. शीलभद्र याजी : अयुत साकृत्यायन
- डॉ. लक्ष्मी सहगल : स्वतंत्रता संग्राम से समाजवाद के संसर्ग तक
- मन्मथनाथ गुप्त . राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास
- वीर सावरकर : क्रान्ति के नक्षत्र
- आन्ध्र प्रदेश हिन्दी अकादमी : आन्ध्र का इतिहास
- बिष्णु प्रभाकर : अमर शहीद भगतसिंह
- परमेश्वरीलाल गुप्त-सम्पादक : आज़ाद हिन्दी फौज़ और उसके तीन अफसरो का मुकदमा
- वीर सावरकर, अनु- विक्रमसिंह : हिन्दुत्व के पञ्च प्राण
- प्रेमचन्द्र शास्त्री : स्वतंत्र्य वीर सावरकर
- भीमसेन विद्यालकार-सम्पादक : लाला लाजपतराय की आत्मकथा
- प्राणनाथ वानप्रस्थी . वीर पुत्रियाँ
- स्वामी धिवेकानन्द . हिन्दू धर्म
- गिरिधर शुक्ल : प्लासी का युद्ध
- इन्द्र विद्यावाचस्पति : भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास
- जय प्रकाशनारायण : सम्पूर्ण क्रान्ति
- जय प्रकाशनारायण : सम्पूर्ण क्रान्ति का वैचारिक आधार : भाषणों का संकलन

- डॉ. राममनोहर लोहिया : सप्त क्रान्ति (विशिष्ट लेख)
- श्री. फ्रीड्रिख गेन्त्ज और : तीन क्रान्तियाँ
श्री स्टेफन टी. पोसोनी
- अनुवादक : हरिश्चन्द्र विद्यालकार
- विपिनचन्द्र, अमलेश त्रिपाठी, : स्वतंत्रता-संग्राम
वरूण दे
- अनुवादक : रामसेवक श्रीवास्तव
- डॉ. के. डी. गीतम तथा : भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं
डॉ. आर एन मिश्र : सवैधानिक विकास
- Bose, S. C. : The Indian Struggle
- Lewin, Malcolm : Causes of the Indian Revolt

पत्र-पत्रिकाएँ और संस्मारिकाएँ

(क) पत्रिकाएँ

धर्मयुग, रविवार, हिन्दुस्तान (साप्ताहिक), राष्ट्रधर्म, अजन्ता (हिन्दी प्रचार समा), नवनीत, आजकल, कल्पना, विवरण पत्रिका, जनज्ञान, सावंदेशिक पत्र, हैदराबाद समाचार ।

(ख) दैनिक पत्र

हिन्दुस्तान (रविवारीय), नवभारत टाइम्स (रविवारीय), प्रताप, जनसत्ता (रविवारीय), हिन्दी मिलाप ।

(ग) संस्मारिकाएँ

आयं सत्त्वाग्रह-दर्शन (अर्धशताब्दी स्मारिका), शहीद (स्मारिका), प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक सौ पच्चीस वर्ष (स्मारिका), राजहंस (स्मारिका), हिन्दी दर्पण (स्मारिका), विनायकराव अभिनन्दन ग्रंथ ।

(घ) साक्षात्कार

मु. श्री प्रकाशवतीपाल, मन्मथनाथ गुप्त, प्रो. कृष्णकुमार गोस्वामी, विद्याधर गुरुजी, पं. वन्देमातरम रामचन्द्रराव, धोण्डी राव जाधव, जी. राज-बीर जायें ।





लेखक

डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव का जन्म आन्ध्र प्रदेश की गडवाली हैदराबाद नगर में सन् 1933 में हुआ। नेल्सन् लाठी डॉ. शीलम् ने एम.ए. (हिन्दी) उत्कल विश्वविद्यालय में और एम.एड. और पी-एच.डी. उस्मानिया विश्वविद्यालय में की। एम.एड. परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए। उनके पी-एच.डी. का विषय था- "पञ्चपाल के उपन्यास : समस्यामूलक अध्ययन"। यह ग्रन्थ उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत है। 'प्रगतिवाद और पन्त' उनका दूसरा ग्रन्थ है।

डॉ. शीलम् की संपादन का विशेष अनुभव है। वे 'अध्येय' पत्रिका के संपादक रहे हैं और मराठी 'विवरण पत्रिका' के संपादक हैं। उन्होंने अनेक सम्मेलनों- "हिन्दी वर्ण", "राज्य", "आर्द-सत्याग्रह-दर्शन" और भारत-रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, प. जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक पाठ्यपुस्तकों का संपादन किया। अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, काव्य-रचना, हिन्दी प्रचार व प्रसार डॉ. शीलम् की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। वे अनेक शैक्षिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समितियों से संबद्ध हैं। लगभग पचास वर्षों से हिन्दी प्रचार तथा हैदराबाद से सम्बद्ध हैं। हिन्दी संस्थान नामपल्ली के अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। आन्ध्र प्रदेश हिन्दी अकादमी के सदस्य हैं। हिन्दी की विभिन्न सेवाओं के लिए वे अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित हुए हैं।

सम्प्रति डॉ. शीलम् धर्मवन्त कॉलेज हैदराबाद में वरिष्ठ हिन्दी प्राध्यापक हैं।